खण्ड-334, अंक-10
शुक्रवार, 17 भाद्रपद, शक संवत् 1900
(8 सितम्बर, 1978 ई0)

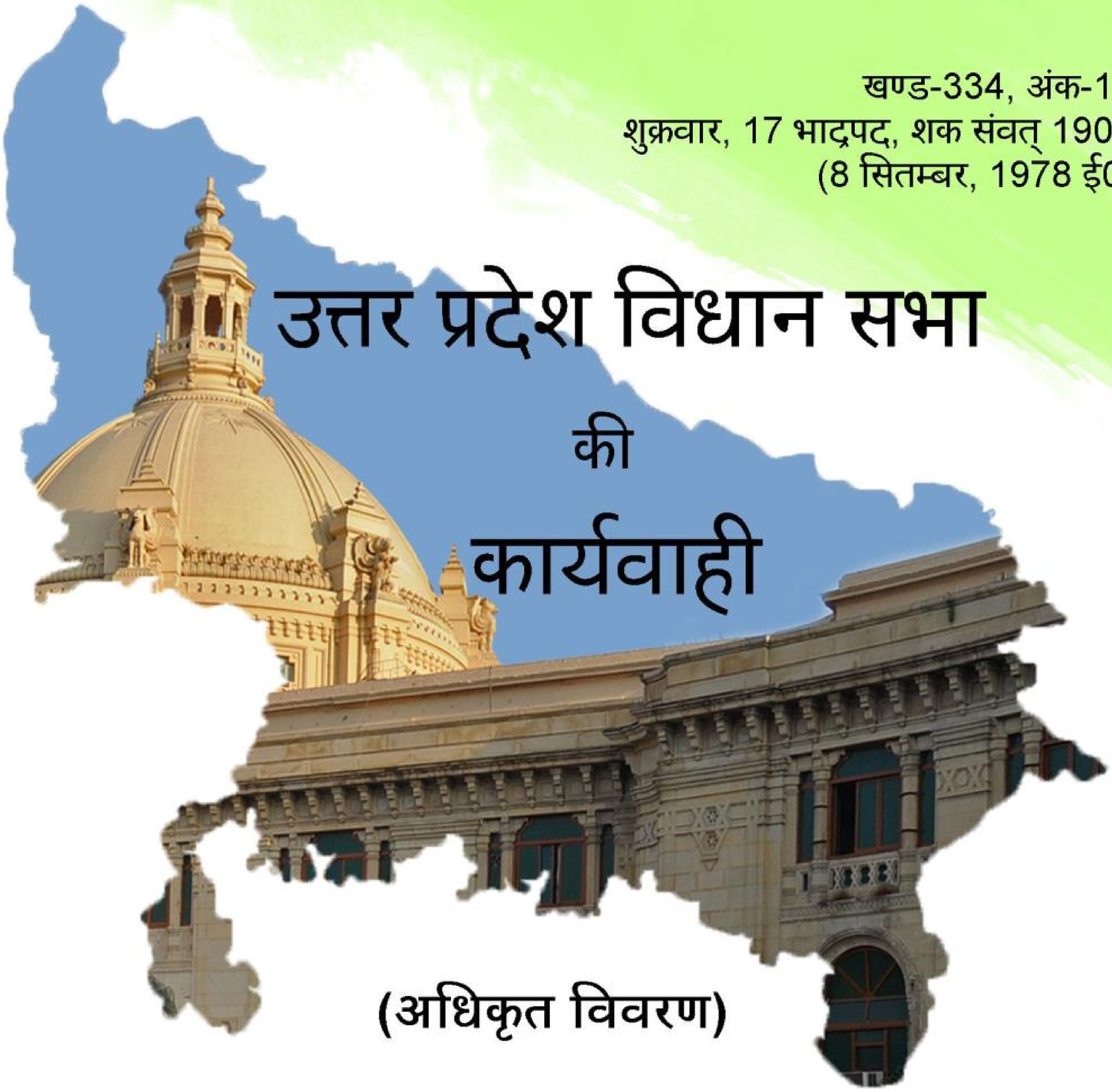

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 334 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१३९५–१३९९
प्रश्नोत्तर	१४०१–१४४७
राजा हरपाल सिंह इन्टर कालेज, जौनपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पक्षपात के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१४४७–१४४८
मोसा एवं डिसिर में निरुद्ध सेनानियों द्वारा विधान भवन के सामने सत्याग्रह करने तथा उनकी गिरफ्तारी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१४४८–१४४९
कानपुर छावनी में चांदमारी से एक बालक की मृत्यु तथा चांदमारी को अन्यत्र बनाय जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१४४९–१४५०
बस्ती जिले के ग्राम टूटी भीटी में श्री देशराज पाण्डेय की हत्या तथा पुलिस की अकर्मण्यता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१४५०
जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया कस्बे में स्थित राज्य परिवहन निगम के बुकिंग आफिस के स्थानान्तरित किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१४५१
पडरौना स्टेट के भूतपूर्व महाराजा स्वर्गीय ब्रजनारायण राय के बहुमूल्य जवाहारात कुछ लोगों द्वारा हड़पने की साजिश के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना..	१४५१–१४५२
जिला कृषि अधिकारी, झांसी, श्री गुलजारी लाल द्वारा उर्द टाइप ९ के बीज वितरण में घोटाला करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१४५२–१४५३
देवरिया के आई० टी० आई० में छात्रों के प्रवेश में धांधली के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना..	१४५३
बस्ती बहुधन्धी संस्थान में छात्रावास न होने से छात्र असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना..	१४५४
हलवासिया कोर्ट की इमारत पर बिना नक्शा पास कराये चौथी मंजिल के निर्माण के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१४५४–१४५५
बाराबंकी जनपद के बीबीपुर ग्राम में स्थित एक कुएं से स्नान हेतु भीड़ इकट्ठी होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१४५५

विषय	पृष्ठ-संख्या
बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर बस दुर्घटना के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१४५५-१४५६
ग्राम कौलसा, जिला आजमगढ़ के श्री शफकुद्दीन की पुलिस द्वारा पिटाई से मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१४५६
विधान भवन के गार्ड को मन्त्री के चपरासी द्वारा पीट जाने के सम्बन्ध में सूचना	१४५६-१४५७
व्यवस्था के प्रश्न	१४५७-१४६१
१९७६ में पहाड़ी क्षेत्रों में हुयी बस दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त शर्मा आयोग की रिपोर्ट (ज्ञापन सहित) (प्रस्तुत की गयी)	१४६१
विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७८-७९) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	१४६१
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट १९७१-७२ पर आधारित विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (१९७८-७९) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	१४६२
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट १९७२-७३ पर आधारित विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (१९७८-७९) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	१४६२-१४६३
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से सम्बन्धित विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (१९७८-७९) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	१४६३-१४६४
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें ..	१४६४-१४६८
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१४६८
हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर मंत्रियों द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१४६८-१४७२
मूंग के बीज की खरीदारी में एटा, अलीगढ़ तथा बुलन्दशहर में कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अनियमितता के सम्बन्ध में वक्तव्य	१४७२-१४७४
श्री राम नरेश यादव मंत्रि परिषद् के एक सदस्य के विरुद्ध समाचार पत्रों में भ्रामक समाचार छपने के संबंध में वक्तव्य	१४७४
वाराणसी में बिजली की आपूर्ति के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन	१४७४-१४७५

विषय	पृष्ठ संख्या
थानाध्यक्ष, जैदपुर, जिला फैजाबाद श्री राम के विरुद्ध नेवादा क्षेत्र में बस में विधायक के लिए आरक्षित सीट पर बैठने तथा श्री भगवती प्रसाद सिंह, विधायक के अनुरोध करने पर खाली न करने के संबंध में वक्तव्य	१४७५–१४७८
बांदा जिले की नरैनी तहसील के विभिन्न ग्रामों म हैजे के तथा-कथित प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य	१४७८–१४८१
दस्यु सुन्दरी हसीना बेगम की मौत पर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की पुलिस में विवाद के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१४८१–१४८३
कालपी तथा चौरा स्टेशनों के बीच बालू की खदानों से जमीन के अन्दर सुरंगें हो जाने के कारण रेलवे लाइन तथा नेशनल हाईवे में दुर्घटनायें होने की संभावना के सम्बन्ध में वक्तव्य..	१४८३–१४८५
देवनागरी कालेज, मेरठ में एम० काम० कक्षायें खोले जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	१४८६
वाराणसी नगर में बिजली की आपूर्ति में अनियमितता के सम्बन्ध में वक्तव्य	१४८६–१४८७
लखनऊ में लकड़बग्घों के आतंक और उसके सम्बन्ध में निशात-गंज पुल के पास प्रदर्शन कारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य (जारी)	१४८७–१४८८
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना	१४८८
लखनऊ में लकड़बग्घों के आतंक और उसके सम्बन्ध में निशातगंज पुल के पास प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य	१४८८–१४९०
चीनी मिलों के बंद होने के कारण किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा रहने से उत्पन्न स्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा	१४९०–१५१९
प्रदेश में बढ़े हुये लगान तथा विकास कर के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा	१५१९–१५४५
कृषि उत्पादन मंडी समिति में १५० नई वस्तुओं के लेने से उत्पन्न स्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन	१५४५–१५४८
प्रदेश में ताड़ी पर लगी रोक के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत होने वाली चर्चा की समाप्ति	१५४८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	१५४८
हापुड़ के एक व्यपारी श्री सुभाष चन्द्र से रुपये की थैली छीने जाने के प्रयास में गोली मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	१५४८–१५४९
प्रतापगढ़ के ग्राम हथगवां थाना कुण्डा में पुलिस तथा नक्सलपंथियों की हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१५४९–१५५३
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली की दरें बढ़ाये जाने के विषय में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१५५३–१५६२
सदन के अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१५६२–१५६३
नत्थियां ..	१५६५–१५७०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ८ सितम्बर, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३४९

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
ऊबल, श्री
एबल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हुसैन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आरिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
जगधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरदत्त सोलंकी, श्री
गुरुप्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री

चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
गंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बब्बे भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरबिन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री

बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मौजी लाल कुरील श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमाशंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नारायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार, सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री

राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमन रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलमणि सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोभन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखद राज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिचरण यादव, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री

हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत मन्त्री श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ८ सितम्बर, १९७८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं

**१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या परीक्षाओं की तिथि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्देश अथवा मार्गदर्शक बिन्दु विश्वविद्यालयों को जुलाई अथवा अगस्त, १९७८ में दिए गए हैं ? यदि हां, तो वह क्या है ? प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं अब किस तिथि से प्रारम्भ हो जायेंगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षायें या तो चल रही हैं या समाप्त हो चुकी हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अपनी परीक्षायें प्रारम्भ करने के लिये अनेक तिथियां घोषित की गयीं और फिर स्थगित कर दी गयीं तो लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षायें प्रारम्भ करने के लिये क्या अब कोई सुनिश्चित रूप से तिथि निर्धारित हुई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, लखनऊ विश्वविद्यालय ने १६ सितम्बर, १९७८ से परीक्षा प्रारम्भ करने के लिये अपनी तिथि घोषित कर दी है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

कानपुर विश्वविद्यालय में क्या परीक्षायें नहीं हो रही हैं, क्या यह सही है ?

श्री काली चरण--

हो रही हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि कुछ विश्वविद्यालयों में परीक्षायें चल रही हैं और कुछ में हो चुकी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि कहां-कहां परीक्षायें हो चुकी हैं और कहां-कहां हो रही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में था, अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि कहां-कहां परीक्षायें हो रही हैं और कहां हो चुकी हैं ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, कुमायूं विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, इनकी परीक्षायें समाप्त हो चुकी हैं । आगरा विश्वविद्यालय में केवल विधि की २-४-६ सेमिस्टर की परीक्षायें बाकी हैं,

अक्तूबर में इनके समाप्त हो जाने की तिथि निश्चित कर दी गयी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में होने वाली है। गोरखपुर, गढ़वाल, कानपुर, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षायें हो रही हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, परीक्षाओं की तिथियां अलग-अलग निर्धारित हैं, तो समस्या यह है कि परीक्षायें अक्तूबर, नवम्बर तक होंगी और कहीं समाप्त हो गयी हैं, तो विद्यार्थियों का एक वर्ष बरबाद न हो जाय और सभी विश्वविद्यालयों में सत्र समान प्रारम्भ हो जाय इस दृष्टि से शासन के पास कोई योजना है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री काली चरण --

श्रीमन्, इस वर्ष यह परीक्षायें अव्यवस्थित हो गयी थीं। कुलपतियों के सम्मेलन में इस बात पर परामर्श हुआ था कि अगले वर्ष से आपस में परामर्श करके सम्पूर्ण विश्वविद्यालयों की परीक्षायें एक साथ ही करायी जायं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं जानना चाहता था कि इस वर्ष कहीं परीक्षायें हो रही हैं और कहीं हो चुकी हैं, तो कहां हो रही हैं? दूसरे एक समस्या यह है कि सितम्बर की परीक्षायें अक्तूबर तक समाप्त होंगी इसलिये इस शिक्षा सत्र के कुछ ही दिन शेष रह जायेंगे। अतः लखनऊ विश्वविद्यालय में अगला शिक्षा सत्र कब प्रारम्भ होगा? क्या सभी विश्वविद्यालयों का शिक्षा सत्र एक ही साथ होगा?

श्री काली चरण--

श्रीमन् यह तो स्पष्ट है कि जिनकी परीक्षायें समाप्त हो गयी हैं उनके परीक्षाफल भी जल्दी निकलेंगे और सत्र जल्दी प्रारम्भ हो जायेगा। जहां परीक्षायें होने वाली हैं उनके परीक्षाफल देर के निकलेंगे और इसलिये शिक्षा सत्र भी विलम्ब से होगा। अतः इस वर्ष एक साथ शिक्षा सत्र प्रारम्भ करना तो सम्भव है ही नहीं।

श्री अशफाक (जिला गोंडा)--

क्या शिक्षा मन्त्री जी को मालूम है कि अवध विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जिन विश्वविद्यालयों में नकल हुई है और नकल के कारण परीक्षायें स्थगित कर दी गयी हैं इसलिये क्या वहां परीक्षायें फिर से ली जायंगी?

श्री काली चरण--

इसका निर्णय विश्वविद्यालय के ऊपर है।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि परीक्षा की समस्या हर वर्ष विकट होती जा रही है, विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न तिथियों में परीक्षायें होने से एक साथ सारे विश्वविद्यालयों के सत्र प्रारम्भ नहीं हो पाते हैं। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह माध्यमिक शिक्षा में प्राविधान है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा लेने के लिये परीक्षा परिषद् है उसी तरह क्या विश्वविद्यालयों में परीक्षा का संचालन करने हेतु शासन द्वारा कोई परिषद् गठित करने का प्रश्न विचाराधीन है?

श्री काली चरण --

परीक्षा संचालन करने सम्बन्धी कोई परिषद् गठित करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है। चूंकि यह परीक्षायें संचालन की पूरी-पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों की है स्वायत्तशासी संस्था होने के नाते इसलिये शासन इस में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

श्री रामनरेश पान्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, जैसा कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने पूछा कि अगला शिक्षा सत्र कब से प्रारम्भ होगा तो मैं जानना चाहता हूं कि एकरूपता लाने के लिए कोई योजना क्या मन्त्री जी के विचाराधीन है ?

श्री काली चरण--

मान्यवर, इसका उत्तर मैंने पहले ही साफ-साफ दे दिया है कि जिन विश्वविद्यालयों का परीक्षाफल पहले निकलेगा उनका शिक्षा सत्र पहले प्रारम्भ हो जायेगा और जिनका परीक्षाफल विलम्ब से निकलेगा उनका सत्र विलम्ब से शुरू होगा । इसलिये इस वर्ष अनेक रूपता तो होगी ही ।

श्री राघवराम मिश्र (जिला खीरी)--

क्या शिक्षा मन्त्री जी बतायेंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिनके कारण परीक्षायें विश्वविद्यालयों में देर से प्रारम्भ हुई और कुछ में होने जा रही हैं । यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पहले मार्च-अप्रैल में परीक्षायें प्रारम्भ हो जाती थीं ?

क्या वह स्पष्ट आश्वासन सदन को देने की स्थिति में हैं कि मार्च-अप्रैल से ही दूसरे सत्र की परिक्षायें प्रारम्भ हो जायंगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर दे चुके हैं ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि विभिन्न समस्याओं की वजह से प्रदेश में शिक्षा के सत्र अलग-अलग तिथियों में शुरू होंगे । प्रदेश में अभिभावकों और छात्रों की आम भावना है कि फीस जुलाई में ले ली जाती है चाहे क्लासेज जनवरी में शुरू हों या फरवरी में । इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह कोई व्यवस्था करेंगे कि जिस तिथि से वास्तव में सत्र शुरू करेंगे उसके आगे से जब से पढ़ाई होगी तब से फीस लेंगे और बाकी फीस माफ कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह इससे नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

हम यह जानना चाहते हैं, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया क्या अगस्त तक विश्वविद्यालयों को अपने ही मन से चलने दिया जायगा, क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि १९७९ का सत्र अगस्त के प्रारम्भ से शुरू कर दिया जायगा ?

श्री काली चरण --

श्रीमन्, यह मैंने बताया था । कुलपतियों के सम्मेलन में इस बात पर परामर्श हुआ और आम राय रही । विद्यार्थियों के सम्मेलन ने भी अपनी आम सहमति इस पर व्यक्त की कि विश्वविद्यालयों के सत्र समय से प्रारम्भ हों और समय से ही समाप्त हो जायं । इसलिए मैंने बताया कि इन कुलपतियों से पुनः परामर्श करके मैं यह प्रयास करूंगा कि अगले सत्र से यह व्यवधान न होने पाये ।

बरेली में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधिकारियों के लिये क्लब भवन का निर्माण

**२--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री नारायण सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या यह सही है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष (१९७८-७९) में विद्युत् अधिकारियों के लिये २ लाख रुपए की लागत का आफिसर क्लब का बरेली में नव-निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो क्यों ? जबकि सरकार ने ऐसे अनुत्पादक भवनों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया है और वहां विद्युत् कर्मचारियों के निवास गृह का काफी अभाव है ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

जी नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा वर्ष १९७८-७९ में परिषद् के अधिकारियों के लिए बरेली में क्लब भवन बनवाने की कोई स्वीकृति नहीं दी गई ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मन्त्री जी इस तथ्य की जानकारी करेंगे कि २९-६-७८ को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मंडल, बरेली, श्री के० सी० गंगल ने क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, बरेली के पत्र संख्या २०३०/सी० जेड० ई० बी०/३३-बी-२११२-बिल्डिंग, दिनांक ६-४-७८ का जिक्र करते हुये अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खन्ड, बरेली को यह लिखा है कि विद्युत परिषद् के चेयरमैन ने दो लाख रुपये की क्लब बिल्डिंग स्वीकृत कर दी है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

आप पत्र दे दें । ऐसा कोई प्राविधान नहीं है रेस्ट हाउस का वहां पर ।

श्री उपाध्यक्ष --

आपके पास पत्रावली में जिस पत्र का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है मौजूद हो तो उनको सूचना दे दें ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

यह हमारे पास है । हम दे दें उनको ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी आपके पास वह पत्र मौजूद हो तो उन को उत्तर दे दें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

माननीय सदस्य ने प्रश्न करते समय उस पत्र का कोई जिक्र नहीं किया था इसलिये उत्तर में वह सुलभ नहीं है । जो सूचना सुलभ है वह इतनी है कि १९७७-७८ के बजट में शामिल करने के लिये तत्कालीन अध्यक्ष ने कहा था किन्तु शामिल नहीं किया गया और कोई क्लब हाउस बनाने की प्रायोजना नहीं है । कोई एक सदस्य लिख सकता है और कोई आफिसर अपनी ओपीनियन भेज सकता है, लेकिन जब तक पूरा बोर्ड बैठकर उस पर स्वीकृति न दे दे तब तक प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जिस पत्र का हवाला शम्भूनाथ चौधरी जी ने दिया है उसके आधार पर बोर्ड का बजट जो इस साल रखने हेतु विचार किया गया है उस पत्र पर कोई विचार किया गया ? यदि हां, तो उसे निरस्त किया गया या मन्जूर किया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मने पहले ही निवेदन किया कि उस पत्र का कोई उल्लेख प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्न करते समय नहीं किया। जहां तक क्लब हाउस बनाने का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में जो बोर्ड का निर्णय है उसे अवगत करा दिया। मा० सदस्य यदि वह पत्रमुझे देदेंगे तो मैं उसे देख लूंगा कि उस पर क्या कार्यवाही की गयी।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृत का उल्लेख किया गया है तो क्या मंत्री जी इस बात की जानकारी करेंगे कि आपके विभाग के किसी अधिकारी ने स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया है ? यदि हां, तो जो जानकारी इस समय आपके विभाग के द्वारा दी गयी है तो सदन को गुमराह करने हेतु गलत सूचना देने के कारण उनके विरुद्ध आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह आक्षेप है। इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मन्त्री जी यह तथ्य मालूम करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता ने ऐसा लेटर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा है और उसकी स्वीकृति विद्युत् परिषद् ने नहीं दी तो उस लेटर के लिखने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

पूर्व अनुमान पर कुछ नहीं कहा जा सकता। पत्र देखने के बाद कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। वैसे पहले ही मैंने बता दिया था कि, ७६-७७ के तत्कालीन अध्यक्ष ने इस प्रकार का प्रस्ताव किया था कि इसे शामिल कर लिया जाय। फिर जब वह पुनरावलोकन किया गया तो उसे बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई इसलिये क्लब भवन नहीं बनाया गया, जिससे उसका कोई प्राविधान नहीं किया गया।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

माननीय मंत्री ने अपने पहले के उत्तर में बतलाया था ऐसा कोई पत्र परिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु नहीं आया था, लेकिन चौधरी साहब के प्रश्न के उत्तर में अभी स्पष्ट बतलाया कि इस प्रकार का अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति परिषद् के समक्ष आई थी, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया तो दोनों में कौन सत्य है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह उत्तर दिया जा चुका है।

डी० एफ० ओ० कार्यालय, मेरठ के बाहर श्री दिसौदी सिंह, हरिजन, वन रक्षक द्वारा अनशन

**३--श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि श्री दिसौदी सिंह हरिजन, वन रक्षक, दिनांक २२ अगस्त, १९७८ से डी० एफ० ओ० कार्यालय, मेरठ के बाहर अनशन पर हैं ? यदि हां, तो उनकी मांग क्या है और उस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

वन मंत्री (श्री श्रीचन्द्र)--

जी हां।

बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में अनशन

श्री दिसौदी सिंह ने दिनांक २९-१०-१९७६ से १३-२-१९७७ तक के बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक २२-८-१९७८ को अपराह्न ४ बजे से अनशन आरम्भ किया था। उनकी मांग स्वीकार कर ली गयी। अतः श्री सिंह ने दिनांक २४-८-१९७८ को सायंकाल ५-३० बज अनशन समाप्त कर दिया।

श्री मन्जूर अहमद--

क्या सरकार बतायेगी कि एक साल वेतन न देने के क्या कारण थे और जिन अधिकारियों ने उस वक्त वेतन को रोका उनके खिलाफ क्या मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीचन्द--

२९ अक्तूबर, ७६ के रोज परिवार नियोजन के सम्बन्ध में उनको ७ दिन का अवकाश मिला। न तो इन्होंने अपनी नसबन्दी करायी और न उन्होंने इस बात को कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, इसलिये उसका आपरेशन नहीं कराना है। उसके बाद २१-१२-७६ को उन्हें अपने परीक्षण के लिये चिकित्सालय में आना था वे नहीं गये। उन्होंने १४-२-७७ को ड्यूटी ज्वाइन की और इस बीच वे गैरहाजिर रहे। उसके बाद २-३-७७ को यह नियमावली खत्म कर दी गयी। २२-२-७७ को उनसे यह कह दिया गया था कि अवकाश दिखाकर उनकी गैरहाजिरी रेगुलराइज कर दी जाय लेकिन वे नहीं माने। २९-१०-७६ से १३-२-७७ तक गैरहाजिर रहे। उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी न मानी जाय। उनकी इस मांग को दया भाव से स्वीकार कर लिया गया और ड्यूटी पर मानते हुये उनको तनख्वाह दे दी गई।

श्री मन्जूर अहमद--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस मामले को लगभग 1½ साल हो गया और अब उन्हें वेतन मिला है जब उन्होंने भूख हड़ताल की है। क्या उन्होंने इस वर्ष में भूख हड़ताल इसी बार की अथवा पहले भी वे भूख हड़ताल कर चुके हैं ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि मैं इसी साल के बारे में पूछ रहा हूं कि नसबन्दी के कारण क्या किसी अधिकारी का वेतन भी रोका गया ? .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इसका वे जवाब दे चुके हैं और कारण भी उन्होंने बता दिया।

श्री मन्जूर अहमद--

उन्होंने कारण नहीं बताया। एक वर्ष हो गया और इस वर्ष में दूसरी बार वे भूख हड़ताल किये हैं तब उन्हें वेतन मिला। अब तक वेतन न देने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार थे ?

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, आप यह बता दें कि क्या यह पहले भी भूख हड़ताल पर बैठे थे ? इसकी सूचना आपके पास है ?

श्री श्रीचन्द--

मैंने पहले ही निवेदन किया कि परिवार नियोजन नियमावली २-३-७७ को खतम कर दी गई। यह पुराना मामला था। उनका यह अनशन पहली मर्तबा था जिसको हमने पहले ही मान लिया था।

पी० ए० सी० बीसवीं वाहिनी के मुख्यालय ग्राम हाफिजपुर, जिला आजमगढ़ में किये गये निर्माण कार्यों पर व्यय

**४-- श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव, (जिला आजमगढ़) श्री राम अधार, (जिला आजमगढ़), श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़) तथा श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० ए० सी० बीसवीं वाहिनी के मुख्यालय ग्राम हाफिजपुर, जिला आजमगढ़ में अब तक स्थायी तथा अस्थायी निर्माण पर कुल कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है तथा कौन-कौन निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं ? क्या उक्त स्थान से मुख्यालय हटाने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

२०वीं वाहिनी पी० ए० सी० (न कि ३०वीं वाहिनी पी० ए० सी०) के ग्राम हाफिजपुर जिला आजमगढ़ स्थित मुख्यालय में ट्यूबवेल द्वारा जल सम्पूर्ति सहित केवल अस्थाई निर्माण कार्यों पर कुल रु० २,४३,८४६ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। इसके अधीन आरमरी एवं मैगजीन, सम्पत्ति तथा रेकार्ड्स हेतु टिन हटमैन्ट्स, रसोईघर, राशन स्टोर, मोटर गैरेज, शौचालय तथा अस्पताल का अस्थाई निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वाहिनी के लिए इस स्थान पर स्थाई निर्माण अथवा अन्य कार्य हेतु इस स्थान का उपयोग किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव--

मान्यवर, २०वीं वाहिनी के मुख्यालय पर अब तक कुल २,४३,८४६ रुपये सार्वजनिक धन व्यय हो चुका है और मेरी जानकारी है कि अभी भी उसमें निर्माण कार्य हो रहा है। इस बात को देखते हुये कि इतना सार्वजनिक धन यहां पर लग चुका है, क्या माननीय मंत्री जी सदन को स्पष्ट आश्वासन देंगे कि यहां से मुख्यालय कहीं अन्यत्र नहीं हटाया जायेगा ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, इस वाहिनी को यहां से हटाने का प्रश्न इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि शासन इस पर पैसा खर्च कर चुका है। इससे पूर्व वाहिनी १६-१७ साल बाहर रही और १९७६ में उत्तर प्रदेश में आई तब से अब तक टेंट में है। यह सरकार के लिए गम्भीरता का विषय है कि उसके लिए बिल्डिंग निर्मित हो जाय। भूमि सम्बन्धी कार्यवाही पूरी हो जाने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। क्या यह सच है कि मुख्यालय हटाने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने यह कहा कि वाहिनी के लिए इस स्थान पर स्थायी निर्माण अथवा अन्य कार्य हेतु इस स्थान का उपयोग किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। भूमि एकवायर करने सम्बन्धी कुछ कार्यवाही अभी बाकी है। न्याय विभाग की राय ली जा रही है जिलाधीश से कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। वह कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् ही इसका काम करेंगे।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि स्थायी निर्माण की परिभाषा क्या है और अस्थायी निर्माण की परिभाषा क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य स्वयं समझ लें इसको बताने की जरूरत नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा--

निर्माण तो पूरा हो चुका है उस पर रुपया लग चुका है। गलती यह हुई है कि विभाग ने जमीन को एक्वायर ही नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि शासन की परिभाषा में स्थायी और अस्थायी निर्माण की परिभाषा क्या है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, यह नियमों से सम्बन्धित परिभाषा का प्रश्न है आप कक्ष में आ जायेंगे तो बता दूंगा।

श्री ऊदल--

कितनी जमीन लेने के लिए किया है और क्या वह कार्यवाही लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर के यहां हो रही है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मूलतः यह जमीन पशुधन विभाग की है उसने श्रीकृष्ण नाम की गौशाला खोलने के लिए ली थी। उस पर शिकायत आई कि जमीन का उपयोग जिस कार्य के वह ली गई थी उसमें नहीं किया गया है। तो उसके पश्चात् यह वाहिनी वहां पर स्थापित कर दी। तो यह मामला डिपार्टमेन्ट के बीच का है उसमें किसी भी जमीन के अध्यापित करने की बात नहीं है।

श्री रामअधार--

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह २०वीं वाहिनी कब स्थापित हुई और क्या कारण है कि अब तक सरकार ने निर्माण के लिए कोई निर्णय नहीं लिया ? यह वाहिनी यहां रहेगी या नहीं रहेगी ?

श्री राम सिंह--

श्रीमन्, वह तो मैंने निवेदन किया कि सन् १९७६ में इस स्थान पर आई इससे पूर्व यह डेपूटेशन में आगरा और दूसरे स्थानों में रही। १९७६ के बाद दैनिक आवश्यकतायें पूरा करने के लिए पेशाबघर, पानी घर आदि का निर्माण करने में २,४३,८४६ रुपये खर्च हो चुका है।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

क्या ऐसा तो नहीं है कि जमीन के लिए अड़ंगेबाजी करके इसको कहीं और ले जाने की बात तो नहीं है ? क्या वह यह बतायेंगे कि निश्चित रूप से पी० ए० सी० इसी स्थान पर रहेगी ?

श्री राम सिंह--

निश्चित रूप से यही है कि इसी स्थान पर रहेगी ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोण्डा में टेस्ट वर्क का कार्यान्वयन

*१-श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि गोण्डा जिला सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और एक एकड़ से छोटे किसानों को खाद तथा बीज अनुदान के रूप में बांटा गया किन्तु भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को रोजी देने हेतु टेस्ट वर्क नहीं लगाया गया जबकि ग्राम विकास उप मन्त्री ने गोण्डा का दौरा किया और वहां की भुखमरी देखी एवं दिनांक १ नवम्बर, १९७७ को गोण्डा में टेस्ट वर्क लगाने के लिए लिखा किन्तु जिलाधीश, गोण्डा ने टेस्ट वर्क की आवश्यकता को गलत बता कर कार्य कराने से इनकार कर दिया ? यदि हां, तो टेस्ट वर्क क्यों नहीं कराया गया ? क्या झूठी रिपोर्ट देने वाले डी० एम० के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

पिछले वर्ष गोण्डा में सूखा पड़ा था और एक एकड़ से कम जोत वाले किसानों को निःशुल्क बीज और खाद वितरित किये जाने के आदेश दिये गये थे ।

उप मंत्री, क्षेत्रीय विकास ने गोण्डा जिले का दौरा किया था लेकिन राजस्व मंत्री को सम्बोधित उनकी टिप्पणी दिनांक १-११-७७ जिसकी प्रतिलिपि कृषि मंत्री जी तथा मुख्य मंत्री जी को भी पृष्ठांकित है, में वहां भूखमरी की स्थिति का उल्लेख नहीं था । उप मंत्री जी ने अपने नोट दिनांक १-११-७७ में टेस्ट वर्क चलाने का कोई सुझाव या निर्देश नहीं दिया था वरन् बहराइच, गोण्डा तथा बाराबंकी तीनों ही जिलों में बाढ़, सूखे तथा ओले से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य चलाये जाने की आवश्यकता बतायी थी । टेस्ट वर्क चलाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा सर्वेक्षण कराया गया, किन्तु सर्वेक्षण में जिले की स्थिति ऐसी नहीं पाई गई जिसमें टेस्ट वर्क चलाना आवश्यक समझा जाता । रबी में ओले से हुई हानि पर जिलाधिकारी द्वारा फिर सर्वेक्षण कराया गया । अप्रैल, १९७८ में जिलाधिकारी की मांग पर एक लाख रुपये जिले में टेस्ट वर्क के लिए आवंटित किए जा चुके हैं ।

जिलाधिकारी ने शासन को जो रिपोर्ट दी उसमें ऐसी कोई बात नहीं पाई गई जिस पर जिलाधिकारी अथवा किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उठता ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय दशरथ सिंह जी मौजूद नहीं हैं । इसलिये प्रश्न संख्या २ लेते हैं ।

एक सदस्य--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दशरथ सिंह जी के प्रश्न पर हम लोगों का इंटरेस्ट है । अतः अनुरोध है कि इसको ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी नहीं । अब यह बाद में आयेगा ।

जिला मैनपुरी के ग्राम खेरिया शिकमी गोहाना में सीरदारी पट्टों का आवंटन

*२--श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना के गांव खरिया शिकमी गोहाना में भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक २६ जून, १९७० को सीरदारी पट्टे आवंटन हेतु प्रस्ताव पास किए और दिनांक ५ अक्तूबर, १९७० को परगनाधिकारी, जसराना के द्वारा स्वीकृति, उक्त पट्टों की की गई और आदेश दिनांक १३ अप्रैल, १९७३ के बावजूद भी अब तक पट्टे आवंटित नहीं किए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों और इसमें विलम्ब करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जनपद मैनपुरी की तहसील जसराना के खेरिय शिकमी गांव गोहाना में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक २६ जून, १९७० को १९ पट्टे सीरदारी के लिये प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका अनुमोदन तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा दिनांक ५ अक्तूबर, १९७० को किया गया । भूतपूर्व प्रधान से वर्तमान प्रधान को आवंटियों की अनुमोदित सूची प्रपत्र ज० वि० ५७-ख प्राप्त न होने के कारण पट्टे जारी नहीं किये जा सके । वर्तमान प्रधान श्री मोहर सिंह का यह भी कहना है कि कार्यवाही रजिस्टर तथा सूची प्रपत्र ज० वि० ५७-ख में काटपीट करके जालसाजी की गई है । मामला अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । जांच की कार्यवाही पूरी होने तक किसी को इसके लिये दोषी ठहराना न्यायसंगत न होगा ।

श्री जसवीर सिंह--

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधीश, जसराना, जनपद मैनपुरी के आदेश दिनांक १३-४-७३ में उन्होंने साफ लिखा है कि प्रपत्र ५७-(क) (ख) का अवलोकन किया । लेकिन मान्यवर, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि वह मिला नहीं । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ५७-ख प्रपत्र एस० डी० एम० के न्यायालय में जमा किया गया तो वह वहां से कहां गायब हो गया और किसके पास है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, मैंने उत्तर में कहा है कि परगना अधिकारी ने अनुमोदन किया । लेकिन उसके बाद जब दूसरा चुनाव प्रधान का हो गया तो पहले प्रधान ने दूसरे प्रधान को कागजात नहीं दिये और अभी तक कागजात उपलब्ध नहीं हो पाये इसलिये ५७-ख पर पट्टे नहीं दिये जा सके ।

श्री जसवीर सिंह--

मेरी सूचना को आधार मानकर तथा जो जजमेंट की कापी दे रहा हूं, उसकी सूचना मानकर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोर्ट में जो चीज उपलब्ध हो गयी, वह कोर्ट की प्रापर्टी हो गयी, तो भूतपूर्व प्रधान के कागजात देने का सवाल नहीं उठता। उसके बाद चुनाव करा दिया गया। तो वर्तमान प्रधान ने पट्टे के बारे में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और गरीब लोगों को पट्टे अब तक क्यों नहीं दिये गये ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मैंने कहा कि अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय में मामला विचाराधीन है, लेकिन अगर माननीय सदस्य के पास कोई जजमेंट है और देंगे, तो मैं उसको अवश्य दिखवाकर कार्यवाही करूंगा।

श्री जसवीर सिंह--

चूंकि सन् १९७३ से सन् १९७८ तक एक टेकनिकल आधार पर गरीब लोगों को पट्टे स्वीकृत नहीं हुये हैं, मंत्री जी उनके बारे में क्या आश्वासन देंगे कि उनको कब तक पट्टे वह दिलवा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष --

इसका उन्होंने जवाब दे दिया कि मामला अदालत के विचाराधीन है।

श्री जसवीर सिंह--

मान्यवर, इसमें जुडिशियल नेचर की कोई प्रोसीडिंग नहीं है, एक्जीक्यूटिव नेचर की है।

श्री शारदा भक्त सिंह--

जब ५७-ख का प्रपत्र नहीं मिला है और जो वर्तमान प्रधान हैं, उसने कहा कि पिछले प्रधान ने मुझे कोई कागज नहीं दिए, इसलिए मैं इस पर पट्टे करने में असमर्थ हूं। इस पर पट्टेवालों ने एक अप्लीकेशन दी, जिस पर अतिरिक्त जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों के बयान लिया, बयान तहरीरी लिए और अब वह सब मामला देख रहे हैं।

बाबा राम अमृतदास इण्टर कालेज, जोगिया पाली, जिला गोरखपुर में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति क भुगतान

*३--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाबा राम अमृतदास इण्टर कालेज, जोगिया पाली, जिला गोरखपुर में हरिजन छात्र की छात्रवृत्ति १९७४-७५, १९७५-७६ तथा १९७६-७७ के न देने की शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक तथा हरिजन समाज कल्याण अधिकारी को अक्तूबर, १९७५ तथा अक्तूबर, १९७६ में प्राप्त हुई ? यदि हां, तो अब तक प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री) श्रीमती चन्द्रावती--

प्रश्न में उल्लिखित मामले श्री शमशेर सिंह का एक शिकायती-पत्र दिनांक ३-९-७६ जिला विद्यालय निरीक्षक तथा हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को १३-९-७६ को प्राप्त हुआ था। अक्तूबर, १९७५ अथवा अक्तूबर, १९७६ में कोई शिकायती-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था।

जांच से संस्था के भूतपूर्व लिपिक श्री जोखन सिंह दोषी पाए गए। उनके विरुद्ध पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई है, जिसकी जांच की जा रही है।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या मंत्री जी बताएंगे कि प्रत्येक वर्षों में कितने कितने रुपये का गबन है और उस रुपये को किसने बैंक से प्राप्त किया है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

१९७४-७५ में रु० १०८०, १९७५-७६ में रु० १३६८ और १९७६-७७ में रुपये ६९६ का गबन है।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

पूरा उत्तर नहीं आया, क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विभाग से हरिजन छात्रवृत्ति का पैसा किस आदमी ने, मैनेजर या प्रधानाचार्य या किसने, प्राप्त किया है और वह कैश बुक में किस तारीख में आया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

यह प्रधानाचार्य ने अपने स्तर पर रुपया इकट्ठा करके छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी है, केवल ९-१० छात्र जो उपलब्ध नहीं थे, उनको नहीं दिया जा सका और उन्हीं का वह ६९६ रुपया राजकोष में जमा किया गया है।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

माननीय उपाध्यक्ष जी।....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रधानाचार्य ने बैंक से पैसा ड्रा किया था। आपका प्रश्न था कि किस व्यक्ति ने बैंक से पैसा लिया। वह साफ कर दिया।

श्री देवकुमार--

मान्यवर, प्रदेश में इसी तरह की शिकायतें हैं कि प्रधानाचार्य हरिजन छात्रवृत्ति के वितरण में गड़बड़ करते हैं, इसको देखते हुए क्या इस धन के वितरण की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के जरिये हो जिला स्तर से कोई अलग सिस्टम लागू करके वितरण कराने की व्यवस्था पर माननीय मंत्री विचार करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य का सुझाव है वह विचार करने योग्य है । उस पर मैं अवश्य विचार करूंगी ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रधानाचार्य ने बैंक से रुपया ड्रा किया और यह भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसका गबन हुआ, तो प्रधानाचार्य और प्रबन्धक जो डाइरेक्ट जिम्मेदार हैं, उस रुपये के, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और नहीं की गयी, तो क्यों नहीं की गयी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

बतलाया गया है कि जो प्रधान लिपिक थे उनके खिलाफ एफ० आई० आर० लाज करा दी गयी है । उसकी जांच हो रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

लिपिक को माननीय मंत्री ने पहले कह दिया । मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया । मेरा प्रश्न यह है कि जो प्रधानाचार्य ने बैंक से रुपया निकाला तो जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की भी हुई, तो प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, वह यह सफाई चाहते हैं कि आपने लिपिक को दंडित करके मैनेजर को क्यों नहीं दंडित किया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

वह जो रुपया उन्होंने जमा कर दिया है, उसने प्रधानाचार्य ने जमा किया है, जो गबन किया गया है वह उनको वितरित कर दिया गया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस विद्यालय में जो फाइनेंशल इर्रेगुलेरिटी है वह १९७३-७४ से है, उसके सम्बन्ध में १९७४ में मैंने एक कम्प्लेंट भी किया था, वह चली आ रही है, इस इर्रेगुलेरिटी में प्रधानाचार्य और प्रबन्धक का हाथ है, ऐसी स्थिति में शिक्षा मंत्रालय को सुझाव देंगे कि वहां की प्रबन्धकारिणी समिति को भंग कर दिया जाय और साधिकार नियन्त्रक नियुक्त कर दिया जाय जिससे पूरे मामले की ठीक से जांच हो सके ?

श्रीमती चन्द्रावती--

इसमें प्रधानाचार्यों को आपने बताया, जो कुछ हो सकेगा, किया जायगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा स्पष्ट सवाल है कि क्या शिक्षा मंत्री जी से परामर्श करके उसकी प्रबन्धक समिति को भंग करने की कार्यवाही करेंगे, जिससे सारी इर्रेगुलेरिटी की ठीक से जांच हो सके ? प्रबन्धक और प्रधानाचार्य दोनों इनवाल्वड हैं । जो मुख्य

अभियुक्त हैं उनको बचाने का प्रयास किया गया है। क्या माननीय मंत्री जी शिक्षा मंत्री से परामर्श करके विद्यालय की प्रबन्ध समिति को भंग करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

जहां तक प्रबन्धकारिणी समिति को खत्म करने का सवाल है वह इससे नहीं उठता। यह मूल प्रश्न में नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जब एक वित्तीय अनियमितता हो तो शासन को अधिकार है कि प्रबन्ध समिति को भंग कर दे। वहां पर मान्यवर, वित्तीय अनियमितता है। इसलिए शिक्षा संहिता के नियम १६-डी के अनुसार प्रबन्ध समिति को भंग किया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार वहां की प्रबन्ध समिति को भंग करे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह मूल प्रश्न में नहीं है। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गुलाब सेहरा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जिस समय का यह मामला है उस समय शासन के इस प्रकार के आदेश थे कि स्कालरशिप लड़कों को सीधे न देकर उनके सीधे एकाउन्ट में जमा किया जायेगा। अगर इस तरह के आदेश थे तो किस प्रकार से इन लोगों ने उस रुपये को ले लिया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है। यह पिछली सरकार का है।

[शुक्रवार, ८ सितम्बर, १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला रामपुर के ग्राम डिवडिवा नं० २, सुभाष कालोनी में हरिजनों का पुनर्वासन

*१--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद रामपुर के तहसील बिलासपुर के अन्तर्गत ग्राम डिवडिवा नं० २ सुभाष कालोनी में वर्ष १९७७ में १२ हरिजन परिवारों को भूमि के पट्टे देकर बसाया गया था ? यदि हां, तो परगनाधिकारी द्वारा उन्हें बेदखल करने का क्या कारण है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के अन्तर्गत ग्राम डिवडिवा में दिनांक १३ अप्रैल, १९७७ को १२ आवंटियों को सीलिंग अधिनियम में अतिरिक्त घोषित ११·८६ एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। इन १२ व्यक्तियों में केवल एक व्यक्ति हरिजन जाति का है और शेष ११ आवंटी अन्य जाति के हैं। सीलिंग के बाद में निहित भूमि के क्रेताओं ने जिला जज के न्यायालय में अपील की है तथा अपील

न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पूर्व में अतिरिक्त घोषित भूमि को निरस्त कर दिया गया जिसका प्रभाव आबंटियों पर पड़ा है, सीलिंग का मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अपील न्यायालय ने किस तरह का आदेश दिया और कब निर्णय दिया था ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

यह भूमि श्री बलवंत राज शर्मा और लोगों के नाम से बैनामा कर दी गयी थी । इसलिए जब अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी तो न्यायालय ने आदेश दिया कि च्वाइस ले ली जाये ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैं यह जानना चाहता हूं कि अपील न्यायालय ने क्या आदेश दिये थे और किस तारीख को आदेश हुए थे ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपके पास अगर फैसले की कापी हो तो बता दें ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

फैसले की नकल नहीं है, लेकिन वह केस रिमान्ड किया गया । खातेदारों को यह मौका दिया जाय कि अपनी रुचि के अनुसार अपने हक में जो लेना चाहते हैं तो लें, उसके अतिरिक्त, अतिरिक्त भूमि घोषित की जाये ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन १२ परिवारों को किसी भूमि पर पट्टे देकर बसाया गया है । यदि उन्हें हटाया जा रहा है तो क्या उन्हें शासन कोई दूसरी जगह उपलब्ध कराने की कृपा करेगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, अभी तो मामला अदालत के विचाराधीन है । अगर अन्तिम तौर से निश्चय हो जाता है कि भूमि अतिरिक्त नहीं मानी जायेगी तो उन्हें दूसरी व्यवस्था की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है कि जो अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी थी वही अतिरिक्त मान ली जाय या कोई दूसरी जमीन अतिरिक्त मानी जाय । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह समझा जाय कि उन काश्तकारों की जो जमीन अतिरिक्त घोषित की जाय उस पर अथवा दूसरी जमीन उनको आबंटित कर दी जायेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, मैंने अभी बताया कि जो जमीन उनके नाम आवंटित की गयी है वह न्यायालय द्वारा अतिरिक्त भूमि घोषित नहीं की गयी । अगर उनसे लेना है तो उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मान्यवर, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस प्रश्न पर काफी समय हो चुका है अतः इस पर अब कोई प्रश्न न पूछें ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मान्यवर, आप सुनें, मैं यह....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं अब इस प्रश्न पर इजाजत नहीं दूंगा ।

*२--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बिक्रीकर की समाप्ति तथा वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार

*३--श्री देव बहादुर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिक्री-कर कब से समाप्त करेगी और बिक्रीकर के स्थान पर और कोई कर लगाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

बिक्रीकर के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । इसके अन्तर्गत विभिन्न पहलुओं के कारण अभी यह कहना सम्भव नहीं कि बिक्रीकर समाप्त करके उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था कब से लागू की जा सकेगी ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में यह कहा है कि बिक्रीकर के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वैकल्पिक व्यवस्था में कौन-कौन हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, इसमें कई प्रकार के सुझाव विभिन्न राज्यों से आये हैं । मुख्यतः हमारे राज्य में इस पर जो विचार करना था उसे करके जो शासन की नीति थी, केन्द्र सरकार को भेज दी गयी है । उसमें मुख्यतः हमने यह कहा है कि अभी जो बिक्रीकर से इस राज्य की आमदनी होती है उसकी प्रति पूर्ति यदि पूरे ढंग से नहीं होती तो ऐसी कोई भी व्यवस्था हम को स्वीकार नहीं है और दूसरी ऐसी कोई भी व्यवस्था जिससे हमारे बिक्रीकर का सरलीकरण हो और जिससे व्यापारियों की सुविधा हो उसे हम स्वीकार कर लेंगे ।

श्री रियासत हुसेन--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह इतना मुख्य इश्यू है और इतनी मुद्दत से लगातार प्रदेशीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने विचार,

अपनी सिफारिशें और सुझाव भेजे हैं, वे क्या-क्या हैं ?

श्री मधुकर दिघे--

बिक्री कर से राज्य को जो कर प्राप्त होता है अगर उसकी पूरी प्रतिपूर्ति होने लग और ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसमें व्यापारियों से भी बिक्री कर वसूल करने में सरलीकरण होता है तो ऐसी व्यवस्थायें इस राज्य को स्वीकार होंगी ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह प्रदेश मुल्क का सबसे बड़ा प्रदेश है । तो क्या सरकार ने इन दोनों विषयों पर अपने सुझाव भेजे हैं या सब कुछ केन्द्रीय सरकार पर ही डाल दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उत्तर तो इन्होंने दे दिया है ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दूसरे प्रदेशों के जो वैकल्पिक सुझाव उनके पास आये हैं, वे क्या हैं, और उनके अपने प्रदेश के क्या-क्या वैकल्पिक सुझाव हैं ?

श्री मधुकर दिघे--

दूसरे राज्यों के यहां पर सुझाव आने का प्रश्न नहीं उठता । उन्होंने केन्द्रीय सरकार को भेजे होंगे और उन पर वे विचार कर रहे होंगे । हमने अपने राज्य की ओर से जो २ बुनियादी बातें मैंने कहीं है, उनके ऊपर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए लिखा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एक वैकल्पिक सुझाव यह था कि बिक्री कर के स्थान पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगायी जाय, जो कि जनता पार्टी के मैनिफैस्टो में भी दिया हुआ है । तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय शासन की क्या-क्या नीति रही है ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, यह बात सही है कि जो जनता पार्टी का मैनिफैस्टो है, उसमें उत्पादन कर लगाने के सिलसिले में कहा गया है लेकिन इस राज्य में विशेष परिस्थिति है जिसको माननीय तिवारी जी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं । हमारा राज्य उत्पादन के मामले में दूसरे राज्यों के मुकाबले में बहुत पिछड़ा है । अगर कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हो जाय जिसमें आज जो हमारी आमदनी होती है, वह कम हो जाय, तो राज्य के हित में ठीक नहीं है ।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

बिक्री कर के सम्बन्ध में जो वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर अंतिम निर्णय कब तक माननीय मंत्री जी ले लेंगे ?

श्री मधुकर दिघे--

यह तो बताना संभव नहीं है क्योंकि इसमें विभिन्न राज्यों के प्रश्न निहित हैं और केन्द्रीय सरकार को ही इस पर निर्णय लेना है ।

तहसील खलीलाबाद जिला बस्ती में आपात काल के दौरान निकाले गये अमीनों का पुनः सेवायोजन

*४--श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आपातकाल में खलीलाबाद ब्लाक, बस्ती के निकाले गये ब्लाक अमीनों में से किन-किन को वर्ष १९७५-१९७६ में परगनाधिकारी, खलीलाबाद, बस्ती द्वारा खलीलाबाद तहसील, बस्ती में लगान वसूली के लिए अमीनों के पद पर नियुक्त किया गया ? क्या यह भी सही है कि पुनः सेवा में लिये गये अमीनों को अक्तूबर, १९७७ में सेवा से अलग कर उन्हीं में से वरिष्ठ को सेवा करने का अवसर न देकर कनिष्ठ कर्मचारियों को सेवा करने का अवसर दिया जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

खलीलाबाद तहसील जिला बस्ती में छटनीशुदा कृषि तकाबी अमीनों में से वर्ष १९७५-७६ में निम्नलिखित ९ कृषि विभाग के छटनीशुदा अमीनों की नियुक्ति सीजनल संग्रह अमीन के अल्पकालिक पदों पर की गई--

१--श्री त्रियुगी नारायण ।

२--श्री कृष्ण दास पाठक ।

३--श्री राजेश्वरी नारायण ।

४--श्री शिव बालक ।

५--श्री चन्द्र शेखर सिंह ।

६--श्री हकीकुल्लाह ।

७--श्री मासा अल्लाह ।

८--श्री सुदामा प्रसाद ।

९--श्री जगन्नाथ प्रसाद ।

उपर्युक्त में से १ से ५ पर उल्लिखित अमीनों की अस्थायी सेवायें ३१-१०-७७ को समाप्त कर दी गई और शेष की सेवायें पहले ही समाप्त हो चुकी थीं । जब १४-७-१९७८ को पुनः सीजनल अमीनों की नियुक्ति की गई तो १ से ५ तक की नियुक्ति की गई । वरिष्ठ कर्मचारियों को छोड़कर कनिष्ठ कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जनपद के पडरौना तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में भूमि की मालियत निर्धारण

*५--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को जानकारी है कि देवरिया जनपद के पडरौना तहसील में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की मालियत सोलह हजार रुपये प्रति एकड़ रजिस्ट्रेशन

विभाग ने निर्धारित की है ? यदि हां, तो शासन द्वारा किसानों की अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा भी उसी दर से दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां, देवरिया जनपद की पड़रौना तहसील के परगना सिधुआ जोबना के ग्रामीण क्षेत्रों में बैनामों में विक्रेताओं द्वारा वास्तविक मूल्य से कम दिखाकर रजिस्ट्रेशन फीस तथा स्टाम्प में बचत करने की प्रवृति को रोकने हेतु उच्चतम श्रेणी की अर्थात् कछियाना भूमि की मालियत जिलाधिकारी द्वारा १६,००० रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है जो केवल रजिस्ट्रेशन विभाग के उपयोग के लिये होती है । किसानों की अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का मुआवजा भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित ग्राम में धारा ४(१) की विज्ञप्ति के प्रकाशन के पूर्व तीन वर्ष की अवधि के भीतर निष्पादित विक्रय-पत्रों के आधार पर निर्धारित बाजार मूल्य के अनुसार दिया जाता है । रजिस्ट्रेशन फीस के लिये निर्धारित दर से अध्याप्त भूमि का मुआवजा देना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है । इसमें शासन दोहरा मापदंड अपना रहा है । एक ओर तो निरीह कृषकों को यह बताया जाता है कि जो अपनी जमीन को बेचते हैं, वे उस जमीन की कीमत कम बताते हैं । इससे यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है और यह भावना निकल रही है कि किसान बेईमान है । कोई किसान अपनी जमीन का मूल्य कम क्यों बतायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप क्या पूछना चाहते हैं, वह तो पूंछिये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन ने स्वयं जब १६ हजार रुपये प्रति एकड़ की मालियत निर्धारित की है तो क्या सरकार किसानों से अधिगृहीत भूमि का मुआवजा भी इसी दर पर देगी, क्या मंत्री जी इससे सहमत हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मैंने यह कहा कि स्टैम्प शुल्क कम देने के लिये किसान भूमि की कीमत कम दिखाते हैं । इसलिये जिलाधिकारी को यह अधिकार दिया गया कि वह २ साल के लिए जिस प्रकार की भूमि हो उसकी कीमत निकाल कर कीमत निश्चित कर दे और उसी हिसाब से स्टैम्प शुल्क लगे । जहां तक मुआवजा देने का प्रश्न है वह इस नियमावली के अन्तर्गत नहीं दिया जाता जिसके अन्तर्गत कि स्टैम्प शुल्क लिया जाता है । मुआवजा तो सन् १८९४ का जो भूमि अर्जन अधिनियम है, उसके अनुसार दिया जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

प्रश्नों के सम्बन्ध में नियम ३९ के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, नियम ३९ में यह व्यवस्था है कि यदि कोई माननीय सदस्य प्रश्न पुकारे

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

जाने के समय अनुपस्थित हो तो अध्यक्ष प्रश्नों के बाद में अनुपस्थित सदस्य का प्रश्न ले सकेंगे। प्रश्नों के बाद आप माननीय सदस्य के उस प्रश्न को ले लें जो उस समय अनुपस्थित थे।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

जिला आगरा के ऐतमादपुर तहसील के हरिजनों को आवंटित भूमि के पट्टों का निरस्तीकरण

*६--श्री चन्द्रभान मौर्य (जिला आगरा)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आपात कालीन अवधि में तहसील ऐतमादपुर जिला आगरा के हरिजनों को कृषि योग्य भूमि के पट्टे दिये गए थे, जो अब निरस्त किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन इस सम्बन्ध में कोई आदेश प्रसारित करेगा जिससे यह पट्टे निरस्त न हों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

तहसील ऐतमादपुर, जिला आगरा के भूमिहीन हरिजनों को कृषि योग्य भूमि के दिये गये सभी पट्टे निरस्त नहीं किये जा रहे हैं। केवल वे ही पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है जिनकी भूमि सार्वजनिक प्रयोग हेतु आरक्षित थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १३२ के अन्तर्गत ऐसी भूमि में सीरदारी (अब भूमिधरी) अधिकार दिये ही नहीं जा सकते। अतः इसके विपरीत कोई आदेश प्रसारित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

सहकारी लेखा परीक्षा एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन को एकीकरण

*७--श्री मोहन सिंह--

क्या वित्त मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासन द्वारा वर्ष १९७० में सहकारी लेखा परीक्षा एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के एकीकरण का निर्णय लिए जाने के बावजूद आज तक उनका एकीकरण न किए जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार एकीकरण की कार्यवाही अविलम्ब किए जाने के आदेश निर्गत करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे--

वर्ष १९७० में सहकारी लेखा परीक्षा एवं पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के एकीकरण किये जाने का कोई निर्णय शासन द्वारा नहीं लिया गया है।

उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (१९७१-७३) की रिपोर्ट में की गई संस्तुति के अनुसार सहकारी तथा पंचायत लेखा परीक्षा संगठन उत्तर प्रदेश में कार्यरत सभी संवर्गों के लेखा परीक्षकों एवं ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के एकीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में पारस्परिक ज्येष्ठता के सिद्धान्त के निर्धारण पर विचार किया जा रहा है। पारस्परिक ज्येष्ठता के निर्धारण में कुछ कठिनाइयां हैं जिनके निराकरण की कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है। अतः तत्सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जाने में थोड़ा विलम्ब है।

ज्येष्ठ लेखा परीक्षक (पंचायत) द्वारा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक (सहकारिता) के कार्य का निर्वहन तथा उनको लभ्य सुविधायें

*८-श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि पंचायत लेखा परीक्षा संगठन के अन्तर्गत सृजित ज्येतठ लेखा परीक्षक (पंचायत) के १० पदों पर नियुक्त लेखा परीक्षकों से जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अधीन सहकारी लेखा परीक्षा का कार्य लिया जा रहा है, परन्तु उन्हें ज्येष्ठ लेखा परीक्षक (सहकारिता) को मिलने वाली सुविधायें नहीं दी जा रही हैं तथा साथ ही पंचायत लेखा परीक्षा का भी कार्य विगत लगभग २ वर्षों से ठप्प पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जो उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जांच कराकर अविलम्ब कार्यवाही किए जाने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

पंचायत के लेखा परीक्षा संवर्ग में १० ज्येष्ठ लेखा परीक्षक हैं, जो पहले क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारियों के अधीन थे वर्ष १९७६ से उन्हें क्षेत्रीय लेखा परीक्षा, अधिकारियों के मुख्यावास वाले जनपदों में जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के अधीन कर दिया गया है तथा उनसे बड़ी बड़ी संस्थाओं, जिनमें सहकारी संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, का लेखा परीक्षा कार्य लिया जा रहा है तथा उन्हें राजकीय कार्य के लिए सहकारी ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के समान सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

पंचायत राज संस्थाओं का लेखा परीक्षा कार्य नियमित रूप से सम्पादित किया जा रहा है ।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

*९-श्री जगन्नाथ सिंह--

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मेसर्स राम चन्द्र वृजनन्दन लाल के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा तथा अर्थ दण्ड का स्थगन

*१०-श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)---

दिनांक १२ मई, १९७८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि शासन ने आगरा के मेसर्स रामचन्द्र वृजनन्दन लाल पर धारा ४२० भा० द० सं० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)---

शासन द्वारा व्यापारी के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए मामले को पुलिस को सौंपने के आदेश दिए गए थे परन्तु जिला सरकारी वकील की राय के अनुसार मामला न्यायालय में भेजने योग्य नहीं पाया गया है । अभी इस मामले में शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना है ।

*११–श्री राजेश कुमार सिंह––

दिनांक १२ मई, १९७८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि शासन द्वारा मेसर्स रामचन्द्र वृजनन्दन लाल, आगरा पर धोखा धड़ी के आरोप के अन्तर्गत अर्थ दन्ड लगाया गया, फिर भी सरकार ने अर्थ दन्ड एवं बिक्रीकर के ६ लाख ७५ हजार दो सौ तिरानबे रुपए की वसूली को स्थगित करने के आदेश दे दिए ? क्या उपरोक्त वसूली स्थगन आदेश को रद्द कर पुनः वसूली को स्थगित करन के आदेश दे दिए ? यदि हां, तो कब और किस आधार पर ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी––

जी हां, किन्तु उल्लिखित धनराशि के विरुद्ध शासन द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है । यह स्थगन जज (पुनरीक्षण) बिक्रीकर के न्यायालय से व्यापारी को प्राप्त हुआ है । स्थगन की शर्तें पूरी न करने के कारण वसूली की कार्यवाही की जारी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

'नान गजटेड' सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि के हिसाब–किताब का रख–रखाव

*१२–श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)––

क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 'नान–गजटेड' सरकारी कर्मचारियों का जी० पी० एफ० एकाउन्ट का हिसाब–किताब जिला मुख्यालयों पर रक्खा जाए ? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री मधुकर दिघे––

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व परिषद् के आदेशों का बाराबंकी में अनुपालन न किया जाना

*१३–श्री अशरफी लाल यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)––

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषदादेश संख्या ११०७४/३/४–२५–७३, दिनांक २१ जून, १९७५ तथा परिषदादेश संख्या १७१२६–८१/४–१३–७२, दिनांक २८ सितम्बर, १९७७ का पालन जनपद बाराबंकी में नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह––

जनपद बाराबंकी में राजस्व परिषद् आदेश संख्या–११०७४–१२३–४–२५/७३, दिनांक २१ जून, १९७५ तथा परिषद् आदेश–संख्या–१७१२६–८१/४–१३–७२, दिनांक २६–९–७७ का यथा संभव अनुपालन किया जा रहा है ।

*१४–श्री रवीन्द्र सिंह––

[३रे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विश्व खाद्य योजना के अन्तर्गत प्राप्त देवरिया के खड्डा विकास खंड के बाढ़ पीड़ितों को मुफ्त बांटी जाने वाली खाद्य सामग्री में घोटाले की जांच

*१५—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि देवरिया जनपद के खड्डा विकास खंड में बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के लिए विश्व खाद्य योजना के अन्तर्गत तथा छोटे शिशुओं व गर्भिणी निर्बल निरीह नारियों के लिए वर्ष १९७५—७६, १९७७ में बटर—आयल दुग्ध चूर्ण, गेहूं का दलिया तथा अन्य खाद्य सामग्री मुफ्त वितरण हेतु प्राप्त हुई थी उसका ९० प्रतिशत भाग काले बाजार में बेच दिया गया तथा उक्त घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है ? यदि हां, तो जांच की प्रगति क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

वर्ष १९७५—७६ व १९७६—७७ में देवरिया जिले के खड्डा विकास खंड में बाढ़ पीड़ितों को अहेतुक सहायता के रूप में निःशुल्क वितरण हेतु कुल १,६०० कुन्तल गेहूं, ८४·८० कुन्तल बटर आयल, १०२·६० कुन्तल दुग्ध चूर्ण खण्ड विकास अधिकारी खड्डा को दिया गया था। उक्त खाद्य सामग्री के वितरण में अनियमितताओं की शिकायत पर जिला स्तर पर जांच चल रही है।

जिला गोरखपुर के सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री राम प्रकट मिश्र, भिटौली बाजार के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*१६—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहायक चकबन्दी, अधिकारी भिटौली बाजार, जिला गोरखपुर (श्री मिश्रा) के विरुद्ध सम्बन्धित गांव के लोगों का एवं शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता ने उन्हें दिनांक ५ जून, १९७७ को दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां, प्रार्थना—पत्र प्राप्त हुआ था। इस प्रार्थना—पत्र की जांच कराने पर यह प्रकट हुआ कि गांव में श्री रामप्रकट मिश्र, सहायक चकबन्दी अधिकारी बिना किराया दिये रहते थे इस सम्बन्ध में इनका स्पष्टीकरण प्राप्त करके उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*१७—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या यह सच है कि उक्त सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध इसके पहले भी ग्राम नटवा चक अधिकारी क्षेत्र कतरारी के लोगों के भी गम्भीर शिकायतों की गयी प्रश्नकर्ता ने विगत विधान सभा में शासन का ध्यान आकर्षित कर खुली जांच की मांग की थी ? यदि हां, तो बिना जांच के ही केवल स्थानान्तरण कर देने का क्या औचित्य था ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां, यह सच है कि विगत विधान सभा सत्र में प्रश्नकर्ता ने उक्त सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध प्रश्न किया था। उक्त प्रश्न में इंगित

शिकायतों की खुली जांच मौके पर की गई थी जिसमें सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सके थे ।

श्री राम प्रकट मिश्र, सहायक चकबन्दी अधिकारी का स्थानान्तरण स्वयं उनकी प्रार्थना पर किया गया था ।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार कानून संशोधन अध्यादेश के अन्तर्गत तहसीलों में अनिर्णीत अवस्था में दाखिल दफ्तर मामले

*१८–श्री मित्रसेन––

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार कानून संशोधन अध्यादेश २७ जनवरी, १९७७ की धारा ५८ के तहत प्रदेश की तहसीलदार की अदालतों में विचाराधीन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १३४ के अन्तर्गत विचाराधीन कितने मामले अनिर्णीत अवस्था में दफ्तर दाखिल कर दिए गए और इस प्रकार के प्राविधान के परिणाम स्वरूप कितने हस्तान्तरण के मामले प्रभावित हुए हैं ? कृपया यह भी बतावें कि इस प्राविधान से प्रभावित हस्तान्तरण के मामलों के लिए सरकार क्या कर रही है ? यदि नहीं कर रही है, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह––

प्रश्न में सूचना पूरे प्रदेश के सम्बन्ध में मांगी गई है जो एकत्र की जा रही है ।

*१९–श्री मित्र सेन––

[५वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला शाहजहांपुर के परगना बखेड़ा ग्राम लोहरगड़ी, सरसवां की राम गंगा से कटी भूमि का बन्दोबस्त

*२०–श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)––

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के परगना खेड़ा बखेड़ा के ग्राम लोहरगड़ी सरसवा आदि की आराजी जो राम गंगा नदी से कट चुकी थी उसका बन्दोबस्त विशेष सर्वे यूनिट द्वारा इसी वर्ष कराया गया था वह पूरा हो चुका है ? क्या मौके पर काश्तकारों को उनकी आराजी के कब्जे दिला दिये गए हैं यदि नहीं, तो यह देरी क्यों और यह कब्जे कब तक दिला दिए जायेंगे ?

श्री शारद भक्त सिंह––

जनपद शाहजहांपुर के परगना खेड़ा बखेड़ा के नौ ग्रामों में, जिनमें ग्राम लोहरगढ़ी तथा सरसवां भी सम्मिलित हैं, भू-मापन एवं अभिलेख क्रियाएं सहायक अभिलेख अधिकारी हरदोई यूनिट के अधीन दिसम्बर, १९७७ से कराई जा रही हैं । अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है । नदी से निकली हुई भूमि पर किसी को कब्जा दिलाने का प्रश्न नहीं है वरन् इस भूमि पर जिनके कब्जे पाए जावेंगे विवाद होने पर उनके स्वत्व तय करने की कार्यवाही अभिलेख क्रियाओं के अन्तर्गत की जायगी । सीमा विवाद तय होने के बाद आवश्यकतानुसार सीमांकन मौके पर करा

दिया जाएगा । यह कार्यवाहियां शाहजहांपुर–बदायूं के सीमा विवाद के निबटारे के उपरान्त अभिलेख क्रियाओं के अन्तर्गत स्थिति के अनुरूप नियमानुसार की जावेगी ।

*२१—श्री देव बहादुर सिंह—

[४थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जिला बांदा की ग्राम सभाओं की भूमि पर आसामी की हैसियत से किये गये कब्जे की बेदखली

*२२—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में गांव सभा की जमीनों पर आसामी के हैसियत के खतौनी में श्रेणी तीन के अन्तर्गत कितने लोगों ने कुल कितनी जमीनें हड़प रखी है और कब–कब से ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि गांव सभायें उन जमीनों को अपने कब्जे में लेने में विवश या असफल हैं ? क्या सरकार उन सभी जमीनों को नाजायज कब्जे से निकाल कर भूमिहीन खेत मजदूरों एवं हरिजनों में वितरित कराने के लिए कोई व्यवस्था अवलम्ब करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

बांदा जनपद में ७,८३२ व्यक्ति ५,५१६·३ हेक्टेयर भूमि पर खतौनी की श्रेणी तीन में गांव सभा के आसामी की हैसियत से दर्ज हैं । श्रेणी तीन के आसामी गांव सभा के पट्टेदार होते हैं जिनसे गांव सभा लगान भी लेती है । अतः इनके द्वारा भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने अथवा भूमि हड़प लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । श्रेणी ३ के आसामियों को गांव सभा द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा २०९ के अनुसार पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने पर या अन्यथा भूमि को खाली कराने की आवश्यकता पड़ने पर बेदखल कराया जा सकता है ।

चूंकि आसामियों के कब्जे नाजायज नहीं है, अतः इसका प्रश्न नहीं उठता ।

जिला नैनीताल के राम नगर शहर में अस्पताल हेतु राजस्व विभाग द्वारा भूमि दिया जाना

*२३—श्री राम दत्त जोशी—

क्या राजस्व मन्त्री को प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा मार्च, १९७८ में उनको सम्बोधित कोई ऐसा प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें नैनीताल जनपद में रामनगर नामक शहर में एक सरकारी अस्पताल के लिए राजस्व विभाग की भूमि प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया है और क्या उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया शासनादेश दिनांक २० फरवरी, १९५३ भी संलग्न है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां ।

ग्राम कठेला गर्वी, जिला बस्ती के निवासी श्री राम बदन द्वारा तहसीलदार, डुमरियागंज तथा श्री लक्षिमन, कलेक्शन अमीन के विरुद्ध शिकायत तथा उसकी जांच

*२४—श्री विश्वनाथ पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत तहसील डुमरियागंज तथा बारिकपार ग्राम कठेला गर्वी के निवासी श्री राम बदन ने एक शिकायती-पत्र तहसीलदार डुमरियागंज तथा श्री लक्षिमन, कलेक्शन अमीन के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी जिलाधिकारी, बस्ती के पास दिनांक ३० मई, १९७८ को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिया था जो तहसीलदार, बांसी के यहां से विशेष सूचना वाहक द्वारा जिलाधिकारी, बस्ती को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में मुख्य आरोप क्या था उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां । तहसीलदार, डुमरियागंज तथा श्री लक्षिमन, संग्रह अमीन के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ।

शिकायती पत्र में तहसीलदार के विरुद्ध गलत वसूली करने तथा वसूली में ज्यादती करने का आरोप था । श्री लक्षिमन के विरुद्ध गलत वसूली करने के अलावा कच्ची रसीद पर वसूली करने और पक्की रसीद न देकर वसूली की धनराशि हजम करने के मुख्य आरोप थे ।

आरोपों की जांच परगनाधिकारी डुमरियागंज से कराई गई । जांच रिपोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं हुये ।

गोन्डा में संग्रह अमीनों के अभ्यर्थियों की अनुमोदित सूची

*२५—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोन्डा में माह मई, १९७५ म संग्रह अमीनों के अभ्यर्थियों की अनुमोदित सूची तैयार करायी गई थी ? यदि हां, तो सूची का मुख्य आधार क्या था ? क्या इसमें तहसील उतरौला के किसी अभ्यर्थी का नाम छूट गया था ? यदि हां, तो क्या उस अभ्यर्थी का नाम अनुमोदित सूची में अंकित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२६—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

क्या राजस्व मन्त्री की यह भी जानकारी है कि जो सन् १९७५ में भी कुछ अमीनों की अनुमोदित सूची बनायी गई थी इसके अतिरिक्त भी कुछ अभ्यर्थी कार्यरत है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२७--श्री राम दत्त जोशी--

[३-४-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४८ द्वारा उत्तरित ।]

झांसी में यादव टाकीज का बिना लाइसेन्स के चलना तथा श्री राम सेवक मिश्रा, मनोरंजन कर अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*२८--श्री रियासत हुसैन--

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि भूतपूर्व समथर राज्य, जिला झांसी में यादव टाकीज बिना किसी आज्ञा और लाइसेन्स की स्वीकृति के दिनांक १२ अप्रैल, १९७८ से जय संतोषी मां पिक्चर के साथ चल रहा है ? यदि हां, तो इस प्रकार हजारों रुपए के सरकारी कर की चोरी से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? तथा क्या संस्थागत वित्त मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सिनेमा का मालिक कौन है और मनोरंजन कर अधिकारी का नाम तथा वह किन-किन पदों पर इसके अतिरिक्त झांसी में कार्यरत रहे ? उनके विरुद्ध क्या अनेक भ्रष्ट और गम्भीर मामलों की शिकायत सरकार को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हो, तो वह आरोप क्या है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

जी हां ।

'यादव टाकीज' के मालिक श्री ललित कुमार अग्रवाल हैं और श्री राम सेवक मिश्रा, उस समय झांसी में नगर मजिस्ट्रेट तथा मनोरंजन कर अधिकारी थे । श्री मिश्रा मनोरंजन कर अधिकारी के अतिरिक्त निम्नलिखित भी कार्य कर रहे थे :--

(१) झांसी नगर सब-डिवीजन के थानों के लिये नगर मजिस्ट्रेट ।

(२) मजदूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत आयुक्त ।

(३) परगनाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट, झांसी के लिन्क अधिकारी ।

(४) विशिष्ट व्यक्तियों एवं मंत्रियों आदि के आगमन के प्रभारी अधिकारी ।

(५) प्रभारी अधिकारी समारोह ।

(६) थाना सदर बाजार के अभियुक्तों तथा माल की कार्यवाही शिनाख्त ।

(७) प्रभारी अधिकारी, संग्रह, राजकीय अस्थान, भूमि भवन-कर, आडिट आपत्तियां तथा दैवी आपदायें ।

(८) उत्तर प्रदेश रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ।

(९) विनियमित क्षेत्र, झांसी के लिये नियत प्राधिकारी ।

(१०) प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, झांसी ।

(११) प्रभारी अधिकारी, बाढ़ ।

(१२) जिला जनगणना अधिकारी ।

(१३) सचिव, भूतपूर्व बुंदेलखंड विकास प्रदर्शनी ।

श्री मिश्रा के विरुद्ध शासन को कई शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें उनके विरुद्ध रिश्वत लेने, शराब पीने तथा चरित्रहीनता के आरोप लगाये गये हैं । इन शिकायतों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है । एक शिकायत की जांच पूर्ण हो गयी है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मार्च, १९७८ में श्री मिश्रा अपने साथियों के साथ मद्यपान की स्थिति में झांसी मेडिकल कालेज गये और लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया । जांच में यह आरोप श्री मिश्रा के विरुद्ध सिद्ध नहीं हुआ है ।

जिला इलाहाबाद के ग्राम शाहपुर के काश्तकारों पर लगान तथा विकास कर

*२९—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के ग्राम शाहपुर के ऐसे काश्तकार कौन-कौन हैं जिन पर बढ़ा लगान तथा विकास कर नहीं लगाया गया, वह कितना-कितना है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर में शाहपुर उपरहार एवं शाहपुर कछार नाम के दो ग्राम हैं । इन दोनों ही गांवों में ऐसा कोई भी काश्तकार नहीं है जिस पर भू-राजस्व अभिनवीकरण के फलस्वरूप भू-राजस्व तथा भूमि विकास कर निर्धारित न किया गया हो ।

जिला वाराणसी के मुसहर जाति के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु योजना

*३०—श्री ऊदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी ने मुसहर जाति के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु एक योजना बनाकर निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश को अपने पत्र संख्या २२७०/ह०क०/७७-७८, दिनांक ८ नवम्बर, १९७७ के द्वारा गांव मंगारी नवादा, थाने-रामपुर, देवराई ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के सम्बन्ध में भेजा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

*३१—श्री ऊदल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उपरोक्त के अलावा ब्लाक सेवापुरी एवं चोलापुर के भी कुछ गांवों के मुसहरों के लिए भी योजना उपरोक्त पत्रांक के द्वारा भेजी गयी

है ? क्या सरकार उक्त योजना की एक प्रति सदन के मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां। जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी वाराणसी से इन दोनों प्रश्नों में उल्लिखित समस्त गांवों के मुशहरों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए योजना प्राप्त हुयी थी। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के समस्त पूर्वी जिलों के मुशहरों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु शासन द्वारा एक योजना स्वीकृत की गयी है जिसके अन्तर्गत उनके लिए एक आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना की जायेगी तथा दुधारू जानवर क्रय किये जाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी वाराणसी द्वारा सेवापुरी तथा चोलापुर के ग्रामों के संबंध में भेजी गयी योजना की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी है।

[देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १५६५ पर]

आन्ध्र प्रदेश तूफान पीड़ित सहायता कोष में सिनेमा प्रदर्शनों की आय से प्राप्त धनराशि

*३२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश के तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए प्रदेश के सिनेमाघरों को एक दिन के लिए मनोरंजन-कर से दी गयी छूट के परिणामस्वरूप बिक्री किए गए टिकटों से कुल कितना धन तूफान पीड़ितों के कोष में प्राप्त हुआ ? क्या शासन को ऐसी शिकायत मिली है कि कुछ सिनेमाघरों में उपरोक्त छूट का उपयोग कर सिनेमाघर नहीं दिखाया ? यदि हां, तो ऐसे सिनेमाघरों की संख्या क्या है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

आन्ध्र प्रदेश तूफान पीड़ित सहायता कोष में, सिनेमा प्रदर्शनों की आय से, कुल २,०९,५११·४५ रु० एकत्रित हुई धनराशि भेजी गयी थी। इसमें से १,०७,५७३·७१ रु० सिनेमा प्रदर्शकों द्वारा एक दिन के प्रदर्शन से तथा १,०१,९३७·७२ रुपये विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा अन्य तिथियों के प्रदर्शन से एकत्रित किया गया था। शासन को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि किसी सिनेमाघर ने छूट का उपयोग भी किया हो और सिनेमा न दिखाया हो अथवा धन न दिया हो। परन्तु, यह सत्य है कि ४६० सिनेमाघरों में छूट का उपयोग नहीं किया था।

बिक्री-कर निर्धारण की सेल्फ असेसमेन्ट योजना की सीमा

*३३—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बिक्री-कर निर्धारण की सेल्फ एसेसमेन्ट योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए उ की सीमा २,५००·०० रु० से बढ़ाकर ५,०००·०० रु० करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

यह योजना अभी हाल ही में लागू की गई है। कुछ समय इ के कार्यान्वयन स्थिति का अध्ययन करने के बाद उसका मूल्यांकन करके वर्तमान सीमा को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

बस्ती कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों का स्थायीकरण तथा वरिष्ठता सूची

*३४—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती कलेक्ट्रेट कार्यालय बस्ती में लिपिक वर्ग के कितने कर्मचारियों की सेवायें १० वर्ष से ऊपर हो चुकी हैं और उन्हें स्थायी नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

बस्ती कलेक्ट्री कार्यालय में लिपिक वर्गों में ९ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवायें १० वर्ष से ऊपर हो चुकी हैं और जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया जा सका है। कलेक्ट्री कार्यालयों म शासनादेशों के अन्तर्गत केवल सूची 'ए' के अभ्यर्थी जिनकी अस्थायी सेवायें १६ अगस्त, १९६१ को कम से कम ३ वर्ष की थी, तथा सूची 'बी' के अभ्यर्थी (पेड अप्रेन्टिस) को ही ६७·३३ के अनुपात में स्थायी किया जा सकता है। उक्त ९ कर्मचारियों में कोई भी कर्मचारी सूची 'अ' अथवा 'ब' का अभ्यर्थी नहीं है, अतः उनका स्थायीकरण नहीं किया जा सका।

*३५—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार यह भी कृपया बताएगी कि बस्ती कलेक्ट्रेट कार्यालय, बस्ती में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

बस्ती कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार की गई है।

ग्राम सभा लक्ष्मनपुर गोड़पुरवा पखना, इकौना, जिला बहराइच में अनियमित पट्टों का निरस्तीकरण तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*३६—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र१९७८ के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या २२ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा लक्ष्मनपुर गोडपुरवा पखना, इकौना, जिला बहराइच में चकबन्दी कार्य से सम्बन्धित ७ व्यक्तियों के अनियमित पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही धारा ४८, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम तथा धारा १९८ (४) जमींदारी विनाश अधिनियम के अधीन न्यायालयों द्वारा आदेश हो चुके हैं और सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो विलम्ब करने के जिम्मेवार कौन-कौन हैं और सहायक चकबन्दी अधिकारी को निलम्बित करके चार्ज शीट जारी कर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

गांव सभा लक्ष्मनपुर गोड़पुरवा, परगना इकौना, जिला बहराइच के ७ व्यक्तियों के अनियमित पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही मन्डला युक्त फैजाबाद के स्तर पर विचाराधीन है तथा धारा ४८ जोत चकबन्दी अधिनियम के संदर्भ

निस्तारित हो चुके हैं। सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सभी न्यायिक मामलों के निस्तारण के बाद यदि आवश्यक हुआ तो की जावेगी।

सहायक बिक्री-कर अधिकारियों की प्रोन्नति

*३७--श्री रियासत हुसैन--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७५ से १९७६ की अवधि में लिपिक वर्ग से ७९ सहायक बिक्री-कर अधिकारी के पद पर प्रोन्नतियां की गईं ? यदि हां, तो क्या ये सभी (७९) व्यक्ति अपने पूर्व पद (लिपिक) पर स्थायी थे ? इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

वर्ष १९७५ से १९७६ की अवधि में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के ७९ नहीं वरन ८२ कर्मचारियों को पदोन्नतियां तदर्थ आधार पर सहायक बिक्री-कर अधिकारी के पदों पर की गयी थी इनमें से केवल ५ कर्मचारी अपने पूर्व पदों पर जिसमें वे सहायक बिक्री-कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति हुए थे, स्थायी थे। शेष ७७ कर्मचारी अपने पूर्व पदों पर स्थायी नहीं थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोई भी कर्मचारी संदर्भित अवधि में सहायक बिक्री-कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति नहीं किया गया था क्योंकि २३०-३८५ के वेतन मान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कोई भी कर्मचारी स्थायी नहीं थे।

राज्य में ओला व अति वृष्टि से रबी की फसल को क्षति

*३८--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार बताएगी कि राज्य में ओला और अति वृष्टि से वर्ष १९७८ में रबी की फसल को गहरी क्षति पहुंची है जिससे किसानों के सामने अन्न और चारा की विषम स्थिति पैदा हो गई है ? यदि हां, तो इस संकट निवारणार्थ सरकार की योजना क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*३९--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[२रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के अन्तर्गत उत्तरित।]

मैनपुरी कोषागार के एक कर्मचारी का शासनादेश के विपरीत स्थायीकरण

*४०--श्री राम नरेश पांडेय--

विधान सभा के प्रथम सत्र१९७८ के चौथे शुक्रवार के नत्थी (घ) के प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या एस-५०५०/द-२८९-१९४९, दिनांक ५ जनवरी, १९६३ में दिए गए निर्देशों के विपरीत राजस्व परिषद् के आदेश संख्या १३९५८/१२-३१९-ए०-७३, दिनांक २३ मई, १९७५ के द्वारा

मैनपुरी कोषागार में एक कर्मचारी को लिपिक के पद पर दिनांक १ अप्रैल १९६४ से स्थायी कर दिया गया ? यदि हां, तो राजस्व परिषद् के उक्त आदेश को निरस्त क्यों नहीं किया गया ? अब इसे कब निरस्त किया जायगा ?

श्री मधुकर दिघे—

मण्डल आयुक्त, आगरा को दिये गये राजस्व परिषद् के आदेश दिनांक २३ मई, १९७५ के फलस्वरूप कोषागार में एक कर्मचारी को लिपिक के पद पर दिनांक १ अप्रैल, १९६४ से स्थायी किया गया है। उक्त कर्मचारी के स्थायीकरण के आदेश पर नियमानुसार पुनः विचार करने के लिये राजस्व परिषद् को संदर्भित कर दिया गया है।

*४१—श्री राम नरेश पांडे—

क्या वित्त मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उपरोक्त मामले में न्याय विभाग से अगस्त-सितम्बर, १९७७ में कोई परामर्श लिया गया है ? यदि हां, तो वे परामर्श क्या हैं ?

श्री मधुकर दिघे—

जी हां, इस मामले में न्याय विभाग परामर्श सितम्बर, १९७७ में प्राप्त किया गया है। न्याय विभाग ने यह परामर्श दिया है कि उक्त लिपिक के स्थायीकरण में हुई गलती राजस्व परिषद् को नोटिस में लाई जा सकती है और उनसे गलत स्थायीकरण को निरस्त करने के लिए कहा जा सकता है।

जिला बस्ती के ग्राम चन्दुआ चमरौआ तथा ग्राम रिछोला ताराचन्द में श्रीमती गोमती की भूमि का भूमिहीनों को आवंटन

*४२—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

१९७८ के प्रथम सत्र के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती, तहसील नवाबगंज के ग्राम चन्दुआ चमरौआ में जिस कृषक श्रीमती गोमती विधवा मोती तथा ग्राम रिछोला ताराचन्द में श्रीमती गोमती विधवा नरायन दास का जिकर किया गया है वह एक ही व्यक्ति हैं या अलग-अलग ? यदि एक ही व्यक्ति हैं तो एक ग्राम में उसकी भूमि भूमिहीनों में बांट देने और दूसरे ग्राम में भूमि को भूमिहीनों में न बांट कर केवल एक व्यक्ति हरद्वारी लाल गंगवार को देने का कारण क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

तहसील नवाबगंज के ग्राम चादौआ चमरउआ के भूमि अभिलेखों में श्रीमती गोमती विधवा मोती के नाम से तथा ग्राम रिछौला तारा चन्द में श्रीमती गोमती विधवा नरायन दास के नाम से श्रीमती गोमती का नाम अंकित था, किन्तु वह एक ही स्त्री थी।

श्रीमती गोमती की मृत्यु के उपरान्त धारा १९४ ज० वि० अधिनियम के अन्तर्गत उक्त दोनों ग्रामों में स्थित उसकी भूमि संबंधित गांव सभाओं में निहित कर दी गई थी।

किन्तु बाद में डा० हरद्वारी लाल पुत्र बुद्ध सेन ने ग्राम चन्दौआ चमरऊआ में स्थित भूमि संख्या ५२०/११ बी० १३ बि० १० बि० के विषय में धारा २२९-बी ज०वि० अधिनियम के अन्तर्गत परगनाधिकारी के न्यायालय में दावा दायर किया जिसमें उसका अधिकार सिद्ध होने पर वाद का निर्णय उसके पक्ष में हो गया और उक्त भूमि से तदनुसार गांव सभा का स्वत्व समाप्त हो गया। ग्राम सभा द्वारा डा० हरद्वारी लाल को भूमि आवंटित नहीं की गई है।

ग्राम छौला ताराचन्द में स्थित भूमि संख्या ११४/३ बी० ६ बि० १० बि० के विषय में कोई दावा दायर नहीं हुआ। अतः वह भूमि गांव सभा की सम्पत्ति बनी रही और जिसका गांव सभा द्वारा भूमिहीनों में वितरण कर दिया गया।

राज्य कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि का हिसाब पास बुक प्रणाली में रखा जाना

*४३—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्त मंत्री ने वर्ष १९७८-७९ के बजट भाषण में राज्य कर्मचारियों की सुविधाओं के सिलसिले में यह घोषणा की थी कि माह अप्रैल, १९७८ से प्रत्येक राजकीय कर्मचारी का सामान्य भविष्य निर्वाह निधि का लेखा का हिसाब पासबुक प्रणाली में कर दिया जायगा ? यदि हां, तो इसपर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

श्री मधुकर दिघे—

बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि सचिवालय सेवा के समस्त अधिकारियों तथा अन्य सेवाओं के केवल ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के संबंध में सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की पासबुक प्रणाली १-४-७८ से लागू की जायगी जिनके वेतनमान का उच्चतम १२०० रु० प्रतिमाह से अधिक न हो।

महालेखाकार के परामर्श से लेजर तथा पासबुक का प्रारूप निर्धारित किया गया है। दो लाख दस हजार पासबुकों की छपाई का कार्य राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ द्वारा पूरा हो चुका है तथा उनकी जिल्दबंदी का कार्य हो रहा है। साथ ही साथ जितनी प्रतियां तैयार होती जा रही है उनकी संपूर्ति भी की जा रही है। १९ अगस्त, १९७८ तक ३० जनपदों में चार हजार पास बुकों का वितरण भी हो चुका है। शासन द्वारा राजकीय प्रेस को इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिये १३-७-७८ को आदेश दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजाति योजना, पोलियां कला, लखीमपुर खीरी के विरुद्ध शिकायतें एवं जांच

*४४—श्री देव राम (जिला गाजीपुर)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परियोजना-अधिकारी एकीकृत जनजाति योजना, पलियां कलां, लखीमपुर खीरी के भ्रष्टाचार एवं स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध उस कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से प्रेषित कोई शिकायती-पत्र दिनांक २६ दिसम्बर, १९७७ को शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या-क्या हैं और उनके निवारण हेतु अब तक शासन द्वारा कौन सा कदम उठाया गया है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जी हां ।

शिकायती पत्र में शिकायतें इस आशय की थीं :

(१) प्रातःकाल से सायंकाल तक प्रायोजना कार्यालय का निरंतर खुला रहना और कर्मचारियों को डरा धमका कर अपमान करके जबरदस्ती काम कराना :

(२) प्रायोजना अधिकारी द्वारा चपरासियों से अपने घर का काम लेने और न करने पर उनके द्वारा उनकी सेवा समाप्ति ;

(३) चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को हटा कर अन्य व्यक्ति को अपने स्तर से नियुक्त करना ;

(४) फर्जी टी० ए० बिल बनाकर खजाने से धन आहरित करना ;

(५) जनजाति अनुदान को व्यय न करके उसे शासन को वापस कर देना । और

(६) प्रायोजना कार्यालय के सीलिंगफैन का दुरुपयोग करना, निजी बिजली खर्च का भुगतान सरकारी रुपये से करना ।

इन शिकायतों की जिला-अधिकारी, लखीमपुरखीरी द्वारा जांच कराई गयी है । प्रायोजना अधिकारी जो इस समय आगरा में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर हैं, स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

*४५--श्री देव राम--

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २३ जनवरी, १९७८ को परियोजना क्षेत्र, पलिया कलां खीरी के कार्यालय एवं क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण उनके द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उन्हें कार्यालय एवं परियोजना क्षेत्र में कौन-कौन सी अनियमितताएं मिलीं और अब तक शासन द्वारा कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री ने २१ व २२ जनवरी, १९७८ को परियोजना क्षेत्र का निरीक्षण किया था । निरीक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएं मिली थीं :

(१) परियोजना को विभिन्न कार्य-क्रमों के अन्तर्गत वर्ष १९७६-७७ एवं १९७७-७८ में जो धनराशियां दी गयी थीं, उनका काफी बड़ा भाग बिना उपयोग किया हुआ अवशेष पड़ा था ।

(२) पशुपालन सहकारिता एवं चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग का कार्य संतोषजनक रूप से संचालित नहीं किया जा रहा था ।

(३) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो धन व्यय हुआ और भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुए, उनका लेखा जोखा प्रायोजना कार्यालय में उपलब्ध नहीं था । परियोजना को ठीक प्रकार से चलाने के लिए प्रायोजना अधिकारी द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया ।

(४) प्रायोजना के अन्तर्गत अनेक पद रिक्त थे और नियुक्तियां नहीं हुई थीं ।

(५) स्टेट बैंक द्वारा कर्जा देकर जो बोरिंग तथा पंपिट सेट दिलाए गए, उनमें बोरिंग ठीक प्रकार से न किए जाने के फलस्वरूप वे भली प्रकार नहीं चल रहे थे।

प्रायोजना क्षेत्र के कार्य-क्रमों को तेजी से चलाने के उद्देश्य से तथा उक्त कमियों को दूर करने के दृष्टिकोण से शासन द्वारा विभिन्न विभागाध्यक्षों की एक बैठक १३ मार्च, १९७८ को बुलाई गयी और इसमें जिलाधिकारी खीरी तथा प्रायोजना अधिकारी को भी बुलाया गया था। इस बैठक में योजना के सभी बिन्दुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। कार्य-क्रमों में गति लाने के उद्देश्य से विभागीय सचिव तथा निदेशक कई बार क्षेत्र का भ्रमण कर चुके हैं। इसके साथ ही एकीकृत जनजाति अभिकरण, खीरी का भी गठन किया जा चुका है।

जहां तक प्रायोजना अधिकारी द्वारा ठीक प्रकार से कार्य न करने तथा शिथिलता बरतने का प्रश्न है, इस संबन्ध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। इनको वहां से स्थानान्तरित किया जा चुका है।

बस्ती की सड़कों पर टेस्ट वर्क द्वारा मिट्टी के कार्य पर हुआ व्यय

*४६--श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, १९७७ से १६ जून, १९७८ तक बस्ती में किन-किन सड़कों पर टेस्ट वर्क द्वारा मिट्टी का काम किया गया है? उन सड़कों पर अलग-अलग कितना धन व्यय हुआ है? प्रत्येक सड़क का निर्माण कार्य कितने मीटर तक हो गया है? क्या टेस्ट वर्क द्वारा कच्ची सड़कों को पक्की बनाने की भी योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो किन-किन सड़कों के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री शारदा भक्त सिंह--

बस्ती जिले में १ नवम्बर, १९७७ से १६ जून, १९७८ तक कुल ५५ सड़कों पर टेस्ट वर्क द्वारा मिट्टी का कार्य किया गया। उक्त सड़कों के नाम लम्बाई जहां तक यह कार्य हुआ है तथा प्रत्येक सड़क पर अलग-अलग किए गए व्यय का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

टेस्ट वर्क द्वारा कच्ची सड़कों को पक्की बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

[देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५६८ पर।]

बांदा की करवी तहसील के ग्राम बरवारा में असामी के पट्टों को सीरदारी पट्टों में बदलाना

*४७--श्री राम सजीवन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील के ग्राम बरवारा में भूमिहीनों एवं हरिजनों के नाम असामी के ४६ पट्टे २६ जनवरी, १९७४ में किए गए थे और उनकी दाखिल खारिज के प्रार्थना-पत्र २५-९-७४ को दिए गए थे? यदि हां, तो उन सभी के दाखिल खारिज कर के खसरा खतौनी में उनके नाम दर्ज न किए जाने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि शासन ने असामी के सभी पट्टों को नियमानुकूल सीरदारी के पट्टों में बदलने के निर्देश सन १९७५ में दिये गए थे? इन निर्देशों के बावजूद असामी के पट्टों

को सीरदारी में न बदलने एवं उनका दाखिल खारिज न करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

दिनांक २६ जनवरी सन् १९७४ ई० को ग्राम बरवारा, तहसील करवी, जिला बांदा में असामी के ४६ पट्टे भूमिहीनों एवं हरिजनों के नाम नहीं किये गये और न २५-९-७४ को उनकी दाखिल खारिज का कोई प्रार्थना-पत्र ही दिया गया। अतः उनके नाम खतौनी में दर्ज किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

यह सही नहीं है कि शासन ने असामी के सभी पट्टों को सीरदारी के पट्टों में बदलने के निदेश सन् १९७५ में दिये थे। अतः आसामी के तथा कथित पट्टों को सीरदारी में न बदलने एवं उनके दाखिल खारिज न करने के लिये किसी अधिकारी को जिम्मेदार मानने का भी प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन कल्याण कोष से गबन

*४८—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें हरिजन कल्याण कोष से मई, १९७८ में १ लाख ३२ हजार रुपये के गबन होने की जानकारी मिली है ? यदि हां, तो यह क्या सही है कि उक्त मामले की जांच गुप्तचर विभाग से कराई गई ? क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? उक्त गबन में किन-किन लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है ? क्या शासन इस मद में दिए गये तीन वर्षों के अनुदान की जांच करवायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां।

जिलाधिकारी इलाहाबाद ने मामले में तुरन्त पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज करा दी थी। जांच गुप्तचर विभाग की निगरानी में की जा रही है। अभी कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दोषी लोगों की जानकारी हो सकेगी।

जी हां। आदेश निर्गत कर दिए गए हैं।

*४९—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

*५०—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[१०वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बस्ती की तहसील डुमरियागंज के तहसीलदार तथा अमीन के विरुद्ध शिकायतें एवं उनकी जांच

*५१—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, १९७८ में जिला अधिकारी, बस्ती के पास बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज के तहसीलदार के

विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं गलत कार्य करने के सम्बन्ध में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? उसकी जांच किस अधिकारी से कराई गई और आरोप क्या-क्या थे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

माह जून, १९७८ में तहसील डुमरियागंज के तहसीलदार तथा अमीन के विरुद्ध गलत कार्य करने के संबंध में तीन आवेदन-पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से दो प्रार्थना-पत्र दिनांक १२-६-७८ तथा १३-६-७८ श्री हनुमान सिंह, निवासी बिरवापुर, थाना इटावा के थे तथा तीसरा प्रार्थना-पत्र दिनांक ३१-५-७८ श्री राम बदन पाठक, निवासी ग्राम कठेला गर्वी का था ।

श्री हनुमान सिंह के आवेदन-पत्रों पर जांच अभी अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा हो रही है । श्री राम बदन के आवेदन-पत्र की जांच परगनाधिकारी, डुमरियागंज द्वारा कराई गई है ।

श्री हनुमान सिंह के आवेदन-पत्रों में मुख्य आरोप यह था कि श्री राम प्रगट अमीन ने १,००० रु० राजकीय देय वसूल करके केवल ६०० रु० की रसीद दी । शेष धन मांगने पर जबरन जीप में बैठाकर ले जाने को तैयार हुये । श्री हरिहर प्रसाद जो अमीन के भाई हैं, ने गुस्से में बन्दूक के कुन्दे से सीने पर मारा तथा जीप से ढकेल दिया जिससे श्री हनुमान प्रसाद के सीने और पीठ में चोट आई और बायां हाथ छिलकर जख्मी हो गया ।

श्री राम बदन पाठक के आवेदन-पत्र में तहसीलदार तथा अमीन के विरुद्ध गलत वसूल में ज्यादती करने का आरोप था । परगनाधिकारी से जांच कराई गई, आरोप सिद्ध नहीं हुये ।

हरदोई में चकबन्दी में अनियमितताओं एवं लेखपाल के अनैतिक आचरण के विरुद्ध श्री राजाराम वर्मा के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

*५२--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक ५ नवम्बर, १९७६ को जिलाधिकारी, हरदोई के नाम एक प्रार्थना-पत्र चकबन्दी में बरती गयी अनियमितताओं एवं तत्कालीन लेखपाल के अनैतिक आचरण के सिलसिले में हरदोई जिले के पुरवावां निवासी श्री राजाराम वर्मा द्वारा दिया गया, ९ जुलाई, १९७७, २५ जुलाई, १९७७ को राजस्व मन्त्री के हरदोई आगमन पर उक्त प्रार्थना-पत्र पर उचित कार्यवाही करने हेतु अन्य प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए गए जिन पर जिलाधिकारी, हरदोई को शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश दिए गए ? यदि हां, तो इस सिलसिले में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां । श्री राजाराम वर्मा के दो प्रार्थना-पत्र दिनांक ५ नवम्बर, १९७६ तथा ९ जुलाई, १९७७ प्राप्त हुये थे जिनमें चकबन्दी में बरती गईं अनियमितताओं के लिए तत्कालीन चकबन्दी लेखपाल के विरुद्ध शिकायत की गई थी। जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा कराई गई जांच में अनियमित कार्यवाही के लिए श्री शिव राज सिंह, लेखपाल (चकबन्दी), श्री सुरेश चन्द्र, लेखपाल (रेगुलर), श्री बच्चू लाल, चकबन्दी कर्ता तथा श्री बृजपाल, चकबन्दी लेखपाल दोषी पाये गये थे । इन सबके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करने का निर्णय ले लिया गया है तथा इनमें से श्री सुरेश चन्द्र, लेखपाल को निलम्बित भी कर दिया गया है । उनके अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों का

स्थानान्तरण अन्य जिलों को हो चुका है और जांच आख्या की प्रतिलिपि संबंधित जिलाधिकारियों को इन कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है ।

सेना के एक सैनिक को ग्राम सिधांव, जिला फतेहपुर में आवंटित भूमि का निरस्तीकरण

*५३---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि सेना के एक सैनिक नं० १४४१३७४ को ग्राम सिधांव, जिला फतेहपुर में जिलाधीश के आदेशानुसार प्राथमिकता के आधार पर सन्, १९६७ में कुल साढ़े पांच बीघा का पट्टा कर दिया गया था व तारीख २३ जून सन् १९७८ को उक्त भूमि का पट्टा रद्द कर दिया गया है, जब कि सैनिक के पास अपनी निजी भूमि केवल डेढ़ बीघा है ? क्या इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र तारीख ५ जुलाई, सन् १९७८ को सैनिक द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त भूमि क्यों बदखल कर दी गयी तथा उक्त भूमि को सैनिक को पुनः वापस करने पर विचार करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

ग्राम सिधाव, जिला फतेहपुर में प्रश्नगत व्यक्ति को साढ़े पांच बीघा भूमि का पट्टा १३७४ फसली से ५ वर्ष के लिये आसामी की हैसियत से दिया गया था। धारा १९८ उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत सेवारत सैनिकों को भूमि देने का कोई प्राविधान नहीं है । नियम १७६-क उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश नियमावली के अन्तर्गत आसामी पट्टा ५ वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं दिया जा सकता । अतः उक्त पट्टे की अवधि समाप्त होने तथा अपात्र व्यक्ति होने के कारण दिनांक ६३-६-७८ को पट्टा निरस्त कर दिया गया । ५ जुलाई, १९७८ का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । पुनः विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

देहरादून के कोटीमथ चक, थानों एवं रामनगर डाण्डा में ओलावृष्टि से हानि एवं कृषकों को सहायता

*५४---श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देहरादून के ग्राम कोटीमथ चक, थानों एवं रामनगर डाण्डा में माह अप्रैल, १९७८ में ओलावृष्टि से हुई हानि के सम्बन्ध में राजकीय सहायता आदि हेतु सरकार को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ओलावृष्टि से जिन कृषकों की हानि हुई है, उन्हें राहत दिलाने से सम्बन्धित सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

जी हां । ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलों को ५० प्रतिशत से अधिक क्षति हुई थी उनसे समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई । जिला देहरादून के ग्राम कोटीमथ चक, थानों एवं रामनगर डाण्डा में फसलों को ओलावृष्टि से ५० प्रतिशत क्षति हुई है । अतः नियमानुसार रबी १३८५ फसली की मालगुजारी में छूट देने का अन्तिम प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। शासन को अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर छूट देने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । कृषकों को तकावी भी मिल सकती है परन्तु उक्त ग्रामों में किसी कृषक ने तकावी हेतु कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया है ।

देवरिया के ब्लाक भटनी के हरिजन बेसिक प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों की मांगें

*५५—श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन बेसिक प्राइमरी पाठशाला, भटनी, भवानी, भटनी खास, ब्लाक भटनी, जिला देवरिया के अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में दिनांक २२ अप्रैल, १९७८ का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां ।

संस्था को आवर्तक सूची पर लाए जाने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

क्षेत्र रामपुर कारखाना, देवरिया के सुपरवाइजर कानूनगो के विरुद्ध श्री कपिल देव सिंह, ग्राम डुमरी द्वारा शिकायत तथा उसकी जांच

*५६—श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कपिल देव सिंह, ग्राम डुमरी, पोस्ट रामपुर कारखाना, जिला देवरिया ने सुपरवाइजर कानूनगो क्षेत्र रामपुर कारखाना, जिला देवरिया द्वारा उनकी पुत्र बधू को भूमिहीन का प्रमाण-पत्र दिए जाने से सम्बन्धित आवेदन पर घूस मांगने के सम्बन्ध में दिनांक १३ मार्च, १९७८, २४ मई, १९७८, २५ मई, १९७८ व ३० जून, १९७८ को शिकायत-पत्र मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री व सतर्कता सचिव व उप सचिव राजस्व को व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा दिए गए थे ? यदि हां, तो श्री कपिल देव सिंह के शिकायत-पत्रों में निहित शिकायत व निवेदन पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या उनकी पुत्र वधू को प्रमाण-पत्र मिल सका ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि प्रमाण-पत्र देना है तो वह कब तक दे दिया जाएगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

पत्र में उल्लिखित शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे । उनमें उल्लिखित आरोपों की जांच परगनाधिकारी के माध्यम से कराई गई । जांचोपरान्त शिकायत गलत पायी गयी, यह भी ज्ञात हुआ कि श्री कपिल देव सिंह की पुत्र बधू को भूमिहीन का प्रमाण-पत्र नियमानुसार नहीं दिया जा सकता ।

गोण्डा के परगना मनकापुर के निटौरा ग्राम सभा की बन्जर व मतरूक भूमि का बड़े काश्तकारों को आवंटन

*५७—श्री छेदी (जिला गोण्डा)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के परगना मनकापुर के अन्तर्गत निटौरा ग्राम सभा की बन्जर व मतरूक की जमीन बड़े-बड़े काश्तकारों को १९७६-७७ में आवंटित कर दी गयी है । यदि हां, तो क्या उनके आवंटन को तुरन्त निरस्त करके सरकार हरिजन व भूमिहीनों को आवंटित करने की कृपा करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

गत पांच वर्षों से चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत होने के कारण गोण्डा जनपद के परगना मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम निटौरा में वर्ष १९७६-७७ में कृषि योग्य बंजर या अन्य भूमि का कोई आवंटन नहीं किया गया। अतः अन्य प्रासंगिक प्रश्न नहीं उठते।

अतारांकित प्रश्न

भभौरी फार्म मालिक की भूमि सीलिंग से बचाने हेतु ग्राम प्रधान, बलई खोर, तहसील महाराजगंज, गोरखपुर द्वारा गलत बयानी

१--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान, बलई खोर, तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर के भभौरी फार्म मालिक से १० एकड़ जमीन लेकर सीलिंग की जमीनों को बचाने हेतु प्रधान द्वारा गलत बयान दिए गये हैं और आवंटित भूमि को भूमि रखने वाले को दिया है, भूमिहीनों को नहीं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जिला गोरखपुर के भभौरी फार्म का सीलिंग वाद अभी सक्षम न्यायालय में लम्बित है। चूंकि मामले में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं पारित हुआ है। अतः यह कहना ठीक नहीं होगा कि प्रधान ने भभौरी फार्म को सीलिंग से बचाने हेतु गलत बयान दिया है। यह भी सही नहीं है कि प्रधान ने फार्म से १० एकड़ भूमि लिया। चूंकि मामले में अभी अंतिम रूप से भूमि अतिरिक्त घोषित नहीं हुई है अतः भूमि आवंटन का भी प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री राम कृष्ण शुक्ल, चकबन्दीकर्ता, करनपुर जिला, गोण्डा के विरुद्ध रिश्वतखोरी की शिकायत

२--सुखद राज सिंह (जिला बहराइच)--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि श्री राम कृष्ण शुक्ल, भूतपूर्व चकबन्दी कर्ता, करनपुर, जनपद गोण्डा के विरुद्ध हजारों रुपये के रिश्वतखोरी के आरोप पर उप संचालक चकबन्दी, गोण्डा ने जांच की थी और दिनांक १८ अगस्त, १९७७ व ३ सितम्बर, १९७७ के क्रमों में जिला अधिकारी, गोण्डा को उक्त चकबन्दी कर्ता को उस क्षेत्र से हटाने के लिए लिखा था और बाद में दिनांक २० सितम्बर, १९७७ को उसके विरुद्ध जांच करके निलम्बित करने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सीतापुर में भूमिहीन सीमान्त, मध्यम तथा बड़े परिवारों की संख्या

३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में ब्लाक अनुसार भूमिहीन, सीमान्त, मध्यम तथा बड़े काश्तकारों की संख्या क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

राजस्व विभाग द्वारा ब्लाक अनुसार भूमिहीनों, सीमान्त, मध्यम तथा बड़े काश्तकारों की संख्या का कोई संकलन नहीं किया जाता है ।

मथुरा में लेखपालों एवं तहसीलदारों के विरुद्ध अनियमितता सम्बन्धी शिकायतें

४—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि मथुरा जनपद में अक्तूबर, १९७७ से ३१ जनवरी, १९७८ तक कितने लेखपालों एवं तहसीलदारों के विरुद्ध तकावी अनुदान, सरकारी सहायता वितरण में गड़बड़ी करने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुईं और किन-किन के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्नगत अवधि में तहसीलदार सादाबाद एवं ४ लेखपालों के विरुद्ध तकावी अनुदान वितरण करने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुईं । तहसीलदार के विरुद्ध जांचोपरान्त शिकायत निराधार पायी गयी । श्री मिजाजी लाल लेखपाल को निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है । सर्वश्री मथुरा प्रसाद व देवी प्रसाद लेखपालों का स्थानान्तरण दूसरे हलकों को कर दिया गया है । लेखपाल श्री माधो प्रसाद को निलम्बित किया गया किन्तु उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु कोई मामला नहीं पाया गया ।

वर्ष १९७७ में सुपरवाइजर कानूनगो की नियुक्तियों में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी

५—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७ में कितने कानूनगो की नियुक्ति की गयी है ? जिनकी नियुक्ति की गयी है उसमें कितने हरिजन तथा कितने पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

कानूनगो की नियुक्ति के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष १९७७ में कुल २०६ सुपरवाइजर, कानूनगो की नियुक्ति की गयी है, जिसमें ३० हरिजन एवं २९ पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं ।

आगरा की तहसील एतमादपुर में सीलिंग से प्रभावित काश्तकार तथा अतिरिक्त भूमि का आवंटन

६—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील एतमादपुर में ग्रामीण सीलिंग कानून के अन्तर्गत कितने काश्तकार प्रभावित हुए हैं ? कितनी एकड़ भूमि प्रभावित हुई ? क्या सीलिंग द्वारा बचत भूमि का आवंटन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त भूमि का आवंटन कब तक करा सकेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम से जनपद आगरा की तहसील एतमादपुर के ९६ काश्तकार प्रभावित हुए हैं। ४२६·९८ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई जिसमें से १५३·४७ एकड़ भूमि आबंटित की जा चुकी है। १५·२४ एकड़ भूमि कृषि के योग्य नहीं है तथा शेष २५८·२७ एकड़ भूमि न्यायालय के स्थगन आदेशों के फलस्वरूप आबंटित नहीं की जा सकी है। न्यायालय द्वारा स्थगन आदेशों के निष्प्रभावी हो जाने के पश्चात् ही इस भूमि का आबंटन सम्भव हो सकेगा।

७--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

बिक्रीकर कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मानदेय एवं उसका आधार

८--श्री राम लखन (जिला इटावा) तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या संस्थागत वित्त एवं बिक्री-कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७७-७८ में बिक्री-कर विभाग के मंडल कार्यालयों एवं आयुक्त, लखनऊ के कार्यालय में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के अलग-अलग कितने कर्मचारियों को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए मानदेय प्रदान किया गया है? आयुक्त कार्यालय में कर्मचारियों को इतनी अधिक संख्या में मानदेय देने का आधार क्या है?

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी--

वर्ष १९७७-७८ में आयुक्त कार्यालय में ६० तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं ३७ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तथा मंडल कार्यालय में २७ तृतीय श्रेणी कर्मचारी एवं ११ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मानदेय दिया गया है।

मंडल कार्यालय में दो प्रकार के कार्य हैं जब कि मुख्यालय पर विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। मानदेय स्वीकार करते समय इन विभिन्न यूनिटों में कार्यरत कर्मचारियों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए मानदेय स्वीकार किया गया है। जिसके कारण इन कर्मचारियों की संख्या अधिक है।

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि की राजकीय कर्मचारियों की वापसी

९--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना की कितनी किस्तें वापस कर दी जा चुकी हैं और अभी कितना धन वापस दिया जाना है?

श्री मधुकर दिघे--

राजकीय कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना (मूल) की दो किस्तें वापस की जा चुकी हैं और जुलाई, १९७८ से तृतीय किस्त का भुगतान किया जा रहा है। उक्त योजना (विस्तारित) से सम्बन्धित प्रथम किस्त का भुगतान भी जुलाई, १९७८ में देय हो गया है और राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में जमा करके भुगतान किया जा रहा है।

उक्त योजना (मूल तथा विस्तारित दोनों) के अन्तर्गत दिनांक ३०-६-७८ को लगभग २१·३३ करोड़ रु० का भुगतान नकद या सामान्य भविष्य निधि में जमा होना शेष था ।

आगरा में सुपरवाइजर कानूनगो तथा लेखपालों की संख्या एवं आरक्षण कोटा

१०—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में सुपरवाइजर, कानूनगो तथा लेखपालों की कितनी संख्या है और उनमें परिगणित जाति के कितने व्यक्ति हैं ? कानूनगो तथा लेखपालों की संख्या यदि आरक्षित कोटे से कम है तो कब तक यह कोटा पूरा कर दिया जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

आगरा जनपद में सुपरवाइजर, कानूनगो की संख्या २४ तथा लेखपालों की संख्या ३२१ है । इनमें से क्रमशः एक तथा १७ व्यक्ति परिगणित जाति के हैं ।

सुपरवाइजर कानूनगों का सम्वर्ग राज्य स्तर का है । प्रतिवर्ष लेखपालों के पद से सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर पदोन्नति हेतु चयन में तथा लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती करने में परिगणित जाति के सदस्यों का चयन नियमानुसार किया जाता है । प्रत्येक जिले में तैनाती के समय जाति का ध्यान नहीं रखा जाता ।

प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के अभाव में लेखपाल सम्वर्ग में परिगणित जाति की कमी थी जिसकी इस वर्ष चयन द्वारा पूर्ति कर दी गयी है ?

गोन्डा के विकास खंड पचपेड़वा व गैसड़ी में थारू जन जाति के विकास की योजना

११—श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के विकास खंड पचपेड़वा व गैसड़ी में अनुसूचित जन जाति (थारू) के विकास के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां ।

गोंडा जनपद के विकास खंड पचपेड़वा व गैसड़ी के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए एक एकीकृत जनजाति विकास योजना बनाई गयी है । इसमें कृषि लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, विद्युत , उद्योग, सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, महिला एवं शिशु कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को चलाकर पूरे क्षेत्र का विकास किया जायगा जिससे जनजाति का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान संभव हो सकेगा ।

आयुक्त, कुमायूं मंडल, नैनीताल के कार्यालय में मुख्य सहायक के पद पर नियुक्ति में ज्येष्ठता का अतिक्रमण

१२—श्री राम दत्त जोशी—

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, कुमायूं मंडल, नैनीताल के कार्यालय में मुख्य सहायक के सन् १९७६ में रिक्त हुए पद स्थान की पूर्ति, डिवीजनल सूची के अनुसार ५ कर्मचारियों की ज्येष्ठता का अतिक्रमण करते हुए की गयी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पदोन्नति के विरुद्ध वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा की गयी कोई अपील विगत ३१ दिसम्बर, १९७७ से राजस्व परिषद् के विचाराधीन है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां । तीन वरिष्ठ कर्मचारियों की अपीलें आयुक्त, कुमायूं मंडल के पत्र दिनांक २६-१२-७७ द्वारा राजस्व परिषद् को अग्रसारित की गई थी । तीनों अपील राजस्व परिषद् द्वारा दिनांक ८-३-७८ को अस्वीकार की गई ।

१३-१४—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

[५वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

१५—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[४थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत स्थानातरित ।]

इलाहाबाद की मंझनपुर तहसील में चकबन्दी

१६—श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मंझनपुर, जिला इलाहाबाद में सन् १९६२ से चकबन्दी आरम्भ हुई है ? यदि हां, तो उक्त तहसील में कौन-कौन से ग्रामों की धारा ५२ अब तक प्रकाशित नहीं हुई और क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इस तहसील में चकबन्दी सन् १९६२ में नहीं, बल्कि १९६३ में आरम्भ हुई । १५६ ग्रामों में से केवल एक ग्राम पूरब शरीरा की धारा ५२ का प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि यह ग्राम काफी बड़ा था, जिसके अभिलेख तैयार कराने में काफी समय लगा है ।

बस्ती की डुमरियागंज तहसील के परगनाधिकारी के न्यायालय में ३ माह और ६ माह से अधिक के लम्बित मामले

१७—श्री राम आसरे (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील के परगना अधिकारी के न्यायालय में कितने मुकदमें ऐसे हैं जिसमें ३ माह से अधिक हो रहा है और फैसला नहीं सुनाया गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

१८—श्री राम आसरे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगनाधिकारी, डुमरियागंज, जिला बस्ती के न्यायालय में कितने मुकदमें ऐसे हैं जिसमें ६ माह से अधिक हो रहा है और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहकारी लेखा परीक्षक, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पदों की प्रवृति तथा क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण

१९—श्री ऊदल—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी लेखा परीक्षकों के लिए क्या योग्यतायें निर्धारित की गयी हैं और इनका तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों का पद टेक्निकल है और इनके ऊपर के अधिकारियों का पद टेक्निकल है या नान-टेक्निकल और सीधे भर्ती हुए क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारियों के भी प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो उन्हें विभागीय प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है ?

श्री मधुकर दिघे—

सहकारी लेखा-परीक्षक के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है ।

लेखा-परीक्षक तथा ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद टेक्निकल नहीं हैं, और न ही इनके ऊपर के अधिकारियों के पद टेक्निकल हैं ।

सीधी भर्ती हुए क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की तिथि से आठ माह व एक सप्ताह के विभागीय प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था है । इसमें चार माह का प्रशिक्षण सहकारी एवं पंचायत लेखा-परीक्षक प्रशिक्षण केन्द्र अयोध्या में व शेष प्रशिक्षण विभिन्न कार्यालयों में दिया जाता है । प्रशिक्षण केन्द्र में क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी के संवर्ग में से नियुक्त प्रधानाचार्य की देख रेख में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

वाराणसी के विभिन्न ग्रामों में मुसहर जाति को बसाने एवं उनके उत्थान की योजना

२०—श्री ऊदल—

क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव देवराई घरसौना, रतनपुर, बतसपुर, शाहपुर, ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी के मुसहर जाति की बस्ती बनाने एवं उत्थान हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? क्या यह सत्य है कि इन मुसहरों के लिए मड़ई के अलावा कुछ नहीं है ? यदि हां, तो उपरोक्त गांव के जो सैकड़ों परिवार है उनके उत्थान हेतु सरकार क्या करने जा रही है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

प्रश्न में उल्लिखित गांवों में बसे मुसहर परिवारों के लिए बस्ती बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । समस्त पूर्वी जिलों के मुसहर जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु दुधारू जानवर क्रय करने हेतु १,५०० रु० प्रति परिवार

अनुदान दिए जाने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं । कथित गावों में मुसहरों के कुल २४ परिवार हैं जिनके पास आवास हेतु उपयुक्त भवन नहीं हैं । उनके लिए उत्थान हेतु विचार किया जा रहा है ।

बाराबंकी की फतेहपुर तहसील में वर्ष १९७७–७८ में नियम ११५–सी के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें

२१—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में वर्ष १९७७ व ७८ में धारा ११५–सी के अन्तर्गत कितने मुकदमें दर्ज किए गए ? जो मुकदमें दर्ज किए गए थे उनमें कितने विचाराधीन है, कितने समाप्त किए गए तथा कितने लोगों को इस सम्बन्ध में दंडित किया गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

तहसील फतेहपुर के तहसीलदार के न्यायालय मे वर्ष १९७७ व ७८ में (दिनांक १–१०–७६ से २४–८–७८ तक) ४९८ मुकदमे नियम ११५–सी के अन्तर्गत दर्ज किए गए । इनके अतिरिक्त दिनांक १–१०–७६ से पूर्व के १७ वाद निस्तारण हेतु अवशेष थे । इस प्रकार निस्तारण हेतु कुल मुकदमों की संख्या ५१५ थी जिनमें से इस समय १२१ वाद निस्तारण हेतु अवशेष हैं तथा ३९४ वादों का निस्तारण किया जा चुका है । निस्तारित ३९४ वादों में २१० लोगों को बेदखल किया गया तथा १८४ मामलों में नोटिसे वापस ली गई । बेदखली वाले उक्त २१० मामलों में से ७४ मामलों में अर्थ दण्ड लगाया गया ।

श्री महमूदुल हसन खां, पर्यवेक्षक कानुनगो, रामपुर की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक

२२—श्री मकबूल अहमद (जिला रामपुर) तथा श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की श्री महमूदुल्ल हसन खां, पर्यवेक्षक कानूनगो रामपुर की दिनांक १५ अक्तूबर, १९५४ से १ अप्रैल, १९६५ तक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गयी थी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण था ।

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्नगत अवधि में जिलाधिकारी, रामपूर के आदेश दिनांक २५–९–१९५४ के अन्तर्गत प्रथम वार श्री महमूदुल हसन खां, पर्यवेक्षक कानूनगो का वेतन रु० ८३ से कम करके रु० ७५ प्रतिमाह किया गया तथा दुबारा जिलाधिकारी के आदेश दिनांक १९–११–१९५९ के अन्तर्गत उनकी तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई । श्री खां का वेतन कम करने का मुख्य कारण यह था कि उक्त पर्यवेक्षक कानूनगो ने आवंटित भूमि के अमलदरामद के खास विभाग के स्थगन आदेशों, जिन्हें उन्होंने नोट किया था, के बावजूद अमलदरामद किया तथा भू–अभिलेखों में फर्जी इन्द्राज एवं अनियमितताएं की । दोबारा वेतन वृद्धि रोके जाने का कारण यह था कि एक खातेदार को कृषि आय–कर से बचाने के उद्देश्य से उसकी जोत का क्षेत्रफल कम करने के लिए उक्त पर्यवेक्षक कानूनगो ने जानबूझकर अवैधानिक शिकमी पट्टे किए थे ।

इलाहाबाद की हंडिया तहसील के ग्राम धोबहा में आराजी नम्बर १५८/२ का सरकारी कागजात में गलत इन्द्राज

२३--श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की जनपद इलाहाबाद, तहसील हड़िया, ग्राम धोबहा में अराजी नम्बर १५८/२ मौके पर कब्रिस्तान है परन्तु सरकारी कागजात में भीटा (बन्जर) दर्ज है ? यदि हां, तो सरकार मौके की स्थिति के अनुसार कब्रिस्तान दर्ज कराने की कृपा करेंगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जनपद इलाहाबाद, तहसील हड़िया ग्राम धोबहा में चकबन्दी क्रियायें प्रारम्भ होने के पूर्व आधार वर्ष की खतौनी १३७५ लगायत १३७७ फसली में गाटा संख्या १५८ (क्षेत्रफल ६ बीघा १९ विस्वा) तालाब दर्ज था । चकबन्दी आकार पत्र २-क के अनुसार मौके की परताल के समय इसके तीन बटे पाये गए । गाटा संख्या १५८/१ (रकबा २ बिस्वा) रास्ता, १५८/२ (रकबा ३-२-५ बीघा) भीटा, तथा १५८/३ रकबा (२-७-५ बीघा) तालाब है । अतः रास्ते के अलावा शेष ६ बीघा १७ बिस्वा भूमि पर तालाब का इन्द्राज बदस्तूर रखा गया ।

मौके की स्थिति के अनुसार भी गाटा संख्या १५८/२ कब्रिस्तान नहीं है बल्कि भीटा है । मौके के अनुसार कागजात के इन्द्राज अपने स्थान पर सही है । इस नम्बर के बारे में श्री रज्जाक अली ने चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति की थी जो आदेश दिनांक २५-४-७४ द्वारा निरस्त कर दी गई । इसके विरुद्ध उन्होंने कोई अपील या निगरानी नहीं की और आदेश अन्तिम हो चुका है ऐसी स्थिति में अब गाटा संख्या १५८/२ को कागजात में कब्रिस्तान दर्ज कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

राजा हरपाल सिंह इन्टर कालेज, जौनपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पक्षपात के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, आपके माध्यम से राजा हरपाल सिंह इन्टर कालेज, जौनपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, भाई भतीजावाद की ओर में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, सत्र के चालू होने पर नियमतः तीन दिन तक छात्रों का प्रवेश होना चाहिए। परन्तु कालेज के प्रबन्धक की आज्ञा से कालेज खुलने के बाद से ही सभी छात्रों से २ रु० फार्म वसूला जाने लगा । इस प्रकार से वसूला गया रुपया कालेज में न लगा कर प्रबन्धक के जेब में चला जाता है । इसी का विरोध छात्रों ने प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार के भ्रष्टाचार से कालेज के अगल बगल तथा छात्रों के अभिभावकों में घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है । छात्रों की न्यायोचित मांगों को दबाने के लिए सरकार ने प्रबन्धक के अनुरोध पर कालेज में पी० ए० सी० लगा दी है । जिससे ग्राम जनता में बड़ा असंतोष व्याप्त हो गया है । छात्रों की यदि यही स्थिति कायम रही तो वहां कभी भी विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है । इस सम्बन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विद्या शंकर--]

में छात्रों ने शिक्षा मंत्री के नाम एक प्रार्थना पत्र दिनांक १५-८-७८ को दिया है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियनिमितताओं की जांच के सम्बन्ध में कई प्रार्थना-पत्र शासन को तथा सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं तथा सरकार से मांग करता हूं कि कालेज से पुलिस तत्काल हटायी जाए तथा कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की जांच करायी जाय तथा कालेज को सरकार तत्काल अपने हाथ में ले लेवे।

मीसा एवं डिसिर में निरूद्ध सेनानियों द्वारा विधान भवन के सामने सत्याग्रह करने तथा उनकी गिरफ्तारी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, आपातकाल में तानाशाही व्यवस्था को चुनौती देकर जेल जाने वाले मीसा तथा डिसिर में निरुद्ध सेनानियों ने पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध कल विधान भवन के सम्मुख सत्याग्रह किया। डा० नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव सहित १२ सत्याग्रही जेल में बन्द हो गए। सभी जिला जेल में बन्द है

मान्यवर, घटना यह है कि पिपरौली जिला गोरखपुर के तत्कालीन चिकित्साधिकारी, डा० नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध एक फर्जी तथा मनगढन्त आरोप लगाया गया कि वह साम्प्रदायिकता उभाड़ते हैं तथा उनका स्थानान्तरण कर दिया गया। राष्ट्रवादी डा० नरेन्द्र ने इस आरोप को चुनौती दी। मामले की जांच उप मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर ने की। उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार सभी आरोप निराधार पाये गये। रिपोर्ट में लिखा है कि "रिपोर्ट में कोई सत्यता प्रतीत नहीं होती। डाक्टर काफी जनप्रिय हैं और जनता उनके कार्यों से बहुत सन्तुष्ट है।"

मान्यवर, प्रश्न यह है कि शिकायत की जांच किए बिना स्थानांतरण क्यों? इस अत्याचार के लिए दोषी कौन है? मान्यवर, मामला अभी रुका नहीं और अन्त यह हुआ कि डा० नरेन्द्र नौकरी से निकाल दिए गए। दोष माना इतना था कि उन्होंने मर जाना पसन्द किया था परन्तु साम्प्रदायिकता भड़काने वाला आरोप लगवा कर स्थानान्तरण नहीं पसन्द किया।

डाक्टर से विभाग नाराज था। जेल काल में डाक्टर ने लिखा था कि यदि शहीद राम सागर मिश्र को जेल से न रिहा किया गया तो ७ दिन में वह मर जायेंगे। १० दिन में मर गए। मामला शाह कमीशन में गया।

मान्यवर, पुलिस एवं नौकरशाही के अत्याचार से बचाने हेतु यह मामला शासन के संज्ञान में ला रहा हुं। कृपया सभी को अविलम्ब जेल से रिहा करा कर उन्हें राहत दिलाने की कार्यवाही कराने की कृपा की जाय। मान्यवर, इस प्रकार की सूचना श्री रबीन्द्र सिंह, माननीय मोहन सिंह ने भी दी थी कि उन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सत्याग्रहियों को तुरन्त रिहा किया जाय और उस मामले की शीघ्र जांच की जाय ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

[* * *] (शेम-शेम की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मान सिंह ने जो कहा है यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

(श्री रवीन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

रवीन्द्र सिंह जी, आपका नाम और रियासत हुसैन जी का नाम इसी में जोड़ दिया गया है ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया सदन में शान्ति रखें ।

कानपुर छावनी में चांदमारी से एक बालक की मृत्यु तथा चांदमारी को अन्यत्र बनाये जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन संज्ञान में लाना

*श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान कानपुर में १५ जुलाई, ७८ को हुई उस बालक की दर्दनाक मृत्यु की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो प्रातःकाल अपने घर के दरवाजे पर खेल रहा था कि चांदमारी क्षेत्र की ओर से एक राइफल की गोली सनसनाती हुई आई और बालक के सीने को पार करती हुई निकल गयी । उसी समय एक अन्य व्यक्ति के भी गोली लगी जिसके शरीर से अस्पताल में आपरेशन करके गोली निकाली गयी । इस प्रकार की वह पहली घटना नहीं थी क्योंकि इसके पूर्व भी ६ व्यक्ति इसी प्रकार चांदमारी की गोली के शिकार हो चुके हैं तथा अनेकों घायल हुए हैं । चांदमारी की गोली से मरने वालों में आम नागरिकों के अलावा एक सेना का जवान भी है जो चांदमारी क्षेत्र की सीमा पर वायरलेस सेट लिये इस बात की निगरानी कर रहा था कि चांदमारी की गोलियां कहां तक जाती हैं ।

प्रारम्भ में कानपुर छावनी में सैनिकों को शूटिंग की ट्रेनिंग देने हेतु चांदमारी का मैदान बिल्कुल शहर के बाहर था किन्तु सन् १९५० के बाद इस मैदान से सटे हुए लालबंगला, शिवकटरा, सफीपुर, काजीखेड़ा, बंगालीमोहाल, एन-२ रोड, देवीगंज, घाऊखेड़ा तथा बीबीपुर आदि मुहल्ले बस गये जिनकी कुल आबादी इस समय लगभग ५० हजार है । इस आबादी को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना सम्भव नहीं है । किन्तु खेद एवं आश्चर्य इस बात का है कि सेना के पास आज भी वही पुराने नक्शे हैं जिनमें इस आबादी को नहीं दिखाया गया है । वर्ष में दो या तीन बार सैनिकों को इस चांदमारी क्षेत्र में शूटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है । जिस समय ट्रेनीज अपनी राइफलों से गोलियां चलाते हैं उस समय उपर्युक्त मुहल्लों में भय एवं आतंक व्याप्त हो जाता है क्योंकि राइफलों से निकली

नोट :--[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाबू राम शुक्ल--]

गोलियां मकानों की छतों पर, आंगन में तथा गलियों में जाकर गिरती हैं । इन मुहल्लों में गिरने वाली गोलियों में से कुछ गोलियां सदन में इस आशा से प्रस्तुत कर रहा हूं कि शासन स्थिति की गम्भीरता को समझे ।

अतः माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं मांग करता हूं कि वह केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित कर चारों ओर आबादी से घिरे हुए कानपुर छावनी स्थित चांदमारी क्षेत्र को शहर के बाहर स्थानान्तरित करने हेतु अनुरोध करे तथा उक्त क्षेत्र में भविष्य में सैनिकों को शूटिंग की ट्रेनिंग न दी जाय इस बात की केन्द्रीय सरकार के सुरक्षा विभाग को सलाह दें ।

बस्ती जिले के ग्राम टूटी भीटी में श्री देसराज पान्डेय की हत्या तथा पुलिस की अकर्मण्यता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

बस्ती जिले में आजकल अपराधों की इतनी वृद्धि हो गयी है कि घर से दिन डूबने के बाद निकलना असम्भव हो गया है । केवल १-९-७८ से ७-९-७८ तक जिले में करीब ७-८ कत्ल हो गये । लगभग प्रतिदिन के हिसाब से एक कत्ल हो रहा है ।

अभी गत ३१-८-७८ को पैकोलिया थाना के अन्तर्गत टूटी भीटी बाजार में जो पैकोलिया थाना से केवल ३ कि० मी० की दूरी पर पक्की सड़क पर है, एक देसराज पान्डेय हरैया से बस से उतर कर एक चाय की दूकान पर चाय पीने लगा । स्थानीय गुन्डों ने दुकान में उसे एवं उसके भाई परमात्मा को इतना पीटा कि देसराज की १-९-७८ को अस्पताल पहुंचते ही करीब १ बजे मृत्यु हो गयी । देसराज की तरफ थाने पर जब एक आदमी रपट लिखाने गया तो दीवान एवं थानाध्यक्ष दोनों ने उसे भगा दिया । दूसरे दिन ८-९ बजे सुबह दीवान आते हैं एवं हरैया अस्पताल भेजते हैं । हरैया के डाक्टर के जबाब देने पर उसे बस्ती अस्पताल भेजा जहां पहुंचकर उसकी दिन में करीब १ बजे बस्ती पुलिस अधीक्षक की मीटिंग में जाते हुए गुजरे देसराज को देखा एवं कुछ मुलजिमों से बात भी किया । किन्तु बस्ती में जाकर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी तक को स्थिति से अवगत नहीं कराया । मुझे ८ बज रात को घटना की तथा देसराज के मरने की खबर लगी । मैंने पुलिस अधीक्षक को ८ बजे रात को टेलीफोन किया और घटना का विवरण बताया तो पुलिस अधीक्षक ने अनभिज्ञता प्रकट की । वहां क्षेत्राधिकारी, हरैया भी थे । मैंने यह भी कहा कि देसराज की हत्या में थानाध्यक्ष तथा दीवान की साजिश तथा हाथ है । फिर भी टेलीफोन के १६ घंटे बाद क्षेत्राधिकारी एवं २० घंटे बाद थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पुलिस अधीक्षक अपने यहां हरिकीर्तन में व्यस्त रहे ।

अतः बाध्य होकर आपके माध्यम से उचित कदम उठाने के लिए अति लोक महत्व की सूचना दे रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया कस्बे में स्थित राज्य परिवहन निगम के बुकिंग आफिस के स्थानान्तरित किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया कस्बे में स्थित राज्य परिवहन निगम के बुकिंग आफिस के स्थानान्तरित किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री दुर्ग विजय सिंह (जिला आजमगढ़)--

मैं नियम ३०१ के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना देता हूं। आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया कस्बे में जिस स्थान पर पिछले पांच वर्ष से राज्य परिवहन निगम का बुकिंग आफिस था गत सप्ताह अचानक हटाकर निर्जन स्थान में जहां कोई छाया नहीं है और जो बस्ती से भी बहुत दूर है, ले जाया गया है। वहां कोई भवन अथवा छाया न होने के कारण बुकिंग क्लर्क एक बस में ही खड़ा रहता है। यह बस वहां इसलिए बेकार खड़ी रहती है।

इस कारण जहां जनता को वर्षा एवं धूप में कठिनाई उठानी पड़ती है और एक असुरक्षित एवं बस्ती से दूर जाना पड़ता है वही एक बस के बेकार रहने से सार्वजनिक हानि हो रही है। ज्ञात हुआ है कि यह बस अड्डा शासन के आदेश से हटाया गया है। इस सम्बन्ध में परिवहन मंत्री जी को जो पत्र दिये गये प्रभावहीन रहे हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से मांग है कि जहां पहले बुकिंग आफिस था वहीं पर रहने दिया जाय, इससे निगम को आर्थिक लाभ भी होगा तथा जनता कठिनाई से बच जायगी।

पडरौना स्टेट के भूतपूर्व महाराजा स्व० ब्रज नारायण राव के बहुमूल्य जवाहरात कुछ लोगों द्वारा हड़पने की साजिश के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष जी, भूतपूर्व पडरौना स्टेट (देवरिया) के बहुमूल्य हीरे पन्ने, पुखराज, मोती, सोने आदि के हार व औद्योगिक प्रतिष्ठानों के शेयर्स महत्वपूर्ण दस्तावेज, सन् १९४६ में रियासत के पारस्परिक विवाद के कारण कोर्ट आफ वार्ड की नियुक्ति के समय स्वर्गीय महाराजा ब्रजनारायण राव ने तहसील पडरौना ट्रेजरी में सुरक्षित रखवा दिये। सन् १९४९ में महाराजा की मृत्यु हो गयी तथा वे बहुमूल्य जवाहरात वहीं धरे रह गये।

*एक अगस्त, ७८ को एक पुराने बक्से से उक्त जवाहरात निकाले गये साक्षी के रूप में नगर के लब्ध प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। अनुमानित कीमत करोड़ों में है। किन्तु चन्द वरिष्ठ अधिकारियों व नेताओं की नीयत खाम हो गयी है तथा बड़ी मात्रा में गोलमाल की आशंका आम जनता में की जा रही है। ६ करोड़ से भी अधिक के हीरे जवाहरात, पुखराज हैं। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह कहां से पढ़ रहे हैं ?

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष--

यह निकाल दिया गया है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, मैं भी निकल रहा हूं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं की जो महत्यपूर्ण विषय मैं सदन के संज्ञान में ला रहा हूं, इस पर तत्काल कार्यवाही की जाय ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि माननीय कौशिक जी ने जो ध्यानाकर्षितण किया है उस संदर्भ में आप मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य देने का निर्देश करें । क्योंकि करोड़ों की संपत्ति कुछ लोग मिलकर हड़पना चाहते हैं । तो इस सम्बन्ध में वक्तव्य के द्वारा तथ्यों की जानकारी भी मिलनी चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, हीरे से मूल्यवान पन्ना होता है । १५० ग्राम पन्ना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये ।

जिला कृषि अधिकारी झांसी, श्री गुलजारी लाल द्वारा उरद टाइप ९ के बीज वितरण में घोटाला करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*डा० भगवत दयाल (जिला झांसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की नियमावली के नियम ३०१ के अन्तर्गत में निम्न विषय को सदन में उठाना चाहता हूं ।

जिला झांसी में खरीफ फसल के बोने हेतु जो उरद टाइप ९ का बीज जिला कृषि अधिकारी, झांसी द्वारा माह जून, जुलाई में वितरण किया गया था वह सचमुच में टाइप ९ नहीं था । यह जानकारी किसानों को तब हुई जब डा० गैलहोट एवं जिला के पी० डी० ओ० २६-८-७८ को किसानों से आकर मिले, उक्त बीज वितरण से किसानों के साथ धोखा हुआ है । जिला कृषि अधिकारी झांसी, श्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :--[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जिला कृषि अधिकारी, झांसी, श्री गुलजारी लाल द्वारा उरद टाइप ९ के १४५३ बीज वितरण में घोटला करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

गुलजारी लाल ने टाइप ९ का शुद्ध बीज ब्लैक मारकेट में बेच दिया जिससे लाखों रुपयों की क्षति हुई है और उरद के कृषि उत्पादन को गहरा आघात पहुंचा है ।

हमारी मांग है कि जिला कृषि अधिकारी, श्री गुलजारी लाल को तुरन्त झांसी से स्थानान्तरण करके इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाने के आदेश दिये जायं ।

देवरिया के आई० टी० आई० में छात्रों के प्रवेश में धांधली के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मान्यवर, देवरिया जनपद के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०) में शासनादेश का उल्लंघन करके छात्रों का प्रवेश धांधली एवं रिश्वत के आधार पर किया गया है जिससे छात्रों तथा अभिभावकों में भीषण असंतोष एवं रोष व्याप्त है ।

शासनादेश में यह स्पष्ट है कि छात्रों का प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा, लेकिन वहां के प्राचार्य तथा अयोग्य समिति की सांठ-गांठ से रिश्वत, जातिगत, राजनीतिक घटकवाद के आधार पर तृतीय एवं निम्न श्रेणी के छात्रों का चयन किया गया है । जबकि प्रथम तथा उच्च श्रेणी के छात्रों के भविष्य पर कुठारघात करके, उनकी प्रतिभा को कुंठित करने का प्रयास किया गया है । योग्य छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है । उनका प्रवेश अन्यत्र भी नहीं हो सकेगा क्योंकि प्रवेश कार्य बन्द हो चुका है । इस मनमानी एवं धांधली के कारण त्रस्त होकर छात्रों ने प्रदर्शन किया और हिंसात्मक घटना भी घटी । अभी भी छात्रों एवं जनमानस में मेरिट की अवहेलना करने के कारण तनाव बना हुआ है । किसी भी क्षण गम्भीर घटना घटित हो सकती है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हूं कि घोषित सूची को निरस्त करके मेरिट के आधार पर छात्रों का चयन किया जाय । तथा वहां के भ्रष्ट प्रधानाचार्य को निलम्बित करके समिति को भंग किया जाय और नई समिति को मनोनीत किया जाय ।

बस्ती बहुधंधी संस्थान में छात्रावास न होने से छात्र असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तगत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

मान्यवर, अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान बस्ती बहुधंधी संस्थान में छात्रावास न होने के कारण बढ़ते हुए छात्र असन्तोष एवं उनके द्वारा विधायकों के घेराव के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं ।

महोदय, बस्ती जिले की जनसंख्या को देखते हुये जिले के पालीटेक्नीक विद्यालय में सीटें बहुत कम हैं । प्राविधिक मंत्री ने बड़ी दया करके १०-१२ सीटें इस वर्ष बढ़ायी हैं जो आवश्यकता को देखते हुये बहुत कम हैं । इस प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण में लाखों रुपये खर्च हुये हैं परन्तु फर्श अभी तक नहीं बन पाई है । लाखों रुपये की मशीनें गर्द गुबार से खराब हो रही हैं । प्रवक्ताओं की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बाबू राम वर्मा--

निवास बिल्डिंग आज ३ वर्ष से बनकर तैयार है परन्तु बाथरूम एवं शौचालय न बनने के कारण पी० डब्लू० डी० संस्थान को उक्त आवास नहीं दे रही है जिसके कारण हजारों रुपये का नुकसान हो चुका है । यह संस्थान हथियागढ़ रेहार में बस्ती शहर से अधिक दूरी पर है इसके बावजूद भी छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है । इसलिये छात्रों में व्यापक असन्तोष व्याप्त है । छात्र एवं युवा जनता के लोग इसी प्रश्न को लेकर आन्दोलन एवं घेराव की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उन लोगों का पहला कार्यक्रम विधायकों के घेराव का है । हम विधायकों को तार भी मिले हैं जिसकी मूल प्रति †संलग्न है ।

मान्यवर, हम विधायकगण, बस्ती आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि बस्ती जिले के पालीटेक्नीक के छात्रों के लिये छात्रावास बनवाने की व्यवस्था सरकार तुरन्त करे तथा इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री जी सदन में आज ही करें जिससे हम विधायकों का घेराव एवं आन्दोलन रोका जा सके क्योंकि आज सदन समाप्त हो रहा है और हम लोग जैसे ही वहां जायेंगे वह लोग हमारा घेराव करेंगे अन्यथा यदि शिक्षा मंत्री जी आज ही वहां छात्रावास बनवाने का आश्वासन सदन में नहीं देंगे तो हम लोग उनका घेराव करेंगे ।

हलवासिया कोर्ट की इमारत पर बिना नक्शा पासकराये चौथीमंजिल के निर्माण के विषय को नियम ३०१ केअन्तगत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री नरेश चन्द्र (जिला लखीमपुरखीरी)--

मान्यवर, मै आपके माध्यम से, सदन के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि हलवासिया कोट, हजरतगंज, लखनऊ तीन मंजिला इमारत है जो सन् १९३९ में बनी थी । उक्त इमारत के मालिक श्री बेनी प्रसाद हलवासिया, भूतपूर्व मेयर, लखनऊ हैं । इस पचास वर्ष पुरानी इमारत की चौथी मंजिल पर नगर महापालिका से बिना नक्शा पास कराये १५ फ्लैट बनाये जा रहे हैं । कुछ फ्लैट बनकर तैयार हो गये हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं । उक्त इमारत के बनाने से तमाम जनता के जीवन को खतरा पैदा हो गया है । कार्यालयों व बैंकों में जाने वाली जनता के अतिरिक्त इमारत के ढहने के तमाम अन्य जनता के जीवन को तथा मुख्य मार्ग पर चलने वाले पैदल यात्रियों की जानो को भी खतरा पैदा हो गया है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि...

श्री उपाध्यक्ष--

यह भी उल्लेखनीय से लेकर इजाजत न पा सके थे तक की इजाजत नहीं दी है ।

श्री नरेश चन्द्र वर्मा--

इसे छोड़ दूंगा ।

---

†छापी नहीं गयी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

श्री नरेश चन्द्र वर्मा--

मुख्य मंत्री महोदय व स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को रजिस्ट्री डाक द्वारा सूचित किया जा चुका है । माननीय स्वायत्त शासन मंत्री स्वयं विगत सप्ताह में उक्त इमारत को देख आये हैं इसके बावजूद भी अवैध इमारत को गिराने की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

चूंकि निर्माण कार्य अब भी चल रहा है अतः जनता में असन्तोष एवं रोष व्याप्त है और सरकार के विरुद्ध तमाम तरह की अनर्गल धारणायें व्याप्त हो रही हैं । मैं चाहता हूं कि स्वायत्त शासन मंत्री महोदय शीघ्र ही एक वक्तव्य भी दें ।

बाराबंकी जनपद के बीबीपुर ग्राम में स्थित एक कुयें पर स्नान हेतु भीड़ इकट्ठी होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, आप की अनुमति से मैं इस माननीय सदन का ध्यान जनपद बाराबंकी के बीबीपुर ग्राम में स्थित एक महत्वपूर्ण कुएं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जहां पर हर मंगलवार को प्रदेश, देश और विदेश के लाखों यात्री इस कुएं के पानी को पीने तथा उससे स्नान करने के लिये आते हैं । इस कुएं में प्रातःकाल में पानी के ऊपर एक तेल जैसा पदार्थ अपने आप फैल जाता है और लोगों में ऐसा विश्वास फैल गया है कि कुएं के पानी से जाइन्डिस (कांवर) तथा सूखा रोग जैसे रोग ठीक हो जाते हैं । इस कुएं के बारे में ग्राम जनता में तरह-तरह की कहानियां प्रचलित हैं । हर मंगलवार को लाखों की भीड़ होने के कारण वहां पर मरीजों के आवागमन तथा ठहरने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण और समुचित सफाई व्यवस्था के अभाव में लोगों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है और इसके भयंकर तथा दूरगामी परिणाम हो सकते हैं ।

अतः आप के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान देकर और कुएं की जांच करा कर सही तथ्यों को प्रकाश में लायें और उक्त स्थान पर यात्रियों के रुकने तथा सफाई एवं आवागमन आदि की समुचित व्यवस्था करें ।

बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर बस दुर्घटना के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

महोदय, बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर मई के अन्तिम सप्ताह एवं अगस्त के अन्त में दो बस दुर्घटनाएं हुई जिसमें एक आदमी की मृत्यु प्रथम दुर्घटना में घटना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसूफ---]

स्थल पर हो गयी थी। दोनों बसों के सभी यात्री मय चालक परिचालक के बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोनों ओर के घायलों की संख्या लगभग ७० के हैं। अब भी लोग अस्पताल में पड़े हुये हैं। कई आदमियों की हड्डियां भी टूट गई हैं। उनके प्लास्टर भी लगा हुआ है। दूसरी दुर्घटना में बस का चालक बुरी तरह से घायल है। उसके दोनों पांव में कई जगह फ्रेक्चर हो गया है परन्तु परिवहन विभाग ने अभी तक घायलों एवं मृतक के परिवार को कोई भी सहायता नहीं दी है जिसके कारण जनता में व्यापक असन्तोष व्याप्त हो गया है। सरकारी बसों से यात्रा करने में लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

मान्यवर, आप के माध्यम से परिवहन मंत्री से मांग करते हैं कि घायलों को तुरन्त एक-एक हजार रुपया दवा के लिए एवं हरजाने के रूप में भी उचित धनराशि देने की घोषणा सदन में करें तथा मृतक के परिवार को पांच हजार रुपया तुरन्त देने की घोषणा की जाय।

ग्राम कौलसा, जिला आजमगढ़ के श्री शफकुद्दीन की पुलिस द्वारा पिटाई से मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)---

माननीय अध्यक्ष जी, जिला आजमगढ़ थाना अतरौलिया, ग्राम कौलसा के एक १६ वर्षीय नवयुवक जिसका नाम शफकुद्दीन पुत्र वली मोहम्मद, आयु १६ वर्ष है को डाक्टर राम रूप चौबे की दुकान से २८-८-७८ को पुलिस जबरदस्ती पकड़ ले गयी और उसे थाने में ले जाकर लाठियों से इतना मारा कि वह १२ बजे रात को मर गया जिसका पोस्टमार्टम भी हुआ है। शफकुद्दीन डाक्टर राम रूप चौबे के यहां कम्पाउडर के पद पर कार्य करता था इस घटना से इस पूरे इलाके में पुलिस के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो गई है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं शासन से मांग करता हूं कि इस घटना में जिन पुलिस कर्मचारियों का हाथ है उनको निलम्बित किया जाय तथा उच्च स्तरीय जांच कराई जाय।

विधान भवन के गार्ड को मन्त्री के चपरासी द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री सेक्योरिटी गार्ड को मारते हैं लेकिन अब मन्त्री के चपरासी भी सेक्योरिटी गार्ड को मारने लगे।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने लिखित सूचना दी थी लेकिन मैंने उसे अस्वीकार कर दिया था।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

दो बार ऐसी घटना हो चुकी है। से सेक्योरिटी गार्ड की आप रक्षा नहीं करेंगे तो फिर कौन उसकी रक्षा करेगा? एक बार मन्त्री ने मारा। इस बार चपरासी ने उसे मारा आप मुख्य मन्त्री को निर्देश दें...

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर मुख्य मन्त्री के पास भेज दें। मुख्य मन्त्री जी उस पर पूरी कार्यवाही करेंगे।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। जो विषय श्रीराम आसरे वर्मा तथा देव बहादुर सिंह जी ने उठाया है तो यह सही है कि कौंसिल हाउस गार्ड्स अपनी ड्यूटी अन्जाम देते हैं। उनके साथ जबरदस्ती करने पर ऐसी घटनाएं होती हैं। हम विधायक जब गेट के अन्दर एंट्री करते हैं और अपने साथ किसी शख्स को लाना चाहते हैं तो पास बनवा लेते हैं पास अगर नहीं बनवा पाते हैं तो हम किसी को साथ नहीं ला पाते हैं। एक तरफ तो विधायक इस तरह की सावधानी बरतें और दूसरी तरफ मन्त्री का चपरासी इस तरह का व्यावहार सेक्योरिटी गार्ड्स के साथ करे तो इसके लिये कुछ न कुछ व्यवस्था होना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास लिखित सूचना राम आसरे वर्मा जी की आई थी, जो गृह मन्त्री जी के पास मैंने भेज दी है। माननीय सदस्य जो बात उठा रहे हैं उसे अब वे मुख्य मन्त्री के पास लिख कर भेज देंगे और मुख्य मन्त्री जी सक्रियता से इसकी तरफ देखेंगे और अपना बयान देंगे।

(व्यवधान)

व्यवस्था के प्रश्न

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने ३०१ की एक सूचना दी थी। मथुरा जिले में एक अशोक पांडेय को गायब कर दिया गया उस सम्बन्ध में वह थी। अगर वह टाइम के बाद पहुंची तो मेरी गलती है लेकिन अगर आपके कार्यालय में वह टाइम के अन्दर पहुंच गयी है तो मेरा निवेदन है कि उस लड़के को जिसके लिये कहा जा रहा है कि पुलिस पकड़ कर ले गयी ....।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप लिख कर भेज दें। मैंने इसकी इजाजत नहीं दी, इसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपने इसको अस्वीकार कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि जिसमें एक आदमी को पुलिस द्वारा गायब करने की बात कही जाती है उसे तो आपने अस्वीकार कर दिया और बाकी दर्जनों सूचनयें स्वीकार की हैं। मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि उसमें किन तथ्यों की ओर किन शब्दों की कमी थी कि आपने उसे अस्वीकार किया? इस सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, कल ८ बजे शाम तक यहां पर बाढ़ के सम्बन्ध में पर्याप्त चर्चा हुई लेकिन कोरम के अभाव में वह चर्चा बन्द हो गयी और किसी मन्त्री ने अन्तिम रूप से बाढ़ पर वक्तव्य नहीं दिया । ऐसा पहली मर्तबा हुआ है । इसलिये क्या मुख्य मन्त्री आज उस पर वक्तव्य देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदस्यों के भाषण सुनने के बाद अपना भाषण दे दिया था....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

उन्होंने आरम्भ में वक्तव्य दे दिया था लेकिन माननीय सदस्यों को सुनने के बाद वक्तव्य देना चाहिये था । विभिन्न लोगों न अपने क्षेत्र की बाढ़ की विभीषिका के बारे में कहा था और कोरम पूरा न होने की वजह से चर्चा स्थगित हो गई थी ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य मन्त्रणा समिति ने जो समय निश्चित किया था उस समय तक भाषण हुये और बहस हुई ।

एक सदस्य--

राजस्व मन्त्री ने बाढ़ पर वक्तव्य नहीं दिया इसलिये आज एक घंटे उस पर चर्चा का समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो सदस्य रह गये थे वे लिखकर राजस्व मन्त्री के पास भेज दें । वे राहत दिलाने के सम्बन्ध में पूरी कोशिश करेंगे । कार्य मन्त्रणा समिति ने समय के बारे में फैसला ले लिया था ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय मुख्य मन्त्री जी को पता नहीं था कि कौन-कौन से क्षेत्र डूबे हुये हैं । उन्होंने भाषण नहीं दिया था । आज उस पर चर्चा हो जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर बहस के लिये कार्य मन्त्रणा समिति न निश्चय कर लिया था और ३ घंटे से अधिक बहस हो चुकी थी और पहले भी बहस हुई थी । जो माननीय सदस्य कहना चाहते हैं राहत और अनुदान के बारे में, तो वे अपने सुझाव राजस्व मन्त्री जी के पास लिखकर भेज दें । अब आगे की कार्यवाही चलने दें ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मैं एक मिनट का समय चाहता हूं। एक सूचना देना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आपका कोई यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक राष्ट्रीय महत्व की सूचना सरकार को देना चाहता हूं। हमीरपुर जनपद में चीनी भाषा में लिखे हुये हजारों की तादाद में परचे और बिस्कुट, टाफी तथा बनियान आदि गिराये गये हैं....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

ऐसा पता लगा है कि ताइवान से इस तरह का षड़यंत्र किया जा रहा है ताकि चीन के साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़े। क्या मुख्य मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

एक दिन बांदा और इलाहाबाद के बारे में इस तरह का वक्तव्य सदन में हो चुका है। इसलिये मैंने इसको अस्वीकार किया है। वह आ चुका है बांदा और इलाहाबाद के बारे में कार्यवाही में मौजूद है।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, यह मैं आपको दे रहा हूं इसकी जांच करा लें।

*श्री मान सिंह आजाद--

मेरी बात एक मिनट सुन लीजिये। मैं आपके माध्यम से हाउस में कहना चाहता हूं कि एक सत्याग्रही डा० नरेन्द्र जिन्होंने देश की आजादी में काम किया है उन्होंने सत्याग्रह किया और उनको गिरफ्तार किया गया है लेकिन अभी तक उनको सुपीरियर क्लास नहीं दिया गया है। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सत्याग्रही गांधी जी के अनुयायी हैं उनको क्यों नहीं सुपीरियर क्लास दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर चर्चा हो चुकी है। कुछ देर पहले बात हो चुकी है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं।

श्री मान सिंह आजाद--

उपाध्यक्ष जी, मुख्य मन्त्री जी को आज निर्देश दीजिए कि सत्याग्रही को उच्च श्रेणी दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

वह मुख्य मन्त्री जी के पास पहुंचा दी जायेगी और वह उस पर कार्यवाही करेंगे ।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं । शासन ने इसी सदन में यह स्पष्ट रूप से घोषित किया था कि जो कर्मचारी इमरजेन्सी में निकाले गए हैं, उनको सेवा में लिया जायेगा । आपातकाल में जो कंडक्टर निकाले गये थे, वे अपनी मांगों को लेकर परिवहन मन्त्री जी के यहां जा रहे थे पुलिस ने उनको मारा और नंगा किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

सुन्दर लाल जी, आप बैठिये यह प्रश्न कई मर्तबा सदन में आ चुका है । आपके ही दल की तरफ से आया इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता । केवल व्यवस्था के प्रश्न पर आप बोल सकते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

कंडक्टरों को गिरफ्तार किया गया वे परिवहन मन्त्री जी के यहां जा रहे थे ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री मानसिंह आजाद--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना इजाजत बोल रहे हैं ।

श्री मान सिंह आजाद--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा, आप बैठिये ।

श्री मान सिंह आजाद--

क्यों नहीं कार्यवाही का अंग बनेगा, आप ज्यादती करते हैं ।

श्री उपध्यक्ष--

आप नियमों का पालन करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :--[× ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मान सिंह आजाद—

मैं नियमों का पालन कर रहा हूं। कार्यवाही से निकालने को क्यों कहा है ? मुझे भी हाउस से निकाल दें। मैं सत्याग्रह हाउस में करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्रोधित न हों, कृपया नियमों का पालन करें। जो सदन की मर्यादा है, उसका पालन करें।

श्री मान सिंह आजाद—

मान्यवर, इसको कार्यवाही से न निकालें।

१९७६ में पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बस दुर्घटना की जांच के लिये नियुक्त शर्मा आयोग की रिपोर्ट

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश)—

मान्यवर, मैं, आपकी आज्ञा से, १९७६ में पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बस दुर्घटना की जांच के लिये नियुक्त शर्मा आयोग की रिपोर्ट को ज्ञापन सहित, कमीशन्स आफ इन्क्वायारी ऐक्ट, १९५२ की धारा ३ की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री चेत राम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, इसमें विवाद के लिये समय दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं।

विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७८-७९) का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति, उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९७८-७९) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो १९७५-७६ प्राक्कलन समिति के सिंचाई विभाग के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों से सम्बन्धित आठवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के विषय में है, प्रस्तुत करता हूं।

यह प्रतिवेदन शासन के सिंचाई विभाग द्वारा दिए गये उत्तरों पर आधारित है। इसके प्रारूप को समिति ने अपनी दिनांक २९ जुलाई, १९७८ की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया था।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट १९७१–७२ पर आधारित विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (१९७८–७९) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं, सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट १९७१–७२ पर आधारित समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं ।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की उक्त रिपोर्ट पर गत विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (१९७५–७६) द्वारा विचार किया गया था, किन्तु पिछली समिति (१९७६–७७) ३० अप्रैल, १९७७ को विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण जो अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दे सकी । वर्तमान समिति (१९७८–७९) ने उक्त प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त इसे दिनांक २० जुलाई, १९७८ को स्वीकार किया ।

समिति का उक्त प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश में कार्यरत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सम्बन्ध में महालेखाकार द्वारा जो आपत्ति उठाई गई है, पर आधारित है । जो संस्तुतियां उक्त प्रतिवेदन में की गयी हैं, वे केवल आलोचनात्मक दृष्टिकोण से नहीं की गई हैं, बल्कि उनका आशय इन उपक्रमों/निगमों के कार्यकलाप में सुधार लाना ही है, जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर हो, प्रदेश के पिछड़े जिले सम्पन्न एवं समृद्धिशाली हों और प्रदेश की जनता को भी इस क्षेत्र के उद्योगों से लाभ प्राप्त हो सके । मुझे आशा है कि शासन द्वारा इन संस्तुतियों का अतिशीघ्र अनुपालन किया जायेगा ।

आडिट आपत्तियों पर विचार करते समय समिति की जानकारी में यह बात आई कि शासन के कुछ विभागों से व्याख्यात्मक टिप्पणियां काफी विलम्ब से प्राप्त हुयीं, जिसके परिणामस्वरूप समिति को अपने कार्य के सम्पादन में बाधा पड़ी । अतः शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए समिति यह अपेक्षा करती है कि उसके द्वारा वांछित व्याख्यात्मक टिप्पणियां तथा अन्य संगत सूचनायें समय से भेजने के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग सजग रहेंगे ।

अन्त में, मैं समिति की ओर से शासन तथा उपक्रमों के अधिकारियों तथा तत्कालीन व वर्तमान महालेखाकार को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं । मैं विधान सभा के सचिव, तथा समिति के अन्य सम्बन्धित अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने परिश्रम द्वारा इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति को अपना मार्ग–दर्शन देकर बहुमूल्य सहयोग दिया ।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट १९७२–७३ पर आधारित विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (१९७८–७९) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट,

†छापा नहीं गया ।

(१९७२–७३) पर आधारित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की उक्त रिपोर्ट पर उक्त समिति (१९७८–७९) द्वारा विचार किया गया था, किन्तु ३० अप्रैल, १९७७ को विधान सभा के विघटन हो जाने से पूर्व समिति अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दे सकी । वर्तमान समिति (१९७८–७९) ने उक्त प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त इसे दिनांक २० जुलाई १९७८ को स्वीकार किया ।

उक्त प्रतिवेदन तैयार करते समय समिति ने इस बात को ध्यान में रखा है कि समिति का कर्त्तव्य केवल आलोचना करना ही नहीं है, बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी है, जिससे सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों के कार्य उचारू रूप से वाणिज्यिक सिद्धान्तों एवं प्रणाली के अनुसार हो सकें । इसी दृष्टिकोण से सुझाव भी दिये गये हैं

समिति सखेद यह प्रतिवेदित करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे उसके गठन के दिनांक से अब तक (५ अगस्त, १९७६) वांछित प्रपत्र में तैयार नहीं हुए हैं और न उनका लेखा परीक्षण भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया है, जिसके फलस्वरूप वे विधान मन्डल के सदनों के समक्ष रखवाये नहीं जा सके ।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश निर्यात निगम तथा उत्तर प्रदेश सेतु निगम के लेखे भी अद्यावधिक तैयार नहीं हुए । (दिनांक २७ नवम्बर, १९७६ तक निर्यात निगम, तथा २२ जुलाई, १९७६ तक सेतु निगम की सूचना के अनुसार)

इन निगमों के लेखे प्रति वर्ष तैयार न होने, उनके भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित न होने और शासन द्वारा उन्हें सदन के समक्ष न रखवाने से न केवल सदन के समक्ष सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की वित्तीय स्थिति नहीं आती, अपितु सांविधिक प्रविधानों का भी उल्लंघन होता है । प्रतिवर्ष लेखे तैयार करके उनका लेखा परीक्षण कराना इन उपक्रमों का दायित्व है और सदन के समक्ष इन्हें प्रस्तुत कराना, शासन का कर्त्तव्य है । अतः समिति आशा करती है कि शासन द्वारा इस ओर विशेष ध्यान दिया जायगा ।

अन्त में मैं, सचिव, विधान सभा तथा विधान सभा सचिवालय के अन्य अधिकारियों तथा वर्तमान महालेखाकार एवं तत्कालीन अतिरिक्त महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिनके सहयोग, कर्तव्य–निष्ठा और परिश्रम से समिति का कार्य सुचारु रूप से चलता रहा और इस प्रतिवेदन को उपस्थापित करना समिति के लिए सम्भव हो पाया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से सम्बन्धित विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (१९७८–७९) का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)––

मैं, सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कार्यकलापों के सम्बन्ध में समिति का प्रतिवेदन

†छापा नहीं गया

[श्री मलिखान सिंह—]

उपस्थापित करता हूं। इस निगम के कार्यकलापों का परीक्षण वर्ष १९७६–७७ की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति ने किया था, किन्तु ३० अप्रैल, १९७७ को विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण समिति अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दे सकी। वर्तमान समिति ने उक्त प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त इसे २० जुलाई, १९७८ को स्वीकार किया।

इस निगम की स्थापना १४ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई थी, किन्तु इनमें से केवल एक ही कार्य अर्थात् जनपदों में स्टोर खोलने और जलपान गृहों का कार्य हाथ में लिया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति भी सफलतापूर्वक नहीं की जा सकी। प्रारम्भ में विभिन्न जनपदों में ३९ स्टोर्स खोले गये किन्तु वर्तमान समय में केवल २ स्टोर्स चलाए जा रहे हैं, किन्तु समुचित व्यवस्था और निरीक्षण की कमी के कारण शेष स्टोरों में हानि होने पर उन्हें बन्द कर दिया गया।

निगम के सम्बन्ध में एक विचित्र बात दृष्टिगोचर हुई। वह यह कि निगम के अन्तर्गत कर्मचारियों के कुछ पद ऐसे भी हैं, जिनके वेतनमानों में न्यूनतम वेतन दर एवं वार्षिक वेतन वृद्धि की दर तो दी हुई है परन्तु वेतन की अधिकतम सीमा नहीं दी गई है। समिति यह समझने में असमर्थ रही कि इन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन किस प्रकार निर्धारित किये जाते हैं।

समिति यह अपेक्षा करती है कि इस प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु शासन एवं निगम के अधिकारियों द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जायगी और समिति ने जो रचनात्मक सुझाव दिये हैं, उनसे समुचित लाभ उठाया जायेगा।

अन्त में, मैं सचिव, विधान सभा तथा विधान सभा सचिवालय के अन्य सम्बन्धित अधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं जिनके सहयोग, परिश्रम और निष्ठा से इस प्रतिवेदन को उपस्थापित करना संभव हो पाया है।

मैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान महालेखाकार, तथा तत्कालीन महालेखाकार का भी आभारी हूं कि उन्होंने अपने सहयोग से समिति के कार्य–सम्पादन में सहायता की।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास कुछ विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न आये हुये हैं। मैंने उनको अभी देखा नहीं है। देखने के बाद निर्णय ले लूंगा और घोषणा कर दूंगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जरा बता दें कि किस–किस का है। तब सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री श्यामधर मिश्र तथा श्री देवबहादुर सिंह ने "स्वतन्त्र भारत" के सम्पादक एवं मुद्रक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के एक प्रश्न की सूचना दी है।

उक्त माननीय सदस्यों का कहना है कि ७ सितम्बर, १९७८ के "स्वतन्त्र भारत" के पृष्ठ ४ पर एक कार्टून छपा है जिसमें यह भी लिखा है कि--

"बिजली संकट जीता हारा शासन--हुई तबाही,
यह उत्तर प्रदेश है प्यारे--जिसके मंत्री शाही।"

मैंने इसको अभी देखा नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, जरा कार्टून को देखें। बिजली को देखें, बनाया है, शाही जी पर आक्रमण किया है, वह धराशायी नजर आ रहे हैं। बड़ा अपमान हुआ है शाही जी का, सदन का अपमान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब निर्णय लूंगा उसके बारे में तब देखूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

कार्टून के सम्बन्ध में अपमान मानने की प्रथा नहीं है। विशेषाधिकार की अवहेलना में यह विषय कैसे आ गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

अभी निर्णय नहीं लिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

निर्णय ले लीजिये आप। मैंने यही निवेदन किया कार्टून के बारे में, जैसे शंकर्स वीकली है, जहां कार्टून छपते हैं, यह कार्टूनिस्ट पर आधारित है कि वह क्या निकालता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अभी उसके ऊपर निर्णय नहीं लिया है।

श्री कमल (जिला वाराणसी)--

निर्णय लेने की जरूरत भी नहीं है इसलिए कि कार्टून तो कार्टून हैं। बहुत से कार्टून बनते रहते हैं। उसे निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको रिजेक्ट कीजिए।

श्री देव बहादुर सिंह--

उसमें मेरा प्रश्न है। विद्युत् मंत्री को एकदम असहाय दिखाया है। ऐसा लगता है कि अस्तित्वहीन हो गए हैं पूर्ण प्रदेश में। इसलिए सदन का अपमान है। इस लिए विचार होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरा, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य, विधान सभा का है उसमें उन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण यादव, थानाध्यक्ष, निचलौल, जिला गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय श्री ओझा का कहना है कि श्री गांधी सिंह, महामंत्री, जिला जनता पार्टी, गोरखपुर तथा धीरेन्द्र बहादुर सिंह,

[श्री उपाध्यक्ष--]

सदस्य, जिला जनता पार्टी, गोरखपुर ५-९-७८ को उक्त थानाध्यक्ष से मिले। बातचीत के सिलसिले में उक्त थानाध्यक्ष ने थानाध्यक्ष घुघली के स्थानान्तरण की और तस्करी जांच की बात उठायी। उन्होंने कहा कि घुघली क्षेत्र के विधायक, श्री ओझा ने जो भी किया है वह गलत है। काश मैं घुघली में होता तो या तो मैं खुद ३०२ का मुल्जिम बनता या उन्हें बनाता। बहरहाल इस जिले में रह गया तो उन्हें विधान सभा में जाने लायक नहीं छोड़ूंगा।

इस पर विचार नहीं किया है। विचार करके माननीय सदन को सूचना दे दी जायगी।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध करूंगा, यह मामला व्यक्तिगत मेरा नहीं है बल्कि इस बात का प्रतीक है कि आज प्रदेश में पुलिस की मनोवृत्ति क्या है। हमारे थाना में एक थानाध्यक्ष थे। उनका स्थानान्तरण हो गया प्रशासकीय दृष्टि से।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उसके ऊपर भाषण न दें। मैंने इस पर विचार नहीं किया है। उस पर विचार कर लूं, तब निणय की सूचना दे दी जायगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मुझे केवल यह कहना है कि विशेष गम्भीरता को देखते हुए जो पत्र मुझे लिखा गया है उसको भी मैंने आपको दे दिया है। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप तत्काल निर्णय इस पर लें। इस बैक-ग्राउन्ड में मैं कुछ तथ्य आपको बता देना चाहता हूं जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी हो। मैंने उस व्यक्ति की शक्ल भी नहीं देखी है जिसने धमकी दी है। मैं न्याय के लिए संघर्ष करता रहा हूं। उस व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं हूं। एक बात अवश्य है कि पुराने पुलिस कप्तान का जब ट्रान्सफर हुआ तो एक घन्टे का मारजिन था तो उन्होंने ३५ ट्रान्सफर किए। खराब दरोगा को सबसे अच्छी जगह दी गयी। अगर कोई थानाध्यक्ष किसी विधान सभा सदस्य को ३०२ का मुल्जिम बनाने की बात करता है तो सामान्य लोगों की जिन्दगी कैसे रहेगी? निचलौल थाना नेपाल और हिन्दुस्तान की तस्करी का दरवाजा है और जिसका ट्रान्सफर किया गया है उस पर एक लाख का आरोप है और यह दरोगा भी उससे सम्बन्धित बताया जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। इंटेलीजेन्स के द्वारा जांच चल रही है। इसलिए उनकी परेशानी बढ़ गयी है। इसलिए मैं गारन्टी चाहता हूं कि कोई अप्रिय घटना घटी तो इसका दायित्व इस सदन पर होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री जी इसको देख लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल---

माननीय ओझा जी ने कहा कि अगर कोई अप्रिय घटना घटी तो इस सदन की जिम्मेदारी होगी। इसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं। इस सदन की जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि इस सरकार की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने यह सूचना यहां पर दी है। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की होगी।

मुख्य मन्त्री (श्री रामनरेश यादव)---

मान्यवर, ओझा जी ने जो चर्चा की है, उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि किसी प्रकार का खतरा उन पर या किसी नागरिक पर नहीं होगा।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)---

मैंने एक सूचना दी थी, उस पर कोई निर्णय नहीं ..

श्री उपाध्यक्ष---

मैं उसको देख लूंगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, मैंने एक अवमानना की सूचना दी थी परन्तु उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर अवमानना और विशेषाधिकार के प्रश्न पर डिसीजन में विलम्ब होगा तो कैसे काम चलेगा? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। एक-एक सप्ताह आपकी पीठ से व्यवस्था में समय लिया जायगा तो अवमानना की नोटिस का महत्व क्या रह जायगा?

श्री उपाध्यक्ष---

विलम्ब का प्रश्न नहीं है। इसको देख लिया जायेगा। मुझे नहीं मालूम कि माननीय अध्यक्ष जी ने इसे देखा है या नहीं? देखने के बाद ही कोई सूचना दी जा सकती है।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न पहुंचा या नहीं?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, शर्मा आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में शासन ने जो निर्णय लिया है और इसमें आगे क्या कार्यवाही हुई है यह जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। यह सदन तो आज उठ रहा है तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब भी अगला सत्र हो तो उसमें इस पर समय निर्धारित हो।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय तिवारी जी, आप सूचना भेज दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

माननीय सदस्यों ने चर्चा के लिए समय मांगा है। उसके लिए आप समय निर्धारित करें।

श्री उपाध्यक्ष—

हिण्डालको के सम्बन्ध में तथ्यों के विपरीत बयान दिए जाने के सम्बन्ध में माननीय श्री श्यामधर मिश्र तथा देव बहादुर सिंह ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है। इस पर विचार करके मैं अपना निर्णय दे दूंगा।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम के स्थगन का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की सभा के लिए ५ सदस्यों तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए ५ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में दिनांक ७ सितम्बर, १९७८ के अपराह्न ४ बजे तक नाम वापसी का समय नियत था। उक्त समय तक केवल सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की सभा से डा० कृष्ण वीर सिंह कौशल ने अपना नाम वापस लिया है। इस प्रकार अभी भी दोनों निकायों में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक अभ्यर्थी हैं। अतः उक्त दोनों निकायों के लिए मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक ९ सितम्बर, १९७८ को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न ५ बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय में होगा।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, कल यह चुनाव होना है। कल सदन की बैठक नहीं होगी जैसा कि पूर्व निश्चय हो गया है। तो मेरा निवेदन यह है कि अधिकतर माननीय सदस्य जाना चाहते हैं क्योंकि बाढ़ आदि के कारण क्षेत्र में जाना है अतः इस चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाय और अगले सत्र में जब बैठक हो तो यह चुनाव करा लिया जाय। इसलिए मैं इस चुनाव को स्थगित किए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम स्थगित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर मन्त्रियों द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लि० (हिन्डालको) व्यक्तिगत क्षेत्र की औद्योगिक इकाई है। इस कारखाने ने १९६२ में एल्यूमिनियम का उत्पादन प्रारम्भ किया था। इसकी वर्तमान स्वीकृत क्षमता १,२०,००० टन तथा अधिष्ठापित क्षमता ९५,००० टन प्रति वर्ष है।

इस संस्थान के सम्बन्ध में सितम्बर, १९७७ में विधान परिषद् में निम्नलिखित अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था:

"इस सदन का निश्चित मत है कि हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कम्पनी (हिन्डालको) का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण किया जाय और इसके सम्बन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में केन्द्रीय व प्रदेशीय सरकार से अविलम्ब कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाय।"

औद्योगिक इकाइयों का प्रबन्ध हस्तगत करने का प्राविधान इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एन्ड रेग्यूलेशन) ऐक्ट, १९५१ में है। उसके अनुसार निर्णय लेने तथा उपयुक्त कार्यवाही करने का अधिकार भारत सरकार को है। अतः शासन की ओर से उपरोक्त संकल्प का विधान परिषद् में विरोध किया गया। परिषद् द्वारा ८ सितम्बर, १९७७ को पारित संकल्प को मंत्रि परिषद् द्वारा भारत सरकार को उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए भेजने का निश्चय किया गया। तदनुसार भारत सरकार को २८ अक्तूबर, १९७७ को पत्र भेजा गया। भारत सरकार से इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण का कोई निर्णय नहीं किया गया है। तदनुसार ही स्थिति तत्कालीन श्रम मंत्री जी द्वारा १२ अक्तूबर, १९७७ को विधान सभा में तथा राज्य मंत्री, लघु उद्योग श्री रेवती रमण सिंह द्वारा १८-४-७८ को बतलाई गई थी। इसी आधार पर उद्योग मंत्री जी द्वारा यह वक्तव्य प्रेस को दिया गया था कि राष्ट्रीयकरण का कोई विचार सरकार के सम्मुख नहीं है। विद्युत मंत्री जी ने केन्द्रीय उद्योग मंत्री जी को मई, १९७८ में एक पत्र हिन्डालको के विषय में लिखा था, जिसमें विधान परिषद् द्वारा पारित किए गये प्रस्ताव का उल्लेख था। इस पत्र का कोई उत्तर अभी तक विद्युत् मंत्री जी को प्राप्त नहीं हुआ है। राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया अब तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

इस समय राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा हिन्डालको को ८५ मेगावाट विद्युत् भार स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त हिन्डालको का १३४.८ मेगावाट क्षमता का अपना पावर हाउस राज्य सरकार की अनुमति से चलता है। उत्तर प्रदेश (संभरण, वितरण, उपभोग और उपयोग का विनियमन) आदेश, १९७७ के अनुसार विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली की कमी तथा कृषि एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों को देखते हुए ३० जून, १९७७ से हिन्डालको पर शत-प्रतिशत कटौती लगायी गयी, इस प्राविधान के अन्तर्गत कि आवश्यकता के ५० प्रतिशत से अधिक की आपूर्ति का उनका अपना उत्पादन साधन है। हिन्डालको द्वारा कटौती के विरुद्ध उच्च न्यायालय में प्रस्तुत वाद के निर्णयोपरान्त राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गयी जो सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और उसके अंतरिम आदेश के अनुसार हिन्डालको को ८-५-७८ से २० मेगावाट विद्युत् दी जा रही थी तथा अब ३५ मेगावाट दी जा रही है। हिन्डालको का उत्पादन पिछले ३ वर्षों में १९७५ में ६२४२७ टन, १९७६ में ८३६१५ टन तथा १९७७ में ७३११९ टन रहा। यह गणना करना व्यवहारिक नहीं है कि उत्पादन में कितनी कमी वास्तव में केवल विद्युत् कटौती के कारण रही। वर्तमान समय में ३५ मेगावाट बिजली सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार दी जा रही है तथा आपूर्ति के सम्बन्ध में न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। हिन्डालको अपनी स्वयं की विद्युत् उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर भी विचार कर रहा है।

(श्री कल्पनाथ सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं मिल सकती है। आप कृपया बैठें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, अगर कोई माननीय सदस्य स्पष्टीकरण चाहते हैं तो उनको आप पूछने की आज्ञा देने की कृपा करें ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में अभी बताया है कि राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई, लेकिन अखबारों की सूचना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है हिन्डालको के पक्ष में कि उनको पूरी बिजली दी जायगी ।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

अभी फैसला नहीं हुआ है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, आज के एजेन्डा में लिखा हुआ है कि "श्री श्यामधर मिश्र द्वारा दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य" इसमें नियम नहीं लिखा हुआ है कि किसके अन्तर्गत यह सूचना प्राप्त हुयी, नियम ५२ में, ५१ में या ५६ में ?

श्री उपाध्यक्ष--

सूचना तो माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार की है और इसे केवल वक्तव्य के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दी थी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं नियम ५१ के उप-नियम (३) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि "ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा परन्तु अध्यक्ष, यदि उचित समझें तो, सूचनांकित विषय सम्बन्धी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे ।" तो मैं स्पष्टीकरण के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया आज्ञा देने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको नियम ५१ में स्वीकार नहीं किया गया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अगर नियम ५१ में नहीं है तो इस पर आप सदन में चर्चा कराने की अनुमति दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया था ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

वक्तव्य सदन में दिया गया है । यह सदन की सम्पत्ति हो गयी । इस पर चर्चा के लिये आप दिन निर्धारित करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके ऊपर कई बार निर्णय हो चुके हैं ऐसे वक्तव्यों पर माननीय अध्यक्ष ने भी प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी है । (व्यवधान)

*श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, स्पीकर की दर्जनों रूलिंग हैं इस संदर्भ में कि नियम ५१ में स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं। यहां ऐसा लगता है कि माननीय विद्युत् मंत्री की सरकार अलग है, माननीय उद्योग मंत्री की सरकार अलग है और माननीय मुख्य मंत्री की सरकार अलग है क्योंकि उद्योग मंत्री जी के पत्रों में और विद्युत् मंत्री जी के पत्रों में बुनियादी भिन्नता है। माननीय विद्युत् मंत्री जी की राय में राष्ट्रीयकरण होना चाहिये माननीय उद्योग मंत्री जी की राय में नहीं होना चाहिए, क्या बात सही है, यह स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री जी अगर बताना चाहें तो बता दें, लेकिन इस पर प्रश्न करने की अनुमति मैं नहीं दे रहा हूं। यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार है।

(व्यवधान)

श्री ऊदल---

इस पर आप बहस करा दें।

श्री उपाध्यक्ष---

उसके लिये आप अलग से लिख कर दें।

श्री राम नरेश यादव---

मुझे ऐसा लगता है कि माननीय तिवारी जी को भ्रम हो गया है। मैंने जो वक्तव्य दिया है उसमें साफ कहा है कि "इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण का कोई निणय नहीं किया गया है।"

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अब उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री ऊदल---

श्रीमन्, विद्युत् मंत्री जी ने जो पत्र लिखा है। इसके अलावा संवाददाताओं को भी कई बार जवाब दिया कि हिंडालको को पत्र भेजा। इसलिए माननीय विद्युत् मंत्री जी का वक्तव्य सही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आप इसकी सूचना चाहते हैं, तो लिख कर भेज दें।

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, वक्तव्य स्वतः स्पष्ट है। उसमें कहीं कुछ भी प्रश्न करने की गुंजाइश नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उद्योग मंत्री को कहां तक यह उचित था । क्या मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखने से पहले उस पत्रावली को देखा था ? उद्योग मंत्री और मुख्य मंत्री की स्वीकृति से पत्र गया था ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता, वक्तव्य में स्पष्ट आ गया है कि जो पत्र गया था, उसमें वह स्पष्ट आ गया है ।

श्री ऊदल--

माननीय विद्युत् मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने पत्र लिखा है और प्रेस से भी कहा है, इसलिए विद्युत मंत्री जी से भी इसके बारे में सफाई होनी चाहिए ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

इस समय जो गम्भीर विषय है, माननीय विद्युत् मंत्री जी ने अलग से कोई पत्र केन्द्रीय मंत्री को लिखा है इसके राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में । माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्ट अपने वक्तव्य में कहा कि ऐसी बात नहीं है । तो ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए यह सवाल खड़ा हो जाता है कि विद्युत् मंत्री जी अलग से क्या ऐसा कोई पत्र जो प्रदेश की नीति से सम्बन्ध रखता हो, अलग से लिखने के अधिकारी हैं और उसका असर ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी पूरे मंत्रिमंडल पर पड़ता है कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो इसकी बहस में जा रहे हैं । मैंने इसकी इजाजत ही नहीं दी ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, विद्युत् मंत्री जी से पूछिये कि उन्होंने पत्र लिखा कि नहीं ?

एटा, अलीगढ़ तथा बुलन्दशहर में कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मूंग के बीज की खरीददारी में अनियमितता के सम्बन्ध में वक्तव्य

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

मान्यवर, इस वर्ष जायद में मूंग की खेती का लक्ष्य ३ लाख हेक्टर रखा गया था । इस लक्ष्य के पूरा करने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया गया और यह लक्ष्य पूरा भी हो गया । परन्तु बीज की कमी का सामना करना पड़ा । अगले वर्ष जायद के लिए मूंग की खेती का लक्ष्य ५ लाख हेक्टर रखा गया है । इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कुल आवश्यकता का लगभग १० प्रतिशत बीज काश्तकारों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाय । इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी मण्डलों के लिए मूंग के बीज की खरीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । सम्बन्धित अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए कि बीज उन्हीं कृषकों से खरीदा जाय जिन्हें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पिछले वर्ष बीज कृषि विभाग द्वारा दिया गया हो तथा उनके फसल का निरीक्षण कराया गया हो और उसका रिकार्ड रखा गया हो तथा बीज क्रय के पूर्व जमाव एवं शुद्धता का परीक्षण करा लिया गया हो । इस बात के भी आदेश दिए गए कि बीज का क्रय करने के लिए क्रय समिति द्वारा मूल्य का निर्धारण करा लिया जाय । इस समिति में अतिरिक्त जिलाधिकारी या जिला विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारी समितियां व ज्येष्ठ विपणन निरीक्षक या विपणन निरीक्षक सदस्य हों ।

एटा जनपद में १४ जून से २१ जून, १९७८ तक लगभग ५९८ कुन्तल, २२ जून, १९७८ से ३० जून, १९७८ तक ६.८७ कुन्तल व १ जुलाई, १९७८ से १७ जुलाई, १९७८ तक लगभग ३,१४३ कुन्तल बीज की खरीदारी क्रमशः रु० ३२०.०४, २९०.०४ व ३०५.०४ प्रति कुन्तल की दर से की गई ।

अलीगढ़ जनपद में २६ जून, १९७८ व ११ जुलाई, १९७८ के बीच में लगभग १०७.१२ कुन्तल बीज रु० २९० से लेकर रु० २५५ प्रति कुन्तल की दर से खरीदा गया । जिला कृषि अधिकारी ने कृषकों को प्रीमियम के बिल का भुगतान नहीं किया और यह कहा कि यह भुगतान प्रयोगशाला में जांच के बाद किया जायगा ।

बुलन्दशहर में ११ अगस्त, १९७८ को ५ कुन्तल व २८ अगस्त, १९७८ को ३.५० कुन्तल बीज रु० ३१० प्रति कुन्तल की दर से खरीदा गया ।

एटा जिले में बीज खरीदारी के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर इसकी प्रारम्भिक जांच संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा कराई गई । जांच के फलस्वरूप निम्नलिखित कमियां सामने आईं :—

बीज की खरीदारी के सम्बन्ध में क्रय समिति की बैठकें १७ जून, २२ जून व १ जुलाई, १९७८ को की गई । परन्तु ५ जुलाई को जब कि मूंग का बाजार भाव घटकर २६५ रु० प्रति कुन्तल आ गया, क्रय समिति की बैठक नहीं कराई गई । यह भाव घटकर १४ जुलाई को २४५ रु० प्रति कुन्तल तक पहुंच गया, फिर भी १ जुलाई, १९७८ को निर्धारित किए गए रु० ३०५ प्रति कुन्तल की दर पर खरीदारी होती रही ।

संयुक्त कृषि निदेशक ने ४ नमूने लिए । ३ नमूने ठीक पाये गए परन्तु एक नमूना सब-स्टैंडर्ड पाया गया । कासगंज स्टोर पर यह सेम्पुल लिया गया जिसके बारे में बताया गया कि वह सहावर स्टोर से आया है । यह बीज बगैर छना हुआ था । जांच अधिकारी को यह बताया गया कि यह सभी बीज छनवाया जायगा ।

जांच के दौरान जांच अधिकारी को इस बात का कुछ अनुभव हुआ कि बीज की बाजार से खरीददारी की भी सम्भावना है । इसलिए यह आवश्यक है कि इस बात की पूरी जांच की जाय ।

मूंग के बीज की खरीददारी के सम्बन्ध में शासन व निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेशों का पूरा अनुपालन किया गया या नहीं, बीज की शुद्धता की

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

जांच की गई या नहीं, बीज काश्तकारों से खरीदा गया अथवा बाजार से, बीज का दाम अनियमित रूप से अधिक दिया गया और यदि हां तो किस हद तक, इन सभी बातों और अन्य सम्बन्धित बातों की समुचित जांच करने के लिए श्री रनवीर सिंह यादव, उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), आगरा को आदेशित किया गया है। प्रारम्भिक जांच के आधार पर मूंग खरीद से सम्बन्धित दो जिला कृषि अधिकारी सर्वश्री एम० पी० गौतम तथा श्री तारा सिंह को निलम्बित कर दिया गया है। अन्तिम जांच आख्या आने पर दोषी अधिकारियों। कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जायगी।

कृषकों को केवल अच्छा बीज उपलब्ध कराया जायगा ताकि उनको किसी प्रकार की क्षति न हो।

मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य के विरुद्ध समाचार-पत्रों में भ्रामक समाचार छपने के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, कुछ समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा है कि विधान परिषद् के एक माननीय सदस्य ने पत्रकारों के समक्ष इस प्रकार का बयान दिया कि मंत्रि-मंडल के एक माननीय सदस्य के विरुद्ध थाने की जनरल डायरी में एक विपरीत उल्लेख उपलब्ध है जिसमें उनकी आपराधिक प्रवृत्ति के विषय में लिखा गया है। समाचार-पत्रों के अनुसार इस प्रकार का उल्लेख थाना तरकुलवा, देवरिया की जनरल डायरी में होना बताया गया है।

२--इस समाचार के छपने के बाद सम्बन्धित थाने की जनरल डायरी और अन्य अभिलेखों की जांच कराई गई और कहीं भी इस प्रकार की टिप्पणी किसी मंत्री के सम्बन्ध में अंकित नहीं पाई गई। इससे स्पष्ट है कि समाचार असत्य, भ्रामक एवं आधारहीन है और यह बड़े खेद का विषय है कि विधान मण्डल के किसी सदस्य, जो मंत्रि-परिषद् के सदस्य भी हैं, के विषय में इस प्रकार की बात कही गई और उसका प्रकाशन हुआ।

वाराणसी में बिजली की आपूर्ति के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

(विद्युत् मंत्री को पुकारे जाने पर।)

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय विद्युत् मंत्री जी मुझसे कहकर गये हैं इसलिए इसके स्थान पर दूसरा वक्तव्य ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गृह मंत्री जी आईटम नं० १४।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई भी मंत्री जब कि उसका विषय हो, अगर वह जाना चाहता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो छुट्टी आपसे ले सकता है न कि किसी मंत्री से कहकर चला जाय । इस बात को मानकर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं । अगर आपके पास कोई सूचना है तो आप कह दें कि आपसे छुट्टी लेकर गये हुए हैं, उसको श्रीमन् आप बतावें । माननीय गृह मंत्री ने जो कहा उनसे कहकर माननीय विद्युत् मंत्री जी गये हैं, उस बात को सदन स्वीकार नहीं करेगा । श्रीमन्, ऐसी परम्परा इस सदन में कभी नहीं रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विद्युत् मंत्री जी विधान परिषद् में गये हुए हैं, फिर भी उनको लिखकर दे जाना चाहिए ।

थानाध्यक्ष जैतपुर, जिला फैजाबाद, श्री राय के विरुद्ध नेवादा क्षेत्र में बस में विधायक के लिये आरक्षित सीट पर बैठने तथा श्री भगवती प्रसाद सिंह, विधायक के अनुरोध पर खाली न करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सम्मुख है तो क्या इस पर वक्तव्य हो सकता है ?

श्री राज बजराज सिंह (जिला लखीमपुर खीरी)--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था हो चुकी है, यह व्यवधान डाल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द नहीं है ।

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना में थानाध्यक्ष जैतपुर श्री राय के विरुद्ध दिनांक २१ अप्रैल, १९७६ को नेवादा क्षेत्र में बस में विधायक के लिए आरक्षित सीट पर बैठने और विधायक महोदय के अनुरोध करने पर भी खाली न करने का आरोप लगाया गया था । इसके सम्बन्ध में उप-पुलिस महानिरीक्षक, फैजाबाद रेंज से जांच कराई गई । पुलिस उप-महानिरीक्षक की आख्या के अनुसार जांच के दौरान माननीय सदस्य ने स्वीकार किया कि उन्होंने थानाध्यक्ष से न तो बात की थी और न उनसे सीट खाली करने के लिए कहा और न कन्डक्टर से वह सीट खाली कराने को कहा । यदि किसी बस से कोई विधायक सफर नहीं कर रहे हों तो विधायकों के वास्ते आरक्षित सीट अन्य मुसाफिरों के लिए रिलीज कर दी जाती है । इस प्रकार थानाध्यक्ष ऐसी सीट पर बैठे अवश्य थे व माननीय विधायक बाद में बस पर आये थे वे वह सीट भरी देखकर किसी अन्य खाली सीट पर बैठकर उन्होंने सफर किया। जांच से पाया गया कि थानाध्यक्ष द्वारा स्वतः सीट न खाली करने की घटना थानाध्यक्ष की जैतपुर में नियुक्ति नई होने और इस कारण उनके माननीय सदस्य को न पहचानने के कारण हुई । माननीय सदस्य ने उप-महानिरीक्षक से मौखिक रूप से यह भी कहा कि वे मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते । फिर भी थानाध्यक्ष को भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं । यह रिपोर्ट झूठी है । मुख्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी, यह कतई गलत है, १६ आने गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये इसकी इजाजत नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, इनको स्पष्टीकरण का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष -

नहीं है ।

श्री चेत राम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, माननीय सदस्य स्वयं मौजूद हैं । वह कहते हैं कि यह सत्यता से परे स्टेटमेंट हैं । तो उनको मौका मिलना चाहिये ।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये । आप बिना इजाजत के खड़े हुए हैं यह नियम विरुद्ध है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । माननीय सदस्य स्वयं बैठे हुए हैं । माननीय सदस्य के सम्बन्ध में गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया है । गृह मंत्री का वक्तव्य सरासर झूठ है जहां तक मुझे जानकारी है । माननीय सदस्य की बात से सचाई सामने आ जायगी इसलिए स्पष्टीकरण का मौका माननीय सदस्य को मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री राम सिंह--

मैं एक निवेदन करूंगा कि यह मामला २१ अप्रैल, १९७६ का है । यह माननीय सदस्य से सम्बन्धित है । मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वह अधिकारियों ने भेजी है । इस सम्बन्ध में यदि माननीय सदस्य किसी अन्य अधिकारी से जांच चाहते हैं, उनको इस बात का आभास है कि यह गलत है, चूंकि माननीय सदस्य से सम्बन्धित मामला तो, सन् १९७६ का है, लेकिन यदि पुनः दूसरे अधिकारी से जांच कराना चाहते तो मुझे बता दें मैं जांच करा दूंगा ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मेरी बात सुन लें। गृह मंत्री जी ने कहा कि पुनः जांच करवा लें। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने दिन पहले वह थानेदार वहां तैनात हुआ जो मुझको नहीं पहचानता था। महा निरीक्षक ने कहां जांच की और कहां मुझसे बात की और कितने दिन में जांच हुई ?

श्री उपाध्यक्ष--

जब उन्होंने यह आश्वासन दे दिया है कि आप जिस अधिकारी से चाहेंगे उससे मंत्री जी जांच करवा लेंगे तब आप लिखकर भेज दें यदि उनकी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, दो बातें कही गई हैं इसमें। एक तो पुलिस महानिरीक्षक की आख्या के अनुसार जांच के दौरान माननीय सदस्य ने स्वीकार किया कि उन्होंने थानाध्यक्ष से न तो बात किया और न सीट खाली करने के लिए कहा तथा न सीट खाली कराने को कहा। दूसरी बात माननीय सदस्य ने उप महा निरीक्षक से मौखिक कहा कि हम मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। माननीय सदस्य जलालपुर, श्री भगवती प्रसाद सिंह का कहना है कि यह असत्य है। जो गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया है उसकी बुनियाद बिल्कुल गलत और सत्य से परे है। यह माननीय सदस्य का कहना है। इससे तो वक्तव्य ही गलत हो जाता है। इसलिए माननीय सदस्य से मंत्री जी बात करके दुबारा वक्तव्य दें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य यदि उनको विश्वासनीय नहीं समझते हैं तो लिखकर भेज दें। मंत्री जी उसको दुबारा जांच करा लेंगे। उसके बाद यदि फर्क होता है तो मंत्री जी अगले सत्र में इसको बता देंगे।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, जैसा तिवारी जी ने कहा उसमें डी०आई०जी० के अनुसार दो बातें स्पष्ट हैं, उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि वह गलत है इसलिए डी० आई० जी० ने जानबूझकर माननीय सदस्य से बिना बात किये गृह मंत्री को रिपोर्ट भेज दिया जो यहां प्रस्तुत हो गई। इसलिए यह रिपोर्ट गुमराह करने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष--

यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हैं तो लिखकर भेज दें।

*श्री राम सिंह--

मान्यवर, जो मैंने निवेदन किया उसमें अभी तिवारी जी ने एक विरोधाभास की बात उठाई इस वक्तव्य में और कहा कि दुबारा वक्तव्य दें। मुझे दोनों बातों में दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य डी० आई० जी० की जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो वह किस एजेन्सी से जांच चाहते हैं वह बता दें ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भगवती प्रसाद सिंह---

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन के कुछ सदस्यों की एक समिति बना दी जाय जो जांच करे। मेरा तो कहना है कि डी० आई० जी० ने जांच किया ही नहीं है।

श्री राम सिंह---

आप मैजिस्ट्रेट से, सी०आई०डी० से या अन्य किसी एजेन्सी से जांच चाहते हैं वह बता दें उससे जांच हम करा लेंगे।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह और श्री रियासत हुसैन के पुनः खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिखकर भेज दें तो मंत्री जी जांच करा लेंगे। अब मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप लोग बैठ जायें।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

उपाध्यक्ष जी, जब माननीय मंत्री जी सहयोग कर रहे हैं तो आप माननीय सदस्य को बोलने का मौका दें। गम्भीर मामला है। माननीय गृह मंत्री पूरी तरह संतुष्ट करना चाहते हैं सदस्यों की समिति पर भी मैं नहीं सोचता गृह मंत्री को कोई एतराज होगा। तो आप स्वीकार कर लें। जब यह बात सदन के सामने आई है तब आप क्यों जोर दे रहे हैं कि गृह मंत्री से मिल लें या उन्हें लिख कर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

जब गृह मंत्री जी ने यह आश्वाशन दे दिया है और माननीय तिवारी जी ने भी सुझाव दिया कि माननीय सदस्य बात कर लेंगे और जिस एजेन्सी को वह चाहेंगे और जो एजेन्सी नियमानुसार सम्भव होगी उससे पुनः जांच करा लेंगे तो अब इस के ऊपर चर्चा समाप्त हुई।

बांदा जिले की नरैनी तहसील के विभिन्न ग्रामों में हैजे के तथाकथित प्रकोप के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री देव कुमार यादव द्वारा दिनांक २९ अगस्त, १९७८ को दी गई अपनी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि बांदा जिले की नरैनी तहसील में तुर्रा तथा अतर्रा कस्बे के आसपास और बांदा तहसील के कई ग्रामों में हैजा फैल गया है, जिससे कई मौतें हो गई हैं। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि बीमारी फैलने की आशंका से जिले की जनता में व्यापक चिंत और भय की भावना फैल रही है। यह अपेक्षा भी की गई थी कि इस बीमारी के रोकथाम के लिए प्रभावकारी व्यवस्था की जाय।

शासन द्वारा इस मामले में जांच कराई गई है। जांच से विदित हुआ है कि बांदा जिले की नरैनी तहसील में तुर्रा तथा अतर्रा कस्बे में हैजा अथवा

अतिसार का कोई केस १ जनवरी, १९७८ से ३१ अगस्त, १९७८ तक नहीं हुआ वैसे नरैनी तहसील में ग्राम बहादुर अहीर का पुर्वा में अतिसार के दो केसेज रहे हैं। अतिसार के केसेज होने की सूचना के बारे में स्थित निम्नवत् है :—

	रोगग्रस्त	मृत्यु
१—नरैनी तहसील—		
(क) तुर्रा (ग्राम)	०	०
(ख) अतर्रा (कस्बा)	०	०
२—बांदा तहसील	०	०
३—बांदा जिला—		
(क) कर्वी तहसील	२८	६
(ख) नरैनी तहसील	२	०
(ग) बबेरू तहसील	२	०
(घ) मऊ तहसील	०	०
(ङ) बांदा तहसील	०	०
योग ..	३२	६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद बांदा में अतिसार से प्रभावित क्षेत्रों का विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार है :—

क्रम-संख्या	तहसील का नाम	प्रा० स्वा० केन्द्र का नाम	प्रभावित ग्राम का नाम	आबादी	गैस्ट्रो से मृत्यु दिनांक	संख्या गैस्ट्रो से मृत्यु	कुल गैस्ट्रो से ग्रसित संख्या	हैजा निरोधक टीकों की संख्या	विसंक्रमित किये गये कुओं की संख्या	विसंक्रमित किये गये घरों की संख्या
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	कर्वी	पहाड़ी	बसहर	३९०	१०-७-७८	३	१५	३५०	४	२६
२	कर्वी	पहाड़ी	दरसेड़ा	२५००	३०-७-७८	१	५	१३७०	१६	२६
३	कर्वी	शिवरामपुर	रमयापुर	१०२५	३-८-७८ ५-८-७८	१ १	८	९६०	१२	..
४	नरैनी	नरैनी	बहादुर अहीर का पुरवा	१५५	..	..	२	१४६	३	१
५	बबेरू	बिसन्डा	चमरहा का पुरवा	५००	..	..	२	४१६	४	२
			योग ..	४५७०		६	३२	३२४२	३९	५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

इस प्रकार देखा जायगा कि उपरोक्त प्रभावित क्षेत्रों की लगभग ७० प्रतिशत आबादी को हैजा निरोधक टीके लगाये गए। जिन ६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनमें से कोई भी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती नहीं था।

इसके अतिरिक्त कर्वी तहसील तथा नरैनी तहसील में रोग के प्रकोप की स्थिति की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, द्वितीय तथा तृतीय द्वारा की गई। इन्होंने स्थिति का अध्ययन किया तथा रोग को पूर्णतया नियंत्रण में लाने के प्रयास किये। शासन के सामान्य आदेशानुसार तथा उक्त अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यरत स्टाफ को दिये गए निर्देशों के अनुसार बांदा जनपद में दिनांक १ जनवरी, १९७८ से दिनांक ३१ अगस्त, १९७८ की अवधि में ४५०६३ हैजा निरोधक टीके लगाये गए तथा ५७०२ कुओं का विसंक्रमण किया गया।

बांदा जनपद में हैजा तथा अतिसार निरोधक औषधियां तथा कीटनाशक दवायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इस जनपद में अतिसार का अंतिम केस २१ अगस्त, १९७८ का है। इस समय स्थिति नियंत्रण में है।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, मैं सिर्फ एक सवाल पूंछना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर प्रश्न की इजाजत मैं नहीं देता। आप लिख कर पूंछ लें।

दस्यु सुन्दरी हसीना बेगम की मौत पर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की पुलिस में विवाद के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, प्राप्त विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों की सीमाओं के मिले होने के कारण इन जनपदों के अपराधीगण सीमा बन्धन तोड़कर दोनों प्रदेशों के जनपदों में अपराध करते हैं और इन अपराधियों के विरुद्ध दोनों राज्यों के अधिकारीगण समय-समय पर संयुक्त रूप से कार्यवाही हेतु बैठकें करके अभियानों का आयोजन करते रहते हैं। दिनांक ४ मई, १९७८ को सागर (मध्य प्रदेश) में पुलिस उप महानिरीक्षक, सागर परिक्षेत्र की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में दोनों प्रदेशों के अधिकारियों के बीच दस्यु दलों से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान हुआ था। इसके बाद २३ मई, १९७८ को झांसी में पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र द्वारा बुलाई गई बैठक में दस्यु हसीना गैंग, उजागर सिंह गैंग, जालिम सिंह गैंग तथा हरी सिंह गैंग के विरुद्ध सुनियोजित कार्यवाही हेतु जनपद, ललितपुर से अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। दिनांक २५ मई, १९७८ को पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र ने ललितपुर में एक बैठक की और जनपद जालौन, हमीरपुर तथा ललितपुर के पुलिस अधीक्षकों को उपरोक्त चारों दस्यु दलों के विरुद्ध सुनियोजित कार्यवाही हेतु पृथक-पृथक रूप से नियत किया गया। दस्यु हसीना गैंग के उन्मूलन का दायित्व पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर को सौंपा गया।

[श्री राम सिंह--]

पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर ने ग्राम छपरैट, थाना महरौनी, जिला ललितपुर में अपना मुख्यालय बनाकर उसी दिन २५ मई, १९७८ से हसीना गैंग के सम्बन्ध में सूचनायें एकत्रित करना प्रारम्भ कर दिया था। प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २७ मई, १९७८ को एक विशेष स्रोत से सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने ग्राम घाट खिरिया में एक मकान को घेरा तथा वहां पर मुठभेड़ हुई जिसके फलस्वरूप हसीना बेगम, बलवन्त सिंह और खिलावन सिंह नामक व्यक्ति मारे गये। यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि यह ग्राम मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। पुलिस अधिकारियों ने सूचना टीकमगढ़, जिस जनपद में यह ग्राम पड़ता था, के अधिकारियों को दी और दिनांक २७ मई, १९७८ को प्रातः ९ बजे टीकमगढ़ के अधिकारी घटनास्थल पहुंच गये।

इस विषय में शासन को यह ज्ञात हुआ है कि इस मुठभेड़ की मैजिस्टीरियल जांच हो रही है और उसी संदर्भ में दोनों जनपदों के अधिकारियों में कुछ मतभेद है जिसके फलस्वरूप थाना महरौनी, जिला ललितपुर में एक अपराध धारा ३३०/३४२/१८९/४६९/५०६/५०४ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ था जो टीकागढ़ भेज दिया गया है। यह स्थिति शासन की जानकारी में है तथा शासन इस संदर्भ में उचित कार्यवाही कर रहा है। घटनास्थल मध्य प्रदेश में होने के कारण यह मामला वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार से ही सम्बन्धित है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

दोनों प्रदेशों के अधिकारियों में क्या मतभेद है और शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है यह वक्तव्य से स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--

वक्तव्य अपूर्ण है तो आप लिख कर दे दें उसको वह स्पष्ट कर देंगे।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

इसमें दो प्रदेशों के सम्बन्ध खराब होने का सवाल निहित है। दोनों जनपदों के अधिकारियों ने एक दूसरे के खिलाफ केस कायम किये हैं जिससे विवाद खड़ा हो गया है। फिर हसीना गर्भवती थी। आत्मसमर्पण करने के बाद उसकी हत्या की गयी और उसकी लाश का प्रदर्शन किया गया, इस काम से भी जनता के अन्दर घोर असंतोष है। इन सब बातों के सम्बन्ध में सदन के सामने पूरी तरह से वक्तव्य आना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष--

इसीलिये मैंने कहा कि वक्तव्य अपूर्ण है तो लिख कर भेज दें, वह स्पष्टीकरण दे देंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

व्यवस्था का प्रश्न है। जो सूचना मांगी गयी थी वह अपूर्ण है तो फिर से लिखकर देने का सवाल पैदा नहीं होता। आज इसको स्थगित किया जाय और मंत्री जी से कहिये कि फिर से जांच करवा कर अगले सत्र में इस पर पूर्ण वक्तव्य वह दें।

श्री उपाध्यक्ष--

वक्तव्य तो उनका आ चुका है। आप लिखकर भेज दें और यदि उसमें कोई संशोधन हुआ तो मंत्री जी अगले सत्र में संशोधित वक्तव्य दे देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, जो मतभेद हैं, उनके बारे में कोई सूचना नहीं है। तो यह वक्तव्य क्या हुआ ? अखबारों में इससे ज्यादा सूचना है। उसमें कितनी सत्यता और बढ़ानी है, इसके लिये वक्तव्य की मांग की गई है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिखकर भेज दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या लिखकर भेज दें ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जो वक्तव्य हैं, वह प्रश्न के मुताबिक है या नहीं, इस पर निर्णय करने का अधिकार आपका है और यदि आप समझते हैं वह इस तरह से नहीं आया है तो आप स्वयं निर्देश दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि आप लिखकर भेज दें और अगर उसमें संशोधन करना होगा या वह गलत होगा तो वे अपना संशोधित वक्तव्य अगले सत्र में दे देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

वे उठे नहीं हैं। आप जबरदस्ती बुलवाना चाहते हैं।

श्री देव कुमार--

नियम ५६ में आपको सूचना दी थी....

श्री उपाध्यक्ष--

आप जानते हैं कि आज कितना काम है। एक ही वक्तव्य में इतना टाइम ले लेंगे तो यह ठीक नहीं है.... (व्यवधान) मैं अब इसकी इजाजत नहीं देता। आप बैठें।

श्री ऊदल--

आपके पास लिखकर भेज दिया जा रहा है।

कालपी तथा चौरा स्टेशनों के बीच बालू की खदानों से जमीन के अन्दर सुरंग हो जाने के कारण रेलवे लाइन तथा नेशनल हाई वे में दुर्घटनायें होने की सम्भावना के सम्बन्ध वक्तव्य

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)--

मान्यवर, नेशनल हाइवे नं० २५ पर लखनऊ से ९५ मील के पत्थर के पास तथा कालपी से लगभग २ मील पहले, ग्राम दौलतपुर, जिला कानपुर के क्षेत्र

[श्री राम प्रकाश९--]

दिनांक ५ अगस्त, १९७८ को ६ फुट के चौकोर भाग में लगभग ३ फुट का एक गड्ढा सड़क के किनारे बन गया। इस गड्ढे को भरने के प्रयत्न सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये गये किन्तु मिट्टी के बार-बार धसने के कारण क्षेत्र की छानबीन की गई तो पता लगा कि इस गड्ढे के चारों तरफ १५ फुट चौड़ी और १० फुट गहरी कैविटी थी। इसी प्रकार की कैविटी सड़क पर ३ अन्य स्थानों पर बन गई। अतः यातायात की सुविधा के लिये एक डाईवर्जन तैयार किया गया। इस डाईवर्जन को बनाने के बाद जब यातायात चालू कर दिया गया था तब कार्य करते समय सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक बुल्डोजर धस गया। मालूम पड़ा कि इस स्थान पर भी पहले के गड्ढों की भांति पोली जगह है। दिनांक ७ अगस्त, १९७८ को उक्त बुल्डोजर निकाल लिया गया और सड़क पर यातायात चालू कर दिया गया।

प्रश्नगत राष्ट्रीय मार्ग का लगभग ८० फुट लम्बा तथा ३० फुट चौड़ा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। इस भाग की स्थिति अनुमानतः दौलतपुर ग्राम के प्लाट नम्बर २९४, २९५, २९६ तथा ६०८ के मिलान बिन्दु के निकट है। क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक ६-९-७८ को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के वरिष्ठ खान अधिकारी द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें बालू तथा मौरम की खुदाई का कार्य किया गया है वर्षा के पानी से भरा हुआ था जिसके कारण क्षेत्र में खनन कार्य की स्थिति का सही अनुमान लगाना सम्भव न था। स्थानीय लोगों से ज्ञात हुआ है कि ग्राम चौरा, उदयपुर इत्यादि के कुछ स्थानीय परिवार इस क्षेत्र में बालू की खुदाई में मजदूरी कार्य करते हैं। इस खनन कार्य में भू-सतह से पहले ३०-४० फुट गहरा चौकोर गड्ढा बनाया जाता है, जिससे खनिज में सुरंगे बनाकर खनन कार्य किया जाता है। निरीक्षण के समय हाइवे के निकट हाल में खनन के लिये कोई गड्ढा बना नहीं पाया गया।

इस क्षेत्र में काफी समय से बालू तथा मौरम की खुदाई का कार्य किया जा रहा है। पूर्व में यह कार्य स्थानीय जमींदारों तथा काश्तकारों द्वारा किया जाता था तथा वर्ष १९६५ के पश्चात् इस क्षेत्र में लगभग २५० बीघा क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा एक-एक वर्ष के लिये खनन पट्टे दिये जा रहे थे। ग्राम दौलतपुर में स्वीकृत किये गये खनन पट्टे की अवधि दिनांक ३१-७-७८ को तथा ग्राम दलौलिया में स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि दिनांक ३१-३-७८ को समाप्त हो गयी हैं। इस प्रकार वर्तमान में इस क्षेत्र में कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया गया है। स्थानीय व्यक्तियों से यह भी ज्ञात हुआ कि जिला प्रशासन द्वारा दिये गये पट्टों के क्षेत्र के अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थानीय व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर अवैधानिक खनन कार्य भी किया जाता है। अवैधानिक खनन कार्य के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की गयी है।

निरीक्षण में एकत्र की गयी सूचना के अनुसार सम्भवतः यह ठीक प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में जमीन का धंसना पूर्व में किये गये खनन कार्य से सम्बन्धित है। चूंकि क्षेत्र में पानी भरा होने के कारण विस्तृत सर्वेक्षण करना सम्भव नहीं था अतः यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इस क्षेत्र में जमीन के अन्दर सुरंगों की क्या स्थिति है। पानी हटने के बाद इस क्षेत्र की जांच पड़ताल विस्तृत रूप से की जायेगी।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)--

मान्यवर, एक प्रश्न पूछ लेने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न करने की इजाजत नहीं मिल सकती है।

श्री शंकर सिंह—

मेरे पास जो सूचना आई है उसमें है कि प्रश्न पूछ सकता हूं। यह एक संगीन मामला है वहां पर ट्रेन चलती है तो कभी भी भारी एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें सैकड़ों आदमियों की मृत्यु हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दीजिये। मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री शंकर सिंह—

एक प्रश्न पूछ लेने दीजिये। इसमें मेरे पास जो लिखकर आया है उसमें मैं प्रश्न पूछ सकता हूं जो नियमानुसार है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी जो सूचना थी उसको अस्वीकार करके माननीय अध्यक्ष ने उसमें लिखा है कि केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार है।

*श्री शंकर सिंह—

मेरे पास जो आया है उसमें लिखा है कि आप का वक्तव्य आज होना है। उसमें मैं प्रश्न पूछ सकता हूं। यह एक अहम लोक महत्व का प्रश्न है। एक प्रश्न करने दें।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं मंत्री जी ने कहा कि ढाई सौ बीघा क्षेत्र में खनन होता है। मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है वह यह है कि उसमें नेशनल हाईवे और रेलवे लाईन पड़ती है जिसका फासला मुश्किल से १०० गज है जहां से कि बालू की खुदाई होती है। वहां पर कोई गड्ढा नहीं होता है अन्दर ही अन्दर बालू निकाली जाती है जिसके परिणाम स्वरूप ८० मीटर सड़क नीचे धंस गई है। इसके अलावा वहां रेलवे लाईन भी है जिसके नीचे गहरी सुरंगें हो गई हैं और ट्रक तक उनसे निकल सकते हैं। मैं यह चाहता हूं जो मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है उससे स्पष्ट है कि जो पट्टे थे ठेकेदारों के उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है। तो जब तक पूरा निरीक्षण नहीं हो जाता उनको नया न किया जाय। इस मामले को एक महीने से ज्यादा हो गया है इस समय वहां पर जो कार्य हो रहा है उसके लिए जो ठेकेदार या अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

*श्री राम प्रकाश—

श्रीमन्, जैसा इस वक्तव्य में कहा गया है क्योंकि उस क्षेत्र में पानी भरा हुआ है जिस कारण विस्तृत जानकारी नहीं हो रही है। जब पानी हट जायेगा तो जो उचित कार्यवाही होगी, की जायेगी। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि आगे के लिए उस क्षेत्र में खनन का पट्टा नहीं दिया जायेगा।

बाकी जो रेलवे लाईन है उसके बारे में जो अभी तक जानकारी मिली है जो जांच हुई उसमें विवरण नहीं मिला कि वहां कोई खतरा है। हो सकता है पानी के हटने के बाद जो विस्तृत जानकारी होगी उसमें यदि रेलवे लाईन को खतरा होगा तो उसके लिए भी व्यवस्था की जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देव नागरी कालेज, मेरठ में एम० काम० कक्षायें खोले जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री (श्री कालीचरण)—

मान्यवर उत्तर प्रदेशीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ की मांग पर अप्रैल, १९७४ में शासन ने यह निर्णय लिया था कि यदि किसी अनुदानित महाविद्यालय में नया सेक्शन/नया विषय/नया संकाय खोला जायेगा तो उस पर होने वाला व्ययभार शासन द्वारा वहन किया जायगा। इससे पहले यह व्यवस्था नहीं थी। पहले किसी भी महाविद्यालय को नये सेक्शन/नये विषय/नये संकाय पर होने वाला समस्त व्ययभार प्रबन्धतन्त्र को स्वयं ही पहले तीन वर्षों तक वहन करना पड़ता था। उसके पश्चात् सम्बन्धित सम्बद्धता के स्थायी हो जाने पर तीन साल की अवधि के बाद उस विषय। संकाय को अनुदानित किया जाता था।

उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में शासन पर अत्यधिक व्ययभार न पड़े इस हेतु दिसम्बर, १९७५ मे हुये कुलपति सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि अब समस्त नवीन सम्बद्धता के प्रस्तावों पर पैनल गठित करने के पूर्व प्रत्येक विश्वविद्यालय शासन से नवीन सम्बद्धता के सम्बन्ध में क्लियरेन्स प्राप्त कर लें और तब पैनल गठित करके संस्था का निरीक्षण कराकर निरीक्षण आख्या अपनी संस्तुति सहित कुलाधिपति के आदेशार्थ प्रस्तुत करे।

इसी प्रक्रिया के अनुसार देवनागरी कालेज, मेरठ में एम० काम० कक्षायें खोलने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र फरवरी १९७८ में प्राप्त हुआ था। यह मामला अन्य सभी सम्बद्धताओं के मामलों के साथ विचाराधीन है। विचार करते समय उन सभी बातों को तो ध्यान में रखा ही जायेगा जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने अपने पत्र में किया है। किन्तु राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखना उससे भी अधिक आवश्यक है।

वैसे मेरठ नगर के निकटवर्ती स्थानों में भी एम० काम० के शिक्षण की प्रचुर सुविधा उपलब्ध है।

वाराणसी नगर में बिजली की आपूर्ति में अनियमितता के सम्बन्ध में वक्तव्य

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

मान्यवर, वाराणसी विद्युत् प्रदेय उपक्रम, वाराणसी के कर्मचारियों द्वारा दिनांक १८ अगस्त, १९७८ से एक कर्मचारी श्री तरुण कुमार चौधरी, मशीन आपरेटर के लखनऊ विद्युत् प्रदेय उपक्रम, लखनऊ को स्थानान्तरण किए जाने के विवाद को लेकर हड़ताल की गई। श्री तरुण कुमार चौधरी का स्थानान्तरण मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत्) के आदेश दिनांक १६ अगस्त, १९७८ के द्वारा परिषद् हित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से पारित किया गया था तथा श्री चौधरी को दिनांक १७ अगस्त, १९७८ के पूर्वान्ह में कार्यमुक्त किया गया। यह स्थानान्तरण आदेश श्री हरपाल सिंह, मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा पारित नहीं किये गये हैं। श्री चौधरी का स्थानान्तरण किसी दुर्भावना से नहीं किया गया था वरन् यह जनहित में प्रशासकीय दृष्टिकोण से किया गया था।

श्री तरुण कुमार चौधरी, मशीन आपरेटर हैं। वाराणसी प्रदेय उपक्रम में विद्युत् देयक पत्र आई० बी० एम० मशीनों द्वारा पंच कार्ड विधि से बनाये जाते हैं। जांच के दौरान विद्युत् बिलों में हेर-फेर का मामला प्रकाश में श्री आनन्द किशोर सुपरवाइजर द्वारा लाया गया। जबकि इसकी छान-बीन की जा रही थी तब श्री तरुण कुमार चौधरी द्वारा श्री आनन्द किशोर, सुपरवाजर के साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा गालियां व जान से मार डालने की धमकियां दी गईं। श्री आनन्द किशोर ने इस सम्बन्ध में मेलपुर थाने पर एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। चूंकि

यह मामला बहुत ही गम्भीर था। अतः यह परिषद् व जन हित में आवश्यक हो गया था कि श्री तरुण कुमार चौधरी का स्थानान्तरण करा दिया जावे जिससे कि की जा रही गड़बड़ियों पर नियंत्रण पाया जा सके और श्री चौधरी के उपभोक्ताओं से सम्बन्ध समाप्त हो सके।

हड़ताल के प्रथम दिन से दिनांक २२ अगस्त, १९७८ के दोपहर तक विद्युत् आपूर्ति नगर में सामान्य रही तथा ब्रेकडाउनों को ठीक किया गया। केवल उपभोक्ताओं के घरेलू फ्यूज की शिकायतों को ठीक नहीं किया जा सका। शहर में विद्युत् आपूर्ति की तिथि २२ अगस्त, १९७८ से खराब होनी शुरु हुई। ऐसी स्थिति हड़ताली कर्मचारियों के द्वारा की गई गड़बड़ियों से हुई।

जहां तक श्री शिव प्रसाद गुप्ता अस्पताल में विद्युत् आपूर्ति का सम्बन्ध है वहां विद्युत् आपूर्ति ठीक रही तथा कोई भी विद्युत् व्यवधान की शिकायत अस्पताल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा न तो दर्ज कराई गई और न मौखिक रूप से सूचित की गई।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विश्वनाथ वर्मनी एक प्राइवेट मिस्त्री अवैधानिक तरीके से बिना किसी सूचना के कबीरचौरा के पास चालू विद्युत वितरण लाइन के एक खम्भे पर चढ़कर किसी उपभोक्ता की बिजली ठीक कर रहे थे। संतुलन बिगड़ जाने के कारण वे चालू लाइन के सम्पर्क में आ गये तथा उनकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना प्राप्त होते ही उस हिस्से की लाइन पर विद्युत् आपूर्ति तुरन्त बन्द कर दी गई। बिजली के खम्भे पर चिपकी लाश को दमकल विभाग के कर्मचारियों द्वारा उतारा गया तथा पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम हेतु लाश ले ली गई।

लखनऊ में लकड़बग्घों के आतंक और उसके सम्बन्ध में निशातगंज पुल के पास प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृहमन्त्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ में कुकरेल बन्धे के समीप स्थित मुहल्ला अकबर नगर में दिनांक ६/७-९-७८ की रात्रि में लगभग २ १/२ बजे एक भेड़िया या लकड़बग्घा आया और श्री झगड़ू की ८ वर्षीय लड़की कुमारी रोशन जहां को उठा ले गया। गांव वालों ने बाद में कु० रोशन जहां को तलाश किया और लगभग २ फर्लांग की दूरी पर उन्हें कुमारी रोशन जहां के खाये हुए शव के कुछ अवशेष मिले जिसे वे वापस ले आये। दिनांक ७-९-७८ को प्रातः साढ़े सात बजे इसकी सूचना महानगर थाने को दी गई जहां पंचायतनामा लिखा गया और शव लड़की के पिता को दे दिया गया।

प्रतीत होता है कि कुछ स्थानीय लोगों ने विचार विमर्श कर फैसला किया कि कुमारी रोशन जहां के शव को विधान सभा पर लाया जाय जिससे भेड़िये को मारने के लिए शिकारी लगा दिये जांय, शासन से आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाय तथा अकबरनगर में बिजली की व्यवस्था हो जाय। इस पर यह लोग लड़की की लाश लेकर विधान सभा जाने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस ने उन लोगों को निशातगंज पुल के पास रोक दिया और समझा बुझाकर वापस जाने के लिए कहा। यह कहना सही नहीं पाया गया कि पुलिस ने उन लोगों पर कोई लाठी चार्ज किया अथवा मार पीट की। अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर) तथा पुलिस अधीक्षक (नगर) भी वहां गये और उन्होंने मुहल्लों वालों से मिलकर आवश्यक कार्यवाही

[श्री राम सिंह---]

करने का आश्वासन दिया । इस पर अकबरनगर के सभी लोग वापस चले गये तथा कुमारी रोशन जहां का अन्तिम संस्कार किया ।

अकबरनगर में सुरक्षा की दृष्टि से सशस्त्र पुलिस की गश्ती पार्टियां शाम ७ बजे से सुबह ५ बजे तक के लिये लगा दी गई हैं । दिनांक ७-९-७८ को अस्थाई रूप से बिजली का भी प्रबन्ध कर दिया गया है । वर्ष १९७८/७९ में जिला प्रशासन द्वारा ६६ भेड़ियों का सफाया लखनऊ जनपद के प्रभावित स्थानों पर कराया जा चुका है तथा भेड़िये मारने वालों को १५ सौ रुपये का पुरस्कार भी वितरित किया जा चुका है ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे श्री देवकुमार यादव की नियम ५६ के अन्तर्गत एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । चूंकि कल सदन में इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

लखनऊ में लकड़बग्घों के आतंक और उसके सम्बन्ध में निशातगंज के पुल के पास प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)

*श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)---

इस सम्बन्ध में श्रीमन्, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है, जहां यह वारदात हुई है, वहां पर २७ अगस्त को रात्रि को ४ वर्षीय एक बच्चे को, २ सितम्बर को एक ६ वर्षीय बालक को और फिर ६ सितम्बर को ८ वर्षीय बालिका को इस तरह से तीन बच्चे एक सप्ताह में लकड़बग्घे द्वारा खा लिये गए हैं । और हमसे यहां यह कहा जाता है कि ६६ भेड़ियों का सफाया कर दिया गया है । इतना ही नहीं पिछले ३ महीनों के अन्दर २० बच्चों की जानें गयी हैं । इस सबके बावजूद वहां पर न तो अस्थायी रूप से बिजली का कोई प्रबन्ध किया गया है और न उचित मात्रा में शिकारियों को इनका आतंक समाप्त करने के लिए लगाया गया है कि जिससे इन गरीबों की सुरक्षा ठीक से हो सके । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप गृहमंत्री से यह कहलायें कि उनको मारने के लिए पर्याप्त शिकारियों की अवश्य व्यवस्था होगी तथा जिनके बच्चे मारे गये हैं, उनके लिए उचित मुआवजे की तत्काल व्यवस्था होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिखकर भेज दें, गृह मंत्री जी उस पर तत्परता से कार्यवाही कराएंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

यह अकबरपुर ग्राम का प्रश्न नहीं है, यह तो पूरे लखनऊ का प्रश्न है । सरकार को आश्वासन देना चाहिए कि लकड़बग्घे कहां से आते हैं और इनके लिए वह क्या व्यवस्था सोच रहे हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री डी० पी० बोरा--

मान्यवर, वास्तव में बात यह है कि दिल्ली में एक बच्चा मरता है तो पूरा देश दहल जाता है। लेकिन २० गरीब घरों के बच्चे दो महीने में भेड़ियों से मार डाले जायं तो इस शासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। यह गरीबों के बच्चे हैं, जिनको सर छिपाने के लिए छत नहीं है। उनके बच्चों को भेड़िए उठा कर ले जाते हैं। उसके बावजूद स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ इस बात का आश्वासन न हो कि भेड़ियों को मारने की व्यवस्था होगी, बड़ी लज्जास्पद बात है।

श्री राम सिंह--

उनके मारने का पूरा प्रयास किया जायगा। पहले भी किया गया। अब भी करेंगे। जितनी चिन्ता माननीय सदस्य को है हमारी भी है।

एक सदस्य--

सदन की कमेटी बना दीजिये।

श्री डी० पी० बोरा--

वक्तव्य में कहा गया है कि अस्थायी रूप से बिजली की व्यवस्था कर दी गयी है। कोई बिजली की व्यवस्था नहीं हुई है। जिन जिम्मेदार व्यक्तियों ने सूचना दिया है क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गृह मन्त्री ने आश्वासन दे दिया है कि पूरी सतर्कता के साथ कोशिश करेंगे कि भेड़िए मारे जायं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

माननीय गृह मंत्री ने कहा कि अस्थायी बिजली की व्यवस्था हो गयी है। विद्युत् मंत्री बैठे हैं। विद्युत् मंत्री कहें कि बिजली की अस्थायी व्यवस्था हुई है या स्थायी हुई है?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गृह मन्त्री ने आश्वासन दे दिया है तो उसके लिये वे पूरी कोशिश करेंगे। अब गन्ने के ऊपर बहस होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय गृह मंत्री ने इसके बारे में कहा जहां तक गृह विभाग का सम्बन्ध है। विद्युत् विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग क्या कर रहा है? अवधपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत आता है। स्वायत्त शासन मंत्री बैठे हैं, अग्रवाल जी, कृपया आश्वासन देंगे कि इस बस्ती में पूरे प्रकाश की व्यवस्था होगी ताकि लकड़बग्घे भागें, इसकी व्यवस्था करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री ने आप की बात सुन ली है ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

उन्नाव में डेढ़ दर्जन बच्चों को मार दिया गया आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । आतंक फैला हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष--

लिखकर भेज दें और अपने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस से कहे ।

चीनी मिलों के बन्द होने के कारण किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा रहने से उत्पन्न स्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं आइटम नं० २१ लेता हूं । गन्ने के ऊपर चर्चा ।

इसमें दो घंटे की चर्चा होगी । जो प्रस्तावक हैं वह दस मिनट बोलेंगे । मन्त्री जी उत्तर दे देंगे । उसके बाद और माननीय सदस्य बोलेंगे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके पहले कि मैं चर्चा प्रारम्भ करूं मुझे एक गम्भीर आपत्ति की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना है । यह परम्परा है, व्यवस्था भी है कि जब ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो तो उस विभाग के अधिकारियों को भी आना चाहिए । लेकिन मैं देख रहा हूं कि मात्र सचिव और आयुक्त दो ही महानुभाव बैठे हैं । मैं चाहता हूं कि और भी अधिकारियों को आना चाहिए जो यहां पर दिए गये सुझावों को नोट करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

सचिव और आयुक्त मौजूद हैं तो और किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

गैलरीज में कौन बैठा है इस पर अध्यक्ष की नजर नहीं पड़ती है । गैलरी की ओर देखने की परम्परा नहीं रही है । आप इस सम्बन्ध में देख लें । यह निर्णय शासन को करना है कि कौन बैठा है या नहीं बैठा है । आपको नहीं करना है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अध्यक्ष के आदेश हैं कि जिस विभाग के बारे में यहां पर चर्चा होगी उस विभाग के उच्च अधिकारी रहेंगे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो मान्यवर, शासन को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि गन्ने की समस्या हल हो सके, लेकिन वह हल हो नहीं पायी है । मुझे दुख होता है कि जसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रयास हुए उनका कार्यान्वयन नहीं हुआ। पिछले कई वर्षों से गन्ने की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पिछले साल १५१ लाख टन गन्ना पेरा गया और इस वर्ष २०६ लाख टन गन्ना पेरा गया, उसके बाद भी गन्ना बहुत बड़ी मात्रा में खेतों में खड़ा रह गया। शासन द्वारा आदेश प्रसारित किए गये थे कि एक-एक गन्ना खरीद लिया जायेगा लेकिन लाखों टन गन्ना खेतों में खड़ा रह गया। मान्यवर साढ़े सात लाख टन गन्ना खड़ा रह गया। इसको स्वीकार भी किया गया है। अगर पेरने की ठीक व्यवस्था न की गयी तो उसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इतना होने के बावजूद गन्ना खड़ा कैसे रह गया? सब गन्ना पेर दिया जायेगा यह शासन ने कहा था। मिलों को जितना गन्ना पेरना चाहिए था उतना गन्ना नहीं पेरा गया और मिलें पहले ही बन्द हो गयीं। काश्तकार हल्ला मचाता ही रह गया। खेत में गन्ना खड़ा रह गया।

भ्रष्टाचार के आधार पर पर्चियां बांटी गयी। जिसके पास गन्ना नहीं था उसको भी पर्चियां दी गयी। महोली में क्या हुआ उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। काश्तकारों को एक-एक पर्ची देकर समाप्त कर दिया। मेरी जानकारी है और शासन की भी जानकारी में है कि जो प्रभावी काश्तकार थे उनको ट्रकें और ट्रालियों की पर्चियां दी गयी। ऐसे तमाम केसेज शासन के सामने आये। जिन लोगों के पास गन्ना नहीं भी था उनको ट्रकें और ट्रालियां ली गयीं। वह लोग काश्कारों से ३, ४ और ५ रुपये में गन्ना खरीद लेते थे और अच्छे दामों पर बेच देते थे। वहां पर जो तौलाई हुई उसमें भी बहुत ही भ्रष्टाचार था। सभी गाड़ियों की तौल १७.७८ क्विन्टल निकली। सभी एक ही माप की निकली।

(इस समय २ बजकर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भू नाथ पीठासीन हुए।)

मान्यवर, इसमें कारण यह था कि जितनी भी गाड़ियां आती थीं वह इस प्रकार लदी होती थी क्योंकि पर्ची आने की आगे सम्भावना नहीं होती थी इसलिए शाम को आपस में बंटवारा करते थे जो भी दिन भर में गलत ढंग से इकट्ठा होता था। मान्यवर, यह केवल महोली की ही बात नहीं। इस तरह के उदाहरण पूरे प्रदेश में मिलेंगे। मान्यवर किसान को गन्ने की पर्चियां नहीं मिलती। इस सदन में गन्ने के विषय में बराबर चर्चा होती रहती है।

गन्ने को हम दो श्रेणियों में ले सकते हैं। एक तो वह है जो कि आरक्षित क्षेत्र में है और दूसरा वह जो रिजर्व एरिया के बाहर है। गन्ने के सम्बन्ध में मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। मंत्री जी ने बताया कि आदेश कर दिये गये हैं कि गन्ना खड़ा नहीं रह पायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में सर्वे नहीं किया गया है। १५ अगस्त तक सर्वे पूरा होना चाहिए था। उसके बाद २३ अगस्त तक भी कोई सर्वे नहीं किया गया। यह मेरी निश्चित जानकारी है कि किस तरह से, और विशेष रूप से मेरे जिले में, किसान परेशान हैं।

मान्यवर, गन्ने के विषय में कोई निश्चित एवं ठोस नीति नहीं बनायी गयी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राजेन्द्र कुमार जी, आपका समय समाप्त हो गया है । आप दस मिनट बोल चुके हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, दो चार मिनट का समय और दे दें । बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ।

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि पूरे गन्ने के क्षेत्र का दोबारा सर्वे कराया जाय और उसी के आधार पर पर्चियों का वितरण किया जाय । जो पुरानी पर्चियों का कोटा है उसे समाप्त कर उसके स्थान पर नये पर्चियों के कोटे की व्यवस्था की जाय । इससे इस समस्या का कुछ हल हो सकेगा और गन्ना खड़ा नहीं रह पायेगा । आज किसानों का गन्ने का बहुत ज्यादा बकाया पड़ा हुआ है । जबकि दूसरी तरफ यदि सरकार का रुपया उनके ऊपर बकाया है तो उनकी कुर्की हो रही है । नीलामी हो रही है । इसमें मेरा सुझाव यह है कि जिस काश्तकार का गन्ने का बकाया हो यदि वह रकम जिसकी कि उससे वसूली की जानी है उस रकम से कम हो तो उसे बिल्कुल भी परेशान न किया जाय । क्योंकि उसका पैसा तो गन्ने में फंसा हुआ है वह कहां से दे सकता है ।

इस सम्बन्ध में कई बार सदन में भी कह चुका हूं । मान्यवर, राजस्व मंत्री जी का कल ही मुझे पत्र मिला है कि इसमें कुछ समय लगने की सम्भावना है । मैं कहता हूं कि कोई समय नहीं लगना चाहिए । यदि किसी काश्तकार का मिल के ऊपर गन्ने का बकाया है तो मैं समझता हूं कि उससे सरकारी वसूली नहीं की जानी चाहिए । यदि तत्काल आदेश नहीं गये तो वे काश्तकार अपनी पर्चियां लिए हुए घूमते रहेंगे ।

जैसा मैंने पहले भी कहा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मिल एरिया के बाहर हैं, उनके लिए चिन्ता की आवश्यकता है । जो क्रशर्स वाले हैं, वे कम पैसा देते हैं शायद उनको पड़ता न आता हो, मेरी प्रार्थना है कि मिली-जुली एक ऐसी नीति बनायी जाय जिससे काश्तकारों को इस बात की पूरी गारन्टी दी जा सके कि उनको निर्धारित मूल्य मिलेगा । इसके लिए नयी व्यवस्था करने की आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

(गन्ना मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक बयान दे दिया है । उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें । मैंने मंत्री जी को बुला लिया है ।

*श्री शिव मंगल सिंह (गन्ना मन्त्री)—

मान्यवर, मैं अपना बयान बंटवा चुका हूं लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मोटे-मोटे तौर पर जो उसकी विशेष बातें हैं, उनको सदन के सामने रख

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूं ताकि चर्चा करने में सहूलियत हो जाय। मान्यवर, १९७७–७८ गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग के लिए अभूतपूर्व समस्या प्रधान सत्र रहा है। जहां अनेकों प्रकार की कठिनाइयां निकली हैं, उनके निदान के लिए भी हमको गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

मान्यवर, इस वर्ष में गन्ने के क्षेत्रफल और उसके उत्पादन में काफी वृद्धि हुयी थी जिसके फलस्वरूप जहां पिछले सत्र में ५३६ लाख टन गन्ना पैदा हुआ था, वहां इस सत्र में ६८० लाख टन हुआ है। एक ओर तो गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा, उत्पादन बढ़ा दूसरी ओर चीनी के मूल्यों में भारी गिरावट आयी और चीनी के मूल्यों में ही नहीं खंडसारी और गुड़ इत्यादि के दामों में भी भारी गिरावट आयी है और प्रदेश में इनकी खपत की समस्या खड़ी हो गयी है। किस प्रकार से खपत हो, इस पर भी समय–समय पर शासन द्वारा विचार होता रहा है। जनवरी और फरवरी के महीने में ऐसा प्रतीत हुआ कि जितनी मात्रा में गन्ने का उत्पादन हुआ है सम्भवतः उसकी पेरायी कराने में भी हमें सफलता प्राप्त न हो सकेगी, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों के होते हुए भी शासन ने इस समस्या को हल करने में काफी सफलता प्राप्त की है। जैसे मैं पहले कह चुका हूं इस सत्र में ६८० लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। विभिन्न गन्ना समितियों द्वारा चीनी मिलों को इस वर्ष २०२·५ लाख टन गन्ना पूर्ति का औफर दिया गया था जिसके विपरीत चीनी मिलों द्वारा लगभग २०६ लाख टन गन्ने की पेराई करवाई गयी जो कि एक नया कीर्तिमान है जिसको हमने स्थापित किया है।

चीनी के मूल्यों में भारी गिरावट के कारण फैक्टरियों को जो क्षति उठानी पड़ी और जो–जो दिक्कतें उनके रास्ते में आयीं जैसे रिकवरी में गिरावट आयी, उन चीनी मिलों को हमने जुलाई के अंतिम सप्ताह तक चलवाया है। और आखिरी मिल ६ अगस्त को बन्द हुई है। जहां तक गत वर्ष गन्ने की पेरायी का सम्बन्ध है उसमें सरकार को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि इसके पिछले वर्ष में १५१·५ लाख टन गन्ने की पेरायी हो पायी थी।

एक उल्लेखनीय बात और बतलाना चाहता हूं और वह यह कि गन्ने की जो दरें हमने शुरू में घोषित की थीं, आखिर तक काश्तकार को वही दरें दिलवायीं। यह देखते हुये भी कि चीनी के दाम काफी गिर गये और मिल मालिकों को काफी नुकसान हुआ है, हमने गन्ने की कीमत में कमी नहीं की। यह इस बात को बताता है कि हमारा ध्यान गन्ना कृषकों की तरफ कितना है।

मिलों के अतिरिक्त खांडसारी इकाइयों को भी हमने जोरदार शब्दों में अधिक से अधिक गन्ने की पेरायी के आदेश दिये। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि खांडसारी इकाइयों ने अपना समुचित योगदान दिया है और पिछले वर्ष जब कि उन्होंने ६७·५ लाख टन गन्ने की पिरायी की थी, इस वर्ष १०५ लाख टन गन्ने की पेरायी की।

जो गन्ना शेष रह गया है उसका हम सर्वे करा रहे हैं। ऐसा लगता है कि गन्ने के बारे में कुछ भ्रामक प्रचार किया गया है। केवल ७–८ लाख टन गन्ना ही पेरने से बचा है। इसके लिये भी हमने आदेश प्रसारित कर दिये हैं कि अगला पेरायी का सत्र शुरू होने पर सबसे पहले इस अवशेष गन्ने की पेरायी प्राथमिकता

[श्री शिव मंगल सिंह]

के आधार पर की जायेगी, उसके बाद ही नया गन्ना लिया जायेगा । चीनी मिलों को हमने यह भी आदेश दे दिये हैं कि अक्तूबर के आखिरी सप्ताह से काम शुरू कर दें । हम जानते हैं कि पिछले वर्ष मिलें देर से चालू हुई जिसके कारण यह समस्या इतनी जटिल हो गयी । इसलिये अबकि बार हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि मिलें समय से चालू हो जायें । इस बार मेरा विश्वास है कि आपको इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो पायेगी ।

समाचार पत्रों तथा माननीय सदस्यों के वक्तव्यों से कभी कभी भ्रम हो जाता है । कहीं उन्होंने ऐसा समझ लिया कि सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया था कि प्रदेश का जितना गन्ना खड़ा है उस सब की पेराई हो जायेगी । मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा कि चीनी मिलों की पेराई की भी एक क्षमता होती है, एक औसत होता है । करीब-करीब २५-३० फीसदी गन्ने की खपत इन मिलों में हो पाती हैं । १३ प्रतिशत खांडसारी उद्योग में इसकी खपत हो पाती है । करीब ४७-५० प्रतिशत के बीच गन्ना गुड़ के काम आता है । १५ प्रतिशत के करीब चूसने के काम में और बीज के काम आता है, तो आज जो हम बात करते हैं सुरक्षित क्षेत्र की, यह इसी आधार पर बात करते हैं कि भिन्न-भिन्न तरीके से हम इस गन्ने की खपत कराते हैं । एक केवल चीनी मिलों के ऊपर अपने आंकड़े प्रस्तुत करें, तो यह न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम मिलों से पेराई की बात करेंगे, तो उसी सुरक्षित क्षेत्र की भी बात करेंगे और उसी में सफलता और असफलता की बात करेंगे । कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, आपको किसी देश में प्रमाण नहीं मिल सकता कि जितना भी गन्ना है, वह १०० फीसदी चीनी मिलों के द्वारा ही पेराया जाय । जिस अनुपात में चीनी मिलों से या खाण्डसारी से पेराई करनी है या जिस मात्रा में गुड़ के लिए पेराई करनी है, उस मात्रा में इसको देखना चाहिए और जब भी कभी मैंने आंकड़े प्रस्तुत किया है कि जो चीनी मिलों की सुरक्षित हमारी गन्ने की पेराई हुई है, उसमें उत्पादन ६८० लाख टन का हुआ था, उसी की हम आप से चर्चा करते हैं । अभी हमारा सर्वे पूरा नहीं हुआ है और सर्वे के लिए हमने अपने अफसरों को आदेश दे दिये हैं, सर्वे हो भी रहा है । सुरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत जितना भी हमारा गन्ना बाकी पड़ा है, मैं एक-एक क्षेत्र के गन्ने की पेराई प्राथमिकता के तौर पर अगले सत्र में करा दूंगा ।

मान्यवर, एक दूसरा अहम सवाल हमारे सामने आता है । जहां उत्पादन में और पेराई में हमारी उपलब्धियां रही हैं निश्चित रूप से कुछ दिशा में हम पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्राप्त कर सके । मैं इस बात को ठीक तरीके से स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक गन्ने के मूल्य के भुगतान का प्रश्न है उसमें हमको पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि जो गन्ना खरीदा गया इस सत्र में वह २५८.१८ करोड़ का खरीदा गया, उसमें २१०.१५ करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है और शेष ८० चीनी मिलों पर ४८.३ करोड़ रुपये गन्ने के मूल्य का बकाया रह गया । इस संबंध में मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि यह गन्ना मूल्य का बकाया किसी सरकार की लापरवाही या चूक या सावधानी से नहीं हुआ । इसका केवल एक कारण है, जिसके कारण हम लोगों का नियंत्रण नहीं हो सकता था, जहां चीनी की कीमतों में भारी गिरावट थी और जो अग्रिम बैंकों से मिला था और जो हमारी चीनी की बिक्री से जो मूल्य प्राप्त हुआ यह सारी धनराशि इतनी उपयुक्त नहीं थी कि इससे गन्ने के मूल्य का भुगतान कर सकते और समुचित समय पर दे सकते । इसलिए जो बात की जाती है, उसमें यह भी

जानने की आवश्यकता पड़ती है कि क्या-क्या कठिनाइयां थीं, जो गन्ने के मूल्य का बकाया रह गया ।

दूसरा कारण यह भी था रिकवरी गिर जाने से उत्पादन की लागत की दर जो हुई है, वह काफी ऊंची हुई है और इस वजह से नुकसान हुआ है, जिससे चीनी मिलों को भुगतान करने में कठिनाई हुई है । तो इस तरह से दिक्कतें हमारे सामने आ जाती हैं । तो उस भुगतान में थोड़ा बहुत विलम्ब अवश्य होता है । हम कभी नहीं कहते हैं कि इन चीनी मिलों से गन्ने का भुगतान न कराया जाय । सरकार इसके लिए पूरा प्रयत्न कर रही है और हमने कदम भी उठाया है जो कैश क्रेडिट के लिमिट की बात है उसके लिए शीघ्र ऋण सीमा को निश्चित किया जाय । साथ ही साथ जिलाधिकारियों को मैंने आदेश दे रक्खे हैं कि चीनी से जो पैसा मिलता है उसे गन्ना मिलों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाय । साथ ही साथ हमने केन्द्रीय सरकार से इस बात के लिए प्रस्ताव रक्खा है कि वह एक बफर स्टाक कायम करें जिससे इस चीनी की खपत को बढ़ाने में सहायता मिल सके ।

श्री ऊबल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, क्या केन्द्रीय सरकार इसके लिए तैयार है ?

श्री शिवमंगल सिंह--

मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार स्वीकार करेगी । अब इस वजह से एक सवाल पैदा होता है कि जो गन्ना मिलों से अवशेष रह गया है और आज खासतौर से इस वर्ष बाढ़ का प्रकोप इस प्रदेश में आ गया है, गन्ना मिलों से पैसा न मिलने के कारण छोटे काश्तकारों को बड़ी कठिनाई हो रही है । इस सम्बन्ध में जहां तक मेरा सम्बन्ध है, राजस्व विभाग क्या करेगा, क्या नहीं करेगा किन्तु मेरा प्रयास इस बात का है कि हम काश्तकारों की सुख सुविधा का इन्तजाम करें । काश्तकार को कोई कठिनाई न हो सके । इस प्रकार जहां तक मेरे विभाग का सम्बन्ध है और मेरे विभाग के जो कर्जे हैं, जब तक गन्ना मिलों से काश्तकारों को पैसे का भुगतान नहीं हो जाता तब तक किसी प्रकार का उत्पीड़न काश्तकारों को न किया जाय, ऐसे आदेश मैंने अपने विभाग को दे रक्खे हैं । साथ ही साथ जिसके पास जो अवशेष गन्ने का रह गया है यदि उस पर ऋण का बकाया है और यदि ७५ प्रतिशत अवशेष है तो उसको बकायादार नहीं माना जायेगा । उसको सारी सुविधायें जैसे खाद, बीज आदि की पहले की तरह प्राप्त होती रहेगीं । इसी तरीके से जो वर्तमान थोड़ी कठिनाइयां हैं उसको इसमें हल कर दिया गया है ।

अब एक बहुत ही जरूरी बात आती जिसकी तरफ हमारे माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने ध्यान आकर्षित किया वह है भ्रष्टाचार का है । मैं ऐसा समझता हूं कि जहां सरकार इस गन्ने की समस्याओं से जूझ रही थी, इसका निराकरण करने की बात सोच रही थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे कुछ कर्मचारियों के साथ सांठ गांठ करके गलत कारगुजारी करने की कोशिश की और किसानों को परेशान करने की बात सोची गई । इस सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हमारे कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसी शिकायतें पाई गई है और वे दोषी पाये गये है, उनके विरुद्ध न केवल विशेष कार्यवाही की गई है बल्कि ऐसे लोग जो असामाजिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं उनके विरुद्ध एफ० आई० आर० लिखवायी गयी है और मुकदमा चलाने की कार्यवाही की जा रही है । इन सारे लोगों पर मुकदमा चलाया जायेगा ।

[श्री शिव मंगल सिंह--]

जहां तक जांच का सम्बन्ध है हमने गन्ना विभाग के मुख्यालय का एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसके साथ ही साथ १४ फ्लाइंग दस्ते बनाये हैं जो कि भ्रष्टाचार को रोकने में सक्रिय रूप से सहायक होंगे। इस तरह से, इस तरह के कदम उठाये गये हैं जिससे भ्रष्टाचार की जो बात आती है उसका निवारण हो सकेगा। अब जो सवाल यह आता है कि आगे जो पूर्ति व्यवस्था है, जिसकी तरफ काफी ध्यान दिलाया गया है, मैं उस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं मैं नहीं कह सकता हूं कि इस विभाग की पूर्ति व्यवस्था में कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की शिकायतें मेरे कानों में आई हैं, हमने कोशिश की है कि अगले सत्र में इस प्रकार की कठिनाइयां सामने न आयें।

सर्वे के संबंध में गांव स्तर पर, समिति स्तर पर, जिला स्तर पर एक निर्धारित तिथियों की सूची प्रदर्शित की जायेगी और लोगों को आमंत्रित किया जायगा कि आपका नाम छूट तो नहीं गया है, हर प्रकार की गड़बड़ी और अनियमितता की आपत्ति की सुनवाई करके उसको पूरा किया जायगा। आमतौर पर शिकायतें मिली हैं कि ४ एकड़ क्षेत्रफल को १० एकड़ लिखा दिया गया या ४० क्विंटल को ४०० क्विंटल लिखा गया, तो आवश्यकता है कि कैलेंडर सही तरीके से तैयार हो, तो जो हमने नयी व्यवस्था की है, उपयुक्त अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बनाया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कि अगले वर्ष में बहुत कम त्रुटियां मिलेंगी। १०० फीसदी तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ९० फीसदी इसमें बुराइयों को दूर करेंगे और सही मानों में कैलेंडर आपके सामने आयेगा।

श्री अधिष्ठाता--

आपको मंत्री जी, जवाब भी देना है।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

व्यवस्था के नाम पर आप बोलना चाहते हैं।

श्री लक्खी सिंह--

जरा सुनिये। २-३ मिनट सुन लीजिये। देखिये मैं ७५ साल का व्यक्ति हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बिना इजाजत बोल रहे हैं।

श्री लक्खी सिंह--

सुन लीजिये। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। मैं एक छड़ी रखता हूं। अंधेरे में मैं गिर गया और टांग टूट गयी तो मार्शल जिम्मेदार होंगे। मार्शल ने मेरी छड़ी रखवा ली।

श्री अधिष्ठाता--

आप मेरी बात सुन लें। आपको बोलने का समय मिलेगा उस समय आप अपनी बात कहियेगा। अभी मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री शिव मंगल सिंह--

दूसरी बात जो शिकायतें गन्ने के मूल्य के भुगतान के संबंध में आयी हैं तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पर हम गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं और व्यवस्था कर रहे हैं जिससे गन्ने के मूल्य के भुगतान के संबंध में शिकायत होने की गुंजाइश नहीं रह जायगी ।

एक सदस्य--

चर्चा के प्रति कोई भी कार्यवाही शासन के लोग नहीं करते हैं इससे मुझे दुख है ।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी, आपको जवाब देना है, आप समाप्त करें । माननीय सदस्यों को भाग लेना है ।

श्री शिव मंगल सिंह--

आपकी आज्ञानुसार मैं तुरन्त समाप्त करता हूं । एक बात मैं और कहना चाहता हूं आपने सभी माननीय सदस्यों से कि गन्ने की समस्या ने आज राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण किया है और करोड़ों करोड़ों की संख्या में हमारे किसान इससे प्रभावित होते हैं । इसलिए इस समस्या को यदि मिल जुलकर राजनीति से ऊपर उठकर उसके निराकरण की बात सोचें तो यह अच्छी बात होगी ।

मान्यवर, इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि अभी हाल में जन प्रतिनिधियों, कृषकों, गन्ना किसानों खांडसारी के लोगों को और बैंक के लोगों को बुलाकर एक सामूहिक बैठक किया था कि आगे किस तरह से इस समस्या को हल किया जाय । इसमें विचार हमने आमंत्रित किये थे, तो हमें अच्छे और उपयोगी सुझाव मिले हैं सम्मेलन में । उससे शासन को आगे की नीति निर्धारित करने में मदद मिलेगी । इसलिए इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान शासन जो छोटे गन्ना किसान हैं उनको शोषण करने की आज्ञा कभी प्रदान नहीं कर सकता है और न इसको बरदाश्त कर सकता है कि छोटे काश्तकारों के साथ अन्याय हो । इस संबंध में मोटी-मोटी बातों को आपके सामने रक्खा है इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि यदि हमारी कहीं कमजोरी या कठिनाइयां हैं तो उसके संबंध में माननीय सदस्य सुझाव पेश करेंगे जिनका मैं स्वागत करूंगा जिससे गन्ना-समस्या हल हो और अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ हो सके ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, कई विषयों में विवाद होना है जिनमें लगभग साढ़े ७ घंटे लगगें लेकिन गन्ना का सवाल महत्वपूर्ण है इसलिये सदन का समय एक या आधे घंटे और बढ़ा दिया जाय ।

श्री राज बजराज सिंह (जिला लखीमपुर खीरी)--

मान्ययर, दो घंटे का समय ही इस पर निर्धारित हुआ है । अभी उपाध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावक महोदय १० मिनट और बाकी सदस्य ५ मिनट

[श्री राज ब्रजराज सिंह--]

बोलेंगे । आज की कार्य सूची में कई विषय हैं इसलिए शायद १० बजे तक विधान सभा चले । अतः निवेदन है कि एक समय निर्धारित कर दें जो सभी के लिए हो ।

श्री अधिष्ठाता--

आप सभी का सहयोग होगा तो २ घंटे में ही चर्चा इस पर समाप्त हो जायेगी ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् गन्ना और चीनी उद्योग हमारे प्रदेश में इस समय ऐतिहासिक संकट की घड़ी से गुजर रहा है और यह चुनौती गन्ना मंत्री के सामने है कि उन्हें अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में यही विभाग चुनौती में मिला है । इसलिए उनके लिए और शासन के लिए यह एक चुनौती है । मान्यवर, इस विवाद को मैं दो हिस्सों में ले सकता हूं । एक तो यह कि इस वर्ष जो सीजन बीत चुका है उसकी समस्या और दूसरे गन्ने की समस्या । जहां तक खड़े गन्ने का प्रश्न है मंत्री जी इसको स्वयं देखेंगे कि जब सर्वे हो रहा है तो कैसे कहा जा सकता है कि ७-८ लाख टन गन्ना ही खड़ा है । बारबार सर्वे पर जोर दिया गया है, आंकड़े देखें तो ६८० लाख टन गन्ना सुरक्षित एरिया में पैदा हुआ । रिजर्व एरिया का गन्ना ज्यादातर चीनी मिलों को जाता है खांडसारी मिलों को नहीं जाता, गुड़ को नहीं जाता । अब ६८० लाख टन गन्ना हुआ । इस में से कुल २०६ लाख टन चीनी मिलों ने पेरा, १०५ लाख टन खांडसारी यूनिटों ने पेरा, बचा कितना, ३६९ लाख टन । ३६९ लाख टन गन्ना पेरने से बच गया । अब ३६९ लाख टन में गुड़ भी शामिल है । यदि मंत्री जी के ही आंकड़ों को ही लिया जाय तो ५० प्रतिशत गुड़ बच गया । गुड़ के आंकड़े माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में नहीं दिये । खांडसारी के बारे में चर्चा हुई, चीनी के बारे में चर्चा हुई लेकिन गुड़ का क्या होगा ? न केन्द्रीय सरकार ने इस पर सोचा और न प्रदेशीय सरकार इस पर सोच रही है । इस वक्तव्य में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है । कोल्हू का क्या होगा अगले वर्ष के लिए इन तमाम बातों का कोई जिक्र नहीं है ।

श्रीमन्, अब देखने की बात यह है कि एक तो राज नारायण जी की बात मान लीजिए जो हमारे विशेषज्ञ है इस मामले में । एक करोड़ टन गन्ना खड़ा है और ७५ करोड़ रुपया मुआवजा इस सरकार को देना चाहियें उनके मुताबिक जो उनकी सरकार है । राज नारायण जी की भी सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार । आज मुख्य मंत्री जी उनके हैं और अधिकतर बहुमत उनका है यहां । राज नारायण जी की सरकार राज नारायण जी की बात मानेगी । मैं गन्ना मंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार की बात कर रहा हूं कि राज नारायण जी की बात मान कर एक करोड़ टन को मंजूर करना चाहिये और ७५ करोड़ का मुआवजा देने की बात सोचनी चाहिए । वह हमसे ज्यादा आगे बढ़ गये हैं । अब सोचने की बात यह है कि राज नारायण जी को ये आंकड़े किन्होंने दिये । उन को यह जरूर ज्ञात है । वह मुख्य मंत्री जी से बात करते हैं । किसान सम्मेलन में बात करते हैं । तो यह आंकड़े कहां से आये ? ये सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं ? यह बात साफ होनी चाहिये या आप को उन्हें कन्ट्राडिक्ट करना चाहिए कि फीगर गलत है । गलत बताना चाहिए । प्रदेश सरकार की क्या नीति है श्रीमन्, यह नहीं बताया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अब दूसरी बात श्रीमन, यह है कि खांडसारी के दाम तय किये गये ९ रुपये, और दिये तीन रुपये, चार रुपये, दो रुपये। तो खांडसारी की कीमत ठीक दें इसकी क्या व्यवस्था हुई है। अभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि मिल मालिक खांडसारी वालों को कितनी छूट देंगे एक्साइज ड्यूटी में, परचेस टैक्स में कितनी छूट देंगे। यह जो पेमेन्ट की दिक्कत माननीय मंत्री जी ने बताई वह इसी पर निर्भर है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि लगभग ५० करोड़ रुपये की उनको छूट देनी चाहिए यदि नई छूट को जो डिकन्ट्रोल के बाद होने जा रही है शामिल कर लिया जाय तो यह लगभग सौ करोड़, सवा सौ करोड़ हो जायेगी। माननीय मंत्री जी ने कोई आंकड़ें नहीं दिये। मेरे पास जो कच्चे आंकड़े हैं उनके हिसाब से कह रहा हूं। तो मिल मालिक को आप एक्साइज ड्यूटी में, परचेज टैक्स में कितना कनसेशन देते हैं। जितने करोड़ रुपये कनसेशन मिलता है वह किसान को ओर मजदूर को जाना चाहिए। इसका कोई माप दण्ड बनाया गया है या नहीं जो नई छूट दी गयी है। तो माननीय गन्ना मंत्री जी को सदन को आश्वस्त करना चाहिए।

श्रीमान्, गुड़ की बात भूलनी नहीं चाहिए। चीनी और गुड़ की एक टोटल पालिसी बननी चाहिए। क्यों कि अगले साल यह बात आने वाली है। गुड़, खांडसारी, चीनी और गन्ना इन चारों की दाम नीति बननी चाहिए। दूसरी क्रापों की दाम नीति क्या होगी यह भी बननी चाहिये ताकि प्राइस में पैरिटी हो सके। खाली यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि गन्ना कम लगाओ। दाम नीति बाधने से किसान को ठीक दाम मिल सकेगा। बैंकों से माननीय गन्ना मंत्री और संस्थागत मंत्री बैठ कर बातचीत करें। बैंक्स रिजर्व बैंक के बातचीत करें। केन्द्रीय सरकार बातचीत कर रही है गन्ना विकास मंत्री भी कर रहे होंगे। अगले महीने गन्ना मंत्री तथा मुख्य मंत्री के लिये चुनौती हैं। यह देखना है कि अगले साल मिलें समय से चलें। कैश क्रेडिट को बढ़ाना होगा, दाम बांधो नीति घोषित करनी होगी। ऐसा न होने पर मिल मालिक मिलें देर से चलायेंगे।

मिल मालिक यह चाहते हैं कि उनको पहले यह मालूम हो जाय कि कितनी एक्साइज ड्यूटी में उनकी छूट मिलेगी और क्या क्या छूटें मिलेंगी तभी मिलें जल्दी चल सकेंगी। अगर मिल जल्दी नहीं चलेगी तो अगले साल भी यही होगा। केन्द्रीय सरकार तय नहीं करेगी तो आप भी नहीं कर सकते। इसलिए गन्ना विकास मंत्री को मैं बधाई देता हूं कि वह कुछ दूसरे मंत्रियों से भिन्न हैं। बाद में उन पर दबाव पड़ सकता है लेकिन उनमें बदले की भावना नहीं है और वह हालत को समझना चाहते हैं। शुरुआत जैसी है मैं चाहता हूं वह शुरुआत आगे भी बनी रहे। उनके लिये चुनौती या यह सबसे कठिन विभाग है। केन्द्र सरकार के कान पकड़ने होंगे। डिकंट्रोल करके समस्या को बढ़ा दिया है।

शुगर मिल्स चाहे कोआपरेटिव की हो अथवा कारपोरेशन की जो पूरब में हैं वे चौपट होने जा रही हैं अगर केन्द्र ने अपना रवैया उत्तर प्रदेश की शुगर मिलों के साथ ठीक न किया तो जगजीवन राम की नीति जो इन्द्रा गांधी के जमाने में थी उसको अगर बदल दिया तो यह मिलें और भी चौपट हो जायंगी। यह इस सरकार के लिये और भी चुनौती का वर्ष है। डिकंट्रोल की नीति से सावधान होना पड़ेगा। जनता पार्टी ने वायदा किया था कि २० रुपय क्विन्टल गन्ने के दाम दिलायेंगे तो क्या आज वह असंभव है? हमें व्यवहारिक होना चाहिये अब आप गन्ने के कितने दाम दिलवायेंगे यह आपको किसान को बतलाना होगा, जनता

[श्री नारायण दत्त तिवारी--]

को भी बतलाना होगा और मिल मालिक को भी बतलाना होगा। मिल मालिक को नहीं बतलायेंगे तो वह कैलकुलेट कैसे करेगा ? कारपोरेशन को जो नौजवान आफिसर्स की टीम इस समय मिली है वे अनुभवी हैं, काम करना चाहते हैं उनको ले कर आप कुछ काम कर सकते हैं लेकिन भारत सरकार को प्रभावित करना होगा। चीनी के बफर स्टाक की जो नीति है उसमें आप केन्द्रीय सरकार को बदलने में असफल रहे हैं। १० लाख टन के बजाय २० लाख टन का बफर स्टाक बनाना होगा और जो बीमार चीनी मिलें हैं उनके लिये ऋण लेना होगा। मैं मांग करता हूं कि गन्ने के दाम जो इस वर्ष तय किये गये हैं उससे किसी हालत में कम न हों।

चीनी के बारे में ऐसी नीति बनाई जाय जो उत्तर प्रदेश के लिये व्यवहारिक हो और केन्द्रीय सरकार को प्रभावित किया जाय कि वह नीति उत्तर प्रदेश और बिहार के लिये फायदेमन्द हो ताकि यहां के जो गरीब है, गन्ना किसान है वे लाभान्वित हो सके और जो बीमार चीनी मिलें हैं उनको ठीक से चलाया जाय।

*श्री राज बजराज सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं समस्त सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विषय को राजनीतिक चर्चा का प्रश्न न बनायें जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा है कि हम इस पर एक विशुद्ध भावना से विचार करें। यह ऐसा उद्योग है जिसका प्रदेश की जनता और इस कृषि प्रधान प्रदेश के कृषकों से सीधा सम्बन्ध है। इस पर हमें राजनीतिक दलबन्दी के दल-दल में न जाकर गन्ना उद्योग और कृषकों के पारस्परिक सम्बन्ध को विकसित होने के लिये एक सुन्दर और सुदृढ़ नीति बनानी चाहिए।

मान्यवर, हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष गन्ना सर्वाधिक रहा है। जहां इस वर्ष गन्ना उत्पादन रिकार्ड तोड़ हुआ है वहीं दूसरी ओर रिकर्ड तोड़ क्रय भी हुआ है। हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान सदस्य जानते हैं कि हर ५ साल में एक समय आता है जब गन्ना एक्सेस में हो जाता है। इस वर्ष गन्ने की बहुतायत थी। पेराई से जो गन्ना शेष रहा है उसके लिये सरकार नैतिक रूप में और नकाबी रूप में बाध्य नहीं है और न कोई सरकार प्रतिबन्ध लगा सकती है कि हम उसको लेंगे। जनता सरकार ने यह प्रयास किया कि हम कृषकों और जनता के हित में रिजर्व एरिये में उत्पादित गन्ने को भी लेंगे। गन्ना क्रय में जो बिलम्ब हुआ है उसमें एक कारण हमारी केन्द्रीय और प्रदेशीय नीति का भी योगदान है।

मिलों को विलम्ब से चलाने के फलस्वरूप बहुत सा गन्ना खेतों में खड़ा है। वह लगभग ८-१० लाख टन होगा, जिसका कि सर्वे कराया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा की है कि मिल शुरू होने पर इनको प्राथमिकता दी जायेगी। इस सम्बन्ध में हमें यह निवेदन करना है कि आप प्राथमिकता किस प्रकार देंगे उसके लिये नीति बना लें। दूसरी बात यह है कि जो बकाया है उसको दिलाने की व्यवस्था करा दें। पेमेंट दिलाने के सम्बन्ध में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाय। बाढ़ क्षेत्र के जो किसान है उनमें आप कम से कम जो मिल का पैसा बंट रहा है, उसमें शीघ्रता करें। मैं सरकार की प्रशंसा करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहूंगा कि उसने इतना साहसिक कदम उठाया है और डीकंट्रोल करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है । यह जनता पार्टी की नीति अनुरूप हुआ । जब आप के पास शक्कर स्टाक में है तो उसके लिये बफर स्टाक होना चाहिए । जब आपके गोदाम भरे हुये है तो उसे चोर बाजारी से बेचने का कोई औचित्य नहीं है । मान्यवर, एक किताब है शुगर इन टरमोइल जिसे केन्द्रीय सरकार ने रिलीज किया है । आप जानते हैं कि गन्ना उद्योग को इस वर्ष काफी क्षति रही है । फिर भी गन्ना किसानों को आपके नेतृत्व में सहायता मिली और ६ अगस्त तक मिलों को चलाने की व्यवस्था की गई । यह वास्तव में अच्छी बात हुई इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें ।

श्री राज ब्रजराज सिंह--

हम इस बात का तहे दिल से स्वागत करते हैं । हम लोगों को पक्ष और विपक्ष के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने गन्ने के बारे में चर्चा की । यह चर्चा उसी प्रकार से रही है जैसे कोई हकीम किसी मर्ज की दवा करते करते थक जाता है उसी तरह इन्होंने किया । यह एक क्रनिक डिजीज है आप भी उसकी दवा कर चुके हैं । श्रीमान्, गन्ना उद्योग हमारे प्रदेश में एक राजनीति बन गया है यह सबसे विपत्तिमूलक बात है । दूसरा जो गुड़ के निर्माता हैं उनको भी ठीक से राहत नहीं दी गई । इंस्पेक्टर जाते हैं और तमाम तरह के बवाले करते हैं । गुड़ निर्माताओं के सामने बड़ी कठनाईयां हैं जिसका निदान करना आसान नहीं है ।

यहां की मिलें जो हैं वह बहुत पुराने कोल्हू की तरह हैं और जो राष्ट्रीयकरण का यह राग अलापते रहे उसके कारण जो बढ़िया बढ़िया पार्ट्स थे उनको उन्होंने बेच खाया और उसके द्वारा उन्होंने दूसरे उद्योग चलाये । इस कारण से उनकी पेराई की क्षमता आज तक नहीं बढ़ी है जिसके नाम पर करोड़ों रुपया उन्होंने कर्ज लिया

यह जो आज डिकंट्रोल चीनी का किया गया है यह बहुत आवश्यक था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी चीनी को कोई पूछने वाला नहीं है । वहां तो चुकंदर और शक कन्द से भी चीनी बनती है । क्यूबा, ब्राजील, इंडोनीशिया के जावा, सुमात्रा प्रदेश और मारिशस ऐसे देश हैं चीनी के उत्पादन में जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में एक मात्र उपाय डिकंट्रोल ही है ताकि यहां के जो उपभोक्ता हैं उनकी क्रय शक्ति बढ़े । यह जो डिकंट्रोल हुआ है इसमें भी बड़े उद्योगपतियों की साजिश चल रही है क्योंकि केन्द्र सरकार ने कह दिया कि अगर २.७५ पैसे से मारकेट ऊपर हुई तो फिर हमें सोचना पड़ेगा । तो उन्होंने एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि ढाई रुपये किलो चीनी आज बिक रही है । इसमें पूंजीपतियों की गहरी साजिश काम कर रही है । मिल वाले किसानों का अनावश्यक शोषण कर रहे हैं ।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक—]

मैं अपने छितौनी चीनी मिल की बात कहता हूं उन पर तीस लाख रुपये किसानों का बकाया है और ४० लाख रुपये मजदूरों का बकाया है। यही हाल खड्डा और पडरौना मिल की है। कोर्ट से आदेश भी हो गये लेकिन परवाह नहीं है। इसी तरह सिसवां और घुघली मिल का है। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छी टीम इकट्ठी कर रखी है और जो भ्रष्ट और बईमान अफसर थे जो शोषण कर रहे थे उनको निकाल बाहर किया है और महत्वपूर्ण पदों से उनको हटा दिया है। कुछ अनुभवी लोग आये हैं उससे शायद यह संकट कुछ हल हो।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद में लाखों एकड़ जमीन और लाखों लोग बाढ़ ग्रस्त हैं जिनका करोड़ों रुपया बकाया है। एक शिकायत हमारी साथ ही साथ म यह भी है कि पुराने जो मिल मालिक हैं, उनको चीनी मिल वापस करने की बात चल रही है और कुछ हमारे मंत्रि परिषद् के लोग भी ऐसे हैं जो उस साजिश में रत हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो यह किसानों के हित के साथ कुठाराघात वाली बात होगी। इसलिए उनको वापस न किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज देश और प्रदेश म चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादन पर जो संकट है, वह कोई आकस्मिक संकट नहीं है। यह पिछले २० वर्षों से है या कहिये कि यह २० वर्षों के अनियोजित कृषि विकास का अवश्यम्भावी परिणाम है जो कि होना था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह पिछली सरकार के २० सालों के पाप का कुफल है जो कृषि उद्योग और गन्ना उत्पादकों को भुगतना पड़ रहा है। मैं बतला रहा हूं कि वह किस तरह है। मान्यवर, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का कोई आधार था ही नहीं। माननीय तिवारी जी उधर बैठते हैं जब पहले भी इधर बैठते थे, उनका कहना था कि प्रथम योजना में कृषि का कोई आधार नहीं है। लेकिन जब कृषि पर ध्यान दिया गया तो क्या हुआ? योजना तो बनायी गयी लेकिन प्राथमिकता और आवश्यकता के आधार पर नहीं बनायी गयी बल्कि इस तरह बनायी गयी जिससे विदेशी मुद्रा अधिक मिल सके, डालर मिल सके, उस दृष्टि से योजना बनायी गयी इसलिये गन्ना उत्पादन के विकास के लिये सारे देश में हड़बड़ी मचा दी गयी। गन्ना विकास विभाग खोला गया, गन्ना विकास मन्त्रालय खोला गया और गन्ना बीज निगम मौजूद है। सारा का सारा जोर एकमात्र गन्ने के विकास में लगा दिया गया। लेकिन अब तिवारी जी का क्या कहना है। खैर, देर आये, दुरुस्त आये।

अब तिवारी जी का कहना है कि गन्ने के दाम और दूसरी जिन्स के दामों में पैरिटी होना चाहिये। मेरे दोस्त ने सही कहा है। लेकिन पिछले २० सालों की गन्ना की उत्पादन की यह स्थिति है कि गन्ने को कमर्शियल प्राइस नहीं, बल्कि पोलिटिकल प्राइस दी जाती रही है। उसका कारण यह है कि ८० प्रतिशत लोग

किसान हैं और उनसे वोट लेना था, इसीलिये गन्ने की कीमत बढ़ाते चले गये और वोट लेते चले गये। दाम इस तरह से फिक्स किया कि चीनी जब ६ रुपये किलो थी तब गन्ने के दाम १३ रुपये, चीनी जब ४ रुपये थी, तब गन्ने के दाम १३ रुपये और चीनी जब २ १/२ रुपये है, तो गन्ने के दाम १३ रुपये।

एक सदस्य--

मान्यवर, माननीय सदस्य से कहें कि वे अपने सुझाव दें।

श्री राम दत्त जोशी--

मान्यवर, उधर के लोग तो केवल पट्टी धो रहे हैं, घाव नहीं धो रहे हैं। यह समस्या इसलिये है कि डालर प्राप्त करने के लिय सब्सीडाइज्ड रेट पर चीनी बाहर भेजते जा रहे थे ताकि विदेशी मुद्रा मिले। तो प्राथमिकता के आधार पर कृषि का नियोजन नहीं किया गया। लेकिन आज मेरे मित्र कहते हैं कि कृषि की चीजों के दामों में पैरिटी होनी चाहिये और गन्ने का दाम इतना अधिक नही होना चाहिये कि किसान केवल उसको ही बोता रहे। आज चीनी की जो दुर्दशा हो रही है, गन्ने की जो दुर्गति हो रही है, उसका एकमात्र कारण यही है।

मैंने माननीय तिवारी जी का बजट भाषण सुना था। उन्होंने कहा था कि जनता सरकार ने इस सम्बन्ध में उस नीति को नहीं अपनाया, तो आज कहते हैं कि यह नहीं किया गया वह नहीं किया गया। मान्यवर, उनमें इतना बड़ा फर्क हो गया इधर से उधर बैठते ही। तो आज इस बात को देखना है कि देश की आवश्यकता के अनुसार कितने एरिया में कौनसी चीज होनी चाहिये। मान्यवर, मेरे इलाके में जहां पचासों मील अरहर दिखाई देती थी, जहां पचासों मील लही दिखाई देती थी आज केवल गन्ना ही गन्ना दिखाई देता है। फिर कहते हैं कि दाल महंगी हो गयी, तेल मंहगा हो गया। यह अनियोजित विकास नहीं तो और क्या है? मैं स्वयं एक किसान हूं। अतएव मैं किसानों का विरोधी नहीं हूं। मैं भी एक छोटा सा किसान हूं, लेकिन ईमानदारी का तकाजा है कि गन्ने के दाम वास्तविकता के हिसाब से कामर्शिल प्राइस फिक्स किये जायं। यह नहीं चलेगा कि गन्ने का दाम बढ़ता चला जाए, चाहें आपकी चीनी को बाहर कोई पूछने वाला हो या न हो। १ रुपया २० पैसे किलो जावा की चीनी है और १ रुपये ३० पैसे में तो सुपरफाईन चीनी विदेशी बाजारों में बिक रही है। जो चीनी का दाम घट गया है तो गन्ने का दाम वही कैसे रह सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कृषि के उत्पादनों की प्राथमिकता तय की जानी चाहिये। उधर के पक्ष से बहस इस पर है कि आज की परिस्थिति में क्या किया जाए और उसे सरकार सोच रही है और कर रही है। लेकिन यह बीमारी आखिर आज पैदा क्यों हुई? इसके लिए दोषी आप हैं, इसका अपराध मैं कांग्रेस पर लगाता हूं, जिसने पिछले ३० साल में इस दृष्टि से कोई दिशा निर्देश नहीं किया है।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं ५ मिनट में अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सारी समस्या को बहुत ईमानदारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन—]

से सदन के सामने रखा है। साथ ही उन्होंने यह भी मान लिया है कि यह प्रशासनिक क्षमता के बाहर है कि वह बकाये का रुपया अदा कर सके। तो फिर आप क्यों बैंकों से रुपया दिलवाते हैं? इसलिए जो ४८ करोड़ रुपया किसानों की बकाया है, उसकी जिम्मेदारी सरकार स्वंय ले किसानों को अदा करने की। वह रिजर्व बैंक से लाए या केन्द्र से लाए या और कहीं से लाए, लेकिन सरकार उसे स्वंय अदा करे।

आज बाढ़ की स्थिति को देखते हुए किसान की यह स्थिति नहीं रह गयी है कि वह बैंकों के चक्कर काटता फिरे। अमरोहा फैक्टरी को लोन मिल गया, रामपुर फैक्टरी को जो लोन मिला, उसे उसने रिपेयर के नाम पर इस्तेमाल कर लिया, काशीपुर की फैक्टरी कोशिश कर रही है, किन्तु उसे लोन नहीं मिला। इसलिए यह सब गड़बड़ है और आप सारी जिम्मेदारी खुद लें: अब जो बड़े गन्ने की बात है, उस पर सरकार गम्भीरता से सोचे और उसे आगामी सेशन में बेसिक कोटे से अलग कर पहले उसे ले। साथ ही जो जितने फर्जी बेसिक कोटे हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करे और जो गन्ना खड़ा है उसका सर्वे कराकर उसका एक निश्चित एक्रेज तय कर दे कि इतने प्रतिशत का हम गन्ना लेंगे और इतने का वह स्वयं इन्तजाम करें। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि जो फर्जी बेसिक कोटे के दाम पर करप्शन हुआ है, यदि आपने उसको समाप्त नहीं किया तो ये मठाधीश जो हैं, कोआपरेटिव सोसाइटियों का सौदा करके सदैव अपना फायदा उठाते रहेंगे और आप उसको रोक नहीं पायेंगे।

इसलिए आगे के लिए, जैसा जोशी जी ने कहा आप क्राप लिमिटेशन नहीं करेंगे कि जितनी होल्डिंग हो तो उसमें से इतना गन्ना बोयें, तब तक किसी न किसी कृषि उपज की आपके यहां बराबर कमी और भारी कमी बनी रहेगी। आज भी डिकन्ट्रोल होने के बाद भी औसतन फैक्टरी वाले को एक बोरी में २५-३० रुपया ज्यादा मिलता है, तो फिर किसान ने कौन सा कसूर किया है कि उसका ४८ करोड़ रुपया अब भी बकाये में पड़ा रहे। आज भी २३० से २७० रुपये के दाम प्रति बोरा एवरेज रूपसे चीनी बाजार में मिल रही है। एवरेज ढाई सौ रुपये है। पहले ओपेन मार्केट में ढाई सौ रुपया नहीं पड़ता था। इस तरह से बीस पचीस रुपये ज्यादा फैक्टरी वालों को मिल रहा है। क्यों आप बैंकों के जाल में डाल कर किसानों का लास कराना चाहते हैं? केन्द्र का बफर स्टाक बनवायें और खुद किसान को पैसा अदा कर दें।

करप्शन के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। पिछले दिनों में सदन में करप्शन के मामले उठाता रहा हूं। सिद्धराज बरहानपुर का रहने वाला, केवल उसके पास दस बीघे जमीन है, २८२ पर्चियों का सट्टा। रोशन सिंह के पास कुल ५० बीघे जमीन। आपके यहां ८ एकड़ हुआ। गन्ना होगा दो तीन एकड़, लेकिन २२५ पर्चियों का सट्ठा। यह चीज करप्शन की आयी है। मैं मानता हूं कि ये सोसाइटियां जो बतायी गयी थीं कि पहले फैक्टरियां प्राइवेट सेक्टर में थीं, वह किसान का शोषण न करें। अब ज्यादातर फैक्टरियां निगम की हो गयी हैं, कोआपरेटिव सेक्टर में हो गयी हैं, बहुत थोड़ी सी फैक्टरियां प्राइवेट सेक्टर में रह गयी हैं। यह भी शायद टेक ओवर करने की बात होगी। दूसरी चीज, सोसाइटियां बजाय गन्ना उत्पादकों की मदद करने के करप्शन करने लगीं। या तो इन सोसाइटियों का भ्रष्टाचार समाप्त कर दीजिये या इन सोसाइटियों को समाप्त कर दीजिये। कोई जरूरत नहीं है इनकी जब तक फैक्टरी का तौल

क्लर्क नहीं जायगा किसी भी सेन्टर पर एक गाड़ी भी नहीं तौली जा सकती है। तो फैक्टरी का तौल क्लर्क आयेगा तो एक दिन पहले की परची भी लेकर चला आयेगा। इसलिये मैंने यह सुझाव दिये हैं। उनके ऊपर आप अमल करेंगे तो शायद गन्ने की प्राबलम उतनी जटिल न हो। वैसे तो किसान ने गन्ने में खाद वगैरह डाली नहीं है। पैदावार में वैसे ही कमी होगी।

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, गन्ने की जटिल समस्या पर जो मंत्री जी ने प्रकाश डाला है उससे मालूम होता है कि उनका प्रयास है कि वह इसमें कामयाब होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तीस वर्षों में, कांग्रेसी हुकूमत में, जिस किसान ने चिलचिलाती धूप में गन्ना पैदा किया, उसका शोषण करने का काम पिछली सरकार ने किया है। हमारी सरकार के बीते समय में गन्ना किसानों के हितों में कुछ तब्दीली आयी हो, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई विशेष तब्दीली आयी हो, जब कि हमारा नारा है कि गांवों की ओर चलो। गांवों की तरफ नारा देने वाली सरकार को गन्ना विभाग का सबसे पहला काम था कि गन्ना किसान जो उपेक्षित था उसको राहत दें। गन्ना खेतों में खड़ा रह गया। जिस तरह से मिल मालिकों की हर मामले में छूट देने का काम किया है, जब हमारे किसान का गन्ना उसके खेतों में खड़ा रह गया तो सरकार का कर्तव्य था कि मुआविजा देने की घोषणा कर देती। ऐसा लगता है कि इस विभाग में तीस वर्षों के दौरान के जो अधिकारी थे उन्होंने मंत्री जी को फेरने का काम किया है। गन्ना समस्या की ओर शासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे इस बात की आशंका है कि आने वाले सीजन में गन्ने की पेराई हो सकेगी या नहीं। अभी तक मशीनों की सफाई का काम नहीं शुरू किया गया है। मंत्री जी को भी इस बात की जानकारी होगी। किसी भी मिल में मशीनों की सफाई नहीं हो रही है। जो वहां के अधिकारी थे उन्होंने अब तक खूब लूट खसोट किया है और उनका अब स्थानान्तरण कर दिया गया है जिससे वे नाराज हैं और वह शासन की नीति को फेल करने में लगे हुए हैं। जिनके खिलाफ विजीलेंस की इन्क्वायरी लगी हुई है, उनको प्रमोशन दे दिया गया है। इस विभाग में जो हरिजन और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। उनकी जूनियारिटी और सीनियारिटी खतम कर दी गयी है।

इस विभाग को राजनैतिक अखाड़ा बना दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने गन्ना के किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठाया है। गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्ना रिजरवेशन का एरिया पहले से ही निर्धारित कर दिया जाये कि इस एरिया का गन्ना इस मिल में जायेगा और उस एरिया का गन्ना उस मिल में जायेगा। इस चीज का इन्तजाम अभी से कर दिया जाये। इस बात को लेकर झगड़ा न हो इसका इसलिए अभी से प्रबन्ध कर दिया जाये। खास बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गन्ने का दाम किसानों को क्या मिलेगा, इस पर भी मंत्री जी को विचार करना होगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे इन सुझावों पर गौर करेंगे और उनके अनुसार कार्य करने का प्रयास भी करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राघव राम मिश्र (जिला लखीमपुर खीरी)--

माननीय अधिष्ठाता जी मैं बार-बार कोशिश कर रहा हूं लेकिन बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है । माननीय उपाध्यक्ष जी ने यह कहा था कि जहां पर बाढ़ है उस क्षेत्र के सदस्यों को मौका अवश्य दिया जायेगा । मेरे क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना होता है इसलिए मुझे गन्ने पर बोलने का अवसर प्रदान किया जाय ।

*श्री राम चरन शाह (जिला लखीमपुर-खीरी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे गन्ने की समस्या पर अपने सुझाव रखने का अवसर प्रदान किया ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

गन्ने का सवाल है, इस गरीब को भी बोलने का मौका दो ।

श्री राम चरन शाह--

गन्ना किसान जो इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं उनकी ओर शासन का ध्यान शीघ्र जाना चाहिये । जो गन्ना का रुपया बाकी है वह उसको शीघ्र दिलाया जाये जिससे वह उस पैसे को राहत के कार्य में लगा सकें यह तो आपको मालूम है कि लखीमपुर खीरी जिला गन्ना उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है और उसमें पलिया तथा गोला आदि क्षेत्र आते है, वहां पर बाढ़ क्षेत्र में जो किसानों का रुपया बकाया पड़ा हुआ है उसको दिलाने के लिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा । गन्ने के आने वाले साल के लिए माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा अपने वक्तव्य में की है मैं उसका स्वागत करता हूं ।

अब हमारे क्षेत्र में जो क्षेत्र रिजर्व किया गया है उस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा । गन्ना सोसायटीज में बहुत अधिक गड़बड़ियां हैं । इस सम्बन्ध में मैंने कई शिकायतें भी की थीं । विभाग द्वारा उसकी जांच भी की गयी है । मैं मांग करता हूं कि उन सोसाइटियों का कार्य वहां पर ठीक प्रकार से हो ताकि वहां के लोगों को सहूलियत मिल सके । जो सोसाइटीज वर्क कर रही हैं उनको सही ढंग से कार्य करने के निर्देश जारी किये जाने चाहिए ताकि जो गन्ना खड़ा रह गया है उसके सम्बन्ध में ठीक प्रकार से व्यवस्था की जा सके ।

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि विशेष रूप से जो पेमेन्ट वाला मामला है उस सम्बन्ध में एक कमेटी बनायी जानी चाहिए । जिस क्षेत्र में गन्ने की उपज अच्छी होती है वहां पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

*श्री नरेश चन्द्र (जिला लखीमपुर खीरी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस गन्ने की समस्या को लेकर जो चर्चा हो रही है उस विषय में मैं कहता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार की अधिकता है । उस पर पहले मैं इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । माननीय गन्ना विकास मंत्री जी ने जो सुझाव रखे हैं और सुधारों की ओर भी इस सदन का ध्यान इंगित किया उनका मैं स्वागत करता हूं । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि गन्ना विभाग से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने का निश्चय किया गया है, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद खीरी के ४००

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गन्ना ग्राम सेवक २१-८-१९७८ से बराबर क्रमिक अनशन कर रहे हैं और आज ८-९-१९७८ को उन्होंने आमरण अनशन की भी घोषणा कर दी है। यह क्यों हो रहा है, इस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना मैं उचित समझता हूं। बराबर इस विभाग द्वारा यह बताया जाता रहा कि विशेष जांच दल खीरी में भेजा जा रहा है या भेजा जायेगा ? प्रतिवेदन भी उस जांच दल द्वारा प्रस्तुत किया गया। परन्तु उनके मुतल्लिक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसीलिए उन्होंने एक पत्र द्वारा मांग की है कि जांच दलों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर पक्षपातपूर्ण ढंग से की गयी कार्यवाही एवं बिना कुछ कहने का अवसर दिये जारी किये गये निलम्बन आदेश तत्काल वापस लिये जांय।

मान्यवर, इन छोटे-छोटे कर्मचारियों को तो निलम्बित कर दिया गया है लेकिन जो बड़े-बड़े अधिकारी थे जो कि वास्तव में दोषी थे उन्हें सजा नहीं दी गयी है। उन्हें भी निलम्बित किया जाना चाहिए था।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। लखीमपुर में एक एस० सी० डी० आई०, श्री चतुर्वेदी थे। उनके विरुद्ध बहुत ही शिकायतें थीं परन्तु उनका तो मात्र स्थानान्तरण कर दिया गया। इसी प्रकार लखीमपुर के श्री राम चन्द्र शाह ग्राम बसहा के सट्टे में श्री अली अहमद गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा अनियमितता कर रकबा ३००० एकड़ के स्थान पर ३० एकड़ तथा सट्टा गाड़ी १२ के स्थान पर ५२२ गाड़ी कर दिया गया। यह बढ़ोत्तरी गन्ना आयुक्त के सरकुलर के विपरीत इन्हीं के द्वारा की गयी और एस० सी० डी० आई०, श्री चतुर्वेदी, जिसकी मैंने कम्पलेन्ट की थी, उसका स्थानान्तरण अर्रा केन यूनियन में कर दिया गया। हरगांव मिल और अर्रा मिल दोनों ही एक ही मालिक की हैं। इसके अतिरिक्त मैंने एकाउन्टेन्ट, राम चन्द्र मिश्रा, के भ्रष्टाचार के बारे में डी० सी० ओ० और कमिश्नर, मैनेजिंग डायरेक्टर और यहां तक कि गन्ना मंत्री तक को शिकायत की लेकिन आज तक भी उसका कोई बाल बांका नहीं हुआ है। एक विधायक जांच करने वाले अधिकारियों के साथ जाकर पकड़वाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जाता है। उत्तर मुझे यह अवश्य मिल जाता है कि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मैंने मजबूर होकर यहां पर सदन में भी प्रश्न उठाये लेकिन आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी है।

जो गन्ने की समस्या इस वर्ष रही है वह अगले वर्ष भी विद्यमान रहेगी क्योंकि गन्ने की समस्या को समाप्त करने के लिए जिन आधारभूत चीजों की ओर ध्यान देना चाहिये था वह नहीं दिया जा रहा है। मैंने यहां पर भी कई बार जिक्र किया किया कि सट्टा करने की जो नीति है कि पिछले ३ साल की सप्लाई के आधार पर किया जाता है उसे समाप्त किया जाय। एक जैसी नीति होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी में ३-४ शुगर मिल्स हैं तो सरकार को यह जानकारी करा लेनी चाहिये कि वह कब से कब तक चलेंगी और उनको कितना गन्ना सप्लाई होगा उसको ध्यान में रखते हुए यह तय होना चाहिये कि कितना गन्ना काश्तकारों का लिया जायेगा। हर काश्तकार की जितनी होल्डिंग हो मिसाल के तौर पर अगर ५० एकड़ में मेरा गन्ना है तो यह तय होना चाहिए कि मेरा २५ एकड़ का गन्ना लिया जायगा। मान लीजिए कि अगर गत ३ वर्षों में किसी के पास बहुत गन्ना था और इस वर्ष नहीं है तो उसके पास पर्चियां आयेंगी और वह बेचेगा। तो यह कौन सी नीति है कि पिछले ३ साल के आधार पर उसको सट्टा दिया जायगा ? मेरी प्रार्थना है कि इसको समाप्त किया जाय। जब तक

[श्री नरेश चन्द्र]

ऐसा नहीं किया जायगा तब तक गन्ना ग्राम सेवक और गन्ना अधिकारी द्वारा काश्तकार का शोषण होता रहेगा ।

दाम नीति की ओर भी माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया । इस वर्ष, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, अक्तूबर के महीने में मिलें चल जायेंगीं लेकिन न तो काश्तकारों को और न ही मिल मालिकों को और न ही खांडसारी युनिट्स वालों को पता है कि इस वर्ष गन्ने का क्या दाम होगा । मेरा निवेदन है कि गन्ने की दाम नीति जल्द से जल्द निर्धारित कर दी जाय ताकि काश्तकारों और मिल मालिकों को अपने-अपने भविष्य की जानकारी हो सके । गत वर्ष चीनी मिलें १ महीने देर से चली और मुझे आशा है कि इस बार भी १ महीने बाद ही चलेंगीं क्योंकि अभी भी उनकी सफाई नहीं हो रही है ।

ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रदेश के पूंजीपति इस सरकार को गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सरकार को सतर्क हो जाना चाहिये । इस समय सतर्क सवार की ही आवश्यकता है । पिछले पेराई सत्र में यह भी घोषणा की जाती रही है कि जब तक औफर्ड केन रहेगा, उसकी पेराई करायी जायेगी लेकिन वह समाप्त नहीं हो पाया और मिलें बन्द हो गयी । मेरी प्रार्थना है कि आप पहले से इस बारे में कोई नीति निर्धारित करें जिससे ये चीनी मिल मालिक आपके कब्जे में आ सकें । पिछले सत्र में प्रदेश के खंडसारी वाले भी बड़े परेशान हुए थे । जनपद खीरी में ५५० काश्तकारों ने आन्दोलन भी किया था जिन पर मुकदमें भी कायम हुये ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें ।

श्री नरेशचन्द्र—

क्रशरों के बारे में सरकार को कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा । चीनी मिलों के आसपास चाहें कितनी ही दूरी पर कोल्हू लगे हों, उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहना चाहिए । आपने यह प्रतिबन्ध लगा रखा है कि चीनी मिल के १२ किलोमीटर के अन्दर कोई पावर कोल्हू नहीं लगेगा । इस तरह के सारे प्रतिबन्ध आपको हटा लेने चाहिए । इसका परिणाम यह होगा कि काफी ज्यादा गन्ने की खपत हो सकेगी ।

काश्तकारों को मिलने वाले मूल्य की भी समस्या पारसाल की है । इन लोगों ने ९·४० रु० के भाव से गन्ना खरीदने का निश्चय किया था । पर इन क्रशर मालिकों ने उसे नहीं दिया । उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और उसके बाद वे ७-८ रुपये का भाव देने लगे और उसमें भी पूरा पैसा न देकर २·४० रुपये बकाय रखते थे ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया बैठें, आपका समय समाप्त ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, गन्ने के विषय पर आज यहां चर्चा हो रही है । पर यह दुर्भाग्य का विषय है कि पहले जो गन्ना मन्त्री थीं जिन्होंने यहां गन्ने के बारे में आश्वासन

दिया था कि हम किसान का एक-एक गन्ना पेर देंगे, आज दुर्भाग्य से वे दूसरे विभाग की मन्त्री हो गयी हैं और नये मन्त्री इसके बना दिये हैं। जब से आये हैं काम ठीक तरह से चला रहे हैं, पिछले मन्त्री महोदय का जो दायित्व था उससे वे बच नहीं सकते हैं।

मान्यवर, बजट भाषण में यह लिखा है कि सरकार का यह संकल्प है कि किसान का पूरा गन्ना पेरा जायेगा और उसको गन्ने का निर्धारित मूल्य दिया जायेगा। सरकार का यह भी अनुमान था कि इस वर्ष अधिकतम गन्ने का उत्पादन इस प्रदेश में होने वाला है, यह सब इसी बजट भाषण में लिखा है। जब सरकार को पता था तो क्या कारण है कि गन्ना खेतों में खड़ा रह गया। सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण ही आज यह सब हुआ है मिलें भी एक महीना देर से चलीं। यह भी कहा गया था कि गुड़ खरीदा जायेगा, मगर वह भी नहीं खरीदा गया। सरकार जो कहती है कि ७-८ लाख टन गन्ना शेष है, अगर इतना ही मान लिया जाये तो उसकी कीमत ९-१० करोड़ के लगभग होती है। राजनारायण जी की बात तो जाने दीजिये वह तो एक करोड़ मैट्रिक टन की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि आप जितना मानते हैं उतने की ही क्षति पूर्ति कर दीजिये। आपकी भूल के कारण ही किसानों को यह क्षति उठानी पड़ रही है।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहूंगा कि जो किसान का गन्ना अभी खड़ा रह गया, जो सप्लाई उसके अतिरिक्त हुआ उसका ४८·३ करोड़ रुपये आज भी बाकी है। आप भी कह रहे हैं कि तमाम रिजर्व बैंक को लिख रहे हैं, उसकी लिमिट जो है, उसको बढ़ाया जायगा। हम तो एक ही मांग करते हैं कि किसान पर अगर १० रुपया बाकी है, तो उसकी जमीन कुर्क होगी, फसल नीलाम होगी, तो इसको इसी प्रकार क्यों नहीं वसूल किया जाता है? हम तो यह चाहते हैं कि जिस दिन गन्ना किसान सप्लाई करें, दूसरे रोज उसका भुगतान हो जाय, तब तो हम समझते हैं कि आदर्श स्थिति है।

मान्यवर, जहां तक यह अगला सत्र है, अगले सत्र की नीति सरकार की क्या होगी? किसान चिन्तित है, गन्ना खड़ा रह गया, उसकी क्या कीमत दिलवायेंगे? अगले सत्र में गन्ने की क्या नीति होगी? २९ या ३० परसेंट गन्ना मिलों में जाता है। चीनी मिल के बारे में जो आपकी नीति है उससे अधिक आवश्यकता इस बात की है क्रेशर और कोल्हू के बारे में आपकी क्या नीति है? जितने क्रशर और कोल्हु हैं, अगर पूरी क्षमता से पेराई का काम करने लगें और फैक्ट्री भी चलने लगे, तो जितना गन्ना है वह निकल जायेगा। इसको कैसे निकाला जाय, इसकी नीति तय कर दें। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आपके विभाग से भ्रष्टाचार मिटे। मैं किच्छा की बात करता हूं, किच्छा में एक समिति है, उसमें नामिनेटेड डायरेक्टर हैं। उसमें फर्जी पर्ची का अपने प्रभाव से इस्तेमाल किया गया, ३ रुपया कुंतल गन्ना खरीद कर सप्लाई किया गया, हो सकता है कि आपकी नोटिस में यह बात न आई हो। जहां-जहां आपने नामिनेटेड बोर्ड बनाये हैं, वह इतनी धांधली कर रहे हैं, हल्द्वानी में जाकर देखिये आप। उसमें जो सूची प्रकाशित हुई है, जो सदस्य हैं, हल्द्वानी सोसायटी के, उसमें से आधे से अधिक का नाम काट दिया गया ताकि जो नामिनेटेड डायरेक्टर हैं उनको कोई लाभ मिले, क्योंकि जो विरोधी-पक्ष के लोग हैं, उनका नाम ही हटा दिया जाता है। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी जब जवाब दें तो यह बता दें कि किसानों को अगले सत्र में क्या मूल्य देने वाले हैं। दूसरी बात यह बता दें कि फैक्ट्री किस दिन निश्चित रूप से चलेगी? शुगर फैक्ट्री के एसोशियेशन के जो

[श्री देव बहादुर सिंह]

चेयरमैन हैं, उनका वक्तव्य आया था कि इस नवम्बर में फैक्ट्री नहीं चल सकती। अब यह देखना है कि आप उन पर हावी होते हैं कि वह आप पर हावी होते हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप उन पर हावी हों ताकि गन्ना मिल अक्तूबर तक चल जायं।

*श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, चीनी व गुड़ का हमारे प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज बाढ़ त्रस्त होने के कारण समस्त जनपद में गन्ने की फसल लगभग बर्बाद हो रही है। माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि अक्तूबर के आखीर के महीने तक मिलें चला देंगे। इसमें हमारा सुझाव है कि मन्त्री जी, जैसा कि हमारे तिवारी जी ने कहा है कि मिल मालिक खाण्डसारी के मालिक, सरकार आदि बैठ कर तय करें, ताकि गन्ने की कीमत का ऐलान हो जाय, इस प्रकार से करें।

मान्यवर, होता यह रहा है कि उचित मूल्य का ऐलान विलम्ब से होता रहा है। इस सम्बन्ध में अविलम्ब कदम उठायें और निश्चित रूप से जैसा आपने ऐलान किया है कि अक्तूबर के आखीर तक मिलें चल जायंगी, तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जायेगा। तो माननीय मन्त्री जी ऐलान कर दें कि अक्तूबर के आखीर तक मिलें चलाई जायेंगी, इससे सबसे बड़ा काम हो जायेगा।

मान्यवर, इसके बाद में सट्टे के सम्बन्ध में आता हूं। सट्टे फर्जी दे दिये जाते हैं और इस तरह से सट्टे वाले बहुत बड़ी रकम इसके द्वारा पैदा करते हैं। मान्यवर, यह बहुत ही भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला है। मान्यवर, जिन किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा है, उसका ठीक तरह से सर्वे करायें और उसी के आधार पर सट्टे दें। मैं माननीय, मन्त्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पुराने रिकार्ड सट्टे के सम्बन्ध में हैं उनका सभी का परिवर्तन कर दें। सट्टे की नीति में परिवर्तन होना चाहिए। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है अभी कई माननीय सदस्यों ने, माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने शिकायत की है इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो लोग इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको किसी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं अपनी राय देना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी को कि अनेक प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए एक विशेष प्रकार का गन्ना विभाग सेल बनाये जिस प्रकार के सेल और विभाग में है। यदि केन डिपार्टमेन्ट इस इस प्रकार के सेल बनाकर भ्रष्टाचार की जांच कर सके तो किसानों का बहुत बड़ा हित होगा। मान्यवर, किसान लगातार पिसता चला जा रहा है और भ्रष्टाचारी लगातार मुनाफा कमाते जा रहे हैं। इसके बाद मान्यवर, मैं गुड़ की नीति के सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। गुड़ की खरीद करें या न करें।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मुझे और समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं समय नहीं दे सकता हूं अब मैं २-२ मिनट का समय दूंगा क्योंकि अभी कई सदस्यों को बुलवाना, है।

श्री राम नरेश पाण्डेय--

अच्छा, तो मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

मान्यवर, जनता सरकार की जो कृषकों की भावनाओं का आदर करने की नीति है उसके सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा । सरकार मन्त्रिपरिषद् के लोग समस्याओं को लेकर काश्तकारों की समस्याओं को किस प्रकार सुलझा रहे हैं । इस मन्त्रिपरिषद् के हमारे जो वित्त मन्त्री हैं आप जान लें-बीमार चीनी मिलों को जो पैसा कर्ज देने जा रहे हैं है उनकी पत्रावलियां उनके पास है, उनको समय नहीं है कि उसको वह देख सकें । हमारे बिहार प्रदेश के सिंचाई मन्त्री के साथ सरकिट हाउस गोरखपुर में माननीय वित्त मन्त्री जी वार्ता कर रहे थे उस समय मैंने उनसे पूछा कि बीमार मिलों को क्या आप किसी व्यवस्था करने की बात सोच रहे है । उनका कहना था कि साहब इसके बारे में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है । मैं आपसे यह बतलाना चाहूंगा कि काश्तकारों के ऊपर शासन करके सरकार, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी सभी लोग मौज ले रहे हैं । काश्तकारों की समस्याओं की ओर कोई भी सोचता नहीं है । मैं आपसे बतलाना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री के पास इन पत्रावलियों के देखने का समय नहीं है ।

आप गन्ना किसानों के साथ किस प्रकार की सद्भावना रखना चाहते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं । इन गन्ना किसानों का लाखों रुपया करोड़ों रुपया बाकी है, मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई है, १८ लाख रुपया काश्तकारों का बाकी है यह सरकार कुछ भी इस दिशा में नहीं कर रही है । पिछले साल १२ लाख रुपया मिलों के ऊपर बकाया रह गया है । यह सरकार भी वही काम करने जा रही है । इन हमारे काश्तकारों को रुपया दिलाने की जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए, इसके लिए सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए । हमारा जो जिला बाढ़ से अत्यधिक पीड़ित है, वहां पर किसानों से मालगुजारी आदि अन्य देयों की वसूली की जा रही है किन्तु मान्यवर, किसानों का जो बकाया है, उसका उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

दूसरी बात मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मिलें नवम्बर के महीने से चालू हों । मुझे खुशी भी है कि माननीय मन्त्री जी ने यह निर्देश दे दिया है कि मिलें नवम्बर के महीने से चलाई जायें ।

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, पुनः पीठासीन हुये ।)

आपने कहा है कि गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी उत्पादन के पैसे से किया जायगा । चीनी मिलें चल रहीं थी और चीनी मिलों के उत्पादन से ८० प्रतिशत कटौती कर, गन्ना काश्तकारों के खातों में जाना चाहिये था, लेकिन रिसीवर ने सारे पैसे की लकड़ी खरीद कर गन्ना काश्तकारों का भुगतान नहीं किया और शासन के मन्त्री, जवाब बिल्कुल झूठ दे रहे हैं कि हम भुगतान कर रहे हैं, सिवा मिल पर जो काश्कारों का बकाया है उसको दिलवाया जाय ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गन्ना मन्त्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों पर सरकार का पैसा बकाया है उनकी रोज गिरफ्तारियां हो रहीं हैं लेकिन गन्ना विकास मन्त्री पर सारे प्रदेश का बकाया है, तो काश्तकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो क्या श्रीमन् जी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाय या जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है उनको ?

[श्री हरी सिंह--]

सबसे पहले आप सोसाइटीज को बंद कीजिये । आज लाखों रुपये किसानों का बकाया है । दो दो साल का रुपया हो गया है और किसानों को रुपया नहीं दिया गया है । लड़कों का पैसा काटा जाता है लेकिन सब हजम । ३०-४० लाख रुपया मिलों पर पड़ा है । मिलों की मशीनरी खराब हैं, मिलों में काम करने वालों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं तो फिर आप इनको क्यों चला रहे हैं आप में चलाने की हिम्मत नहीं है तो क्यों चला रहे हैं । जनता पार्टी की सरकार ने जितना मजदूरों, किसानों को तबाह किया है उतना किसी सरकार ने तबाह नहीं किया है । या तो मन्त्री लोग इस्तीफा दें, या जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं इनको ठीक करें । मेरा कहना है कि सोसाइटीज को खत्म करें और पैसे का भुगतान तुरंत किया जाय जिससे बाढ़ पीड़ितों को सहायता मिल सके । वह आपसे दान नहीं मांगते हैं वह आपसे अपना पैसा मांगते हैं । जो गन्ना कम तौलते हैं उनको सजा दी जाय और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

४ बजकर १० मिनट पर चर्चा स्वतः समाप्त हो जायगी । इससे आगे चर्चा नहीं बढ़ायी जा सकती ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं तो बोला ही नहीं ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

पौन घंटे तो मन्त्री जी ही बोले ।

श्री बीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

हम लोगों का प्रस्ताव है कि चर्चा का समय और बढ़ा दें ।

एक सदस्य--

यह जो चर्चा गन्ने के सम्बन्ध में हो रही है। . . .

श्री चेतराम गंगवार--

जो कल बोले हैं वही व्यक्ति आज बोल रहे हैं ।

डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अगर नयी चीनी मिलें न लगाये तो समस्या हल हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं। आपका नाम मैंने बुलाया नहीं है ।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष गन्ने के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है । यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है । यह बड़े दुख का विषय है कि गन्ना खेतों में खड़ा है । हमारे प्रदेश के किसान, खेतिहर मजदूर, मिलों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

काम करने वाले, चीनी और गुड़ एक ऐसी वस्तु है जिसका दैनिक जीवन में सभी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर गन्ना खेतों में खड़ा रहे तो यह बड़ा दुखद विषय है। इसके बारे में मेरा एक सुझाव है कि चाहे जो सरकार हो मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि मजदूरों के हित में भाषण दें वोट लेने के लिये और मिलें बन्द हो जायं बल्कि यह सोचना चाहिये कि मिलें किस तरह चलें।

हमने देखा है कि प्रदेश में ६ सरकारी मिल हैं उनका सब का दिवाला निकल गया है। रिसीवरशिप में १५ मिलें हैं, सहकारी क्षेत्र में १४ मिलें हैं। चीनी की जिनमें औराई सहकारी मिल का मैंने अध्ययन किया है। सरकार की तरफ से इसमें कोई सुझाव हमसे नहीं लिये जाते हैं इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि चीनी का जो डिकंट्रोल हो गया है उससे प्रदेश का नुकसान हुआ है और महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश को लाभ हुआ है। इससे मिलों की कार्य क्षमता नष्ट हो गयी है क्योंकि वह पुरानी मिलें हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल ७०० बोरी चीनी बनती है जब कि १,३०० बोरी बननी चाहिये, वेस्टर्न में ९०० बोरी बनती है जब कि दो हजार बोरी बननी चाहिये नियम के अनुसार। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें गवर्नमेन्ट ५० पैसे जो पहले टैक्स लेती थी उसको एक रुपया कर दिया गया है, केन्द्र का कमीशन १२ पैसे के स्थान पर २० पैसे कर दिया गया है। सरकार जो लोन देती है उस पर करोड़ों रुपये इन्टरेस्ट लेती है। इन सब बातों पर पुनर्विचार करने से मिलें संचालित हो सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें।

श्री ऊदल--

मान्यवर, जब से इस विषय पर विवाद शुरू हुआ है तब से मैं बैठा हूं लेकिन हमारे दल के किसी को समय बोलने के लिये नहीं मिला है इसलिये हमको समय दें। मैं तो यह भी चाहता हूं कि सदन का समय इस विषय पर बोलने के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सुझाव २ मिनट में दे दें।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ सदन के समय के बढ़ाये जाने के लिये कहने पर)

श्री शिव मंगल सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना का विषय काफी महत्वपूर्ण है इसलिये मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये आपसे अनुरोध करता हूं कि इसमें अच्छा होगा कि आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, गन्ना विकास मन्त्री जी चर्चा कराना चाहते हैं इस प्रश्न पर। इसलिये आज का जो कार्यक्रम है उसको चलने दें और कल इस पर पूरे दिन चर्चा करवा लें। इसलिये मन्त्री जी प्रस्ताव कर दें तो कल इस पर चर्चा हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन की यदि राय है तो गन्ना विकास मन्त्री जी के प्रस्ताव पर गन्ने के ऊपर आधे घंटे का समय और बढ़ाया जा सकता है ।

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, ५ बजे से विधान परिषद् में मुझे बाढ़ के सम्बन्ध में बयान देना है । साढ़े चार बजे के बाद लगान पर चर्चा शुरू होगी या तो आप उसके लिए भी समय बढ़ा दें । दोनों सदनों में तो मेरे लिए वक्तव्य देना संभव नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन की राय को देखते हुये पन्द्रह मिनट टाइम और बढ़ाता हूं ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

आपने आधे घण्टे वक्त बढ़ा दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी को विधान परिषद् में भी जाना है ।

श्री बीरेन्द्र चतुर्वेदी--

आधे घण्टे समय बढ़ाने का प्रस्ताव पारित हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई प्रस्ताव नहीं है । केवल सदन की राय मालूम करनी थी । वह प्रस्ताव नहीं था ।

*श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं गन्ना विकास मन्त्री जी को बधाई देता हूं इसलिए कि उन्होंने बड़ी सही बातें सदन के सामने रखी हैं । मैं भाषण नहीं देना चाहता । इस प्रदेश के गन्ना किसानों का दुर्भाग्य है जो आज से नहीं है हमेशा से है उसको कैसे दूर किया जायेगा । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना के बारे में एक नीति तय हो जाय । नीति तय करने की जरूरत है गन्ना के बारे में, चीनी मिलों के बारे में, गुड़ के बारे में, खांडसारी के बारे में । ये चार अंगों के बारे में नीति तय होनी बहुत जरूरी है । अगर नीति तय नहीं होगी तो यही दुर्दशा हमारे प्रदेश के किसानों की हमेशा होती रहेगी, एक बात ।

दूसरी बात यह है कि गन्ना किसानों का जो बकाया है वह बकाया अगर किसानों से सरकार हथकड़ी लगा कर, वारन्ट निकाल कर, कुर्की कर के वसूल कर सकती है तो चीनी मिलों के मालिकों से क्यों नहीं इसी प्रकार वसूल कर सकती है ? मैंने उस दिन मन्त्री जी से पूछा था एक प्रश्न के उत्तर में तो उन्होंने समुचित उत्तर दिया नहीं कठोर कार्यवाही के बारे में मैं चाहता हूं कि कठोर कार्यवाही हो और बकाया दे दिया जाय ।

चीनी एरिया के रिजर्वेशन के बारे में भी हमारा मतभेद था । श्रीमन्, आप भी उस समय सदन के माननीय सदस्य थे । मैं भी था । जब रिजर्वेशन हो रहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था उसमें हमारा मतभेद था । चीनी मिलों की क्षमता उस रिजर्वेशन एरिया के गन्ने को पेरने की नहीं है । इस पर आप विचार करें ।

खांडसारी यूनिट, कोल्हू, इन पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा था उस वक्त । उस वक्त मैंने विरोध किया था । यदि आप प्रोसीडिंग देखें तो उसमें इसका जिक्र होगा । मैंने कहा था कि छूट मिलनी चाहिए ताकि सब उद्योग-धन्धे पनपें, लेकिन उस पर गवर्नमेंट ने छूट नहीं दी । इस पर भी विचार आपको करना चाहिए ।

जहां तक बफर स्टाक बनाने की बात माननीय मंत्री जी ने कही, भारत सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया । अगर बफर स्टाक बनाया जाय तो अति उत्तम होगा । मेरा कहना यह है कि डिकन्ट्रोल करके सरकार ने पूंजीपतियों का ही फायदा किया है । इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं पहुंचा है । इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए ।

चीनी मिलों की जो दुर्दशा है, पेरने की मशीनें हैं, सरकार को उनके बारे में भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए । चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार खुद सक्षम है । इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है ।

महाराष्ट्र, आन्ध्र में मैंने देखा कम एरिया में ज्यादा गन्ना पैदा हो जाता है और रिकवरी भी बहुत ज्यादा है । सरकार का बार-बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी इस तरफ कोई अच्छा प्रयास नहीं किया गया है । इस तरफ प्रयास करने की जरूरत है ।

मैं चाहता हूं कि इन सब प्रश्नों पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, दो मिनट का समय ही दे दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

दो मिनट में कोई नहीं बोलता और मंत्री जी को भी जवाब देना है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राघव राम मिश्र--

मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि मैंने बहुत बोलने का प्रयत्न किया कि मुझे मौका दिया जाय लेकिन नहीं मिला । मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी गन्ने की समस्या है । जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है वैसे ही गन्ने की बाढ़ हमारे क्षेत्र में आ गयी है । इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय और राजस्व की वसूली समाप्त की जाय । चूंकि मुझे मौका नहीं मिला इसलिये मैं जा रहा हूं ।

(श्री राघव राम मिश्र सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं भी वाक आउट कर रहा हूं ।

(श्री गोकरन प्रसाद सदन त्याग कर चले गये ।)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने अमूल्य सुझावों से सदन को अवगत कराया उनका मैं आभारी हूं। मुझे इस बात का विश्वास है कि जिस आशा तथा विश्वास के साथ माननीय गन्ना विकास मंत्री जी ने घोषणा की है कि अगले सत्र में कोई कठिनाई नहीं होगी, उसकी पूर्ति होगी। उन्होंने भ्रष्टाचार के उन्मूलन तथा छोटे काश्तकारों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया है उसके ऊपर भी पूरी तरह से विश्वास करते हुए मुझे आशा है कि आगे इस समस्या में पूरी तरह से सुधार होगा। मैं दो तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा और मंत्री जी अपने उत्तर में उन पर प्रकाश डालेंगे। एक तो कई माननीय सदस्यों ने बोलते समय इस बात पर बल दिया कि इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि जिस काश्तकार की बकाया की पर्ची रखी हुई है उसके मकान की कुर्की हो जाय। यह कहा गया कि प्राथमिकता के साथ उसके साथ व्यवहार किया जायगा। यह मिलीजुली बात है। मेरा कहना है कि यह बात निश्चित रूप से की जा सकती है जैसा मेरे जिले में हुआ करता था अगर काश्तकार के पास पैसा बकाया होता था, तो उसकी पर्ची का भुगतान प्राथमिकता के साथ कर दिया जाया करता था लेकिन जिलाधिकारी के पास यह आदेश भेज दिये गये कि बकाये का भुगतान नहीं किया जायगा तो इन आदेशों को समाप्त किया जाय और किसान पर अगर सरकारी देय है तो उसकी पर्ची का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाय, यह आश्वासन मंत्री जी सदन को देंगे।

कई माननीय सदस्यों ने यह बात भी रखी कि कृषि का क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए। यह दीर्घकालीन योजना हो सकती है। आज हमारे सामने समस्या अगले सत्र की है। इस सम्बन्ध में चाहूंगा कि इस प्रकार एक समन्वित गन्ने नीति की घोषणा होनी चाहिये जिसमें काश्तकार को जो मूल्य कल तक मिलता रहा है उससे एक पैसा कम न किया जा सके और साथ ही उपभोक्ता तथा मिल मालिक का भी ध्यान रखा जाय और एक दाम नीति की घोषणा की जाय।

खांडसारी की बात कही गयी कि खरीद की घोषणा की गयी, लेकिन खरीद हुई नहीं। बाजार भाव पर खरीदने की योजना थी, सरकारी मूल्य पर खरीद की जानी चाहिये अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। चर्चा में ज्यादा चिन्ता उस क्षेत्र की की गयी है जो रिजर्व एरिया में आता है, लेकिन उस क्षेत्र की चिन्ता करने की भी जरूरत है जहां खांडसारी तथा गुड़ की इकाइयां लगी हुई हैं और खांडसारी तथा गुड़ की इकाइयों को चलाने के लिये जो सुविधायें दी जा सकती हैं उसके सम्बन्ध में नीति घोषित होनी चाहिये ताकि गन्ने के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरि केवल प्रसाद--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है····

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

[* * * ।]

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें । आपका यह अंश कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

इसके पहले कि माननीय गन्ना विकास मंत्री बोलें, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैं यह आश्वासन उनसे चाहता हूं कि जिन काश्तकारों का गन्ना खेतों में खड़ा है और उन्हें एक पैसे का भी फायदा नहीं हो सका तो क्या मंत्री जी उनकी लगान माफी का आश्वासन देंगे ।

*श्री शिव मंगल सिंह--

मैं आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने अपने उपयोगी सुझाव इस गन्ना समस्या के निराकरण के बारे में प्रस्तुत किये हैं । जहां तक मुआवजा देने की बात कही गई है इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां गन्ना समितियों से २०२·५ लाख टन गन्ना आफर किया गया था वहां २०६ लाख टन गन्ने की पेराई की गई और जहां क्रशर से पिछले वर्ष ६७·५ लाख टन पेराई होनी थी वहां १०५ लाख टन की पेराई की गई । इसके अलावा मैंने सदन को यह भी आश्वासन दिया है कि मैं सर्वे करा रहा हूं और जितना बाकी गन्ना इन सुरक्षित क्षेत्रों में पड़ा हुआ है उसकी प्राथमिकता के आधार पर हम अगले सत्र में पेराई करा देंगे। ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता कि क्षतिपूर्ति का कोई औचित्य हो सकता है ।

एक बात गन्ना मूल्य की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर लेने के बारे में कही गई है । सरकार ने कभी भी अपने को अलग नहीं समझा । मैंने पहले भी कहा था और फिर कहता हूं कि जितना सम्भव प्रयास हो सकेगा सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस गन्ना मूल्य का भुगतान कराने की कोशिश करेगी ।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही गईं । मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था और मैं इन्कार नहीं करता कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है । परन्तु भ्रष्टाचार का नाम लेने से उसका निवारण नहीं हो सकता है। जिन-जिन स्थानों पर भ्रष्टाचार का जन्म होता है उन-उन स्थानों पर संघर्ष करने से ही उसका निदान सामने आता है । इस सम्बन्ध में मैं आपसे पूर्व निवेदन कर चुका हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध से मुझे संकेत किया है मैं अपने से भरसक कोशिश कर रहा हूं कि उन बातों पर तुरन्त जांच कराई जाय । मैं आपको पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे विभाग में बड़े से बड़ा अधिकारी यदि भ्रष्टाचार का दोषी पाया जायेगा तो सख्त से सख्त कार्यवाही उसके खिलाफ की जायेगी । उसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बर्ती जायेगी ।

यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ना पूर्ति की व्यवस्था के बारे में बहुत सारी जो शिकायतें हैं उसमें बहुत कुछ सच्चाई है क्योंकि जो कमियां हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री शिवमंगल सिंह--]

उनको स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जहां तक सर्वे का सवाल है और सही माने में कलेंडर बनाने का सवाल है और पर्चियों के वितरण का सवाल है उन सारी व्यवस्थाओं के बारे में कुछ मौलिक परिवर्तन करने हम जा रहे हैं। मैं विश्वास दिला सकता हूं जो हमारी नई नीति आयेगी उससे आप संतुष्ट होंगे। इस प्रदेश के विशेषरूप से जो छोटे किसानों का शोषण होता है वह तकलीफ दूर होगी और वह भी अपने गन्ना व्यवसाय में उचित न्याय पाने का हकदार हो सकेगा।

अब कुछ डि-कंट्रोल के बारे में बात कही गई उस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने नई नीति घोषित की है। डि-कंट्रोल के सिद्धान्त की जहां तक बात है इस में कोई विवाद नहीं हो सकता कि जब देश में चीनी का उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ गया है तो कंट्रोल कायम रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कंट्रोल शार्टेज के ऊपर किया जाता है। आज पूरे देश में लगभग ६५ लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है जब कि खपत ४२-४३ लाख टन आंकी जाती है। जब चीनी का देश में बाहुल्य है तो कंट्रोल का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लेकिन इस डि-कंट्रोल की नीति से जो प्रभाव हमारी फैक्ट्रियों में या अन्य क्षेत्रों में पड़ने वाला है उस पर सरकार गंभीरता से सोच रही है....

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

मैं एक स्पष्टीकरण इसी सम्बन्ध में चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

उनको पहले समाप्त करने दें (व्यवधान) आप बैठें।

श्री शिव मंगल सिंह---

उसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार इस नीति से बुरा प्रभाव हमारे चीनी उद्योग पर न पड़े और किसानों पर भी बुरा प्रभाव न पड़े।

श्री चेतराम गंगवार--

अभी जो बात मंत्री जी ने कही उसी के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बीच में न छेड़ें।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं यह जानना चाहता हूं, गन्ना मंत्री जी ने कहा कि २०६ लाख टन गन्ना पेराई इस वर्ष हुई और पिछले वर्ष १५१ लाख टन पिराई हुई। यह जो है दिसम्बर से मार्च तक हुई और इस साल अगस्त तक मिलें चलीं। आठ महीने में २०६ लाख टन हुई जब कि तीन लाख टन होनी चाहिये थी। तो मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की ढिले नहीं होने दी जायेगी जैसे कि काम धीरे करो की नीति इस वर्ष अपनाई गई।

श्री शिव मंगल सिंह---

एक बात रह गई। हमारे तिवारी जी ने कहा और राज नारायण जी का हवाला दिया। मैं ऐसा समझता हूं कि वह पुराने साथी हैं। राज नारायण जी से

उनका निकट का सम्बन्ध रहा है उनके बारे में वह खुद निर्णय कर सकते हैं इसलिए मैं उस पर विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। हमारी जनता पार्टी की घोषित नीतियां हैं इस संदर्भ में जहां तक छोटे किसानों का सवाल है, मैंने पहले भी कहा और आज भी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की घोषित नीति है कि किसी भी प्रकार से हम गन्ने के अन्दर छोटे काश्तकारों का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस संदर्भ में हम आगामी सारी नीति बनाने को सोच रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो नीति होगी, उससे आप भी संतुष्ट होंगे।

जो गन्ने की कीमत के संबंध में ध्यान दिलाया गया है, उस संबंध में कहना है कि यह भी प्रश्न विचाराधीन है। वर्तमान संदर्भ में क्या गन्ने की कीमत होनी चाहिए, किस तरह से मिलों को चलाने की बात होनी चाहिए, खांडसारी के बारे में जो पिछली शिकायतें आयी हैं और जो उनके लाइसेंस और नवीनीकरण की प्रथा है, उसमें भी परिवर्तन करने आदि के बारे में सोच रहे हैं ताकि शोषण न हो सके।

किसानों के कोल्हू के बारे में जहां तक गुड़ का सवाल है, उसमें भी सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक हमारा गन्ना खपत हो जाय और सारी एजेंसी मिलजुल कर काम कर सके। तो अंत में इतना ही आपसे अनुरोध है कि जहां तक गन्ने का सवाल है, इसके बारे में हम राजनीतिक दलबंदी से ऊपर उठकर इसको एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में सोचें और इस समस्या के निराकरण की बात सोचें। मेरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस जटिल समस्या का हल कर सकेंगे। अंत में मुझे यह कहना है कि जिन-जिन माननीय सदस्यों ने इस समस्या के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं।

प्रदेश में बढ़े हुये लगान तथा विकास कर के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, आज जो बहस लगान बढ़ाने और भूमि विकास कर के सम्बन्ध में प्रारम्भ करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं ऐसा समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में उपस्थित हुआ है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में किसानों पर जो लगान के बारे में इसके पूर्व बन्दोबस्त था, वह १२४२ फसली और १३२३ फसली में बन्दोबस्त के माध्यम से लगान निश्चित हुआ था। उसके बाद इस प्रदेश में जब पिछली कांग्रेस सरकार आयी तो उस समय भी किसानों की स्थिति को देखते हुये रुपये में ६ आने की छूट घोषित कर दी गयी और किसानों का लगान फिर से दुबारा निश्चित किया गया। रुपये में ६ आने की कमी की घोषणा के साथ। उसके बाद द्वितीय महायुद्ध आया। लेकिन उसमें अंग्रेजों ने किसानों पर लगान बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया। उसके बाद कांग्रेस सरकार आयी। कांग्रेस सरकार ने भी दुबारा आने के बाद लगान बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया। लेकिन मान्यवर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब इन्दिरा गांधी की सरकार आयी, तो किसानों पर लगान बढ़ाने का फैसला किया और श्रीमन्, मैं यह कहने में निश्चयपूर्वक कोई संकोच नहीं करता कि तत्कालीन इन्दिरा कांग्रेस सरकार निश्चयपूर्वक किसान विरोधी सरकार थी और इसीलिये प्रदेश के किसानों ने उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह--]

हटाने के लिए जहां दूसरे मुद्दे थे, वहां एक मुद्दा इसका भी इस्तेमाल किया और श्रीमन्, जब लोक सभा का चुनाव समाप्त हो गया तो उसके बाद आज हमारे सम्मानित मित्र तिवारी जी जो हमारी तरफ देख रहे हैं, इन्होंने चालाकी से उस लगान को माफ करने की घोषणा मात्र कर दी। कोई विश्लेषण नहीं दिया और श्रीमन्, यह कहते हैं आर्डिनेन्स की बात। हर मामले में यह कहते हैं कि इनकी क्या राय है, लेकिन इस मामले में भी मैं जानना चाहता हूं कि इनकी नेता तिवारी जी की क्या राय है ? लगान बढ़ोत्तरी के मामले में किसानों को जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है वह माननीय सदस्यों या किसी से छुपा नहीं है। कहने के लिए हमने सिंचित भूमि के लिए १० से २० रुपये तक सर्किल रेट के आधार पर बढ़ोत्तरी कर दिया है और उसी तरह से उसके नीचे कर दिया है, किन्तु लगान बढ़ोत्तरी इतनी आसान होती और इस मामले में इतनी आसानी से फैसला किया जा सकता तो जिस समय जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट यहां आई और उसके लोग विचार करने के लिए बैठे तो उन्होंने जो वायदा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आगामी ४० साल तक लगान में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी, उसका क्या हल होगा ?

इस सदन ने विधेयक पास किया और वायदा किया कि जिन लोगों ने भूमिधरी के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं, उन पर इसकी वृद्धि नहीं होगी। जिनके साथ एक कानूनी वायदा किया गया था, इसके द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि लगान की जो बढ़ोत्तरी हुई है यह उस वायदे की वायदा खिलाफी नहीं है तो क्या है, जनता-किसानों के साथ विश्वासघात नहीं है तो क्या है ?

मैं याद दिलाना चाहता हूं इस संदर्भ में उस समय की जब १९६२ में भारत पर चीन के हुए आक्रमण के समय इस सदन ने रुपये पर चार आने की मालगुजारी बढ़ाने के बारे में बिल पास किया, तो उस समय कितना जद्दोजहद हुआ, यह उस समय की कार्यवाही आज का सबूत होगी। उस समय भी मुझे इस सदन का सेवक होने का अवसर प्राप्त था। उस समय कैसी और कितने दिन बहस चली। जब कि वह लगान वृद्धि नहीं थी केवल सरचार्ज लगाया गया था। उस समय सरकार ने यह वायदा किया था कि इमरजेन्सी के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगा तथा इस बढ़ी राशि को दूसरे काम या डेवलपमेंट आदि के लिए व्यय नहीं किया जाएगा। मैं आपको याद दिलाऊं कि आज के केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री, श्री भानुप्रताप सिंह ने, जो आज हमारी पार्टी की तरफ से केन्द्र में मंत्री हैं, इस मामले में अपने विचार देते हुए कहा था कि लगान तो रहनी ही नहीं चाहिए। और संसद सदस्य श्री उग्रसेन और तत्कालीन इस सभा के सदस्य के विचार थे कि कृषि पर लगान या मालगुजारी नहीं होनी चाहिए बल्कि कृषि को आय की सीमा से जोड़ना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

तीन मिनट आपके हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं और भी माननीय सदस्यों की बात सुनना चाहता हूं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि विभिन्न नेतागण जो उस समय थे और आज भी हैं उनके विचारों से लाभ उठाएं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि करीब-करीब सभी लोग उन विचारों से बंधे हुए हैं, जो किसान के हित के हैं। इसीलिए मैंने इस बहस

का श्री गणेश करते हुए यह बात उन पुरानी बातों की याद पुनः दिला दी जिसके माध्यम से प्रदेश के किसानों का लाभ यह सरकार कर पायेगी। मेरी यह सलाह है कि कृपा करके जो काम अंग्रेज बन्दोबस्त के माध्यम से करना चाहता था, वह महाल का लगान तय करता था, किस्म जमीन देख कर लगान तय करता था। जमींदारी के आधार को, उसकी किस्म को देखकर मालगुजारी तय करता था। आज अगर उन सारी बातों को छोड़कर हम केवल फ्लैट रेट पर चलते चले जायेंगे तो इससे कुछ लोगों को लाभ और कुछ लोगों को हानि होगी।

मान्यवर, एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि कृषि पर किस प्रकार लगान और मालगुजारी लगायी जाय आज काफी अरसे से इसमें दिक्कत पैदा हो रही है। आप जरा देखें १९३७-३८ में इस प्रदेश में मालगुजारी ७ करोड़ ४७ हजार ६५५ रु० सरकारी खजाने में कृषि आय के रूप में आती थी। बाद में जब जमींदारी समाप्त हो गयी तो विभिन्न प्रकार से अन्य करों को छोड़-कर यह करीब-करीब २४ करोड़ १० लाख रुपया हो गयी। तीन गुना से ज्यादा आमदनी का श्रोत कृषि क्षेत्र से हो गया।

एक तर्क दिया जायगा कि हमने तीन सही एक बटा आठ एकड़ का लगान माफ कर दिया। मैंने माना कि आपने माफ कर दिया। लेकिन जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में सवा छः एकड़ तक की जोत को अलाभकर माना है। श्रीमन्, कांग्रेस की ऐग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट में, उस जमाने में इंदिरा कांग्रेस नहीं थी, मैं उस कांग्रेस की बात कह रहा हूं, उस समय सवा छः एकड़ जमीन को अलाभकर जोत मान कर उस पर लगान माफ करने का उसका फैसला था। मान्यवर, इस प्रदेश में जब इंदिरा कांग्रेस का बड़ा जलवा था, अब तो बेचारे-बेचारे हैं, उस जमाने में टी० एन० सिंह मुख्य मंत्री थे। करीब-करीब वही लोग थे जो इधर बैठे हुए हैं, तब संविद सरकार के रूप में सवा छः एकड़ तक लगान की माफी इस सदन के माध्यम से की गयी थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह कोई तर्क नहीं है, मेरी मांग है कि कृपा करके एक कमेटी बना दें, एक्सपर्ट लोगों की, उसमें अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट आ जायं एग्रीकल्चर वगैरह के, जानकार लोग आ जायं और दूसरे जो खेती से सम्बन्धित हैं, वह आ जायं। इस माननीय सदन के लोग आ जायं। किसानों को बोझ न मालूम हो और वह महसूस करें कि हमें कितना टैक्स देना चाहिए। वह इस बात के लिए स्वयं तैयार हों। जिस प्रकार से यह लगान बढ़ाया जा रहा है वह ठीक नहीं है। इससे किसानों को महान कष्ट है। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने चर्चा आरम्भ की है, अब माननीय राजस्व मंत्री जी संक्षिप्त उत्तर के लिये १० मिनट लेंगे।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

ख्याल तो करिएगा।

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

लगान की स्थिति पर कई बार विचार हो चुका है। पिछली सरकार ने जो दिशा दी थी वही चल रही है। जैसा कल्पनाथ सिंह जी ने कहा....

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं, कापी दिलवा दीजिए ।

श्री शारदा भक्त सिंह—

कोई वक्तव्य नहीं है । कोई लिखित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

लिखित आवश्यक नहीं है, इसमें ।

श्री शारदा भक्त सिंह—

मैं कह रहा था कि सारे प्रदेश के लगान का औसत निकाल कर यह निश्चित किया गया कि असिंचित का लगान ५ रु० से १० रु० के बीच में और सिंचित का १० रु० से २० रु० के बीच में रखा गया और इसके अतिरिक्त विकास कर लगा हुआ था ।

श्री चेत राम गंगवार—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी इससे पहले माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त के नियम ५२ पर दो घन्टे की चर्चा हुई थी और उसमें मंत्री जी का वक्तव्य बांटा गया था । यह भी उसी नियम में है तो इसमें वक्तव्य आप नहीं बटवा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि नियम क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

दो घन्टे की चर्चा माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्वीकार की गयी थी उसी के विषय में है । माननीय राजस्व मंत्री, चेतराम जी आप समय न नष्ट करें ।

श्री चेतराम गंगवार—

मुझे आपत्ति है । मैं स्वयं बता रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नियम देखें ।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं एजेन्डा पढ़ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५४ को पढ़ें । आप कृपया बैठें । नियम में है कि सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा । जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मन्त्री संक्षेप में उत्तर देंगे । किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी । विषय पुरः स्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिए दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मन्त्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी ।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं वही कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, समय नष्ट न करें । (शोर)

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मुझे इस पर आपत्ति है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको इस पर इजाजत नहीं देता । आप नियम देखें । इस तरह से आप समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, आप यह कैसे कह रहे हैं कि मैं समय नष्ट कर रहा हूं ? इस पर मुझे आपत्ति है ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर अव्यवस्था हो । माननीय सदस्यों का आग्रह है कि नियम ५२ में जो वक्तव्य दिये जाते हैं चूंकि मंत्रियों के पास पूरा विभाग होता है, तो उनका उत्तर सदन में लिखित रूप में आता है । माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो सूचना दी थी उसमें काफी समय था । जैसी की प्रथा है कि वक्तव्य का लिखित में उत्तर आता है तो अगर माननीय राजस्व मंत्री जी लिखित में उत्तर नहीं दे पाये तो कोई बात नहीं है, लेकिन यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए । ऐसा नहीं होना चाहिए कि भविष्य में कोई भी मंत्री लिखित उत्तर न दें । यही मेरा आपसे आग्रह है कि आप सदन के अधिकारों की रक्षा करें । इस माननीय सदन के सदस्यों का यह अधिकार है । आज आप सत्ता में हैं, कल विरोधी दल में हो सकते हैं तो आप के लिए भी यह होगा । तो ऐसा कोई नियम नहीं होना चाहिए कि मंत्री लोग लिखित में वक्तव्य न दें । आप अपनी रूलिंग देकर इसे समाप्त न करें ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

क्या कभी आपने खेती भी की है या फावड़ा चलाया है जो खेती पर बातें करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हरी सिंह जी आप बीच में मत बोलें । आपको मैंने इजाजत नहीं दी । आप बैठिए ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, माननीय चेतराम जी के कहने का ढंग सन्तोषप्रद नहीं था । वे गुस्से में बोल रहे थे । माननीय तिवारी जी ने ही उन्हें शान्त कर दिया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शारदा भक्त सिंह--]

जहां तक लगान माफ करने का प्रश्न है, लगभग १६-१७ करोड़ रुपये का लगान माफ किया गया है। दूसरे जो विकास कर लगा था, उसे भी इस शासन ने समाप्त कर दिया, यह माननीय सदस्य जानते हैं। अभिनवीकरण से जो लगान निश्चित किया गया था लगभग डेढ़ करोड़ रुपये खतौनियों के तैयार करने में खर्च किया गया था, लेकिन मैं इस बात को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जो लगान जिस प्रकार से लगाया गया है उस पर मुझे सन्तोष नहीं है। मैं विचार कर रहा हूं। छोटे काश्तकार को अधिक राहत मिलनी चाहिए। बड़े काश्तकारों को इतनी राहत की आवश्यकता नहीं है। छोटे काश्तकार की आमदनी को देखते हुए उन्हें अधिक राहत दिया जाना चाहिए। पिछले शासन ने शायद इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया। यह प्रश्न इस शासन के विचाराधीन है। जनता सरकार की नीति है कि छोटे काश्तकारों को अधिक राहत दी जाय। इसी बात को देखते हुए सवा ३ एकड़ तक का लगान माफ किया गया है। इस पर हमारे माननीय सदस्यों के जो विचार होंगे मैं उनको सुनूंगा और उनके विचारों से लाभान्वित हूंगा तथा उनके विचारों का स्वागत करूंगा।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं बहुत थोड़े समय में अपनी बात कहूंगा। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने लगान के विषय की गम्भीरता को सोचते समझते यह आश्वासन दिया है कि वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा तो यह कहना है कि लगान के मामले के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। जैसा कि कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि ४ आने के बढ़ने पर और वह भी सरचार्ज लगान पर लगाने के सम्बन्ध में यहां पर १०-१२ दिन तब डिबेट हुयी और बड़ा संघर्ष रहा। वह नहीं बढ़ पाया। एमर्जेन्सी का वक्त एक ऐसा वक्त आया कि लगान के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। डेवलपमेंट लेवी लगी, लगान भी पांच गुना हो गया। चूंकि एमर्जेन्सी का जमाना था लिहाजा सोचा गया कि किसान ही दूध की बड़ी भैंस है जिसको दुह लिया जाय। किसान के साथ जुल्म की इंतिहा हो गयी। अभी जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा डेवलपमेंट लेवी (विकास-कर) से तो मुक्ति हो गयी है लेकिन मैं सदन में २-४ मिसालें रखना चाहता हूं कि उन लोगों के पुराने क्या लगान थे और इस समय क्या लगान हैं।

मान्यवर, हमारे यहां पर एक खाता श्री शराफत हुसैन व फिरासत के नाम से है। उसका पुराना लगान २९ रुपये ३० पैसे था। अब इस वक्त का लगान १४२.२० रुपये है। अगर डेवलपमेंट लेवी, जिसे माफ किया गया है, पुराना लगान भी जोड़ दिया जाय तो उस ७.११ एकड़ रक्बे जमीन पर ५८.६० रुपये बैठता है। दूसरा फजल हुसैन का खाता है जिसका पुराना लगान २९.१५ रुपये था जो इस समय १४९.१० रुपये यानी पांच गुना हो गया है। अगर लेवी की रकम को भी लगा दिया जाय, पुराने लगान के साथ जो २९.१५ रुपये आता है तो वह ५८.३० रुपये हो जाता। तीसरा खाता श्री रफीउद्दीन का है जिसका पुराना लगान ११.८५ रुपये था। वह अब ७०.५० रुपये हो गया है। जो ६ गुने के लगभग है। कौशिक जी ने मेरे खाते के बारे में भी पूछा तो मैं निवेदन करता हूं कि हमारे दो भाइयों, रियासत हुसैन और श्री सादत हुसैन, का एक खाता है उसका पहला लगान ९६.२७ रुपये था जो अब बढ़कर ६४७.३५ रुपये हो गया है अगर लेवी लग जाती तो जो लगान पहले था वह बढ़कर २५०.७७ रुपये हो जाता। लेकिन अब जो लगान बढ़ गया है वह ६ गुना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से भी अधिक हो गया । मान्यवर, ये मेरे पास खतौनी के एक्सट्रेक्ट्स हैं जिनको मैं परसों ही करा कर लाया हूं ।

सवा ६ एकड़ पर बड़ी-बड़ी थिसिस लिखी गयी है कि एकोनोमिक होल्डिंग क्या है । जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट और डाक्टर लोहिया का और जितने भी समाजवादी नेता हुए हैं सभी का यह आग्रह रहा है कि सवा ६ एकड़ तक की लगान माफ किया जाय क्योंकि यह अलाभकर जोत है और माननीय सदन ने इसको एक समय माफ भी किया । लेकिन फिर यहां पर सवा ६ एकड़ पर लगान लगा दिया गया है और इसके नाम पर उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता श्री सालिग राम जायसवाल ने मंत्रिमंडल से त्याग-पत्र भी दे दिया था । आज यह ३ १/८ एकड़ कहां से निकल आया, समझ में बात नहीं आती । अगर आप पुराने रेकार्ड्स को मानते हैं तो सवा ६ एकड़ होना चाहिये और अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर से सेटिलमेंट कराइये । सेटिलमेंट फिर से करवाने के बाद अगर अलाभकर जोत २ एकड़ आती है तो २ एकड़ तक माफ कर दीजिये, अगर ७ एकड़ आती है तो ७ एकड़ कर दीजिये । सरचार्ज पर इसी सदन में जब विधेयक आया था तो १३ दिन बहस चली थी और इस सदन के सभी दलों के नेताओं ने खड़े होकर यह कहा था कि सदन तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक यह वापस नहीं होगा और अन्त में सरकार को उसे वापस लेना पड़ा ।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मौजूदा लगान की पद्धति से वे संतुष्ट नहीं हैं और उसमें परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हैं । माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि सेटिलमेंट होना चाहिये । मैं भी मांग करता हूं कि सेटिलमेंट किया जाये ताकि सारी चीजें सामने आ जायें । आपने जो इर्रीगेटेड और नान-इर्रीगेटेड किया है वह ठीक नहीं है । यह पद्धति सब जगह के लिये ठीक नहीं है । लगान की पद्धति ऐसी होनी चाहिये जिससे सब को संतोष हो ।

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आज जिस लगान के विषय पर यहां विवाद चल रहा है, सदैव ही यह विवाद का विषय बना रहा । राजा टोडरमल के जमाने से आज तक, जो भी सत्ता में आया है, उसके द्वारा लगान बढ़ता रहा, उसमें परिवर्तन होता रहा । सरकार ने सन् १९५२ में इसमें परिवर्तन किया, किसानों को यह अधिकार दिया गया कि १० गुना जो अदा करेगा वह भूमिधर हो जायेगा, भूमि का मालिक हो जायेगा । उसके बाद फिर नियम में परिवर्तन हुआ जिसके अनुसार बागों पर भी लगान लगाने की व्यवस्था की गयी । उसके बाद फिर सोशलिस्टों ने सत्याग्रह किया कि सवा ६ एकड़ का लगान माफ होना चाहिये । संविद की सरकार ने उसे माफ किया । मगर किसान वास्तव में यह नहीं चाहता था कि उसका लगान बिल्कुल माफ हो वह यह चाहता था कि लगान में कमी हो, वह लगान दे और उसे उसकी रसीद मिले । मान्यवर, आज किसान के ऊपर विकास कर के रूप में हमारे राजस्व मन्त्री जी ने यह बताया है कि पांच रुपये से लेकर १० रुपये तक असिंचित भूमि का और १० से २० तक सिंचित भूमि का जो लगान है उस पर विचार कर रहे हैं और छोटे काश्तकारों को राहत देने के लिए वह विचार कर रहे हैं तथा बड़े काश्तकारों पर भी राहत देने के लिए विचार कर रहे हैं । अब सभी छोटे ही काश्तकार हैं, अब बड़े काश्तकार कोई नहीं रह गए हैं देवी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गुरु प्रसाद--]

आपदा जब आती है, तो छोटे बड़े को नहीं देखती है हमारे प्रदेश में हर गांव में, हर तहसील में अगर लेखा-जोखा करें, तो बड़ा काश्तकार मुश्किल से किसी गांव में ५ प्रतिशत से कम ही होगा बड़ा काश्तकार वह है, जो ४ हल की खेती, १०० बीघे की करे, मध्यम जो दो हल की खेती ५० बीघे की करे । सबसे निचला काश्तकार वह है जो दो बैल की खेती करता है, जो केवल १० बीघे की खेती करता है । हर गांव में अगर लेखा-जोखा करवायें, हिसाब लगावें, तो बड़े काश्तकार ५ प्रतिशत से अधिक नहीं हैं उसके बाद आप देखें कि अभी आपने कहा, आज सारे प्रदेश में ५० जिले में बाढ़ की विभीषिका से किसान त्रस्त हैं । ऐसा कौन बड़ा काश्तकार है जिस पर बाढ़ का प्रभाव नहीं है और छोटा काश्तकार कौन है, जिसके ऊपर बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ा है । बाढ़, सूखा, ओला, पाला और दैवी अपदाओं का जब प्रकोप होता है, तो वह छोटे और बड़े का ध्यान नहीं रखता है । जो आज विकास के रूप में बढ़ोत्तरी हुई थी, उसको आपने समाप्त किया । आप धन्यवाद के पात्र हैं इस लिए इन शब्दों के साथ फिर से आपको धन्यवाद देता हूं । उत्तर प्रदेश के किसानों को चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको राहत देने की कृपा करें ।

*श्री जागेश्वर (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । जो पहले जमाने में गरीबों को पट्टे किए गए थे, जो भूमिहीन थे, वह सारे पट्टे कैंसिल किए जा रहे हैं । आज जो भूमिहीनों को जमीन दी गयी है, वह कैंसिल करवाई जा रही है खलिहानों के नाम से । जब भूमिहीनों के लिए पट्टे किए गए, मैंने सुना था कि लोक सभा में कुछ लोग (सज्जन) अनशन करने जा रहे थे कि जो भूमिहीनों के पट्टे किए गए थे, वह कैंसिल किए जांय । जो भूमिहीन गरीबों को, हरिजन और बैकवर्ड या सवर्ण वगैरह भूमिहीन गरीबों के पट्टे किए गए थे, उसी को पहले कहते थे कि खलिहान नहीं है, तालाब नहीं है, उसी को जोतते थे, १५-१५, १०-१० साल से, बाद में जब भूमिहीन गरीबों को पट्टे किए गए, तो उनको कहते थे कि तालाब है, जोकि मौके पर नहीं है बराबर है लेकिन इनके जब पट्टे किए गए, तो एतराज हुआ, उसको कैंसिल कराया जा रहा है । कुछ जमाने में गरीबों को पट्टे किए गये थे, घूर के नाम से खींच ले रहे हैं कि यहां पर घूर डालना है । जो कभी खलिहान नहीं रहा है, जो भूमि हरिजन गरीबों को दी गयी है वह वास्तव में खलिहान नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य मालगुजारी बढ़ोत्तरी पर बोलें ।

श्री जागेश्वर--

उनसे वह जमीन न ली जाय । जो कहते हैं कि गोचर की जमीन है जिसको कि दूसरे लोग उसी को जोते थे, अब जो भूमिहीन गरीबों को दी गयी है तब यह कहते हैं कि यह गोचर है, अब वही तो यहां पर जमीन है और तो शेष जमीन है भी नहीं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन न ली जाय । जो बड़े काश्तकारों को ग्राम समाज की जमीन दी गयी है, उनसे भले ही ले ली जाय । जो बड़े काश्तकारों को भूदान द्वारा जमीन दी गयी थी, उसे भले ही आप ले लें, लेकिन जो भूमिहीन गरीबों को जमीन दी गयी है, उसको न ली जाय, वरना इससे वातावरण कुछ खराब हो सकता है और इससे भूमिहीनों में बड़ी अशांति है । मेरा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निवेदन सरकार से है कि गरीब भूमिहीनों की मदद की जाय । यही सरकार से मेरी अपील है ।

ग्राम जरौली काफी डूबा जा रहा है, ललौली फतेहपुर में, दुरौली और कुरांकनक, दतौली, गनूपुर, मवई, घोना, अड़ाना, सहमसी, मोहारी, विन्धौर, बरियाबाद, बिनकी क्षेत्र गढ़ी लम्हेटा ये सभी गांव डूबे हुए हैं । लिलरा दिवरान भी डूबा हुआ है, बिनकी क्षेत्र में कौड़िया, आशापुर अमयपुर, नामामऊ कटरीगंज का किनारा शिवराजपुर कोटिया, पवारा आदि गांव बिल्कुल बाढ़ से पीड़ित हैं । यहां के सभी मकान गिर गए हैं । इसको शीघ्र सहायता प्रदान की जाय । पलटू का पुरवा दसौली, भरौढ़ी, धर्मपुर बिलकुल डूब गया है । मान्यवर, लगान वगैरह की बात तो बाद की चीज है पहले इनको तुरन्त सहायता दी जाय ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अपने पुराने सहयोगी साथी और मित्र सदस्य गोरखपुर कल्पनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर इस सदन को मौका दिया कि इस गम्भीर विषय के ऊपर हम विचार कर सकें । श्रीमन्, एक आग्रह करुंगा कि इस माननीय सदन में दोनों पक्षों में ऐसे होनहार और नौजवान सदस्य विद्यमान है जिनपर कम से कम ३०-४० साल तक इस प्रदेश को इस देश को चलाने की जिम्मेदारी है और रहेगी भी। तो यह प्रश्न केवल इतना नहीं है कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाए कि फलां ने लगान बढ़ाया कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया, जनता पार्टी ने बढ़ाया । प्रश्न यह है कि इसका समाधान कैसे होना चाहिए । माननीय राजस्व मंत्री जी से आग्रह करुंगा वह गम्भीर व्यक्ति है उनको याद होगा कि श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री ने एक घोषणा की है कि छठी योजना के लिए ७० हजार रुपये टैक्स लगाना पड़ेगा ७० हजार रुपया जुटाना पड़ेगा । यह घोषणा माननीय केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री जी ने की है । तो श्रीमन्, प्रश्न केवल लगान का नहीं है प्रश्न यह है और जो सोचने की बात है कि कृषि के क्षेत्र से कितने प्रतिशत रुपये किस मद से किन किन मदों में वसूल किया जायेगा राजस्व से ? यह प्रश्न चाहे हम बैठे हों चाहे आप बैठे हों सभी के सामने आयेगा । खेती से किसान से एग्रीकल्चरल सेक्टर से किस प्रकार रुपया किस मद में लिया जायेगा यह व्यापक प्रश्न है । लगान तो अंश मात्र है । श्रीमन्, आज प्लानिंग कमीशन के चेयरमन श्री लकड़वाला की राय है श्री राज कृष्ण साहब की राय है । श्रीमन्, एक्सपर्टस जितने होते हैं यह रहते ही है । चाहे कांग्रेस पार्टी का राज हो इन्दिरा कांग्रेस पार्टी का राज हो जनता पार्टी का राज हो कम्यूनिस्ट पार्टी का राज हो या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो श्रीमन्, जो एक्सपर्टस होते हैं वह रहते ही है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, कम्युनिस्ट पार्टी ने प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन श्री लकड़वाला को नियुक्त करने का विरोध किया था लकड़वाला को गाली दिया था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन् हमारे बुजुर्ग दोस्त श्री ऊदल की बड़ी कृपा है जो कि इनको एक्सपर्ट नही मानते है ।

---

*नोट वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ऊदल—

पूंजीवादी एक्सपर्ट मानता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पूंजीवादी एक्सपर्ट माने साम्यवादी एक्सपर्ट माने तो हमसे सहमत होंगे । मैं किताबें दिखाने के लिए तैयार हूं कि जहां पर कलेक्टिव एग्रीकल्चर सामूहिक खेती होती है चाहे वह रूस हो चाहे वह चीन हों सभी जगह खेती पर कोई न कोई टैक्स लिया जाता है । तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि प्रश्न क्या है । हमारे सामने प्रश्न ऐसा है जिसपर चौधरी चरण सिंह जो कि खेती के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हैं उनका सदैव विचार रहा है उनकी पुस्तक को देखें उसमें लिखा है कि लगान किसान से टैक्स लेने का सबसे आसान तरीका है वे लगान माफी से सदैव खिलाफ रहे है । यह जनसंघ पार्टी हमेशा लगान माफी की विरोधी रही है । जब श्रीमन्, १९६७ में एस० वी० डी गवर्नमेन्ट थी तब जनसंघ ने विरोध किया था । उसने विरोध किया था कि सारे लगान को समाप्त नहीं करना चाहिए । साधन कहां से आयेंगे ? श्रीमन्, उस समय सारी रबी का लगान न वसूल करने का सवाल आया था और जनसंघ ने विरोध किया था कि यह गैर-व्यावहारिक है । यह व्यावहारिक नहीं है । इसके लिए इमरजेन्सी का नाम लेना, नारायण दत्त तिवारी का नाम लेना मुनासिब नहीं है । प्रश्न यहां पर वसूलयाबी करने का नहीं है । मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रश्न यह नहीं है कि लगान आप कितना काटते हैं कितना बढ़ाते है प्रश्न यहां पर नीति का है । आप अगर एक तरफ लगान माफ कर दें पूरे का पूरा और दूसरे टैक्सेज खेती पर बढ़ा दें, सिंचाई बढ़ा दें, बिजली क दरें बढ़ा दें तो उससे भी तो किसान पर असर पड़ेगा । तो यह व्यापक प्रश्न है मंत्री जी आप बतायें कि छठी योजना ५ हजार करोड़ रुपये को योजना होगी तो ५ हजार करोड़ रुपये कहां से आयेंगे ? सेल्स टैक्स से कितना आयेगा शराब तो बंद ही कर दी है तो कहां से आप ५ हजार करोड़ रुपये वसूल करेंगे यह राजस्व मंत्री बतायें मैं जानना चाहता हूं । आपकी जिम्मेदारी है बतायें । यह कहना आसान है कि इमरजेन्सी में हमने लगान बढ़ा दिया लेकिन लगाना घटाया भी गया है । रामपुर जिले में कितना ज्यादा लगान था ? आप बतायें । क्या बताऊं आपकी सहायता भी मुझे कभी कभी करनी पड़ती है । रामपुर और हमीरपुर में लगान घटा है । दूसरी तरफ जो जमींदार थे । उनका लगान कितना कम था ? जितना लगान बढ़ा अधिकांशतः भूतपूर्व जमींदार थे । जिनकी सीरदारी की वजह से लगान कर्ज था वह बढ़ा ? यह अभिनवीकरण में हुआ । रामपुर, हमीरपुर, टेहरी गढ़वाल का लगान ज्यादा था उनका कम हुआ । जो सीरदार हो गए थे उनको ० गुना नहीं देना पड़ता था लगान कम था बढ़ा तो इस तरह से अभिनवीकरण हुआ था ।

एक दूसरी चीज बंदोबस्त की है । बंदोबस्त अगर हो जाय तो कोई माननीय सदस्य स्वीकार नहीं करेंगे कि लगान नहीं बढ़ेगा । राजस्व मंत्री जी बतायें कि बंदोबस्त के बारे में शासन की नीति क्या है ? माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने बड़ी ओजस्वी भाषण दिया । मैं उनसे नम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं कि जब गुप्ता जी १९६९-७० में मुख्य मंत्री थे तो उस समय वह राज्य मंत्री थे उनकी योग्यता का पूरा लाभ उठाया जा रहा था । आज नहीं उठाया जा रहा है । उठाया जाना चाहिए । उस समय सवा छ एकड़ की माफी का बिल आया आर्डिनेन्स के जरिये से । अगर मैं भूलता नहीं हूं तो उस आर्डीनेन्स में यह लिखा था ४० साल वाली बात आर्डीनेंस में समाप्त की गयी थी । उन्होंने कहा

था कि यह भूमिधरी वाला मामला नहीं रहेगा और सेटिलमेन्ट की बात भी तभी कही गयी थी। वह अच्छा कदम था। मेरा निवेदन है कि लगान हम सारा माफ कर दें लेकिन शासन को तय करना होगा कि खेती के क्षेत्र में कहां कर लगेंगे। मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर खेती के क्षेत्र से पैसा वसूल करना है तो बजाय सिंचाई और बिजली में कर बढ़ाने के इनको तो नो प्राफिट नो लास पर चलायें लगान सबसे अच्छा तरीका है।

दूसरी बात विकास कर के बारे में मैं जरूर कहूंगा। इससे ८ करोड़ रुपया ग्राम सभाओं, ब्लाक समितियों, जिला परिषदों को मिला था वह समाप्त हो गया है। वह आज एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। इनका खर्च कैसे चलेगा? जिला परिषदों का खर्च कैसे चलेगा? तो विकास कर उनको दिया गया था जिसको आज समाप्त कर दिया और इससे साढ़े ८ करोड़ रुपये की आमदनी समाप्त हो गयी। इसलिए कैसे उनकी मदद होगी इसका उत्तर दें। इस प्रश्न को हमेशा चुनाव तक देखते हैं इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि प्रदेश की प्रगति के लिए साधन कहां से जुटायेंगे इस बुनियादी प्रश्न पर विचार करें तो अच्छा होगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मुझे तिवारी जी के भाषण को सुन कर ऐसा लगा कि जैसे कोई किसानों की बात न जानने वाला बात कर रहा हो क्योंकि मैं स्वयं खेती करता हूं और किसानों से मेरा बिल्कुल सीधा सम्बन्ध ही नहीं बल्कि मैं पुश्त से खेती करता आया हूं। उत्तर प्रदेश के अन्दर साढ़े ३ करोड़ एकड़ खेती की जमीन है जिसमें ढ़ाई करोड़ एकड़ उपजाऊ है और एक करोड़ पड़ती है। लगान बढ़ने से पहले पिछली सरकार १९६२ से १९६७ तक जो सरकार थी वह ३३ करोड़ रुपये वसूल करती थी लगान से।

जो अलाभकर जोतों की बात की है उसमें मैं साफ कहता हूं कि शायद आप उसकी लाजिक को समझते नहीं हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि सवा ६ एकड़ की खेती को अलाभकर जोत मैं मानता हूं। यह सरकार यदि मेरे बताये रास्ते पर चलती तो मैं समझता हूं कि सवा ६ एकड़ का लगान माफ कर देना चाहिए था। इस सम्बन्ध में मैंने वित्त मंत्री से कहा था कि पहली बार जनता सरकार बनी है इस लिए सवा ६ एकड़ तक का लगान माफ करें। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि बजट कहां से आयेगा। इसलिए उन्होंने ३ १/८ एकड़ पर लगान माफ किया। साढ़े १७ करोड़ रुपये अलाभकर जोतों से वसूल होता था और सरकारी कर्मचारियों अमीनों आदि पर इसके वसूलने में साढ़े १५ करोड़ रुपये खर्च हो जाता था। इसलिए मैं समझता हूं कि अलाभकर जोतों की माफी की बात शायद कोई प्रतिक्रियावादी पूंजीवादी और सामन्तवादी व्यक्ति ही समर्थन न करें लेकिन किसान मजदूर प्रकृति के तथा श्री रियासत हुसैन जैसे लोग इसका समर्थन करेंगे। छोटी-छोटी और अलाभकर जोतों से जो वसूल होता था और जो खर्च होता था उसको देखें तो हमारे पास एक या सवा करोड़ रुपये ही आता था। इससे कितनी सड़कें आप बना लेंगे? इसलिए इस तरह की बात आप ही करें। आप उस लाजिक को समझें जिसको डा० लोहिया ने अर्थशास्त्र के मामले में और किसानों के मामले में कहा था। मुझे तो उनके साथ २० वर्ष रहने का मौका मिला है और तिवारी जी को भी मिला था लेकिन वह भटक गये। यह मेरी समझ में नहीं आता तिवारी जी ने कैसा भाषण दिया उनको सुनकर मन में आया कि यह कौन समाजवादी व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है, तर्क दे रहा है कि

[श्री राधेश्याम शर्मा—]

समाजवाद की सरकार बनी तब हुआ । तो यह सवा करोड़ रुपया ८२ प्रतिशत लोगों से आये और उन पर डंडे चलाये तो उसको वैसी ही सरकार कर सकती है जिसके पास दिमाग न हो । इसलिए हमारा बस चलता तो सवा छः एकड़ पर भी लगान माफ कर देते और करेंगे । ३ १/८ एकड़ पर तो माफ हुआ । साढ़े सत्तरह करोड़ रुपया माफ हुआ, ८२ सैकड़ा किसानो का माफ हुआ । मैं समझता हूं कि आप को इस सरकार को बार-बार बधाई देनी चाहिए । आप तो उल्टी बात करते हैं । अगर आप के भाषण को विधान सभा की कार्यवाही से लेकर जिलों में बंटवाऊं तो जब आप जिलों में जायेंगे तो कहेंगे कि यह मेरा भाषण नहीं है । जब आप देवरिया जायेंगे, गोरखपुर जायेंगे, बस्ती जायेंगे, आजमगढ़, बलिया जायेंगे, पश्चिमी जिलों में इतने छोटे किसान नहीं हैं बल्कि टुकड़े वाले किसान हैं उनके सामने आप जायेंगे तो मैं समझता हूं कि आप के भाषण को पढ़ कर आप को कोई माफ नहीं करेगा । आप का जो गलत तर्क है उसी का खंडन करने के लिए मैं बोलना चाहता था ।

मान्यवर, अलाभकर जोत से कुछ नहीं सरकार को मिलना है उस पर लगान माफ करना सही काम है । माफ कर के सही किया । मान्यवर, मैं अपने ही क्षेत्र की बात करता हूं । ८२ प्रतिशत अलाभकर जोतों का लगान माफ किया गया और १८ प्रतिशत लोगों का लगान रहा है । मान्यवर, मैंने तहसीलदार मांट से पूछा कि जब पूरा लगान लिया जाता था तो साढ़े चौदह लाख रुपया लिया जा रहा था और १८ प्रतिशत लोग रह गये हैं तो साढ़े छब्बीस लाख रुपया वसूल करेंगे यह कहां का न्याय है ? १८ प्रतिशत लोगों को लगान देना है । साढ़े चौदह लाख के बदले में साढ़े छब्बीस लाख वसूल करेंगे । सारे का सारा बोझ इन्हीं लोगों पर पड़ गया । आप सही ढंग से इसे पुनरीक्षित करिये । लगान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा किसान अब रहा नहीं है । जमींदार रहे नहीं है सभी छोटे किसान हैं । इतने लगान से कुछ नहीं निकलेगा और पूंजीपतियों के उपर टैक्स लगाइये । लगान बढ़ाने से कुछ बनने वाला नहीं है । इससे कोई डेम बनने वाला नहीं है । मैं माननीय माल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उस तहसीलदार ने बताया कि १८ प्रतिशत किसानों से साढ़े २६ लाख रुपया लगान वसूल होगा । तो इसमें क्या माफ हुआ । यह बहुत गलत है । कोई बहुत बड़ा किसान तो है नहीं बल्कि ८ एकड़, ९ एकड़ ५ एकड़, १० एकड़ वाले हैं । सीलिंग लगी हुई है । इसलिए आप इसे पुनरीक्षित करें । किसानों पर अधिभार की आवश्यकता नहीं है । लगान को सही तरीके से लागू कीजिए । इतना लगान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है । उन पर अधिभार १५ प्रतिशत, १० प्रतिशत बढ़ सकता है यह मैं मान सकता हूं लेकिन साढ़े चौदह के छब्बीस लाख देने पड़े तो मैं तो समझता हूं यहि ठीक नहीं होगा । माननीय ओंकार सिंह जो किसानों से आते हैं और मेरा समर्थन कर रहे हैं । सारे लोग जो किसानों के वकील होंगे वे मजबूती के साथ इस बात को कहेंगे । लगान बढ़ा कर यह सरकार नहीं चल सकती ।

मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि छोटी जोतों पर लगान माफकर के इस सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है, लेकिन अब १८ प्रतिशत लोगों पर लगे लगान को भी पुनरीक्षित करें । उनसे दुगुना तिगुना, चौगुना वसूल न करें । मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं, नारायण दत्त तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि वह काश्तकारों की नीति को समझ कर बात करें । मैं समझता हूं अगर यह बात नहीं हो सकेगी तो आपका काम उल्टा हो जायगा । वैसे मैं बतला सकता हूं कि अर्थशास्त्री की जानकारी के नाते कि किसानों के

अलावा कौन से साधनों पर टैक्स लगाना चाहिये और ऐसी स्थिति में मुझे आशा है कि सरकार बढ़े हुए लगान के मामले में पुनरीक्षण करने पर विचार करेगी ।

*श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, कल्पनाथ सिंह जी ने जनता सरकार के समक्ष जो मौलिक प्रश्न उठाया है और दो घंटे हम सबको इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान कराया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । मैं समझता हूं कि आज माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष में हों अथवा उस पक्ष में लगान के मामले को एक राजनीति का रूप दे कर कैसे वोट कैच किया जाय इसको दृष्टि में रखते हुए लगान पर भाषण करते हैं । शायद आज भी उनके दिमाग में यह बात है कि जो पुराने सामन्तशाही थे, बड़े-बड़े भूस्वामी थे जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद भी सीलिंग लागू होने के बाद भी बने हुए हैं । तिवारी जी अर्थशास्त्री हैं लेकिन बदली हुई परिस्थिति में लगान का जो सिद्धान्त है जिसके आधार पर टैक्स लगाया जाता है विरोध पक्ष में बैठे होने पर भी अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए जो सुझाव वह सरकार को दे रहे थे उनसे ऐसा लगता था कि शासन चलाने का सारा भार उन्हीं पर है । मैं यह कहना चाहता हूं इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से कि लगान के प्रश्न को राजनीति का प्रश्न न बनाया जाय ।

मैं जानना चाहता हूं कि जमीन के अन्दर जो उत्पादक शक्ति थी क्या आज भी सही मानों में वही उत्पादक शक्ति है और अर्थ शास्त्रियों ने दस साल पहले जिन सिद्धान्तों के आधार पर कर लगाने की राय दी थी अगर उन आंकड़ों को उठा कर देखा जाय तो क्या किसान को आज अपने उत्पादन की वही कीमत मिलती है जो पहले मिलती थी ?

माननीय कल्पनाथ सिंह ने कृषि विशेषज्ञ की तरफ इशारा किया था मानु प्रताप सिंह जी की तरफ जो पहले यहां थे और संयोग से इस समय केन्द्र में मंत्री हैं । मैंने उनके कुछ लेखों को पढ़ा है और कुछ समय पहले वह विरोध पक्ष में थ । वह इस तर्क के मानने वाले थे कि जो जमीन की उत्पादक शक्ति है और किसान जो उसमें अपनी पूंजी व श्रम लगाता है खेती में अगर उसका सारा हिसाब लगाया जाय तो खेती का धन्धा घाटे का धन्धा है और अगर हम इस दृष्टिकोण से विचार करें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज खेती के साधन इतने मंहगे हो गये हैं और किसान अपना उत्पादन जो बाजार में बेचता है उन दोनों का अन्तर निकाल कर देखा जाय तो आप भी इसी नतीजे पर पहुचगे कि यह घाटे का धन्धा है । मंत्री जी ने जो लगान के सिद्धान्त की घोषणा की है मैं उससे सहमत नहीं हूं । वह एक नई पद्धति के तहत किसानों पर लगान लगाना चाहते हैं । मैं जनता पार्टी में बैठे हुए कर्णधारों से कहना चाहता हूं कि आज की बदली हुई परिस्थिति में जहां आपको सेन्ट्रल से साधन जुटाने हैं, जहां आय के स्रोत हैं, जहां आमदनी है उसकी आप खोज कीजिये और उन लोगों पर टैक्स लगाइये जिनके पास टैक्स देने की कैपेसिटी है । प्रदेश के अन्दर बहुत से साधन हैं ।

हमारे तिवारी जी इस बारे में कोशिश किये होते और भी यहां पर हमारे साथी जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ कहे जाते हैं इस बात की कोशिश किये होते और उन साधनो को खोजते । हमें वर्ग भावना को छोड़कर, प्रदेश की जनता को ध्यान में रखकर साधन जुटाने होंगे । मैं कह सकता हूं कि आज भी हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहां से टैक्स वसूल करके सूबे की समस्या को हल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विक्रमा राय—]

किया जा सकता है और खर्चे को पूरा किया जा सकता है लेकिन इस प्रदेश का किसान जिसका सारा जीवन टैक्स देते-देते खतम हो गया, जहां का ८० प्रतिशत आदमी खेती पर निर्भर करता है, यही उसका व्यवसाय है, अगर उसकी परचेजिंग कैपेसिटी घटती है तो सारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था चकनाचूर होने की सम्भावना दिखायी दे रही है जिसका खतरा केन्द्र व सूबों की सरकार को दे रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जैसा उनका विचार है, एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाकर जिसमें विधायक और अर्थशास्त्री भी हों उन रास्तों को काटें जिससे किसान की टैक्सों से कमर टूटी है बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स, कपड़े का टैक्स, बिक्री का टैक्स। सही माने में जो आमदनी वाले हैं उनके ऊपर सरकार ने उचित रूप में टैक्स नहीं लगाया है। जनता पार्टी की सरकार एक निश्चित वायदे के साथ सत्ता में आयी है। वह अपने को किसानों की सरकार कहती है तो मैं कहना चाहता हूं कि तब तक सही मानों में इसको किसानों की सरकार कहलाने का हक नहीं होगा जब तक सरकार ३० साल तक इस मुल्क के अन्दर जिनके हाथ में साधन थे, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाती। इन शब्दों के साथ में पुनः सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लगान की पद्धति के ऊपर नये सिरे से विचार करके ऐसे टैक्स लगाये जिसकी कैपेसिटी किसान की देने की हो।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं कल्पनाथ सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। प्रश्न यह है कि पहले जो लगान तय था वह जमीन की किस्म पर था और उसके लिये एक रेट बना था। हर गांव में चार किस्में थीं। फ्लेट रेट है। सिंचित और असिंचित जमीन की किस्म खतम हो गयी। यह कहना कि अगर किसी जमीन में ट्यूबवेल की लाइन गई है तो वह भी उसकी परिधि में आ जाता है तो यह गलत है। १९७४ में सवा छः एकड़ तक लगान खत्म की जा रही थी तो मैंने कहा था कि उसके बारे में सेटिलमेन्ट होना चाहिए। उसके लिये कमिश्नर भी नियुक्त हुआ। लेकिन बाद में इमरजन्सी की वजह से उसका काम खटाई में पड़ गया। हमारे विद्वान सदस्य नारायण दत्त तिवारी ने उसके सिलसिले में लकड़वाला की रिपोर्ट यहां पर पेश की थी। मैंने जितने अच्छे शब्दों में उनको गाली देनी चाहिए थी, इस माननीय सदन में मैंने उनको दी थी। मैं आज भी कहता हूं कि कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में टैक्स नहीं है, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। ८० फीसदी किसान जितने हैं और जितने टैक्स हैं चाहे वे डाइरेक्ट टैक्सेज हों या इन्डाइरेक्ट टैक्सेज हों सब आकर किसान के ऊपर पड़ता है क्योंकि परचेज तो वहीं करता है। जो डायरेक्ट टैक्स है वह भी उसी के ऊपर पड़ता है किसान जो चीजें इस्तेमाल करता है खाद, पानी, कीटनाशक दवायें यंत्र आदि देख लीजिये उसकी कीमत जो आज से चार साल पहले थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है। एक ट्रैक्टर जो ३५ हजार का मिलता था वह ५२ हजार में मिल रहा है।

बार-बार लकड़वाला जो कि पूंजीपतियों के अर्थशास्त्री हैं, उन पर निगाह जाती है लेकिन महालोनवीस कमीशन बना, बांचू कमीशन बना उन पर निगाह नहीं जाती है क्योंकि उन्होंने पूंजीपतियों पर आघात किया है। आज जो सरकार है जनता पार्टी की दुर्भाग्य से उसने भी लकड़वाला जैसे जो अर्थशास्त्री थे उनको प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बना दिया और वह घूम-घूम कर अपना भोंपू बजा रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं सीधे कहना चाहता हूं कि यह जो लगान बढ़ा है अभिनवीकरण से, यह सिद्धांत विहीन है। सिद्धांतों के आधार पर लगान का अभिनवीकरण होना चाहिये उसमें वर्गीकरण का भी आधार होना चाहिये। इसके लिए आवश्यक है कि सेटिल-मेन्ट हो। आज लगान कितना बढ़ गया है उसका जिक्र राधेश्याम शर्मा जी कर रहे थे। मैं हैरान हूं जैसा कि रियासत हुसन जी ने भी कहा आप विश्वास करें या न करें आज लगान जो है १८ गुना, १० गुना इस तरह से लगान बढ़ गया है जिससे लोगों में भयानक असंतोष है। यह जो सवा ६ एकड़ तक की लगान माफी की बात है वह वोट लेने की बात नहीं है। जितने पुराने सदस्य हैं सब माननीय माल मंत्री जी हैं या दूसरे लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा के हैं सब सवा ६ एकड़ तक लगान माफी के हामी थे जिसके लिए प्रस्ताव भी पास हुआ था। जमींदारी एबोलीशन की जो समिति बनी थी उसने भी रिकमेंड किया। खैर पुरानी बातों को छोड़ दीजिये मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन लगान जो है वह सिद्धांत के आधार पर तय होनी चाहिये। उसके लिए आप सेटिलमेन्ट बैठाइये और वर्गी-करण के आधार पर, जमीन की किस्म के आधार पर, रोस्टर रेट के आधार पर लगान लगाइये उससे भी लगान बढ़ सकता है। अगर इन आधारों पर अभिनवी-करण करेंगे तो जो पुरानी जमीनों के रेट हैं एक रु० दो रु० लगान वाली जमीनों का भी लगान बढ़ जायेगा। इस समय जो वसूल हो रहा है उससे ज्यादा हो जायेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जो डिसपैरिटी है १० रु० १२ रु० या आठ आने में उसके लिए एक ही रास्ता है कि रोस्टर रेट के हिसाब से तय किया जाय। भले ही इसमें दो तीन वर्ष लग जांय उसे लगने दीजिये क्योंकि यह बहुत बड़ा काम है और पुनीत काम है। इसको करना चाहिये, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, जहां तक अर्थ व्यवस्था का सम्बन्ध है और जहां तक देश और प्रदेश का विकास अवरुद्ध न हो, उसके लिए संसाधन जुटाने का प्रश्न है, इन सारी चीजों की एक ही मन्शा है कि देश विकास के पथ पर आगे बढ़े, विकास की योजनाओं में अड़ंगे न लगें और अर्थ व्यवस्था बिगड़ने न पाये। मेरे मित्रों ने डा० लोहिया को कोट किया कि वह भी हमेशा सवा-छ एकड़ लगान माफ करने के समर्थक थे। लेकिन डा० लोहिया जहां यह कहते थे कि अनएकोनामिक होल्डिंग्स पर लगान माफ होना चाहिए, वहीं पर उनका यह भी नारा था कि जमीन उसी की है जो उस को जोते-बोये। जो धरती को जोते बोये, वह धर्ती का राजा। तो यह भी डा० लोहिया का नारा था। इसलिये आज डा० लोहिया के अनुसार अगर सही मायने में देश और प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, अगर सही मायने में हम इसके बारे में जागरूक हैं, तो आज सारे मोह को त्याग करके 'वन मैन, वन प्रोफेशन'—एक व्यक्ति, एक पेशा.—इस सिद्धान्त को लागू करना होगा। जब तक इस सिद्धान्त को लागू नहीं करेंगे, समाजवाद के रास्ते पर नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिये, मान्यवर, मैं अपनी सरकार से और माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस लगान को बढ़ाने घटाने से समस्या का हल नहीं होगा। इससे समस्या का निराकरण नहीं होने वाला है। आप देश और प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में तब तक समर्थ नहीं हो सकेंगे, जब तक कि 'एक व्यक्ति और एक पेशा', इस सिद्धान्त को नहीं लागू करेंगे।

आज हाय-तोबा क्यों है ? आज जितनी कृषि योग्य भूमि है, वह अनएको-नामिक इसलिये है क्योंकि आज खेतिहर मजदूरों का शोषण हो रहा है और कुछ

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—]

व्यक्ति अपने पैसे के सहारे पर मजदूरों के श्रम का शोषण करके राज्य कर रहे हैं। वे जानते हैं कि सारी सुविधायें उन्हें शासन की तरफ से मिलती हैं और अधिकारियों का उन पर अंकुश नहीं है। आज उनके इरादों को रोकना पड़ेगा—अगर चाहते हैं कि समाज में कुछ परिवर्तन आये, समाज की दशा में नया मोड़ आये। इसलिये कुछ अधिक न कहकर अपनी बात यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि अगर हम ईमानदार हैं और चाहते हैं कि इस देश और प्रदेश की खेती जो हर तरह से पिछड़ी हुयी है, उसमें सुधार आये, तो इस देश की खेती पर जो बड़े लोगों का शिकंजा है, उस शिकंजे से धरती को निकाल कर, उसको वितरित करना पड़ेगा। यह पाबन्दी लगानी पड़ेगी कि एक तरफ डाक्टर, एक तरफ बैरिस्टर और दूसरी तरफ बड़े-बड़े फार्मों का वही व्यक्ति मालिक हो, यह नहीं चलेगा। इस सम्बन्ध में मैं केवल मंगल देव विशारद कमेटी की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप मंगलदेव विशारद कमेटी की सिफारिशों को क्यों नहीं लागू करते? यद्यपि आपके घोषणापत्र में इस बात का समावेश नहीं था, लेकिन चुनाव के दौरान जब हमारे मन्त्रीगण जनता के सामने जाते थे तो अपने भाषण में इस बात को अवश्य कहते थे कि हम मंगलदेव विशारद कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे, भूमि को खेतिहर मजदूरों में वितरित करेंगे। लेकिन आज उस तरफ हमारी सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन है कि यह लगान की बात को छोड़कर समस्या के मूल में पहुंचे और 'एक व्यक्ति एक पेशा' की पाबन्दी लगाकर ही देश की अर्थ व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के कदम उठायें।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर जो अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। मान्यवर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी ८० फीसदी आबादी खेती पर निर्भर करती है। जब हम लगान के सम्बन्ध में बात करते हैं तो स्वाभवतः हमारा ८० प्रतिशत किसानों की ओर ध्यान जाता है, जिन्हें देश का मालिक होने के कारण मालिकाना हक मिलना चाहिए था, लेकिन जो आज तक उनको नहीं मिला है। मार्च, १९७७ में जब दूसरी आजादी मिली तो उस समय भी उनकी स्थिति के सम्बन्ध में वास्तव में जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, वे नहीं उठाए गए। लगान के सम्बन्ध में अब तक लोगों के भ्रामक विचार रहे हैं और इसी कारण हम एक निश्चित दिशा की ओर अब तक नहीं बढ़ पाए। उनकी आज भी बड़ी दुर्दशा है, पढ़ाई-लिखाई, दवाई, रोजी-रोटी आदि की तमाम समस्यायें उनके सामने है। अब सवाल है कि गरीबी का मापदन्ड क्या हो? क्रय शक्ति के आधार पर ही हम इसका मूल्यांकन करते हैं।

जब किसान लोगों की क्रय शक्ति घटती जा रही हो तो सोचना चाहिए कि किसानों में गरीबी बढ़ रही है। जो किसान अहर्निशि खेतों में काम करते हैं, उन्हे अपने उत्पादन का जो मूल्य मिलता है, उससे उसका आवश्यक खर्च भी जब नहीं चल पाता है, तब वह सोचता है कि इस खेती से हमें क्या लाभ मिलने वाला है और वह विवश होकर दूसरे पेशे की ओर भागता है, लेकिन उनके दरवाजे भी उनके लिए बन्द हैं। पूंजीपतियों और उद्योगपतियों पर जब कर भार लगाने की बात आती है तो चारों तरफ शोर मच जाता है पत्रों में आर्टिकिल्स आने लगती है, विधान सभाओं और संसद में भी लोग उसका विरोध करते हैं। किसान देश के

बाजार का सबसे बड़ा खरीदार होता है और आज सारी चीजों के दाम निरन्तर बढ़ते जाते हैं। किसानों की उत्पादित वस्तुओं और पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में कोई अनुपात नहीं रह जाता है। इन दोनों वस्तुओं में कोई साम्य नहीं है। इसलिए जो अधिक लाभकारी कार्य करते हैं, टैक्सों की चोरी करते हैं व नम्बर दो का धन जमा करते हैं, उसको निकालने का जो काम होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है।

यही नहीं हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े लोग चाहे राजनेता हों या उद्योगपति हों या पूंजीपति हों, उन्होंने विदेशों में अरबों रुपया जमा कर रखा है। वह देश में आना चाहिए और वह गांवों में किसानों की प्रगति के लिए लगाया जाना चाहिए। जो पैसा विदेशी बैंकों में अपने देश का जमा है उसको लाने का प्रयास होना चाहिए। छोटे-छोटे किसान हैं जिन पर लगान बढ़ाया गया। ८० फीसदी किसान लगान से मुक्त हुए लेकिन उसके बाद भी किसानों में संतोष उत्पन्न होना चाहिए, चाहे समाजवाद का नारा दिया जाय, साम्यवाद का नारा दिया जाय, अथवा पूंजीवाद का नारा दिया जाय, लेकिन किताबों में कोई भी सिद्धान्त लिख दिया जाय जो उन सिद्धान्तों से सम्बन्धित लोग हैं, उनके बीच जाकर उनकी भावनाओं से परिचित होना चाहें तो उनके बीच में जायें और किसानों के बीच में अगर जायेंगे तो लगान की माफी से जो उनको प्रसन्नता होनी चाहिए वास्तव में वह प्रसन्नता नहीं हुई है इसलिए कि विभिन्न चीजों के दाम बढ़ें, खेती की दृष्टि से, सिंचाई, बिजली, खाद और दूसरी चीजें जिनका वह खेती में प्रयोग करता है उनको जो सस्ता होना चाहिए उनके दाम बढ़ते गए। इस तरह से जो पुनरीक्षित लगान की बात कही गयी है मैं राजस्व मंत्री जी को बधाई दे रहा हूं। हो सकता है कि पुनरीक्षण के बाद किसानों को राहत मिले और जिनका पांच गुना, दस गुना लगान बढ़ गया है उन्हें राहत मिलेगी। किसानों की असुविधाओं को दूर करने की दिशा में यह एक कदम हो सकता है। राजस्व मंत्री जी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। जय हिन्द।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर,

श्री उपाध्यक्ष--

निवेदन है कि कम से कम समय लें जिससे सब सदस्य बोल सकें।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी को बड़े ध्यानापूर्वक सुना। माननीय तिवारी जी ने बड़ी ही वाकपटुता से लगान की बढ़ोत्तरी, अभिनवीकरण के नाम पर जो उनकी सरकार ने की थी, उसका पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसानों को लकड़-वाला कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स करना चाहिए और उसको ज्यादा टैक्स करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे माननीय तिवारी जी पर इस सरकार का पूरा भार उन्हीं के सिर पर हो। आज भी उनके पास किसानों को ही टैक्स करने का एक मात्र नारा रह गया है। जितनी कमेटियां इस देश में बनी और जितने समाचारपत्रों में विचार पढ़ने को मिलेंगे, जितने विचार पुस्तकों में पढ़ने को मिलते हैं, उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने काश्तकारी की हो या किसान का बालक रहा हो या जिसने किसान की समस्त आपदाओं को झेलने के बाद, उनकी परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद लगान और भूमि के सम्बन्ध में अपनी विवेचना प्रस्तुत की हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

मान्यवर, इस सदन में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो किसान की हालत है उसको देखते हुए भूमि के ऊपर जो लगान की बढ़ोत्तरी की गयी है एकदम अव्यावहारिक और सिद्धान्तहीन है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी गांव से जब बाहर चलेंगे तो गोयड़ भूमि की किस्म और लगान दोनों में जैसे-जैसे गांव से चलते जाते हैं बड़ा फर्क होता जाता है। इस आधार पर यदि कहीं पर एक इंच भूमि भी जो ऊसर पड़ी थी जिसकी एक आना या दो आना कीमत है उसमें कहीं कुआं खोद कर पानी पहुंचा दिया तो उसको भी माननीय राजस्व मंत्री, जिन्होंने अभिनवीकरण की रूपरेखा चलायी थी तिवारी जी ने, उसके मातहत उस जमीन का लगान उस जमीन के बराबर हो जायगा जिस जमीन की किस्म के हिसाब से मालियत दो रुपए की है। दो रुपए वाली और दो आने वाली दोनों जमीनों का बराबर लगान हो जायगा। यह बात समझ में नहीं आती है कि अच्छी जमीन का लगान और खराब जमीन का लगान दोनों बराबर हो। यह कोई युक्ति संगत बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में जो हालत आज किसान की है वह किसी से छिपी नहीं है।

सवा तीन एकड़ भूमि में एक एकड़ में वह रबी की फसल बो देता है तो उसे १२ से १५ मन गेहूं मिल जाता है और जो खरीफ की फसल बो लेता है उससे लगभग ढाई हजार रुपया कमा लेता है। जमीन की किस्म को देखकर लगान निर्धारित किया जाना चाहिए। एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस जमीन पर कारखाने लगे हुए हैं उस जमीन पर कोई लगान नहीं लिया जाता है। उसकी उपादेयता भी आंकी जानी चाहिए और किसान के पास जो जमीन है उसकी उपादेयता आंकी जानी चाहिए। इन दोनों चीजों को देखा जाए तो मालूम होगा कि किसान से जो लगान लिया जाता है बहुत अधिक है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि किसान का लगान नहीं बढ़ना चाहिए।

किसान की बात को कोई भी यहां पर नहीं कहना चाहता है। इस देश में जितनी भी समस्यायें हैं वह सारी की सारी किसान के सिर पर मढ़ दी जाती हैं। २३ प्रतिशत गांव के लोगों के पास खेती नहीं है और ८० प्रतिशत में ऐसे लोग हैं जिनमें आधे के पास हल है तो बैल नहीं और अगर बैल है तो हल नहीं। वह साझे में खेती करता है। इस प्रदेश के किसानों के हित में यह है कि नया बन्दोबस्त किया जाए और भूमि की किस्म को देखकर लगान निर्धारित किया जाये। जो आदमी साझे में खेती करता है उसको लगान के बढ़ने से कितना कष्ट होगा यह किसी को नहीं मालूम है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि वे हमारी बातों की ओर ध्यान देंगे और लगान जो निश्चित करें वह भूमि की किस्म के आधार पर निश्चित करें। क्योंकि खेती की व्यवस्था घाटे की ओर जा रही है और कल कारखानों की व्यवस्था मुनाफे की ओर जा रही है। तो दोनों व्यवस्थाओं में ८० प्रतिशत लोग घाटे की ओर जा रहे हैं और २० प्रतिशत मुनाफे की ओर हैं। तो इस असंतुलन को ठीक करने के लिए यह आवश्यक है जमीन का पुनः बन्दोबस्त किया जाए और लगान तय किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

शम्भू नाथ जी, आप ३ मिनट में अपना भाषण समाप्त करेंगे।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

कोरम है ।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, इस समय माननीय तिवारी जी सदन में नहीं हैं । सन् १९७५ में उन्होंने किसानों से....

श्री राम दत्त जोशी--

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष --

सदन में कोरम है । मैंने देख लिया है । आप बैठें ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

माननीय तिवारी जी ने इस प्रदेश के किसान से लगान के रूप में ३१ करोड़ रुपया लिया और विकास कर के रूप में उन्होंने २० करोड़ रुपया लिया । यानि कुल ४१ करोड़ रुपया उन्होंने १९७५ में लिया । उसके बाद आपातकाल का किसान पर भी प्रभाव पड़ा। लगान कर दिया गया ४५ करोड़ और विकास कर कर दिया १८ करोड़ । कुल तिवारी जी ने प्रदेश के किसान पर ६३ करोड़ रुपया लगान और विकास कर के रूप में लगा दिया ।

श्रीमन्, अब जनता पार्टी की सरकार आई । हमने अपने घोषणा पत्र में यह वायदा किया है कि सवा ६ एकड़ का लगान, सवा ३ एकड़ का लगान माफ करेंगे । वह हुआ है । उससे १६ करोड़ रुपए की जो आय होती थी वह नहीं होगी । लगान माफ होने के बाद भी २९ करोड़ रुपया लगान के रूप में लिया जा रहा है । सन् १९७५ में तिवारी जी की सरकार लगान के रूप में २१ करोड़ ले रही थी और हमारी सरकार ले रही है २९ करोड़ । मतलब यह हुआ कि लगान के रूप में हमारी सरकार ने किसान के ऊपर ८ करोड़ का अतिरिक्त भार डाला है । मान्यवर, यह भूमि पर लगान और लगान पर विकास कर यह उचित नहीं है । श्रीमन्, वास्तव में अगर देखा जाय तो लगान गुलामी का एक चिन्ह है । लगान का मतलब होता है किराया । लगान को रखकर आज किसान को उसके खेत का मालिक नहीं बनाया जा सकता । जैसे किराएदार को मकान का मालिक नहीं बनाया जा सकता । तो मेरा कहना है कि लगान के स्थान पर किसान की आय पर टैक्स लगाया जाना चाहिए।

(इस समय ६ बज कर २ मिनट पर अधिष्ठाता श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

मान्यवर, हिन्दुस्तान में जहां हम समाजवाद की बराबर बात करते हैं वहां अमेरिका से ज्यादा प्रत्यक्ष कर लगे हुए हैं । खर्चे आमदनी से ज्यादा हैं । हर एक किसान कर्जदार है । तो श्रीमन् मैं कह रहा था कि जब हिन्दुस्तान का किसान कर्जदार है और कर्ज के भार से उसकी कमर टूट रही है और खासकर वह भी उत्तर प्रदेश का किसान जोकि अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में और भी गरीब है तो मैं नहीं समझता हूं कि इस लगान को बढ़ाया जाय । मुझे खुशी है कि हम लोगों के बार-बार आग्रह करने पर राजस्व मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाने को कहा है । इसलिए मैं चाहता हूं कि विकास कर तो समाप्त हो गया है और जो लगान है उसकी जो वृद्धि हुई है उसको भी समाप्त किया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इस मसले पर मैंने माननीय सदस्यों की बातें इस सदन में सुनी। माननीय श्री तिवारी जी को भी सुना। आज मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसान ही ऐसा है जिस पर पाला भी पड़ता है, ओला भी पड़ता है, बाढ़ भी आती है, कीड़ा भी लगता है और कई प्रकार के रोग लगते हैं। लेकिन उनके ऊपर टैक्स बढ़ायेंगे। गांवों में जिन किसानों की जोतों पर कोई लाभ भी नहीं है उन पर भी आप लगान लगायेंगे। मुझे आश्चर्य है कि हमारे माननीय सदस्य इधर शासन पक्ष में बैठने पर भी यह बात भूल गए हैं कि उन्हें अपनी जोतों से कोई लाभ नहीं, उनको खाने-पीने को भी नहीं होता है। १ रुपए का २ रुपया कर दिया गया होता तो कोई बात थी लेकिन यहां १० गुना तक बढ़ा दिया गया है। एक कर छोड़ा दूसरा लादा। यह कौन सी बात है? क्या किसानों की आमदनी बढ़ गयी है या उनकी जमीन बढ़ गयी? उनकी जमीन को भी लिया और उन पर दस गुना भी लाद दिया। एक ओर उनको घाटा और दूसरी ओर इस प्रकार कर लादना, यह कहां तक उचित है?

मेरी प्रार्थना है कि माननीय राजस्व मंत्री जी किसानों के मसले पर विचार करें। जो माल चिमनियों के सहारे बनता है, उनमें कभी घाटा नहीं होता है, बराबर मुनाफा ही उनको होता है लेकिन किसान ही बेचारे ऐसे हैं जिन्हें बराबर सताया जाता है। आप कहते हैं कि अगर गांव उठेंगे तो देश उठेगा, गांव के काश्तकार उठेंगे। लेकिन जो आपकी नीति है उससे कभी भी गांव नहीं उठेंगे। मेरी प्रार्थना है कि माननीय राजस्व मंत्री जी लगान के मसले पर पुनर्विचार करें। आपने कभी यह नहीं सोचा कि विधायक दल की मीटिंग में सामने बैठ कर हम लोगों की राय ले लें। अगर इस पर विचार किया होता तो हम यह राय देते कि किसानों पर कतई लगान न बढ़ाया जाय। आपने एक से बढ़ा कर जो १५ गुना कर दिया है तो इससे आपने तहसीलदार और कानूनगों को पूरी छूट दे दी, सिंचित और असिंचित आदि की केटेगरी बनकर इससे बड़ी घूसखोरी चल रही है। तो मेरी प्रार्थना है कि किसानों पर इतना लगान न लगाया जाय। आपने जिन लोगों की जमीन छुड़ाई है उनकी खोज करें। आज आपने सीलिंग में जो जमीन ली है उस पर वह हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करता है। आपको चाहिए कि आप कानून में ऐसा संशोधन करें कि जिसकी जमीन को कलक्टर ले ले उसको उसकी एवज में अवश्य जमीन मिल जाय और ली गयी जमीन को भूमिहीनों और गरीबों में बांट दिया जाय।

अन्त में मेरी प्रार्थना है कि सहायता के लिए जो मापदंड आपने निर्धारित कर रखे हैं वे अंग्रेजों के जमाने के हैं। उनके अनुसार अगर किसी किसान की फसल ८ आने बरबाद हो जायगी तो कोई सहायता उस किसान को नहीं मिलेगी। सहायता उसे तभी मिलेगी जब कि उसका नुकसान १२ आने हो। पूरे प्रदेश में हर साल इतनी भयंकर बाढ़ आती है, इतना बड़ा अकाल आता है कि किसान बड़ा ही परेशान हो जाता है और उसकी फसल भी बिल्कुल बरबाद हो जाती है। मैं तो चाहूंगा कि किसान की अगर २ आने भी फसल मारी जाती है तो उसका लगान माफ होना चाहिए, और उसके बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उस समय की ओर ले जाना चाहता हूं कि जब यहां पर संविद की सरकार बनी थी और यहां पर इस लगान के विषय पर उसके सिद्धान्तों पर बहस हुई थी और तत्कालीन मुख्य मंत्री ने, श्री चरण सिंह ने, सोशलिस्ट पार्टी की इस मांग को मानने से इंकार कर दिया था कि सवा ६ एकड़ की जोत पर लगान माफ किया जाये। इस पर टसिल चलती रही और इसी प्रश्न पर सोशलिस्ट मंत्रियों ने अपना त्यागपत्र दे दिया था और अपना समर्थन वापस ले लिया था, सालिगराम जायसवाल ने मंत्रिपद से इस्तीफा दे दिया था। उसका फल यह हुआ था कि संविद की सरकार टूट गयी थी।

इसके बाद मध्यावधि चुनाव के बाद जब श्री टी० एन० सिंह की सरकार आयी तो भी सोशलिस्ट पार्टी ने यह शर्त रखी कि जब तक सवा ६ एकड़ का लगान माफ नहीं होगा, यह पार्टी सरकार का समर्थन नहीं करेगी। चौधरी चरण सिंह जी जो इसका पहले विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी अपना विरोध वापस लिया और टी० एन० सिंह की सरकार को उसे मानना पड़ा और सवा ६ एकड़ तक का लगान माफ हुआ। पर उसके बाद जब फिर सरकार बदली, श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले इस सदन में उस माफी को समाप्त कर दिया। यह समाजवादी एक तरफ तो बड़े-बड़े सिद्धान्त की बात करते हैं, और दूसरी तरफ किसानों के अहित के काम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री हुक्म सिंह परिहार--

मैं यह कहना चाहता हूं कि सवा ६ एकड़ तक लगान माफ होना चाहिए। जिन लोगों के पास १२ एकड़ या उसके ऊपर जमीन है उनका लगान बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया बैठें।

एक सदस्य--

कोरम पूरा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

कोरम तो है। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि ६-२८ पर इसे समाप्त होना है। अगर माननीय सदस्य ५-५ मिनट के बजाय १-१ मिनट ले तो एक-दो माननीय सदस्य और बोल सकते हैं।

(श्री राम अधार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, इधर विरोधी पक्ष की तरफ तो ध्यान ही नहीं है आपका।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जो परम्परा थी कि तीन सदस्य बोलेंगे उधर के और एक सदस्य इधर के बोलेंगे, . . . ।

श्री अधिष्ठाता--

अब मैंने माननीय राम अधार को बुला लिया है ।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)--

मान्यवर, मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया ।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, बढ़े लगान और विकास कर के सम्बन्ध में माननीय कल्पनाथ सिंह जी का जो नियम ५२ में प्रस्ताव है, मुझे तो दुख है जब पिछली विधान सभा थी, तो हमारे जैसे बहुत से विधायकों के मन में था कि जो विकास कर है, पहले विधान मंडल के अन्दर विचार हो, और हम लोगों ने उठाया भी था, बड़े दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि उसी मसले के बल पर यह सरकार सत्ता चला रही है । इन लोगों की हम लोगों को दल से निकालने की साजिश थी । जो मामला बहुत पहले विधान मंडल में आना चाहिए था आज आ रहा है । किसान मालगुजारी दे सकता है, लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं, ५२ रु० कुंटल में किसान के गुड़ को आज कोई पूछने वाला नहीं है । गन्ना १० रु० कुंटल तय किया गया है, वह ५ रु० कुंटल बिकता है । घर में गुड़ पड़ा हुआ है, उ को कोई पूछने वाला नहीं है । आपकी चीनी की जो नीति है उसी की वजह से किसानों का गुड़ पड़ा हुआ है ।

दूकान के ऊपर लगे हुए कपड़े का इन्फरेंस करेंगे, लेकिन किसानों के गल्ले का इन्फरेंस नहीं करेंगे । जिस तरीके से फूल के ऊपर पराग को भौरा चूसता है, उसी तरह से कर किसानों से लेना चाहिए । यह हमारी जनता सरकार चूस रही है । मैं समझता हूं कि आपने किसानों के प्रति कोई रियायत नहीं किया, बल्कि कि ान विरोधी तरीका अपनाया है । वोट लेते समय असेम्बली का चुनाव था हम लोगों ने गांव में ऐलान किया, हर जगह मीटिंगों मे हम लोगों ने कहा कि जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनते ही किसानों का विकास कर माफ हो जायगा और अब आज वहां किसान हम लोगों को पकड़ता है कि कैसा माफ हो गया ।

मान्यवर, हम जानते हैं कि टैक्सेशन होना चाहिए। लेकिन टैक्सेशन का यह तरीका नहीं है कि सारा बोझ किसानों पर ही हो । ४५ से ५० रु० तक यूरिया खाद मिलती थी, आप बिजली का दाम बढ़ाइये, खाद का दाम बढ़ाइये । मुझे दुख है, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और सेन्टर में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किसानों के बारे में नहीं सोचा गया । चौधरी साहब पर हमें गर्व था । हम जानते थ वह किसानों के हितैषी थे, अगर वह कृषि मंत्रालय में होते तो वह ख्याल रखते । आप किसानों पर बढ़ी हुई मालगुजारी वापस लें । मैं बताना चाहता हूं कि आपकी जनता पार्टी विधान मंडल में सलाह कर लेती, तब जाकर इसको ले आते । लेकिन आज हमको ऐसी बात कहनी पड़ रही है । सरकार इस पर सोचे, नहीं तो जनता पार्टी की सरकार नहीं चल पायेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री देवबहादुर सिंह जी आप २ मिनट में ही अपनी बात कह दें।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, बढ़े हुए लगान पर जो माननीय कल्लूनाथ जी का प्रश्न है उस पर दो शब्द कहना चाहूंगा। यह तड़पन जो आप देख रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी शासन में थी और जब उसने लगान बढ़ाया था तो जनता पार्टी में जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उस समय विभिन्न दलों में थे। इन लोगों ने उस समय विरोध किया था कि यह जो लगान बढ़ा दिया वह अनुचित हुआ है। जब यह जनता सरकार बनी तो इसके सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में आश्वासन दिया था कि बढ़ा हुआ लगान खत्म कर देंगे। मान्यवर, जब यह अपनी कान्स्टीट्युन्सी में जाते हैं और वहां लोग पूछते हैं कि आपने वादा दिया था कि बढ़ा हुआ लगान माफ कर देंगे, तो क्यों नहीं किया गया। वह नहीं जानते हैं कि इनकी सुनता कौन है ? कोई सुनने वाला नहीं है। पार्टी मीटिंग होती नहीं है। जहां पर मान्यवर, पार्टी की मीटिंग नहीं होती है, वहां पर सदस्यगण अपने विचारों को कैसे रक्खें ? अपने प्रश्न कैसे रक्खें ? यदि जनता पार्टी विधायक दल की मीटिंग होती रहती, चर्चा होती रहती, बैठकें होती रहती तो इतनी चर्चा इस सदन में करने की आवश्यकता न होती। यह मान्यवर, जनतंत्र कैसे चलायेंगे, यह पार्टी चलने वाली नहीं है।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में लगान बढ़ा, कांग्रेस ने अपनी भूल मानकर अध्यादेश जारी करके इस लगान को जून, १९७६ के पहले के स्तर पर ला दिया। यह सरकार बनने के बाद उस अध्यादेश को अधिनियमित नहीं किया। आखिर मैं पूछता हूं कि जो यह माननीय सदस्य चाहते हैं कि बढ़ा हुआ लगान वह पहले के स्तर पर लाया जाये, उस पर सरकार क्यों नहीं सोचती है ? सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सिद्धान्त रूप में यह सरकार बढ़े हुए लगान को माफ करने को तैयार नहीं है। यदि सरकार बढ़े हुए लगान को माफ करें तो मैं समझूंगा यह सरकार किसान का पक्ष करने वाली है। यह सरकार किसान विरोधी है, किसान की हितैषी नहीं है।

आप देखें मान्यवर, लाखों-करोड़ों रुपया गन्ने का किसानों का बकाया पड़ा हुआ है, उसका गन्ना खेतों में पड़ा रह गया। उधर आप मान्यवर, देखें कि बिजली पर टैक्स अलग से बढ़ा दिया गया, ट्रैक्टर-ट्राली पर टैक्स बढ़ा दिया गया, पानी पर टैक्स बढ़ा दिया गया। यह सरकार मान्यवर, किसान विरोधी है, किसानों का पक्ष करने वाली नहीं है। इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों को तड़पन है, इनको तड़पन क्यों है ? मान्यवर, यह भी किसान के घर के रहने वाले हैं। क्योंकि यह सरकार किसान की विरोधी है इसलिए माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। जो सरकार किसान का हितैषी होने की बात करती है वह जरा सच्चे दिल से सोचे और अपनी भावनाओं को टटोले। मान्यवर, यह सरकार बिल्कुल किसान विरोधी है इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री बाबू सिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह किसानों के ऊपर बढ़े हुए लगान पर चर्चा हो रही है। मान्यवर, यह सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मुझे तो मान्यवर, पता नहीं लगता कभी तो सरकार लगान माफ करने की बात करती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू सिंह--]

है, कभी कहते हैं कि लगान माफ कर दिया गया। इस बात की चर्चा हो रही है, मान्यवर यह लगान की नीति क्या है यह किसान समझ नहीं पाता है। मान्यवर, मैं जो यहां बैठता हूं, इस बारे में समझ नहीं पाता हूं तो किसान बेचारे क्या समझ पाये कि इस सरकार की नीति क्या है लगान के बारे में कभी कहते हैं कि विकास कर माफ कर दिया। यह कहते हैं कि विकास कर कांग्रेस जमाने का है। कई पार्टी मीटिंगों में कहा और चर्चा किया।

आपने सवा तीन एकड़ तक माफ किया। आज देहातों में चर्चा है कि क्या सवा तीन एकड़ जमीन वालों से जमीन ले ली जायगी। सवा छः एकड़ की माफी का सवाल जब था तब था आज वह सवाल नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप देखें गन्ने का भाव क्या है, गेहूं का भाव क्या है, सीमेंट का भाव क्या है। अगर गरीब किसान के बच्चे की शादी है तो कपड़ा किस भाव पर मिलेगा, सोना किस भाव मिलेगा ? तो यह लगान में बढ़ोत्तरी किसानों के साथ अन्याय है। मेरा सुझाव है और मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि लगान बढ़ाने का कोई हक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लगान की दर उतनी रहनी चाहिये जितनी कांग्रेसी शासन काल में पहले थी।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें।

श्री बाबू सिंह--

किसानों के सम्बन्ध में नीति क्या है ? रोज ही आपके कागज बनते बिगड़ते हैं। तो मेरा निवेदन है कि लगान वही होना चाहिये जो कांग्रेस के जमाने में पहले था।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मैं अभी तक बोला नहीं हूं मुझे समय मिलना चाहिये।

*श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, माननीय कल्पनाथ जी ने लगान बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में जो चर्चा की मांग की और जिसके कारण सदन में सम्मानित सदस्यों को अपने मत को अभिव्यक्त करने का मौका मिला उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि किसानों के ऊपर जो लगान बढ़ाया गया है, सभी सदस्य एक मत होंगे कि वह भविष्य के प्रति बिना सोचे-समझे आ गया है। मान्यवर, सोचना चाहिये था हमारी सरकार को कि जिस समय इंदिरा सरकार ने लगान में बढ़ोत्तरी की थी उस समय हम क्या कह रहे थे चुनाव के पूर्व और जब सत्ता में हम आ गये तो आज हम कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं, यह सोचना चाहिये था। मान्यवर, हर जगह कोई अपनी नीति होती है। कोई मापदंड होता है। यदि किसी की आय बढ़ती है तो आयकर बढ़ता है, बिक्री बढ़ती है तो बिक्री कर बढ़ता है। लेकिन किसान के ऊपर कौन सा मापदंड अपनाया गया है ? किसान की हालत क्या है ? एक ओर हम किसानों की हालत को सुधारने के लिये प्रयत्नशील हैं और उसकी आवाज को उठाने के लिये कटिबद्ध हैं और दूसरी ओर लगान की बढ़ोत्तरी करना बिल्कुल ही अन्याय संगत, अविवेकपूर्ण है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में माननीय मुख्य मंत्री जी से, जो किसानों के नेता हैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वह पुनर्विचार करके इस पर निर्णय लें और जो लगान में बढ़ोत्तरी की गयी है उसको वापस करें ।

श्री अधिष्ठाता--

मान सिंह जी, आप एक मिनट में समाप्त करें ।

*श्री मान सिंह आजाद--

उपाध्यक्ष महोदय, कल्पनाथ सिंह जी ने जो विषय रखा है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हूं । हम अंग्रेजों के खिलाफ आजादी लड़ रहे थे, कहते थे कि जो जमीन में हल चलाता है वह जमीन का मालिक होगा । उसी गरीब किसान की बदौलत आज हम लोग यहां बैठे हैं । इमरजेंसी हटाओ, मुल्क बचाओ का आंदोलन हमने किया लोक नायक जय प्रकाश नारायण के आवाहन पर, किसानों से कहा है कि लगान जो बढ़ा है उसको घटायेंगे । अफसोस की बात है कि कभी भी विधान मंडल की मीटिंग में लगान के बारे में, विद्युत् के बारे में मीटिंग में नहीं आता है ।

यह दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जो बड़े किसानों के नेता बनते हैं वह हिन्दुस्तान में किसानों की रैली के नाम पर किसानों को भड़काना चाहते हैं । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आज इन किसानों का पूरा लगान माफ होना चाहिये ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

मान्यवर, यदि मंत्री जी लगान नहीं माफ करते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिये क्योंकि हम लोग चुनाव में कह आये हैं कि लगान को माफ करवायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मानसिंह आजाद--

लगान नहीं माफ होता है तो मंत्री जी इस्तीफा दें ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मैं कल भी नहीं बोला और आज भी नहीं बोला लेकिन तिवारी जी ने मार्क्सिस्टों और चाइना का जो हवाला दिया इसीलिये मैं उस पर बोलना चाहता था लेकिन समय न मिलने के कारण नहीं बोल रहा हूं ।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मुझे समय नहीं दिया गया है इसलिये मैं वाक आउट करता हूं ।

(श्री बाबूराम वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा अभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लेकर विचार व्यक्त किया । पूरे भाषण सुनने के बाद मैं इस नतीजे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कल्पनाथ सिंह--]

पर पहुंचा हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने एक स्वर से, केवल नारायण दत्त तिवारी जी को छोड़कर, इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। मेरे मित्र तिवारी जी यहां नहीं हैं मैं उनकी बात का उत्तर देना चाहता था। उनका कहना है कि लकड़वाला बड़े इक्सपर्ट, अर्थशास्त्री और चेयरमैन हैं। किन्तु मेरा कहना है कि वह कृषि शास्त्री नहीं हैं। मैं तो उस विचार का हूं कि कृषि मूल्य आयोग में किसानों का प्रतिनिधि होना चाहिये और हमेशा यह मांग होती आयी है। श्रीमन्, इसीलिये जो वह मानते आये हैं उसी से उनके दल का जो हश्र हुआ वह हिन्दुस्तान के सामने है। आजकल दो कांग्रेस हैं। एक तो इंदिरा कांग्रेस जो गलती करके अपनी गलती के लिये प्रायश्चित नहीं करती जिसके मानने वाले नारायण दत्त तिवारी जी हैं। दूसरी कांग्रेस जिसने गलती तो की लेकिन अपनी चमड़ी बचाने के लिये कहती है कि हमसे गलती हो गयी। मुझे प्रसन्नता है कि जो गलती करके उसका अहसास करते हैं, तो वह अच्छे लोग हैं।

(इस समय ६ बजकर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनके लिए अपनी तरफ से और उन सभी सदस्यों की तरफ से भी जिन लोगों ने इस बहस में लगान की बढ़ोत्तरी के सिलसिले में अपने विचार रखे हैं सब की तरफ से बधाई दूं क्योंकि उन्होंने बहुत साफ कह दिया कि वह इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। उसमें उनको कुछ दिक्कतें मालूम हो रही हैं। तो श्रीमन् इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी के मन में भी उसी प्रकार की पीड़ा होगी जिस प्रकार की हम लोगों के मन में है और इसीलिए मुझे भी आशा है मंत्री जी से और आज के दिन में इस चर्चा को मद्दे नजर रख कर केवल मंत्री जी ही नहीं अपने केबिनेट के अन्य मंत्री लोगों को भी इस भावना से अवगत करा देंगे। यह मेरी उनसे प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने मूल्यवान सुझाव इस सम्बन्ध में दिये। मैंने जैसा कहा कि लगान का प्रश्न एक बड़ा पेचीदा सवाल है और इसीलिए इस पर सोच विचार कर निर्णय लेना होगा।

पहली बात जो इस सम्बन्ध में मैं शुरू में बतला देना चाहता हूं वह यह है कि इधर जितनी भी भूमि आवंटित हुई है या कांग्रेस राज में हुई है उसमें लगान सर्किल रेट का दुगुना लगाया गया और इस इसलिए यह कठिनाई शासन के सामने अवश्य है कि पुराने लोग जिन के पास अच्छी भूमि है और जिनका लगान सर्किल रेट से कम है क्या वह लगान उतना ही रहने दिया जाय यह न्याय संगत नहीं होगा। उसी प्रकार जिनको अच्छी भूमि नहीं दी गयी है और जिन्हें सर्किल रेट का दुगुना देना पड़ रहा है क्या उनका लगान वही रहने दिया जाय? यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। मैं समझता हूं कि गरीब पर कोई लगान नहीं लगना चाहिए तो यह प्रश्न भी शायद ऊदल जी कल खड़ा कर देंगे और फिर न्याय की बात कही जायगी तो शासन के लिए जवाब देना कठिन हो जायगा।

दूसरी बात यह है कि जो अभिनवीकरण लागू कर दिया गया है उसको जब मैंने पूरी तरह से देखा तो छोटों पर लगान का भार बढ़ा है और जो बड़े काश्तकार है, अच्छी भूमि वाले हैं उन पर लगान का भार कम है। जहां पर

३० रुपये, ३५ रुपये, २८ रुपये, ४० रुपये तक सर्किल रेट था अच्छी किस्म की भूमि थी, जो पश्चिमी जिलों में थी, उसका लगान घटाकर २० रुपया कर दिया गया है और सब से गरीब लोग जो थे जिनके पास सब से खराब भूमि थी जिनका सर्किल रेट एक रुपया, दो रुपया था, जो पीड़ित थे, उ का सर्किल रेट बढ़ा दिया गया। जिनके पास अच्छी भूमि थी जो आधुनिकतम तरीके से कार्य कर रहे थे और मुनाफा उठा रहे थे जिनकी कोई इच्छा नहीं थी कि उनका लगान कम होना चाहिए उनका लगान कम कर दिया गया। यह दूसरी परेशानी हमारे सामने है जिस पर हम विचार कर रहे हैं।

तीसरी बात आपने देखा होगा सवा तीन और सवा छः एकड़ की लगान की माफी का सवाल। जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि लगान कम होना चाहिए तो सवा तीन एकड़ के बाद यह भी मांग चल रही है कि सवा छः एकड़ तक यह जाना चाहिए और सवा छः एकड़ तक माफ होना चाहिए। तो फिर लगान कितना रह जायगा प्रदेश में इस पर विचार करना होगा। संसाधन भी जुटाने होंगे। इसलिए मैंने कहा कि इन सारी बातों पर सरकार विचार कर रही है। जब विकास कर समाप्त करने की बात आई थी यह विचार हो रहा था कि विकास कर सवा छः एकड़ के काश्तकारों को देना पड़ता है तो एक सबसे बड़ा विचार मेरे सामने था कि जो लोग लगान सर्किल रेट से ४० फीसदी या कम दे रहे थे और जब लगान सर्किल रेट से दुगुना या तिगुना किया गया तो उन पर चौगुना या पंचगुना लगान हो गया और उस पर चारगुना या पांचगुना विकास कर लग जाय तो वह सब मिला कर २०, २५ गुना हो जायगा। तो यह आवश्यक समझा गया कि जब तक लगान के सम्बन्ध में पूरी तरह से सोच-समझ न लिया जाय जिन पर ५ गुना लगान कर लिया गया है उन पर विकास कर ५ गुने की राहत दे दी जाय।

फिर अपने एक्सपर्ट्स को बिठा कर सारी व्यवस्था पर विचार करके यह निश्चित किया जाय कि कैसे इस प्रदेश में लगान लगाया जाय। अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं और आवश्यक समझा गया तो विशेषज्ञ भी बुलाये जा सकते हैं और उनसे विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन यह प्रश्न जो बहुत दिनों से उलझा पड़ा हुआ था किस आधार पर लगान लगाया जाय उस समस्या को सुलझाने के लिये और उससे सम्बन्धित सारे सवालात को समझ कर हम निर्णय लेंगे। जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता तब तक के लिये जो अभीनवीकरण की स्थिति कांग्रेस के समय में थी उसको हमने स्वीकार कर लिया है लेकिन एसा नहीं है कि यह अन्तिम लगान लगाने की विधि है। जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं और जो उनकी भावनायें हैं उनको समझते हुए, उन पर विचार करते हुए जो यह मूल प्रश्न ८० प्रतिशत जनता से सम्बन्धित है और जो हमने चुनाव के दौरान वायदा किया था कि लगान के सम्बन्ध में हम एक वैज्ञानिक निर्णय लेंगे उसको भी दृष्टि में रखते हुए हम लगान के सम्बन्ध में एक वैज्ञानिक तरीका निश्चित करने के लिये कटिबद्ध हैं और मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेगी और जो भी माननीय सदस्य इसमें रुचि रखते हैं उनसे सलाह मशिवरा लेने के उपरान्त ही निर्णय लेगी।

कृषि उत्पादन मंडी समिति में १५० नयी वस्तुओं के लेने से उत्पन्न स्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंडी से सम्बन्धित जो विषय है उस पर चर्चा होने जा रही है इसमें २०० रिटें हाई कोर्ट में दाखिल हैं। जब कोई

[श्री विद्या शंकर--]

मामला हाई कोर्ट में या किसी न्यायालय में विचाराधीन हो तो सदन में उस पर चर्चा नहीं हो सकती। फिर सरकार की तरफ से अगर इस सम्बन्ध में कोई घोषणा की जाती है तो जो रिट्स दाखिल हैं उन पर भी असर पड़ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी बतलायें कि राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा जिस विषय पर अभी यहां सदन में विचार होना है क्या वह अदालत के विचाराधीन है ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)--

करीब २०० रिटें इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में इस समय विचाराधीन हैं। इस पर दोनों पक्ष की बहस हो चुकी है और अभी हाई कोर्ट का निर्णय बाकी है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मेरा निवेदन यह है कि जो याचिकायें विचाराधीन हैं वे इस बात पर हैं कि जो नये आइटम्स बढ़ा दिये गये हैं उनके बारे में शासन का क्या निर्णय होना चाहिये। लेकिन जो विचाराधीन विषय है वह शासन की नीति से सम्बन्धित है और शासन की नीति न्यायालय के विचाराधीन नहीं है। इसलिये यह विषय सबजुडिस नहीं है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, जब यह विषय विचाराधीन था और जब यह विषय कार्य-मन्त्रणा समिति के समक्ष आया होगा तो क्या कृषि मन्त्री जी को इसके बारे में सूचना नहीं थी ? उस समय उनको जानकारी रही होगी। तो जब यह मामला कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा लिया गया है तो फिर इस के ऊपर आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री विद्या शंकर--

अगर मन्त्री जी ने सूचना नहीं दी थी तो यह तथ्य हट नहीं जायेगा कि यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है। रिट के अन्दर शासन की नीति क्या है, यहां पर यह भी बहस होगी। क्या मामला न्यायालय के सामने विचाराधीन है, इस पर पक्ष और विपक्ष तर्क-वितर्क करेंगे तो न्यायालय पर इसका असर पड़ेगा और कंटेम्प्ट का भी मामला बनेगा। इसलिये इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

न्यायालय में क्या मामला है उसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन जो नियम ५२ की सूचना दी है उसको मान्यवर, आप पढ़ लें। उसमें मैंने लाइसेन्स प्रणाली और कृषकों को सुविधा आदि ऐसे विषय पर चर्चा करने के बारे में लिखा है। इसमें कंटेम्प्ट का सवाल नहीं है। प्रदेश की जनता का सवाल है। इसलिये आप इस पर चर्चा करने की कृपा करें।

दूसरी बात यह है कि इस विषय पर चर्चा हो या न हो इसकी ग्राह्यता के बारे में माननीय अध्यक्ष ने विचार कर लिया था और उन्होंने इसे कार्य मन्त्रणा समिति में रखा था कि आज इस पर चर्चा होगी। अतः यह प्रश्न नहीं उठता कि इस पर चर्चा हो या न हो।

*श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में उस समय अध्यक्ष जी की जानकारी में यह बात नहीं रही होगी कि इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में रिट दाखिल हो चुकी है। इसलिये इसे ग्राह्यता का कारण बताना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। माननीय राजेन्द्र कुमार जी कहते हैं कि हम नीति सम्बन्धी मामले पर विचार करेंगे। आप देखते हैं कि सदन में फ्री स्टाइल भाषण होते हैं तो कैसे हमारे राजेन्द्र कुमार जी सम्भाल पायेंगे, यह मैं नहीं समझता। श्रीमन्, नीति के आधार पर कार्यक्रम बनते हैं, सरकारी अधिनियम बनते हैं। तो उससे जुड़ा हुआ यह मामला है। उससे अलग हम लोग विचार कर ही नहीं सकते। अगर विचार करेंगे तो जो रिट दाखिल है वह प्रभावित होगी और उसमें न्यायालय को आपत्ति हो सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर विचार न किया जाय।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी) –

मान्यवर, कार्य मन्त्रणा समिति की जो बैठक हुई जिसमें इसके लिये दो घन्टे का समय निश्चित किया गया उस समय यह प्रश्न आया ही नहीं और न किसी की जानकारी में था। माननीय अध्यक्ष की जानकारी में नहीं था कि इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट में रिट दाखिल है। अगर यह मालूम होता तो ग्राह्यता का सवाल नहीं बनता। जैसा कि मोतीलाल जी ने कहा है, मैं स्वयं वहां मौजूद था। माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं, २०० रिट इस सम्बन्ध में दाखिल है उसमें कुछ नीति सम्बन्धी भी है, नये आइटम भी हैं, गवर्नमेंट के कानून से सम्बन्धित मामले हैं। इसलिये मेरा ख्याल है कि इस पर बहस इस वक्त नहीं होनी चाहिये।

श्री विद्या शंकर—

मान्यवर, जो प्रस्ताव श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की ओर से आया है इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि, १५० नयी वस्तुओं के लेने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा, तो वही लोग जो हैं, रिट दाखिल किये हैं। इसलिये मैटर सबजुडिस है इस मामले में यहां चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री नरेश चन्द्र (जिला लखीमपुर खीरी)—

मान्यवर, अभी कृषि मन्त्री जी ने जैसा बताया कि लगभग दो सौ रिटें पेंडिंग में हैं। उन पर बहस हो चुकी हैं और केवल उच्च न्यायालय को फैसला देना है। उस प्वाइंट को लेकर सदन में चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है और फिर जल्दबाजी से कोई फायदा भी नहीं है। लोकतन्त्र की हमने पुनर्स्थापना की है और उच्च न्यायालय को हमने उच्च स्थान दिया है। ऐसी हालत में उनके फैसले को सुन लिया जाय और उसके बाद सदन में चर्चा हो। इसलिये इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम चरण शाह (जिला लखीमपुर खीरी)--

इसको स्थगित किया जाय और जब उच्च न्यायालय का फैसला हो जाय तब चर्चा की जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने सम्मानित सदस्यों को सुन लिया है । सरकार को इसकी सूचना कार्यमन्त्रणा समिति को भेज देनी चाहिये थी लेकिन नहीं भेजी । चूंकि जो मामला उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है उस पर चर्चा इस माननीय सदन में नहीं हो सकती इसलिये मैं इसको स्थगित करता हूं अगले सत्र के लिए और इस पर आगे विचार किया जायगा ।

प्रदेश मे ताड़ी पर लगी रोक के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत होने वाली चर्चा की समाप्ति

(श्री भीषम का नाम पुकारे जाने पर)

आबकारी मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, लगता है वह आये नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

तो फिर इस पर चर्चा नहीं होगी ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं नियम ५१ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लेता हूं ।

इसमें ४ सूचनायें प्राप्त हुई थीं उन सभी को मैंने अस्वीकार कर दिया है ।

हापुड़ के एक व्यापारी, श्री सुभाष चन्द्र से रुपये की थैली छीने जाने के प्रयास में गोली मार कर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं गृह मन्त्री को बुलाता हूं ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

विद्युत् मन्त्री यहां नहीं हैं उनको बुलाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

वे विधान परिषद् में गये हैं इसलिये मैं माननीय गृह मन्त्री को बुलाता हूं । वह आ जायेंगे, कह गये हैं मैंने सूचना दे दी है ।

श्री कल्प नाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गृह मन्त्री वक्तव्य नहीं दे सकते । जो आईटम विद्युत् मन्त्री का है चूंकि वह विधान परिषद् में गये हैं, मन्त्रि मंडल की संयुक्त जिम्मेदारी है उनकी जगह दूसरे मन्त्री बयान देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह ७ बजे आने को कह गये थे और आ जायेंगे अभी चर्चा चल रही है ।

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २८ अगस्त, १९७८ को श्री जुगेन्द्र सिंह उर्फ टाइगर द्वारा थाना हापुड़ जनपद गाजियाबाद पर इस आशय की सूचना लिखाई गई कि लगभग ९-१५ बजे प्रातः दो व्यक्ति कचहरी की सड़क से आ रहे थे, कि एक मोटर साइकिल जिस पर तीन व्यक्ति बैठे थे उक्त व्यक्तियों के पास आकर रुकी । उनमें से एक ने पैदल आ रहे उक्त दो व्यक्तियों में से एक को गोली मारी और उसके हाथ का बैग छीनना चाहा । वहां पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा शोर मचाने पर तीनों बदमाश मोटर साइकिल छोड़ कर भागे । उपस्थित व्यक्तियों द्वारा एक बदमाश को मय तमंचा व कारतूस के मारपीट कर पकड़ लिया गया तथा भागते हुये दो बदमाशों में से एक को सामने से आ रहे पुलिस वालों व लड़कों द्वारा मय तमंचा व कारतूस पकड़ लिया गया । तीसरा बदमाश भागने में सफल हुआ । जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसे कुछ लोग अस्पताल ले गये । उक्त सूचना के आधार पर धारा ३९३/३०७ भा० द० वि० तथा २५ आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । घायल व्यक्ति का नाम श्री सुभाष चन्द्र, किराना व्यापारी, निवासी मोहल्ला चन्दी, कस्बा हापुड़ पाया गया, जिसकी मेडिकल कालेज, मेरठ ले जाते समय मृत्यु हो गई । अतः अपराध धारा ३९३/३०२, भा० दं० वि० में परिवर्तित किया गया । दो अभियुक्तों को जो मौके पर पकड़े गये थे, दिनांक २९ अगस्त, १९७८ को जेल भेजा गया । अब तक की विवेचना से इस घटना में मेरठ के एक किराना व्यापारी का हाथ होना पाया गया है । उक्त व्यापारी एवं एक फरार अभियुक्त के विरुद्ध धारा ८२/८३, दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये न्यायालय से प्रार्थना की गई है । विवेचना प्रचलित है ।

प्रतापगढ़ के ग्राम हथगवां, थाना कुंडा में पुलिस तथा नक्सलपंथियों की हुई मुठभेड़ के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

मान्यवर, यह सत्य नहीं है कि दिनांक २२ अगस्त, १९७८ को सायंकाल लगभग चार बजे ग्राम हथगवां, थाना कुंडा में गांव की लड़कियों द्वारा दो सिपाहियों को मारा गया । वास्तविकता यह है कि दिनांक २१ अगस्त, १९७८ को प्रातः ११ बजे के आसपास जब थाना कुंडा के कान्सटेबुल विजय चन्द तथा कान्सटेबुल राम मूर्ति रात्रि गश्त से लौट रहे थे तो ग्राम हथगवां में बाबा के पुरवा के पास सात व्यक्तियों द्वारा उन पर अचानक हमला किया गया जिसमें कान्सटेबुल विजय चन्द की मौके पर मृत्यु हो गई तथा कान्सटेबुल राम मूर्ति के हाथों में गम्भीर चोटें आयीं । कान्सटेबुल विजय चन्द की निजी एस० बी० बी० एल० बन्दूक तथा कान्सटेबुल राम मूर्ति की सरकारी राइफल उक्त हमलावर छीनकर भाग गये । इस सम्बन्ध में थाने पर मुकदमा अपराध संख्या २३७/७८, अन्तर्गत धारा ३९६ भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ । दिनांक २७ अगस्त, १९७८ को प्रातः छीनी गई राइफल ग्राम साझा से पुलिस द्वारा बरामद की गई और इस

[श्री राम सिंह---]

सम्बन्ध में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए । दिनांक २९ अगस्त, १९७८ को यह सूचना मिलने पर कि इस घटना से सम्बन्धित कुछ अभियुक्त एक घर में छुपे हुये हैं, पुलिस, जनता व कुछ लाइसेन्सियों द्वारा उस घर का घिराव किया गया और उनको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया । अन्दर से अचानक गोलियां चलीं और बाद में जब मकान का दरवाजा तोड़कर पुलिस अन्दर घुसी तो तीन व्यक्ति, छपरा (बिहार) निवासी राम अधार, ग्राम साझा, थाना कुंडा निवासी राम अधार यादव तथा उनका भाई राम सजीवन अपनी ही गोली से मरे हुए पाये गये । इनके पास से छीनी हुई बन्दूक भी प्राप्त हुई । जिस घर में ये अभियुक्त मरे हुये पाये गये, उसका मालिक राम धनी गिरफ्तार कर लिया गया । इसके घर से नक्सलवादी साहित्य भी बरामद हुआ । मामले में विवेचना हो रही है ।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)---

मान्यवर, माननीय गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय भीष्म जी ने सूचना दी थी ताड़ी के विषय में, लेकिन उसको नहीं लिया गया क्योंकि माननीय भीष्म जी उपस्थित नहीं थे । मौजूदा विषय में माननीय रियासत हुसैन जी की सूचना पर वक्तव्य होना है, जो कि सदन में उपस्थित नहीं हैं ।

श्री विद्या शंकर--

मान्यवर, मैं माननीय गृह मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि २१ अगस्त, १९७८ को श्री विजय चन्द और श्री राम मूर्ति कुंडा थाने से गश्त पर निकले और वे शराब के नशे में धुत थे और जब वे ग्राम हथगवां में बाबा के पुरवा के पास पहुंचे तो वहां यादव घरों की कुछ लड़कियां घास छील रही थीं । इन कान्सटेबिल लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की और उनको छेड़ा तथा जबर्दस्ती करने की कोशिश की । डिफेंस में उन लड़कियों ने भी आक्रमण किया और विजय चन्द को हंसिया से मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी । लेकिन वहां बदले की भावना से उस गांव में पी० ए० सी० लगा दी गयी । डी० आई० जी० ने मौजूद होकर हत्या कराई है, तो क्या ऐसी जानकारी गृह मन्त्री जी को है ?

श्री राम सिंह---

प्राप्त जानकारी के अनुसार जो माननीय सदस्य ने बताया है, उस तरह की कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

यह मामला संदिग्ध है, इसलिए क्या पूरे मामले की जांच गृह मन्त्री जी सी० आई० डी० से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह---

इसमें जो विवेचना चल रही है, उसके अतिरिक्त सी० आई० डी० ही नहीं इन्टेलीजेंस के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि वह इस तथ्य की जानकारी करें, ताकि सही जानकारी सामने आ सके

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

जिस विजय चन्द्र, कान्सटेबिल की मृत्यु हुई, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है और जो ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या बलात्कार का प्रयास किया है, तो उन्होंने बचाव के लिए यह हमला या संघर्ष किया, तो क्या उच्चाधिकारियों या सी० आई० डी० के द्वारा वह इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राम सिंह---

प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर पहले दिया जा चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह है कि गोली लगने से हुई है। हैमरेज और शोक से हुई है।

श्री पुरूषोत्तम कौशिक---

इस तरह की घटनायें प्रदेश के अन्य भागों में भी घट रही हैं, तो क्या उनमें भी ऐसी इन्टेलीजेंस जांच वह करायेंगे ? जैसे गोरखपुर के कन्ट्रोल रूम के बुधराम मिश्र की हत्या कर दी गई, उनके टुकड़े-टुकड़े हो गये ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी इजाजत नहीं है, यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)---

जो उन्होंने बताया है कि वह उनसे छीनने को तैयार हो गये और रामधनी को गिरफ्तार कर लिया गया इस पर, तो क्या इन रामधनी को पुलिस ने रिमाण्ड के लिए दफा ३०२ व ३९६ में पेश किया था। मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के यहां और उन्होंने यह कहा कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है और उनको रिहा कर दिया, इसी कारण से उनको उसी दिन कचहरी में ही दफा १६० में गिरफ्तार किया गया है ? तो क्या इतने गम्भीर मामले की वह जूडिशियल जांच करायेंगे ?

श्री राम सिंह---

जो सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं, वह तो इसके अतिरिक्त है, इसकी सूचना तो मेरे पास है नहीं। लेकिन चूंकि इसमें आरोप था, नक्सलपंथियों की ऐक्टिविटी थी और इनको नक्सलाइट कहा जाता है, साथ ही कुछ प्रतिबन्धात्मक साहित्य भी बरामद हुआ है, इसलिए मुनासिब समझा गया कि इसकी इन्टेलीजेंस से भी जांच कराई जाए।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

चूंकि माननीय सदस्यों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का जिक्र किया है तो क्या ऐसी कोई रिपोर्ट थाने में लिखाई गई है ?

श्री राम सिंह---

जानकारी के अनुसार ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई है।

श्री विद्या शंकर—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो नक्सलपंथी पकड़े गये हैं। इसके पहले कोई इन्टेलिजेंस की तरफ से उच्चाधिकारी की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतापगढ़ जिले में तीन साल के अन्दर कोई नक्सलपंथी या नक्सलपंथी साहित्य पकड़ा गया ? नम्बर २, जो तीन आदमी मारे गये मेरी जानकारी है कि पुलिस ने रातों रात बन्दूक गाड़ कर स्वयं केस बनाया है।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया, विवेचना हो रही है। जो विवेचना सिविल पुलिस द्वारा हो रही है उसके अतिरिक्त इंटेलिजेंस के अधिकारियों से भी कहा गया है कि आप इस मामले को देखिए, चूंकि शिकायतें आयीं थीं इस तरह की, इसलिए दो तरह की जांच करायी है।

श्री देव बहादुर सिंह—

जो तीन आदमियों की मृत्यु हुई है, यह कहा जा रहा है कि जब दरवाजा तोड़ा गया तो मरे पाये गये और बिहार के रहने वाले हैं। क्या गृह मन्त्री ने पता लगाने की कोशिश की, यह जहां के रहने वाले हैं, इनका चरित्र कैसा है, नक्सलपंथी है या अपराधी हैं, किस तरह के हैं ?

श्री राम सिंह—

विवेचना के बाद जो निष्कर्ष आएंगे उनसे पता चलेगा कि उनकी बैकग्राउन्ड क्या है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

जो इस घटना से सम्बन्धित अधिकारी हैं उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम सिंह—

जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्रीमती शशि प्रभा (जिला प्रतापगढ़)—

क्या गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९७४ में प्रतापगढ़ में वहां के गुप्तचर विभाग के लोगों ने नक्सलपंथियों की सूचना दी थी ? यदि हां, तो उसका दमन करने के लिए उस वक्त सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे उठता नहीं। आपने १९७४ का पूछा है। यह मामला है, १९७८ का।

श्रीमती शशि प्रभा—

जो आदमी मारे गये हैं वे नक्सलपंथी हैं या कौन हैं, मैं यह जानना चाहती हूं ?

श्री राम सिंह—

विवेचना हो रही है । उसके बाद पता चलेगा कि पिछली क्या कहानी है । विवेचना के बाद तथ्य आएंगे ।

श्री भान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आप कहते हैं कि हंसिया नहीं है, गोली राइफल की, दुनाली बन्दूक की या आपके रिवाल्वर की थी ?

श्री राम सिंह—

गोली थी, उसके बाद पता चलेगा, जांच हो रही है ।

श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जो तीन लोग मारे गये हैं नक्सलपंथी करके दो को दूसरी जगह का बताया और मेरी जानकारी है कि तीनों हथगवा के थे । इस बारे में दो प्रकार के वरजन चल रहे हैं तो क्या इसकी न्यायिक जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इसका उत्तर मैं अपने मूल उत्तर में ही दे चुका हूं । एक व्यक्ति छपरा जिले का है दो यहीं के पास के गांव के हैं ।

श्री संगम लाल—

मान्यवर, यह रिपोर्ट बिलकुल गलत है (मा० मन्त्री जी द्वारा दिये गये वक्तव्य की प्रति को फाड़ डाला गया) जब तक न्यायिक जांच नहीं होगी तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली की दरें बढ़ाये जाने के विषय में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)—

मान्यवर, राज्य विद्युत् परिषद् ने भिन्न-भिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अक्तूबर, १९७४ से विद्युत् दरों का पुनरीक्षण किया था और दरों में वृद्धि हुई थी । १९७४ के प्रमुख पुनरीक्षण के पश्चात् विभिन्न मुद्दों जैसे कि निजी नलकूपों के विद्युत् दरों में कमी, ईंधन के मूल्यों में वृद्धि, विद्युत् गृहों में काम आने वाले बिजली के उपकरणों के मूल्य में बढ़ोत्तरी व वेतन पुनरीक्षण तथा दिनांक १-३-१९७८ से विद्युत् उत्पादन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा आबकारी शुल्क लगा दिये जाने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के व्यय में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो गयी । इसके अतिरिक्त राज्य के सामान्य विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य विद्युत् परिषद् ने मार्च, १९७७ से पर्वतीय क्षेत्रों, पिछड़े हुए जिलों तथा कुछ अन्य जिलों के लिये विद्युत् की दरों में रियायत कर दी ।

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही--]

उपरोक्त कारणों से राज्य विद्युत् परिषद् को लगभग ५१ करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवर्तक व्यय वहन करना है, जो कि निम्न प्रकार है :--

	करोड़ रुपयों में
(क) वेतन पुनरीक्षण के कारण कर्मचारियों को अतिरिक्त सुविधा तथा लाभ ..	६·००
(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिजली के उत्पादन पर लगाये गये आबकारी शुल्क की धनराशि ..	१६·००
(ग) ईंधन के मूल्य में वृद्धि के कारण ..	८·००
(घ) निजी नलकूपों के लिये विद्युत् दरों का १५ रु० से १२ रु० प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह कर दिये जाने के कारण ..	८·००
(ङ) पर्वतीय क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों तथा अन्य कुछ जिलों में रियायती विद्युत् दरों के कारण हानि ..	३·००
(च) विद्युत् गृहों और पारेषण लाइनों में काम आने वाले विद्युत् उपकरणों के मूल्य में वृद्धि के कारण ..	१०·००
	५१·००

श्री जसवीर सिंह--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप पढ़ने दें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, उपरोक्त अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिये विद्युत् दरों के पुनरीक्षण के अलावा विद्युत् परिषद् के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था । इसके अतिरिक्त निम्न तथ्यों के कारण भी राज्य विद्युत् परिषद् को विद्युत् दरों का पुनरीक्षण कर उनमें वृद्धि करना अत्यावश्यक हो गया था :--

(क) उ० प्र० में प्रचलित पुरानी विद्युत् दरें कम होने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें प्रायः निर्जीव सी हो गयी थीं । राज्य विद्युत् परिषद् को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से भी ऋण नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने में बाधा पड़ रही थी, क्योंकि धन की कमी के कारण नये कार्य नहीं हो पा रहे थे । इसके लिये केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने इस बात पर बल दिया था कि विद्युत् की दरों का शीघ्रातिशीघ्र पुनरीक्षण किया जाये ।

(ख) केन्द्रीय स्तर पर यद्यपि केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा मंत्रालय तथा योजना आयोग, सभी उ० प्र० में व्याप्त विद्युत् कमी तथा आने वाले

वर्षों में और भी अधिक अनुमानित गम्भीर अवस्था से अवगत हैं तथा पूर्णतया सहमत हैं कि हमारी नई उत्पादन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान होना प्रदेश के सुचारु रूप से विकास के लिए अत्यावश्यक है, तथापि परिषद् के आर्थिक स्रोतों में कमी के कारण इस कार्य में अवरोध आ रहा है। गत दिसम्बर तथा जनवरी में हुई वार्षिक योजना १९७८-७९ के विभिन्न बैठकों में तथा जनवरी १९७८ के अखिल भारतीय विद्युत् परिषदों के अध्यक्षों एवं विद्युत् मंत्रियों के सम्मेलन में भी यह बात बार-बार दुहराई गई है कि विद्युत् दरों का पुनरीक्षण करके तथा अन्य उपायों से आन्तरिक आर्थिक स्रोत बढ़ाये जायें ताकि प्रदेश की विद्युत् योजनाओं को समुचित धन उपलब्ध हो सके और नई-नई योजनाओं के लिये संसाधन एकत्रित किये जा सकें। इस समय चार नई परियोजनायें, जिसमें कि दो तापीय (आनपारा तथा टान्डा) तथा दो जल विद्युत् (विष्णु प्रयाग तथा मनेरी भाली--II) योजनायें हैं, तकनीकी अनुमोदन के पश्चात् योजना आयोग के समक्ष आर्थिक स्वीकृति हेतु लम्बित है तथा चार अन्य नई तापीय परियोजनायें (ऊंचाहार, दोहरी घाट, आनपारा विस्तार तथा गैस टर्बाइन) और तीन नई जल विद्युत् परियोजनायें (पाला मनेरी किशाऊ बान्ध, तथा सारा सुरंग) केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण तथा योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत है और इन सभी की यथाशीघ्र स्वीकृति एवं अविलम्ब कार्यान्वयन छठीं तथा सातवीं योजना काल में विद्युत् आपूर्ति के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि परिषद् तथा प्रदेश आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि नहीं करता है तो योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना अत्यन्त कठिन हो जायेगा। इन प्रोजेक्ट में इस धनराशि से लगभग ७ करोड़ रुपये मिल सकेंगे।

योजना आयोग ने हाल ही में इस बात का संकेत किया है कि संसाधनों की कमी के कारण उत्तर प्रदेश को चालू योजनाओं की भी वर्ष १९७७-७८ के दौरान वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ा। भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति न हो इसलिये यह तय किया गया कि विद्युत् दरों का पुनरीक्षण करके इस कमी को कुछ हद तक पूरा किया जाय।

उपरोक्त दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, विद्युत् परिषद् ने दिनांक १-७-१९७८ से विद्युत् दरों का पुनरीक्षण कर दिया है। विद्युत् दरों के इस पुनरीक्षण के फलस्वरूप लगभग रु० ३०·६४६ करोड़ प्रतिवर्ष अतिरिक्त राजस्व की आशा की जाती है जो कि वर्ष १९७८-७९ के अनुमानित आंकड़ों पर आधारित है। इस अनुमानित अतिरिक्त आय में से लगभग रु० २२·५० करोड़ (वार्षिक) केन्द्रीय सरकार को आबकारी शुल्क के रूप में विद्युत् परिषद् को देना है तथा शेष लगभग ८.०० करोड़ रुपये ही वास्तव में विद्युत् परिषद् को अतिरिक्त राजस्व के रूप में प्राप्त होगी।

चूंकि केन्द्रीय सरकार ने विद्युत् उत्पादन तथा कोयले एवं तेल पर आबकारी शुल्क दिनांक १-३-१९७८ से लगा दिया है, इसीलिये यह भी निणय विद्युत् परिषद् ने लिया कि दिनांक १-३-१९७८ से २.५ रु० प्रति यूनिट का अधिभार, व्यक्तिगत नलकूप/पम्पिंग सेट, राजकीय नलकूप, लिफ्ट इरीगेशन स्कीम एवम् कैनाल तथा "जनता सर्विस कनेक्शन स्कीम" के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त सभी उपभोक्ताओं के ऊपर लगा दिया जाये, जिससे कि केन्द्रीय सरकार को

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही—]

आबकारी शुल्क दिया जा सके । यह अधिभार दिनांक १-७-१९७८ से पुनरीक्षित दरों के लागू होने के पश्चात् समाप्त हो गया है ।

दिनांक १-३-१९७८ से केन्द्रीय सरकार द्वारा आबकारी शुल्क लगाने के पश्चात् लगभग अन्य सभी राज्यों ने अपनी विद्युत् दरों का पुनरीक्षण या विद्युत् आपूर्ति पर अधिभार लगा दिया है । किसी प्रदेश में विद्युत् दरें मुख्यता उत्पादन प्रणाली तथा प्रकार पर निर्भर करती है । उदाहरण स्वरूप जिस प्रदेश में तापीय बिजली का उत्पादन अधिक होता है वहां पर, जिस प्रदेश में पुनः बिजली का उत्पादन अधिक है उसकी तुलना में विद्युत् दरें अधिक होती हैं क्योंकि तापीय बिजली का उत्पादन पुनः बिजली के उत्पादन से महंगा पड़ता है । इस कारण एक प्रदेश की विद्युत् दरों की तुलना दूसरे प्रदेश की विद्युत् दरों से करना समुचित नहीं होता है । फिर भी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अधिकांश प्रदेशों के विद्युत् बोर्ड ने अपनी बिजली की दरों का पुनरीक्षण किया है अथवा बिजली आपूर्ति पर अधिभार लगाया है ।

[illegible] नलकूप/पम्पिंग सेटों के लिये लागू बिजली की दरों के सम्बन्ध में यह कहना है कि अक्तूबर, १९७४ के पहले उपभोक्ता ३·०० रु० प्रति अश्वशक्ति प्रति माह तथा १८·०० पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली का चार्ज देते थे जो कि नलकूपों को औसतन तीन घंटे प्रतिदिन चलाने पर २२·४ पैसे प्रति यूनिट पड़ता था । यदि नलकूप ३ घंटे प्रतिदिन के औसत से चलाये जायें तो उपरोक्त २२·४ पैसे प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ताओं को १८३·०० पैसे प्रति अश्वशक्ति प्रतिवर्ष देना पड़ता था । इन उपभोक्ताओं की कतिपय शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य विद्युत् परिषद् ने दिनांक १-११-१९७४ से १५ रु० प्रति अश्व शक्ति प्रति माह की नियत दर निर्धारित की थी ।

उपरोक्त १५ रु० प्रति अश्व शक्ति प्रति माह की दर पर यदि नलकूपों को तीन घंटे प्रतिदिन के औसत से चलाया जाय तो उपभोक्ताओं को २२·९५ पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता था । वर्ष १९७६ में "विद्युत्-गृहों" के "वस-वार" एवं उपभोक्ताओं के परिसर पर बिजली का उत्पादन मूल्य क्रमशः १४·९५ एवं २५·९४ पैसे प्रति यूनिट निकाली गयी है । इससे विदित है कि व्यक्तिगत नलकूप/पम्पिंग सेट के उपभोक्ताओं के लिये निर्धारित १५ रु० प्रति अश्व शक्ति प्रति माह की दर बिजली के उत्पादन मूल्य से काफी कम था । इसके बावजूद दिनांक १-४-१९७७ से उपरोक्त १५ रु० प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की दर को घटा कर १२ रु० प्रति अश्व शक्ति प्रति माह का किया गया था । इस दर पर नलकूपों को तीन घंटे प्रतिदिन के औसत से लाने पर उपभोक्ताओं को १८·३६ पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली का चार्ज देना पड़ता था । यहां यह विदित है कि यह दर बिजली के उत्पादन मूल्य से बहुत अधिक कम थी, जिसके कारण कि विद्युत् परिषद् को अत्यधिक हानि हो रही थी और उसकी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था ।

यहां पर यह कहना असंगत न होगा कि दिनांक १-११-१९७४ से नलकूपों के लिए नियत दर लागू करने के पश्चात् इन सभी उपभोक्ताओं के यहां से मीटर निकाल लिए गये थे और इन उपभोक्ताओं को इसकी वजह से ६·०० रु० प्रति माह, जो कि मीटर के किराये के रूप में देना पड़ता था, वह दिनांक १-११-१९७४

से नहीं देना पड़ रहा है। फिर भी बानगी (Sample) के तौर पर राज्य विद्युत् परिषद् न अपनी तरफ से उपभोक्ताओं के यहां उनका उपभोग जानने के लिये मीटर लगवाया जिससे कि यह विदित हुआ कि व्यक्तिगत नलकूप/पम्पिंग सेट के उपभोक्ता वर्ष में लगभग १५०० घंटे अर्थात् माह में १२५ घंटे औसत बिजली का प्रयोग करते ह और इस प्रकार लगभग ९२ यूनिट प्रतिमाह का उपभोग करते हैं। इस उपभोग के लिये १५ रु० प्रति अश्वशक्ति प्रति माह एवं १२ रु० प्रति अश्व शक्ति प्रति माह पर उपभोक्ताओं को क्रमशः १६·३ एवं १३·४ पैसे प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता था जिससे कि विदित है कि इन उपभोक्ताओं को बिजली के उत्पादन मूल्य से बहुत कम दर पर विद्युत् की आपूर्ति की जा रही थी जिससे कि परिषद् को आर्थिक हानि हो रही थी।

चूंकि परिषद् की आर्थिक स्थिति उपरोक्त हानि को वहन करने में अक्षम थी इसलिये राज्य विद्युत् परिषद् ने दिनांक १-७-१९७८ से १२ रु० प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की दर से बढ़ाकर १५ रु० प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह कर दिया, जो कि दिनांक १-४-७७ के पूर्व प्रचलित थी। इससे विदित होगा कि दिनांक १-७-१९७८ से वास्तव में व्यक्तिगत नलकूप/पम्पिंग सेट के उपभोक्ताओं की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है, बल्कि दिनांक १-४-१९७७ के पूर्व प्रचलित दर ही उन पर लागू किया गया है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि इसी दर पर नलकूप के साथ-साथ उपभोक्ताओं को अतिरिक्त कार्य जैसे चारा काटने की मशीन, गेहूं मड़ाई करने की मशीन, गन्ना पेरने की मशीन तथा धान कूटने की मशीन चलाने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।

यहां यह भी कहना उचित होगा कि उपरोक्त वर्णित ५१·०० करोड़ रु० के व्यय के विरुद्ध राज्य विद्युत् परिषद् ने अपनी दरें इस प्रकार बढ़ाई हैं कि उसको लगभग ३०·६४६ करोड़ रु० की ही अतिरिक्त वार्षिक आय होगी फिर लगभग २०·३५४ करोड़ रु० का घाटा रहेगा क्योंकि यदि इस घाटे को पूरा किया जाता तो विद्युत् दरों में काफी वृद्धि और करनी पड़ती जो कि कई कारणों से उचित नहीं था। इस घाटे को कुछ हद तक मितव्ययिता बरतकर पूरा करने का विद्युत् परिषद् का लक्ष्य है।

उपरोक्त लिखित सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा दिनांक १-७-७८ से बढ़ाई गयी विद्युत् दरें सर्वथा उचित हैं, और यह परिषद् की योजनाओं को ठीक तरह से कार्यान्वयन किये जाने के लिये आवश्यक हैं।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में विद्युत् उत्पादन की क्षमता कितनी है और जुलाई-सितम्बर में कितने यूनिट्स बिजली पैदा हुयी ?

दूसरे माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में अभी कहा कि हमारे यहां पर अन्य प्रदेशों की तुलना में बिजली सस्ती है तो मैं जानना चाहूंगा कि हरियाणा, पंजाब और केरल में विद्युत् का रेट क्या है और यहां पर क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, यह प्रश्न विद्युत् दरों के सम्बन्ध में पूछा गया था, माननीय सदस्य उसी पर प्रश्न करें, (व्यवधान) माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं वह सूचना इस समय नहीं है। जहां तक केरल तथा अन्य राज्यों में दरों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा है, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो वह उनको बता दी जायेगी, वैसे जो वक्तव्य बटा है उसमें यह सूचना है। उसको देखने से मालूम होगा कि कई मानो में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हम तीसरे, नवें और १० व स्थान पर हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने क्षमता के बारे में पूछा है कि वह क्या रही ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जो वक्तव्य बटा है उसमें वह सूचना है। पानी से जो बिजली बनती है उसकी दरें कम पड़ती है, जो कोयले से बनती है उसकी दर ज्यादा बैठती है।

(व्यवधान)

श्री रामअधार--

मान्यवर, वक्तव्य में यह बताया गया है कि सस्ती बिजली चूंकि हम दे रहे हैं इसलिये घाटा हो रहा है। दूसरे यह कहा है कि सभी राज्यों के विद्युत् अध्यक्षों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें यह राय व्यक्त की गयी थी कि बिजली का रेट बढ़ना चाहिये। तीसरे में यह बता दूं कि हमारे यहां मऊ में एक पावर स्टेशन है जहां एक मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं होती। तो मैं यह जानना चाहता हूं आपका प्रोडक्शन क्या है ? माननीय मंत्री जी को तयार होकर आना चाहिये था। (व्यवधान) उस सम्मेलन में तो आप गये थे आपको उसकी पूरी जानकारी होना चाहिये कि कहां-कहां पर क्या रेट है। आपने देखा कि बयान तो मंत्री जी ने दे दिया ६ पेज का और जानकारी कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो भाषण दे रहे हैं। कोई स्पष्टीकरण करना हो तो पूछ लें। जो आप कह रहे हैं वह कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राम अधार--

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है। अब तीसरा सवाल यह कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी यह बतावें कि हिंडालकों का जो २० करोड़ का फैसला है, विद्युत् परिषद् के खिलाफ हुआ है, वह कहां से देंगे और पंच निर्णय का जो फैसला है, वह कहां से देंगे ?

*श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, माननीय सदस्य के पूरे भाषण से कोई चीज स्पष्ट परिलक्षित नहीं हो पाई। मान्यवर, रेट्स का जहां तक प्रश्न है, मैंने कहा कि कई तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की कटेगरीज हैं उपभोक्ताओं की, जैसे लाइट की, फैन की है, जिसको डोमेस्टिक कन्जम्पशन में हम लाते हैं। अब यह बिहार के अन्दर ५० पैसे का रेट है, वेस्ट बंगाल के अन्दर ५३ पैसे का, आन्ध्र प्रदेश में ४२ पैसे का, उत्तर प्रदेश में हम ४७ पैसे चार्ज करते हैं। इस तरह से अलग-अलग अश्वशक्तियों के रेट्स हैं, १०० हार्स पावर तक के रेट्स विभिन्न प्रदेशों में दूसरे हैं। दिल्ली, डेसू जैसे स्टेट्स में उत्तर प्रदेश के मुकाबिले अन्य प्रदेश में अगर डोमेस्टिक पावर १०० यूनिट तक है, तो २० पैसे हैं, उत्तर प्रदेश में डोमेस्टिक का करीब ४१ पैसे हैं। तो डेसू में यह आगे चल कर बढ़ जाता है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अगर ४७ पैसे हैं, तो डेसू के अन्दर ४६ पैसे हैं। तो ४६ और ४७ का यह अन्तर है। आज तक मान्यवर, जो डिफरेन्स हैं जो बड़े उद्योग हैं उनसे कई राज्यों में इस तरह ज्यादा बिजली के रेट हैं और इसलिए मान्यवर, किसानों का जहां तक प्रश्न है हम नवें जगह पर हैं और राज्यों में इससे ज्यादा दरें हैं। हम १८ प्वाइंट कुछ दर पर बिजली दे रहे हैं जब कि और जगहों पर २३ प्वाइंट कुछ रेट हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं इस वक्तव्य के पृष्ठ ४ पर अंकित यह जानना चाहता हूं कि इसमें मंत्री जी ने यह कहा है कि १५ रुपये से १२ मैंने कर दिया था, १५ रुपये प्रति हास पावर पहले रेट था और उसके बाद १२ रुपये कर दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन कारणों से मंत्री जी ने १५ रुपये से १२ रुपये कर दिया था, ३ रुपये जब घटाया कहा, तब कौन-कौन से कारण विद्यमान थे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने पहले निवेदन किया कि १५ रुपये का रेट १-४-७४ से लागू था। पिछली सरकार ने जब बिजली नहीं दे सकी पूरी तरह से, अटरली फेल कर गयी, जो रेमिशन चाहते थे, उसकी घोषणा कर दिया, उसको वापस किया, किसान को अधिक बिजली दिया, उसके ठहराव के घंटे बढ़े। बाकी बिजली के रखरखाव पर व्यय बढ़ा और उसको अतिरिक्त सुविधा भी दी गयी। इसलिए इन सारी सुविधाओं को देखते हुए किसानों का जो तीन घंटे का औसत था, १८ घंटे तक बिजली जिस दिन होती थी, देते थे। बिजली के जो रेट थे, वही रेट रखा है। इसलिए कोई अतिरिक्त रेट नहीं बढ़ाया गया।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

इस वक्तव्य के पृष्ठ ५ में मान्यवर, लिखा है कि नलकूप के साथ-साथ उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधा जैसे चारा काटने की मशीन, गेहूं मड़ाई करने की मशीन, गन्ना पेरने की मशीन तथा धान कूटने की मशीन चलाने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि उपभोक्ता किस समय तक इस्तेमाल करेगा और उसे उस पर अतिरिक्त नहीं लगेगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, हम यह मानकर चल रहे हैं कि किसान को अधिक सुविधा दें। इसलिए मान्यवर, कोई चारा काटना चाहे, कोई मड़ाई करना चाहे, कोई अपने गन्ना को पेराई करना चाहे, कोई धान को कुटाई करना चाहे, हमने उनको

[श्री रवीन्द्र किशोर शाही—]

सुविधा दे रखी है । चाहे जितना उपभोग करे उसे अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा ।

श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, इस वक्तव्य के पहले पृष्ठ पर यह उल्लेख किया गया है कि राज्य विद्युत् परिषद् ने मार्च, १९७७ से पर्वतीय क्षेत्रों पिछड़े हुए जिलों तथा कुछ अन्य जिलों के लिए विद्युत् की दरों में रियायत दी जायेगी । मैं जानना चाहूंगा कि वह पिछड़े हुए जिले कौन-कौन से हैं और इसके साथ ही साथ में यह भी जानना चाहूंगा कि अन्य जिलों को यह रियायत क्यों नहीं दी गई है ? कृपया माननीय मंत्री जी इसके बारे में बतावें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र और बुन्देलखंड के इलाकों में हमने इन इलाकों के विकास की नियत से सुविधा दे रक्खी है । पिछड़े हुए जिलों की सूची है, उसी सूची के अनुसार वांछित रियायत हम मान्यवर, देते हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के सन्दर्भ में मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वर्तमान समय में आपका 'कास्ट आफ प्रोडक्शन' प्रति यूनिट जो किसान से ले रहे हैं उसमें मुनाफा लिया है या उस पर परिषद् को घाटा रहेगा या पुनः घाटा रहने पर आप किसान पर दुबारा टैक्स बढ़ायेंगे । नम्बर दो, जब आपने दर घटा करके १२ रु० की थी और जब १५ रुपये थी तो कितने निजी नलकूपों के कनेक्शन डिसकनेक्ट हुये या कितना रुपया बकाया रहा । तीसरे यह कि आटे की चक्की पर छूट देंगे जैसे कि चारा काटने की मशीन या मड़ाई की मशीन पर दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न नं० एक का जवाब दे दें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, किसानों के ऊपर बिजली का रेट कम से कम बढ़े और किसान ट्यूबवेल के लिये आयें, यह हमारी नीति है, हमारी योजना है । मान्यवर, इसका परिणाम यह है कि १९७६-७७ में जहां ११ हजार ट्यूबवेल लगे थे वहां १९७७-७८ में लगभग २५ हजार ट्यूबवेल लग गये । ६ हजार ट्यूबवेल इसलिये नहीं लग पाये कि हमारे पास सामान कम है । इससे साफ है कि किसानों को कम से कम रेट पर बिजली मिले और वह गरीबी से संघर्ष कर सकें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मेरा प्रश्न था कि कास्ट आफ प्रोडक्शन जो बढ़ गया तो यह जो दरें आपने बढ़ायी, क्या यह बढ़े रेट पर हैं या घाटे पर हैं । यदि घाटा है तो क्या फिर किसानों पर रेट बढ़ाने जा रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

पुनः किसानों पर कोई दर बढ़ाने का इरादा नहीं है ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, दुख का विषय है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया । मैं दो तीन सवाल कर रहा हूं । एक सवाल यह है कि आपने कहा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से जो पैसा मिलता था, वह बन्द हो गया है ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

ऐसा नहीं कहा कि बन्द हो गया ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, मुझे जानकारी है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से १८ करोड़ रुपया इमरजेंसी में मिला था । २० सूत्री कार्यक्रम में उसको इधर-उधर खर्च कर दिया गया जैसे लखनऊ के सौंदर्यीकरण पर ४८ लाख रुपये बिना परमीशन के विद्युत् परिषद् ने दे दिया । तो आप बतायें कि ७५-७६, ७६-७७, ७७-७८ में निगम से कितना पैसा मिला और कितना आपने खर्च किया ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह इससे नहीं उत्पन्न होता है ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, ६ पेज का बयान केवल इसलिये आया है कि विद्युत् रेट जो बढ़ाये हैं उसको सही साबित कर सकें । पहले बतायें कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ७७-७८ में कितना पैसा आया । दूसरे हिंडालको के सम्बन्ध में पंच निर्णय हुआ है उसमें आपको २-३ करोड़ रुपये देने हैं । २० करोड़ और देना है तो जो जुरमाना हो रहा है क्या किसानों के ऊपर बढ़ाकर देंगे । तीसरे मैं जानना चाहता हूं कि ईंधन के ऊपर कितना बढ़ा ?

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी नं० ३ का जवाब दें, १ व २ की इजाजत मैं नहीं देता हूं ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, हिन्डालको को, सुप्रीमकोर्ट को और पंच निर्णय को कितना रुपया देना है ? यह बता दें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, टेरिफ का रेट जो भारत सरकार ने अतिरिक्त आबकारी की अपेक्षा की है वह २ पैसे प्रति यूनिट ऐट दि प्लेस आफ जनरेशन है । लेकिन जब ट्रांसमिट करते हैं बिजली को तो लाईन लास होता है वह लगभग २२ प्रतिशत है जिससे ३ पैसे पड़ जाता है । कोयला और ईंधन के जो रेट बढ़े हैं उसको देखकर अलग-अलग उपभोक्ताओं पर अलग-अलग रेट बढ़ाये गये हैं । ४ पैसे डोमेस्टिक रेट हैं, जो उपभोक्ताओं पर बढ़ा है । एक हजार किलोवाट पर और उसके ऊपर तथा १०० किलोवाट पर अलग-अलग केटागरी हैं । कुल मिलाकर के अब साढ़े ३० करोड़ राजस्व की प्राप्ति की अपेक्षा है । इसमें साढ़े २२ करोड़ भारत सरकार को देना है ।

*श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने क्या उत्तर प्रदेश सरकार को यह लिखा था कि बिजली की दरें बढ़ाई जायं लेकिन उसमें कृषि को रियायत दी जाय ? दूसरी बात क्या पिछड़े जिलों में, पर्वतीय अंचल में जो रियायत दी गयी है वह औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में या डोमेस्टिक क्षेत्र में भी दी गयी है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि जहां तक आबकारी का प्रश्न है वह अपनी जगह पर है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जिसके तहत में गांव के नलकूप को इलेक्ट्रिफाई करते हैं उन्होंने अनेक बार आपत्ति की कि आपके रेट ऐसे हैं जो वाइबिल नहीं है। टेरिफ के बारे में भारत सरकार के पत्र आते रहे, इलेक्ट्रिक कारपोरेशन को, तो उन्होंने भी इस ओर इंगित किया। प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में इस टेरिफ की चर्चा हुई, जहां मुख्य मंत्री मौजूद थे, इन चर्चाओं के बाद हमको यह रेट बढ़ाना पड़ा, उन्होंने कहा आबकारी शुल्क के बारे में यदि कृषि के क्षेत्र में आप सर्टिफिकेट देंगे तो उसको हम मुक्त करने पर विचार करेंगे। लेकिन हमको उद्योग को भी बढ़ाना है इसलिये सारा खर्चा उस पर हम ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि बिजली के ट्यूबवेल के रेट कास्ट आफ जनरेशन से लेकर किसानों के परिसर में भेजने पर जहां २२ प्वाइंट कुछ पैसे पड़ता है और जिसको १८ प्वाइंट कुछ लगा है। आज भी हम घाटे पर हैं। लेकिन संतुलित हम बढ़ा सके हैं। इसलिये यह रेट बढ़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इसके ऊपर चर्चा समाप्त।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैंने मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है। वह खड़े हैं।

श्री जयराम (जिला गाजीपुर)--

मैं आप से यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य बार-बार खड़े होते हैं हम लोग यह नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी कार्यवाही करें जिससे कि आपकी कार्यवाही में व्यवधान पड़े लेकिन बार-बार देखा जा रहा है कि आप जिन सदस्यों का नाम नहीं जानते, जिनको नहीं पहचानते, आप को उनके नामों की जानकारी नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष--

जयराम जी, आप बैठे। आप खड़े हुये नहीं थे।

सदन के अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय क्योंकि बाढ़ व्यापक रूप से प्रदेश में आई है। उसकी विध्वंशकारी और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विनाशलीला से सभी माननीय सदस्य अवगत हैं। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर राहत कार्यों मे सहयोग कर सकें, अधिकारियों की और अपन जगह की समाज सेवी संस्थाओं की सहायता कर सकें, जिसके लिए मैंने निर्देश दिये हैं, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ५० मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

८ सितम्बर, १९५८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १४२९ पर)

मुसहर जातियों के पुनर्वासन हेतु विशेष योजना वर्ष १९७७-७८

ग्राम-बिरमपुर, पोस्ट बनकट, विकास क्षेत्र सेवा पुरी, जनपद वाराणसी

क्रम-संख्या	मद	परि० संख्या	दर प्रति परिवार	कुल अपेक्षित धन
१	२	३	४	५
			रु०	रु०
१	प्रत्येक परिवार को गृह निर्माण हेतु अनुदान	१४	३०००.००	४२०००.००
२	पेय जल सुविधा हेतु अनुदान		३०००.००	३०००.००
३	शैक्षिक सुविधा हेतु अध्यापक मानदेय एक वर्ष के लिए		१००.००	१२००.००
४	एक सामुदायिक केन्द्र हेतु अनुदान		१२०००.००	१२०००.००
५	प्रत्येक परिवार को कुटीर उद्योग हेतु अनुदान		१०००.००	१४०००.००
६	सभी परिवारों को छः माह के लिए भरण-पोषण एवं वस्त्रादि के हेतु अनुदान		६००.००	६४६०.००
७	खेल कूद एवं विविध उपकरण व्यय			२५००.००
			योग ..	६८१००.००

(ह०) सी० तिवारी,
जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी,
वाराणसी ।

मुसहर परिवारों को पुनर्वासित करने के लिए विशेष योजना

वर्ष ७७–७८, ग्राम पहाड़पुर पोस्ट दानगंज, विकास क्षेत्र–चोलापुर, वाराणसी ।

क्र० सं०	मद	परिवार सं०	दर प्रति परिवार	अपेक्षित धनराशि
			रु०	रु०
१	प्रत्येक परिवार के लिए गृह निर्माण हेतु अनुदान	२१	३०००	६३०००
२	पेय जल सुविधा हेतु	,,	३०००	३०००
३	शैक्षिक सुविधा हेतु अध्यापक मानदेय एक वर्ष के लिए		१००	१२००
४	एक सामुदायिक केन्द्र		१२०००	१२०००
५	प्रत्येक परिवार को कुटीर उद्योग हेतु अनुदान		१०००	२१०००
६	सभी परिवारों को ६ माह के लिए भरण पोषण एवं वस्त्रादि हेतु		६००	१२६००
७	खेलकूल विविध उत्थान व्यय			२५००
				११५३००

(ह०) वी० तिवारी,
जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी,
वाराणसी ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

मुसहर परिवारों को पुनर्वासन हेतु विशेष योजना वर्ष १९७८–७८

जनपद वाराणसी, ग्राम–बर्यराखुर्द, पो० चौबेपुर, विकास क्षेत्र चोलापुर, जनपद वाराणसी ।

क्र० सं०	मद	परि० संख्या	दर प्रति परिवार	कुल अपेक्षित धन
१	२	३	४	५
			रु०	रु०
१	प्रत्येक परिवार के लिए गृह निर्माण हेतु अनुदान	१५	३०००	४५०००
२	पेय जल सुविधा हेतु अनुदान		३०००	३०००
३	शैक्षिक सुविधा हेतु अध्यापक मानदेय १ वर्ष के लिए		१००	१२००
४	एक सामुदायिक केन्द्र हेतु अनुदान		१२०००	१२०००
५	प्रत्येक परिवार को कुटीर उद्योग हेतु अनुदान		१०००	१५०००
६	सभी परिवारों को ६ माह के लिए भरण पोषण एवं वस्त्र दि के लिए अनुदान		६००	९०००
७	खेल कूद विविध उत्थान व्यय हेतु अनुदान		२५००	२५००
				२२७००

(ह०) वी० तिवारी,
जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी,
वाराणसी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४३५ पर)

बस्ती जनपद में दिनांक १-११-७७ से १६-६-७८ तक टेस्ट वर्क के द्वारा निर्मित सड़कों की लम्बाई, नाम तथा व्यय का विवरण :--

क्रम-सं०	नाम सड़क	व्यय १-११-७७ से १६-६-७८ तक	लम्बाई कि० मी० में
१	२	३	४
तहसील बस्ती--			
१	आहर शिवाघाट मार्ग	१,०७,८६८.६७	११ कि० मी०
२	महादेवा कुदरहा मार्ग	६६,०३२.६५	५ कि० मी०
३	गायघाट महुवापारिकलां मार्ग	३५,३३८.६०	३.४१० कि० मी०
४	गिगिना मन्झरिया मार्ग	५,२२८.५०	२ कि० मी०
५	अमराली सुमालों बसयनवां चिरइया डाड मार्ग	२५,४८५.२५	१.५५० कि० मी०
६	बरगदवा बेरिका मार्ग	६,७९७.००	१ कि० मी०
७	लोहटी कड़ा मार्ग	७००.००	०.५०० कि० मी०
८	सिसवारी रघुनाथपुर मार्ग	१,२[illegible]०.५०	०.३०० कि० मी०
	योग ..	२,४८,७५४.४७	२४.७६० कि० मी०
तहसील बांसी--			
१	बस्ती बांसी सड़क से मुड़ीयार मार्ग	३५,४५२.००	१.५१८ कि० मी०
२	मझवन चेतिया मार्ग	१,६४,०४२.७५	११.१६१ कि० मी०
३	रतनसेन इन्टर कालेज, रामपुर	[illegible]७,६४६.००	३.५१० कि० मी०
४	अ[illegible]नार [illegible]ठकोरवा मार्ग	१,२२,८५९.००	६.४३२ कि० मी०
५	[illegible] बूंगा गड़ोरी मार्ग	१,३[illegible].५०९.००	६.५५७ कि० मी०
६	[illegible] नटिया मार्ग	[illegible]१.५०	२.६०० कि० मी०

१	२	३	४
७	डिडही चिताही मार्ग	१,४६,७२७.००	६.५७७ कि० मी०
८	बांसी धानो मार्ग	३०,१०३.५०	१.५०० कि० मी०
९	जीवा मरवटिया मार्ग	६६,९३५.००	३.५३३ कि० मी०
१०	रुधौली भानपुर मार्ग	४७,४१३.५०	३.८६० कि० मी०
११	राजेडिहा धर्मसिंहवा मार्ग	९९,४०५.००	४.२०० कि० मी०
१२	चेतिया कनकटी मार्ग	६१,२१२.००	३.४९० कि० मी०
१३	रानीगंज जनियाजाल मार्ग	४८,३६३.००	१.७४९ कि० मी०
	योग ..	१०,७५,०९९.२५	५५.६८७ कि० मी०

तहसील हर्रैया—

१	महूघाट रजवापुर मार्ग	१,६४,८९७.२०	१२ कि० मी०
२	कप्टानगंज पोखरा मार्ग	१,५१,८४३.०५	१५ कि० मी०
३	अभारी सबानोनमा मार्ग	२६,९५६.३०	२ कि० मी०
४	बसेवा सरबाडीह मार्ग	३२,१७९.५०	२ कि० मी०
५	विक्रमजोत बाबापुर मार्ग	४,१६६.०५	१ कि० मी०
६	गौर ऐलाकला मार्ग	४४,१४६.२५	३.०० कि० मी०
७	पकवलिया शिवधाम मार्ग	६०,१२२.१५	६.५०० कि० मी०
८	मसकनवा सिकन्दरपुर मार्ग	२,४३०.००	०.२०० कि० मी०
९	मडरिया छपिया मार्ग	६,८८२.७५	१.५०० कि० मी०
१०	गोपीनाथपुर मोढ़ाये मार्ग	७,४०५.४०	०.४०० कि० मी०
	योग ..	५,००,०२८.६५	४३.६०० कि० मी०

तहसील खलीलाबाद—

१	बनकटिया धकियाखरी मार्ग	८५,००३.६१	७ कि० मी०
२	नाथनगर काली जगदीशपुर मार्ग	५२४.८०	०.५ कि० मी०
३	पनघटा बिड़हर घाट मार्ग	६३,६३८.६५	६ कि० मी०

विधान सभा

१	२	३	४
४	सांडखुर्द बढ़या मार्ग	८६,२१२.२३	५.५० कि० मी०
५	बधौली लोहराली मार्ग	२१,४२,२०८.०५	१५ कि० मी०
६	सिरसी करों मार्ग	३१,२९२.८१	३ कि० मी०
७	फेरुसा गिरधरपुर मार्ग	७९,९८०.६०	४ कि० मी०
८	सौनौरा बिसौरा मार्ग	२२,२७८.९६	२ कि० मी०
९	बखिरा सहजनवां मार्ग	२३,१७२.००	१.२५ कि० मी०
१०	भिटवा पुशवल मार्ग	११,०५३.१९	०.५० कि० मी०
	योग ..	६,१७,३६४.९०	४४.७५ कि० मी०
	तहसील डुमरियागंज--		
१	भानपुर तेदुवां असनहरा धवप मार्ग	६९,६०३.००	४ कि० मी०
२	भड़रिया बड़नी चाफा मार्ग	१,०६,५४६.८०	७.७५ कि० मी०
३	चौखड़ा होरिलापुर मार्ग	१,२८,५२१.२५	१०.२४० कि० मी०
४	सिकुटा खम्हरिया मार्ग	४९,३९१.४०	२.४७१ कि० मी०
५	भारी रीवा मार्ग	२८,९९७.५०	२.००५ कि० मी०
६	चौखड़ा गौरा बाजार मार्ग	१६,५०४.००	२.८८० कि० मी०
७	शाहपुर दोबहा मार्ग	३०,१३४.२५	१.९४० कि० मी०
८	सेमरी जोगिनाधाम मार्ग	४८,५४२.५०	२.३२० कि० मी०
९	महदेवा खुरहू खरैला मार्ग	१५,४६६.७५	०.४६० कि० मी०
१०	भानपुर रुघौली मार्ग	२५,६५९.००	२ कि० मी०
	योग ..	५,१९,३६६.४५	३७.०६६ कि० मी०
	तहसील नौगढ़--		
१	उदयपुर बरगदवा मार्ग	३८,३०४.९६	५ कि० मी०
२	शोहरतगढ़ खेतिया मार्ग	२१,७३७.५६	४ कि० मी०
३	पिठनी बुर्जुग महादेवा मार्ग	१२,७७२.१०	१ कि० मी०
४	कटहना महरथा मार्ग	५०,४९१.५०	१ कि० मी०
	योग ..	१,२३,३०६.१२	११ कि० मी०
	कुल योग ..	३०,८३,८२६.८४	२१६.८०२ कि० मी०

पी० एस० यू० पी०--७७ वि० सभा--२३-१-१९७९--८३५ (पी० डी०)